VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

फरवरी 2025

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

अहमदाबाद | बेंगलूरु | भोपाल | चंडीगढ़ | दिल्ली | गुवाहाटी
हैदराबाद | जयपुर | जोधपुर | लखनऊ | प्रयागराज | पुणे | रांची

अभ्यास 2025

ऑल इंडिया प्रीलिम्स

(GS+CSAT) मॉक टेस्ट सीरीज

ऑफलाइन* मोड
100+ शहरों में

3 टेस्ट

टेस्ट 1	टेस्ट 2	टेस्ट 3
6 अप्रैल	27 अप्रैल	11 मई

Register at: www.visionias.in/abhyaas

- UPSC प्रारंभिक पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज
- मानसिक तत्परता के लिए परीक्षा जैसा माहौल
- अखिल भारतीय रैंकिंग
- VisionIAS पोस्ट टेस्ट विश्लेषण
- लाइव टेस्ट चर्चा
- अंग्रेजी/हिंदी में उपलब्ध

Agartala | Agra | Ahmedabad | Aizawl | Ajmer | Aligarh | Amritsar | Ayodhya | Bareilly | Bathinda | Bengaluru | Bhilai | Bhopal | Bhubaneswar | Bikaner | Bilaspur | Chandigarh | Chennai Chhatarpur | Chhatrapati Sambhaji Nagar | Coimbatore | Cuttack | Dehradun | Delhi | Dhanbad | Dharamshala | Dharwad | Durgapur | Faridabad | Gangtok | Gaya | Ghaziabad | Gorakhpur Gurugram | Guwahati | Gwalior | Haldwani | Haridwar | Hazaribagh | Hisar | Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jalandhar | Jammu | Jamshedpur | Jhansi | Jodhpur Kanpur | Kochi | Kohima | Kolkata | Kota | Kozhikode | Kurukshetra | Leh | Lucknow | Ludhiana | Madurai | Mandi | Meerut | Moradabad | Mumbai | Muzaffarpur | Mysuru | Nagpur | Nashik | Navi Mumbai | Noida | Orai | Panaji | Panipat | Patiala | Patna | Prayagraj | Puducherry | Pune | Raipur | Rajkot | Ranchi | Rohtak | Roorkee | Sambalpur | Shillong | Shimla | Siliguri | Srinagar | Surat Thane | Thiruvananthapuram | Tiruchirappalli | Tirupati | Udaipur | Vadodara | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam | Warangal

केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा

टॉपिक	QR कोड स्कैन करें
आर्थिक समीक्षा का सारांशः 2024–25 और आर्थिक समीक्षा 2024–25 की मुख्य विशेषताएं	
केंद्रीय बजट 2025–26 का सारांश	

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance) ____ 4

1.1. मुफ्त सुविधाएं ____ 4

1.2. राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति _ 6

1.2.1. पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व ____ 9

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 10

1.3.1. सरकार डिरेगुलेशन कमीशन का गठन करेगी ____ 10

1.3.2. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन ____ 11

1.3.3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी ____ 12

1.3.4. डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल ____ 12

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)____ 14

2.1. भू-आर्थिक विखंडन ____ 14

2.2. भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ____ 15

2.3. त्रिकोणीय साझेदारी ____ 19

2.4. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध ____ 20

2.4.1.भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता 23

2.5. भारत-फ्रांस संबंध ____ 26

2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 29

2.6.1. भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया ____ 29

2.6.2. बिम्सटेक/ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ____ 30

2.6.3. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ____ 30

2.6.4. पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय ____ 31

2.6.5. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ____ 31

2.6.6. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन ____ 31

3. अर्थव्यवस्था (Economy) ____ 33

3.1. MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना ____ 33

3.2. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन ____ 36

3.2.1. प्रमुख एवं लघु खनिज ____ 39

3.3. प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना ____ 40

3.4. मखाना ____ 42

3.5. कपास उत्पादकता मिशन ____ 44

3.6. अर्बन चैलेंज फंड ____ 47

3.7. शहरी सहकारी बैंक ____ 50

3.8. पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम ____ 53

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 57

3.9.1. सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद ____ 57

3.9.2. डिपॉजिट इंश्योरेंस ____ 57

3.9.3. GI टैग वाले चावल के लिए नया हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड ____ 58

3.9.4. 'उद्यमिता के लिए AI' माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल ____ 60

3.9.5.ई-श्रम माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स 61

3.9.6. टाइम यूज सर्वे ____ 62

3.9.7. बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई ____ 63

3.9.8. एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली ____ 63

3.9.9. टनेज कर प्रणाली ____ 64

3.9.10. RBI ने रेपो रेट में कटौती की ____ 64

3.9.11. भारत में भुगतान प्रणाली का विनियमन ____ 65

3.9.12. डिजिटल भुगतान सूचकांक ____ 66

3.9.13. बाजार अवसंरचना संस्थान ____ 66

3.9.14. एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग ____ 66

3.9.15. पोटाश ____ 67

3.9.16. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण ____ 68

3.9.17. केंद्रीय बजट 2025: 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित करना ____ 68

3.9.18. RuTAGe स्मार्ट विलेज सेंटर ____ 69

3.9.19. वैश्विक क्षमता केंद्र ____ 70

3.9.20. स्वरेल (SwaRail) एप्लीकेशन ____ 70

3.10. शुद्धिपत्र ____ 71

4. सुरक्षा (Security) ____ 72

4.1. क्षेत्रवाद ____ 72

4.2. एल्गोरिदमिक एम्पलीफिकेशन और कट्टरपंथवाद ____ 74

4.3 हाइब्रिड वारफेयर ____ 76

4.4. परमाणु निरस्त्रीकरण ____ 79

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 82

4.5.1. नेवल (नौसेना) एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR) ____ 82

4.5.2. सैन्य अभ्यास ____ 83

5. पर्यावरण (Environment) ____ 84

5.1. भारत में सौर ऊर्जा ____ 84

5.2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ____ 87

5.3. पराली जलाना ____ 89
5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 92
5.4.1. वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज ____ 92
5.4.2. रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की चार और आर्द्रभूमियां शामिल की गईं ____ 93
5.4.3. गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव ____ 94
5.4.4. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेट्लमेंट्स प्रोग्राम (यूएन-हैबिटैट/ UN-Habitat) ____ 94
5.4.5. एग्री-NBSAPs ____ 94
5.4.6. चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन ____ 95
5.4.7. F11 बैक्टीरिया ____ 96
5.4.8. कम गहराई वाला भूकंप ____ 96
5.4.9. पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में स्थानान्तरण ____ 97
5.4.10. 'एक राष्ट्र, एक समय' के लिए मसौदा नियम ____ 98
5.4.11. स्ट्रैटोवोलकेनो ____ 99
5.4.12. माउंट डुकोनो ____ 99
5.4.13. कैस्पियन सागर ____ 99
6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) ____ 101
6.1. मध्यम आय वर्ग ____ 101
6.2. त्रिभाषा फॉर्मूला ____ 104
6.3. भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा ____ 106
6.4. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण ____ 110
6.5. जल जीवन मिशन ____ 113
6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 116
6.6.1. "इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस" अभियान ____ 116
6.6.2. स्वावलंबिनी ____ 117
6.6.3. NGO प्रथम फाउंडेशन ने 'वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2024' जारी की ____ 117
6.6.4. WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल ____ 117
7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) ____ 119
7.1. परमाणु ऊर्जा मिशन ____ 119
7.2. डीप ओशन मिशन ____ 122
7.3. गैर-संचारी रोग ____ 124
7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 127
7.4.1. यूरोपीय संघ का AI अधिनियम लागू हुआ ____ 127
7.4.2. फसलों के जर्मप्लाज्म भंडारण के लिए जीन बैंक ____ 128
7.4.3. चीन के EAST ने संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया ____ 128
7.4.4. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा से 100वें रॉकेट का प्रक्षेपण किया ____ 129
7.4.5.चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत मानचित्रण 131
7.4.6. नासा ने चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की ____ 132
7.4.7. मंगल ग्रह का लाल रंग ____ 133
7.4.8. लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स ____ 133
7.4.9. शतावरी ____ 133
7.4.10. भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम ____ 134
8. संस्कृति (Culture) ____ 135
8.1. ज्ञान भारतम मिशन ____ 135
8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां ____ 137
8.2.1. विजय दुर्ग (फोर्ट विलियम) ____ 137
8.2.2. टी हॉर्स रोड ____ 137
8.2.3. तांत्रिक बौद्ध धर्म ____ 137
8.2.4. पद्म पुरस्कार ____ 138
8.2.5. साहित्य अकादमी पुरस्कार ____ 138
8.2.6. भारतीय भाषा पुस्तक योजना ____ 138
9. नीतिशास्त्र (Ethics) ____ 140
9.1. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता ____ 140
9.2. सर्विलांस कैपिटलिज्म ____ 143
9.3. भारत में रैगिंग के मामले ____ 146
10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News) ____ 149
10.1. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान ____ 149
11.परिशिष्ट: महत्वपूर्ण खनिज (Appendix: Critical Minerals) 151
12. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News) ____ 153
13. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News) ____ 154

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

नोट:

प्रिय अभ्यर्थियों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना आर्टिकल्स को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

	विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
	पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे याद रखने के लिए प्रश्नों का अभ्यास बहुत जरूरी है। इसके लिए हम मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में स्मार्ट क्विज़ को शामिल करते हैं।
	विषय को आसानी से समझने और सूचनाओं को याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के इंफोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।
	सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

1.1. मुफ्त सुविधाएं (Freebies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मुफ्त सुविधाएं (फ्रीबीज़) गरीबों में परजीवी मानसिकता को बढ़ावा दे रही हैं और उनमें काम करने की इच्छा को हतोत्साहित कर रही हैं।

मुफ्त सुविधाओं (Freebies) का अर्थ क्या है?

परिभाषा: फ्रीबीज़ की कोई सटीक परिभाषा नहीं है। फ्रीबीज़ (यानी मुफ्त सुविधा/ वस्तु/ उपहार आदि) आमतौर पर अल्पकालिक लाभ प्रदान करती हैं, जैसे- मुफ्त में लैपटॉप, टीवी, साइकिल, बिजली, पानी आदि। इन्हें अक्सर चुनावी प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** फ्रीबीज़ को इस प्रकार से परिभाषित करता है: **"ये ऐसी सार्वजनिक कल्याणकारी सेवाएं होती हैं, जिनके लिए नागरिकों को कोई शुल्क नहीं देना होता है।"**
    - आमतौर पर राजनीतिक दल चुनावों के दौरान ऐसी सेवाओं का वादा करते हैं। इस प्रकार, अब ये भारत की राजनीति का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं।

लोक कल्याण बनाम मुफ्त सुविधाएं

- **लोक कल्याण:** यह संविधान में "राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों" में निहित है। इसमें लोगों को खाद्य सुरक्षा (जैसे- PDS), नौकरियां (जैसे- मनरेगा), और शिक्षा/ स्वास्थ्य सहायता जैसी जरूरी सेवाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयास शामिल हैं। इससे मानव पूंजी का निर्माण होता है।
- **मुफ्त सुविधाएं:** सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अल्पकालिक मुफ्त वादों में स्थिरता का अभाव होता है। मुफ्त बिजली, पानी या ऋण माफी जैसी योजनाएं बाज़ारों को विकृत करती हैं, ऋण चुकाने की प्रवृत्ति को कमज़ोर करती हैं, और लोगों को काम करने के प्रति उदासीन बना सकती हैं।

लोक कल्याण के विभिन्न दृष्टिकोण

दान आधारित दृष्टिकोण	आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण	अधिकार-आधारित दृष्टिकोण
इसमें इनपुट पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, न कि परिणाम पर।	इसके तहत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इनपुट और परिणाम, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और परिणाम, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
गरीबों के प्रति संपन्न वर्गों की नैतिक जिम्मेदारी की पहचान करता है।	आवश्यकताओं को वैध दावों के रूप में मान्यता दी जाती है।	अधिकारों को ऐसे दावों के रूप में देखा जाता है, जिनकी पूर्ति कानूनी और नैतिक रूप से जिम्मेदार व्यक्तियों को करनी चाहिए।
व्यक्तियों को पीड़ित के रूप में देखा जाता है।	व्यक्तियों को विकास संबंधी हस्तक्षेप के लिए एक साधन माना जाता है।	व्यक्तियों और समूहों को अपने अधिकारों का दावा करने का अधिकार दिया जाता है।
यह समस्याओं की अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करता है।	इसके तहत समस्याओं के तात्कालिक कारणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।	यह उन मूलभूत संरचनात्मक कारणों और उनके प्रत्यक्ष प्रभावों की पड़ताल करता है जो अधिकारों को प्रभावित करते हैं।

संवैधानिक और कानूनी परिप्रेक्ष्य

- **राज्य की नीति के निदेशक तत्व (DPSPs):** संविधान के **अनुच्छेद 38, 39, 41 आदि राज्य को निम्नलिखित कार्यों के लिए निर्देश देते हैं:**
    - जनकल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना;
    - पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना;

- धन के असमान वितरण को रोकना;
- कुछ विशेष परिस्थितियों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करना, आदि।

- **सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:**
  - **सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य (2013) वाद:** दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस वाद में यह निर्णय दिया कि पात्र लाभार्थियों को **"रंगीन टीवी, लैपटॉप जैसी नागरिक सुविधाओं का वितरण** DPSPs के तहत किया जा सकता है," और इस पर **न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं** है।
  - **अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ (विचाराधीन वाद):** सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त सुविधाएं देने और इससे जुड़े वादे करने की परंपरा को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
- **चुनाव आयोग की भूमिका:** चुनाव आयोग ने चुनावी वादों में पारदर्शिता लाने की मांग की है और **राजनीतिक दलों से यह स्पष्ट करने को कहा है कि वे इन मुफ्त सुविधाओं के लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटाते हैं।**

फ्रीबीज़/ मुफ्त सुविधाओं के प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव	**नकारात्मक प्रभाव**
बुनियादी जरूरतों की पूर्ति: भोजन एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, आवास, शिक्षा आदि का प्रावधान गरीबों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करता है।	**वित्तीय बोझ:** इससे सरकारी बजट पर दबाव बढ़ता है, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है, तथा अवसंरचना विकास व रोजगार सृजन पर खर्च में कमी आती है, आदि।
सामाजिक और लैंगिक असमानताओं को कम करते हैं: मध्याह्न भोजन, मुफ्त साइकिल आदि ने स्कूलों में नामांकन दर को बढ़ावा दिया है।	**निर्भरता की संस्कृति:** इससे काम-काज से संबंधित प्रेरणा और उत्पादकता में कमी आ सकती है।
समावेशन और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देते हैं: विविध सेवाओं के माध्यम से वित्तीय बाधाओं को हटाने से बेहतर समावेशी विकास हो सुनिश्चित होता है।	**सतत विकास और अंतर-पीढ़ीगत समानता पर प्रभाव:** उदाहरण के लिए- मुफ्त बिजली व पानी से भू-जल स्तर में कमी आ सकती है। इससे संसाधनों की बर्बादी हो सकती है और भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ बढ़ सकता है।
राजनीतिक भागीदारी: मुफ्त सुविधाएं असंतुष्ट मतदाताओं को आकर्षित कर सकती हैं, चुनावी भागीदारी बढ़ा सकती हैं और अधिक प्रतिनिधिक लोकतंत्र को बढ़ावा देती हैं।	**मुफ्त सुविधाओं की राजनीति:** इनका इस्तेमाल सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने की बजाय वोट हासिल करने के लिए लोकलुभावन उपायों के रूप में किया जा सकता है।
बाजार की विफलता में कमी: फ्रीबीज़ आर्थिक सुधारों के नकारात्मक प्रभावों (जैसे- कम रोजगार और अंतर-पीढ़ीगत मोबिलिटी में कमी) से निपटने में मदद करती हैं।	**बाजार को कमजोर करना:** फ्रीबीज़ के कारण निवेश के लिए उपलब्ध संसाधनों का अन्य जगहों पर इस्तेमाल होता है। इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्रक की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

कई विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के वर्षों में कल्याणकारी योजनाओं और मुफ्त सुविधाओं को समान मान लिया गया है, जिससे दोनों के बीच का वास्तविक अंतर धुंधला हो गया है।

मुफ्त सुविधाओं की परिपाटी से निटपने के लिए किए जा सकने योग्य आवश्यक उपाय

- **नीतिगत सुधार:**
  - **वित्तीय अनुशासन और ऋण प्रबंधन:** राजकोषीय अनुशासन एवं सार्वजनिक ऋण को संधारणीय बनाए रखने हेतु ऐसी सतत कल्याणकारी योजनाएं बनानी चाहिए, जो एक निश्चित अवधि के बाद स्वतः समाप्त हो जाएं।
  - **लीकेज और भ्रष्टाचार को रोकना:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
  - **बीमा कवरेज का विस्तार:** यह कोविड-19 जैसी आपात स्थितियों के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा तंत्र के रूप में कार्य कर सकता है।
  - **राजनीतिक सहमति बनाना:** केंद्र और राज्यों को मिलकर मुफ्त सुविधाओं के नाम पर कल्याणकारी योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रयास करने चाहिए।

- **चुनाव आयोग की भूमिका:** यह चुनावी घोषणा-पत्रों को विनियमित करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर सकता है।
    - मुफ्त सुविधाएं वास्तव में 'मुफ्त' नहीं होती। इसलिए, 'प्रतिस्पर्धी लोकलुभावनवाद' को रोकने के लिए, राजनीतिक दलों को इन योजनाओं के वित्तपोषण और दीर्घकालिक परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।
- **कौशल विकास और आत्मनिर्भरता:** व्यक्तिगत सशक्तीकरण से लोगों की मुफ्त सुविधाओं पर निर्भरता को कम किया जा सकता है।
- **मतदाता जागरूकता:** मुफ्त सुविधाओं के दीर्घकालिक परिणामों के प्रति मतदाताओं को शिक्षित करना आवश्यक है, ताकि तर्कहीन मुफ्त सुविधाओं के प्रति उनकी मांग कम की जा सके।
- **न्यायिक निगरानी और हस्तक्षेप:** नीति आयोग, RBI एवं वित्त आयोग के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई जा सकती है, जो मुफ्त सुविधाओं के प्रभाव का आकलन करे।
- **वैश्विक उदाहरणों से सीखना:**
    - **श्रीलंका (2019):** चुनावी वादे के तहत की गई कर कटौती से राजस्व का भारी नुकसान हुआ था, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था।
    - **वेनेजुएला:** मुफ्त सुविधाओं के रूप में लोकलुभावन नीतियों और ऋण माफी योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को गंभीर संकट में डाल दिया था। उसके बाद सुधार में लंबा समय लग गया था।

निष्कर्ष

अमर्त्य सेन की **"कैपेबिलिटी एप्रोच"** का अनुसरण करते हुए सरकारों को अल्पकालिक मुफ्त सुविधाओं की बजाय मानव कौशल को बढ़ावा देने वाली दीर्घकालिक योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे बढ़-चढ़कर घोषणाएं करने की होड़ और वित्तीय संकट (जैसा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन. के. सिंह ने चेतावनी दी थी) को रोका जा सकता है।

1.2. राज्यों में पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण की स्थिति (Status of Devolution to Panchayats in States)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, पंचायती राज मंत्रालय ने **"राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति- सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग[1]"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

राज्यों में पंचायतों को अंतरण/ हस्तांतरण संबंधी रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **73वें संविधान संशोधन के तहत गठित पंचायतों द्वारा उनकी संवैधानिक भूमिकाओं** को निभाने की उनकी क्षमता का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करती है।
    - इस रिपोर्ट को **भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA), नई दिल्ली** ने तैयार किया है।
- **रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:**
    - **पंचायत अंतरण सूचकांक[2]:** यह राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **अधिकारों के अंतरण के 6 आयामों** (इन्फोग्राफिक देखें) के आधार पर **रैंक** प्रदान करता है।
        - इस रिपोर्ट में **'काम-काज (Functions)'** आयाम (जो स्थानीय स्व-शासन की नींव है) का राष्ट्रीय औसत सभी 6 आयामों में सबसे कम है।
    - **शीर्ष 3 राज्य:** पंचायतों को अंतरण के मामले में शीर्ष 3 राज्य **कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु** हैं।
    - **निम्न प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव, पुडुचेरी तथा लद्दाख सबसे निचले पायदान पर हैं।
    - **पंचायतों को अंतरण में सुधार:** पंचायतों को अंतरण **2013-14 में 39.9% था, जो 2021-22** के दौरान बढ़कर **43.9%** तक हो गया था।
    - **सूचकांक में शामिल क्षमता में वृद्धि घटक:** क्षमता में वृद्धि **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** जैसी पहलों के चलते **44% से बढ़कर 54.6%** हो गई है।

[1] Status of Devolution to Panchayats in States – An Indicative Evidence Based Ranking

[2] Panchayat Devolution Index

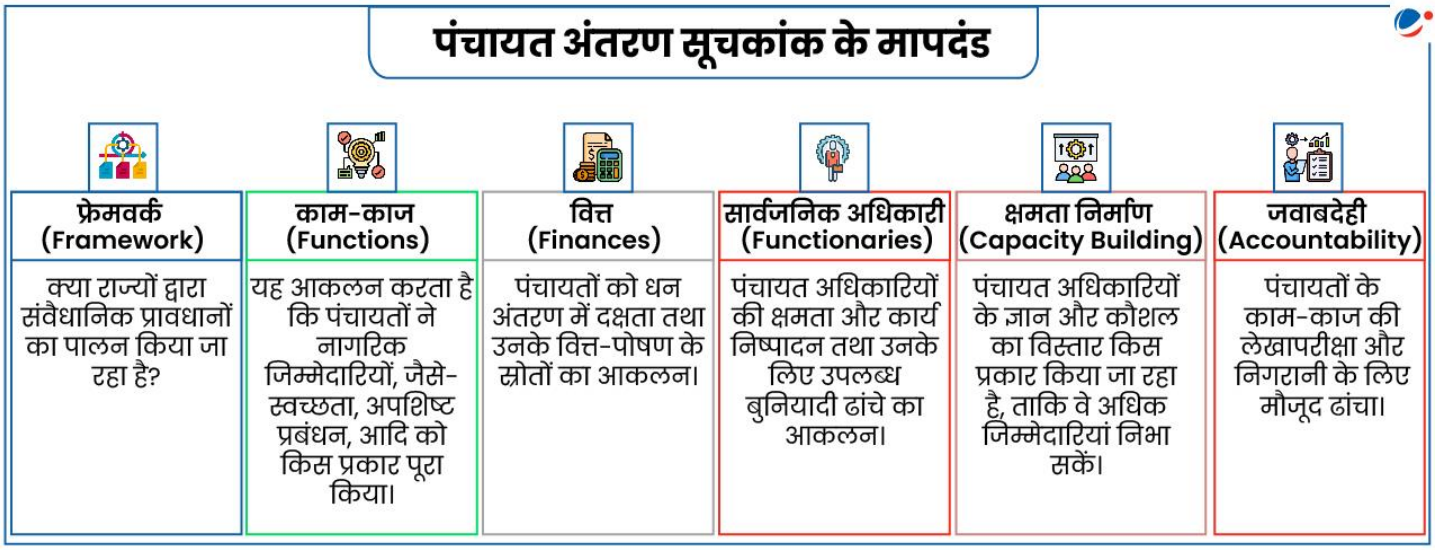

अंतरण सूचकांक का महत्त्व

- **नागरिकों के लिए:** पंचायतों के कार्यों और संसाधनों के आवंटन को ट्रैक करने में पारदर्शिता प्रदान करता है।
- **चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए:** यह डेटा-आधारित अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इससे वे पंचायतों में सुधार के लिए नीतिगत पहलें शुरू कर सकते हैं।
- **सरकारी अधिकारियों के लिए:** यह विकेंद्रीकरण नीतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है।
- **नीति-निर्माताओं के लिए:** ये स्थानीय प्रशासन की समग्र स्थिति का आकलन करने और जहां सुधार की सबसे अधिक आवश्यकता है, वहां बदलाव लाने के लिए अंतरण सूचकांक का उपयोग कर सकते हैं।

पंचायतों को अंतरण या हस्तांतरण के बारे में

- पंचायतों को अंतरण का आशय- **शक्ति, प्राधिकार, अधिकार, कर्तव्य, जिम्मेदारियों और धनराशि** को उच्च स्तर की शासन व्यवस्था से निचले स्तर की शासन व्यवस्था को हस्तांतरित करने से है। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों को **स्वायत्त** बनाकर उन्हें निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना है।
    - यह **प्रशासनिक विकेंद्रीकरण** का एक रूप है।
- **स्थानीय शासन,** जिसमें पंचायतें शामिल हैं, संविधान में **राज्य सूची** का विषय है। इसलिए, पंचायतों को शक्ति और अधिकार सौंपने का निर्णय राज्यों के विवेक पर निर्भर करता है।

पंचायतों को अंतरण से जुड़ी मुख्य चुनौतियां

- **फ्रेमवर्क संबंधी चुनौतियां:** अनियमित चुनाव, वार्डों के परिसीमन या निर्माण में देरी और पंचायतों के गठन में विलंब, संविधान के अनुच्छेद **243E (नियमित चुनाव की अनिवार्यता)** के प्रावधान के विपरीत हैं।
  - उदाहरण के लिए- मध्य प्रदेश में **23,000 से अधिक स्थानीय निकायों** के चुनाव कराने में देरी।
- **काम-काज संबंधी चुनौतियां:** रिपोर्ट के अनुसार, समग्र पंचायत अंतरण सूचकांक 43.89% (2021-22) है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पंचायतों के कार्य अभी भी पारंपरिक नागरिक सेवाओं तक ही सीमित हैं। दूसरी ओर, मध्यवर्ती और जिला पंचायतें ज्यादातर निगरानी का काम करती हैं। कई जरूरी काम अभी भी पैरास्टाटल निकायों यानी सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के कब्जे में हैं। इसलिए पंचायतों का विकास धीमा है।
  - **पैरास्टाटल निकाय (Parastatal bodies)** संसद के विशेष अधिनियमों द्वारा गठित होते हैं और सरकार द्वारा नियुक्त **निदेशक मंडल** द्वारा संचालित होते हैं। इनके कारण पंचायतों की स्वायत्तता सीमित हो जाती है।
- **वित्त संबंधी चुनौतियां:** पंचायतों के पास **पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी** है। ये **केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर** हैं। राज्य वित्त आयोग का नियमित रूप से गठन नहीं होने से पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
  - **95% राजस्व ऊपरी स्तर की सरकारों से प्राप्त अनुदानों** पर निर्भर करता है।
- **मानव संसाधन संबंधी चुनौतियां:** पंचायतों में ग्राम सचिव जैसे **सहायक कार्मिकों की कमी है।** साथ ही, **तकनीकी व प्रशासनिक कर्मचारियों का भी अभाव** है। इससे मौजूदा कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ता है और जमीनी स्तर पर कुशल अभिशासन एवं सेवा वितरण में बाधा उत्पन्न होती है।
  - इस सर्वेक्षण के अनुसार, एक राज्य में एक पंचायत सचिव औसतन **17 ग्राम पंचायतों** का प्रबंधन करता है।
- **क्षमता निर्माण संबंधी चुनौतियां:** आधारभूत अवसंरचना की कमी, कौशल विकास एवं नियमित प्रशिक्षण की अनुपलब्धता, डिजिटल अवसंरचनाओं के अभाव तथा अपर्याप्त वित्तीय एवं व्यक्तिगत प्रबंधन से पंचायतों के काम-काज पर असर पड़ता है।
  - केवल सात राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में ही 100% पंचायत कार्यालय पक्के भवनों में स्थित हैं।
  - भारत में 40,000 से अधिक ग्राम पंचायतों के पास अभी भी कंप्यूटर नहीं हैं।
- **जवाबदेही संबंधी चुनौतियां:** जनता की सीमित भागीदारी और जवाबदेही तंत्र के प्रति जागरूकता के अभाव में पंचायतों में भ्रष्टाचार एवं धन के दुरुपयोग के मामले बढ़ रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए- तमिलनाडु के कृष्णा जिले की 70% पंचायतों में धन के दुरुपयोग के मामले सामने आए हैं।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- **राज्य चुनाव आयोग (SEC) को मजबूत बनाना:** चुनाव तिथियों के निर्धारण, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन जैसे चुनाव-संबंधी सभी मामलों का अधिकार **राज्य चुनाव आयोग (SEC)** को दिया जाना चाहिए। **साझा मतदाता सूची** तैयार की जानी चाहिए और इसे **हर वर्ष अपडेट** किया जाना चाहिए।
- **आरक्षित सीटें:** सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण को 2 से 3 कार्यकालों के लिए स्थिर रखा जाना चाहिए। समान सीटों पर सामान्य उम्मीदवारों, महिलाओं और अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को लगातार कार्यकाल दिए जाने चाहिए, ताकि वे अधिक दक्ष बनें और स्थानीय नेतृत्व प्रभावी रूप से सशक्त हो सके।
- **स्वायत्तता:** सभी राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) में **पंचायतों की सक्रिय भूमिका** सुनिश्चित की जानी चाहिए। **ग्यारहवीं अनुसूची** में सूचीबद्ध विषयों को पंचायतों को सौंपा जाए, न कि समानांतर संस्थानों को।

- **वित्तीय सुधार: राज्य वित्त आयोग** का गठन **हर 5 वर्ष में निर्धारित समय** पर किया जाना चाहिए। इसकी रिपोर्ट को नियमित रूप से राज्य विधान-मंडलों में पेश किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए **वित्तीय स्रोतों का विविधीकरण** किया जाना चाहिए।
- **जवाबदेही और पारदर्शिता: कठोर वित्तीय जवाबदेही उपाय** लागू किए जाने चाहिए। नियमित और निष्पक्ष ऑडिट अनिवार्य रूप से होना चाहिए। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सभी खर्चों के लेन-देन, अनुदान जारी करने और उपयोग प्रमाण-पत्रों (Utilization certificates) को दर्ज करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था सरकारी धन के गलत इस्तेमाल और भ्रष्टाचार को प्रभावी ढंग से रोकने में सहायक होगी।
- **श्रमबल प्रबंधन:** पंचायतों को **अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति** करने; **बाहरी विशेषज्ञों को शामिल** करने तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अवसंरचना के विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने की स्वायत्तता दी जानी चाहिए। **कर्मचारियों का आवंटन** कार्यभार और स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाना चाहिए।
    - **स्थानीय सरकार सेवा आयोग** जैसी **एक स्वतंत्र संस्था** बनाई जा सकती है, जो पंचायत के कर्मचारियों की नियुक्ति करे।
- **क्षमता निर्माण:** पंचायत प्रतिनिधियों को **स्थानीय लोक सेवा प्रबंधन** पर एक व्यापक पाठ्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें **लोक व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, और ई-गवर्नेंस** जैसे विषय शामिल किए जा सकते हैं। पंचायत पदाधिकारियों के लिए इसे **MBA जैसे संरचित पाठ्यक्रम** की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है।

1.2.1. पंचायती राज संस्थाओं में प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व (Proxy Representation in PRIs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने **पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में प्रॉक्सी भागीदारी को समाप्त** करने के तरीके सुझाए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- समिति ने **"पंचायती राज प्रणाली और संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और भूमिकाओं का रूपांतरण: प्रॉक्सी भागीदारी को समाप्त करना[3]"** शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है।
- गौरतलब है कि **मंडोना ग्रामीण विकास फाउंडेशन बनाम भारत सरकार (2023)** मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) में प्रॉक्सी भागीदारी की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने का आदेश दिया था।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण

- **संवैधानिक प्रावधान: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992)** के तहत त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई और पंचायती राज संस्थाओं में **महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों का आरक्षण** सुनिश्चित किया गया है।
    - अभी तक **21 राज्यों ने आरक्षण की इस सीमा को 33% से बढ़ाकर 50%** कर दिया है। बिहार **पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने** वाला पहला राज्य था।
- **वर्तमान प्रतिनिधित्व: PRIs** में निर्वाचित प्रतिनिधियों में 46.6% **महिलाएं** हैं।

- **प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व का मुद्दा:** कई निर्वाचित **महिलाएं केवल प्रतीकात्मक रूप से काम करती हैं, जबकि पुरुष रिश्तेदार (जैसे- सरपंच पति)** असल नियंत्रण रखते हैं।
    - प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की प्रथा महिलाओं की नेतृत्व क्षमता पर संदेह पैदा करती है और आरक्षण के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है।

[3] Transforming Women's Representation and Roles in Panchayati Raj Systems and Institutions: Eliminating Efforts for Proxy Participation

समिति द्वारा प्रस्तावित प्रमुख सुधार:

- **कठोर दंड:** यदि पुरुष रिश्तेदार निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए। हालांकि, सजा की सटीक रूपरेखा अभी तय नहीं हुई है।
- **मजबूत नीतियां:** इसके तहत केरल की तरह जेंडर-स्पेसिफिक रिजर्वेशन, **सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह** और **महिला पंचायत संघ** जैसे प्रयास किये जाने चाहिए।
- **तकनीकी समाधान: तकनीकी समाधान:** महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को **वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन प्रशिक्षण** और रियल टाइम में **स्थानीय भाषाओं में कानूनी मार्गदर्शन** प्रदान करने के लिए **AI-संचालित प्रश्नोत्तरी** का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **जवाबदेही तंत्र: हेल्पलाइन, निगरानी समितियां** तथा प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की सूचना देने वाले को पुरस्कार देने जैसे उपाय किए जाने चाहिए।
    - नागरिकों को **"पंचायत निर्णय पोर्टल"** के माध्यम से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों या प्रधानों की बैठकों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों को ट्रैक करने की सुविधा दी जानी चाहिए।

1.3. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

1.3.1. सरकार डिरेगुलेशन कमीशन का गठन करेगी (Govt to set up Deregulation Commission)

प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि सरकार गवर्नेंस में राज्य की भूमिका को सीमित करने के लिए एक डिरेगुलेशन कमीशन का गठन करेगी।

- प्रधान मंत्री ने **जन विश्वास विधेयक 2.0** के माध्यम से सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य **विनियामकीय बोझ** को कम कर नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर करना है।
- **जन विश्वास विधेयक 2.0:** इसकी घोषणा **केंद्रीय बजट 2025-26** में की गई है। इसका उद्देश्य **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस** को बढ़ाने के लिए **100 से अधिक पुराने कानूनी प्रावधानों को अपराध के दायरे से बाहर** करना है।

डिरेगुलेशन कमीशन (गैर-विनियमन आयोग) के बारे में

- **परिभाषा**: किसी उद्योग पर सरकार की निगरानी को कम या समाप्त करने की प्रक्रिया को **डिरेगुलेशन** कहा जाता है।
- **दूसरे देशों में डिरेगुलेशन से जुड़ी पहलें:**
    - **संयुक्त राज्य अमेरिका**: सरकारी दक्षता विभाग (Department of Government Efficiency: DoGE)
    - **यूनाइटेड किंगडम:** बेहतर विनियमन फ्रेमवर्क (Better Regulation Framework)
    - **न्यूजीलैंड:** विनियमन मंत्रालय (Ministry of Regulation)

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में डिरेगुलेशन का महत्त्व

- **आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा:** भारत को **8% की संवृद्धि दर** हासिल करने के लिए निवेश दर को **31% से बढ़ाकर 35%** तक करने की आवश्यकता है।
    - उदाहरण के लिए, **जापान और चीन** ने डिरेगुलेशन की मदद से ही उच्च संवृद्धि दर हासिल की है।
- **आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि:** यह नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को दूर करके प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
    - उदाहरण के लिए, **जन विश्वास अधिनियम, 2023** की सहायता से **42 केंद्रीय कानूनों** के तहत **183 प्रावधानों** को अपराध के दायरे से बाहर किया गया था। इसके कारण व्यापार संबंधी अनुपालन प्रक्रिया सरल बन गयी है।
- **MSMEs हेतु नियमों के पालन की लागत में कमी:** क्योंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए जटिल नियमों का पालन करना कठिन होता है।
    - उदाहरण के लिए, **हरियाणा और तमिलनाडु सरकार** ने लघु व्यवसायों के लिए भवन निर्माण संबंधी नियमों में संशोधन किया है।
- **प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा:** राज्य सरकारें एक-दूसरे के डिरेगुलेशन प्रयासों से सीखकर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती हैं।
    - उदाहरण के लिए, **आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा सरकार** ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर लगी रोक में ढील दी है, जिससे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

1.3.2. मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (President's Rule in Manipur)

भारत के राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की।

- इस उद्घोषणा के साथ ही **मणिपुर में अब तक 11 बार राष्ट्रपति शासन** लगाया जा चुका है। राज्य में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन **2001-02** में लगाया गया था। वर्तमान उद्घोषणा से मणिपुर राज्य की विधान सभा निलंबित हो गई है।

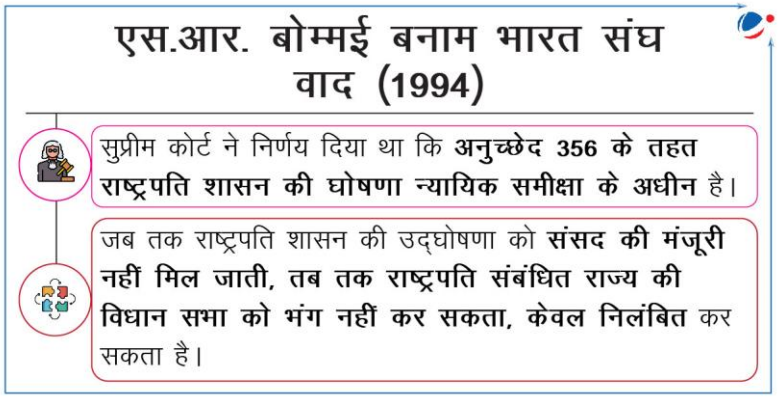

राष्ट्रपति शासन के बारे में

- **संविधान:** भारतीय संविधान का **अनुच्छेद 356** किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान करता है। संविधान में उपबंध है कि **यदि किसी राज्य की सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं** चलती है, तो राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में **राष्ट्रपति शासन लगा** सकता है।
  - कभी-कभी, राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट के बिना भी इस उपबंध का उपयोग कर सकता है।
- **अवधि और अनुमोदन: अनुच्छेद 356(3)** के अनुसार, राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, इसे **दो महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) से साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन** प्राप्त होना जरूरी है। यदि संसद द्वारा मंजूरी नहीं मिलती है, तो यह **दो माह बाद स्वतः समाप्त** हो जाता है।
  - एक बार संसद की मंजूरी मिलने के बाद, राष्ट्रपति शासन **अधिकतम छह महीने** तक जारी रह सकता है। हालांकि, इसे **हर छह महीने में संसद की मंजूरी के साथ अधिकतम तीन साल तक बढ़ाया** जा सकता है।
- **निरसन: राष्ट्रपति अपनी बाद की उद्घोषणा द्वारा राष्ट्रपति शासन को हटा** सकता है।
- **परिणाम:**
  - **राज्य सरकार के संचालन और राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति** अपने हाथ में ले सकता है।
  - राष्ट्रपति **राज्य विधान-मंडल की शक्तियों को संसद को हस्तांतरित** कर सकता है।
  - राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का असर **संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के कामकाज पर नहीं पड़ता** है।

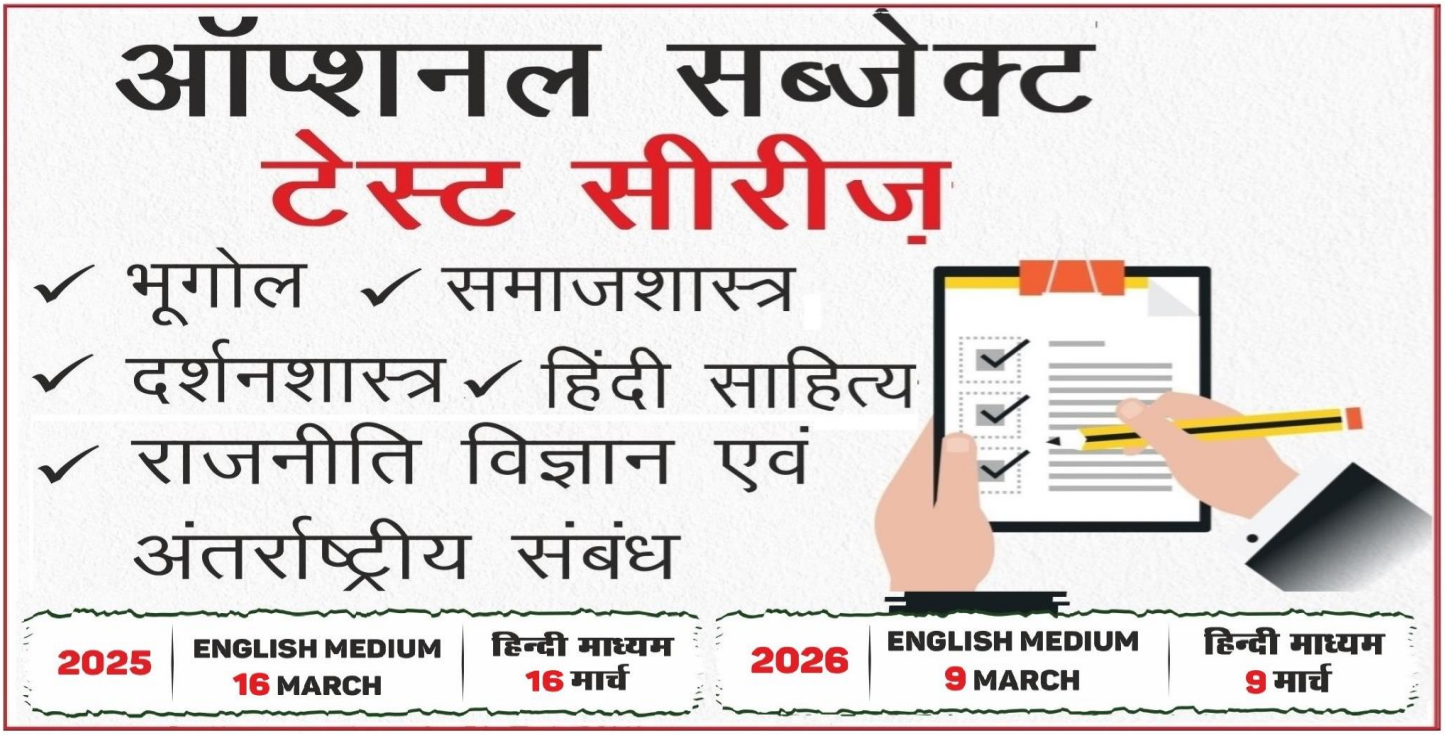

1.3.3. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी {Union Cabinet Approves The Revised Waqf (Amendment) Bill, 2024}

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार **संशोधित वक्फ विधेयक में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सुझावों को भी शामिल** किया गया है।

- इससे पहले, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) **राजिंदर सच्चर** की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और JPC की रिपोर्ट के आधार पर **2013 में वक्फ कानून में संशोधन** किए गए थे।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 के बारे में

- **उद्देश्य:** वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन द्वारा वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- **विधेयक के मुख्य प्रावधान:**
    - **वक्फ प्रबंधन को समावेशी बनाना:** मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम OBCs को **केंद्रीय वक्फ परिषद एवं राज्य वक्फ बोर्ड में शामिल** करके वक्फ प्रबंधन को समावेशी बनाने का प्रस्ताव किया गया है।
        - **केंद्रीय वक्फ परिषद:** यह एक वैधानिक संस्था है और इसकी स्थापना **1964** में हुई थी। यह परिषद भारत में राज्य-स्तरीय वक्फ बोर्डों की निगरानी करता है और सलाह देता है। यह स्वयं वक्फ संपत्तियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण **नहीं** रखता है।
        - **राज्य वक्फ बोर्ड:** इसे वक्फ संपत्तियों के रखरखाव और प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

    - **अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ अपील:** वक्फ के किसी मामले पर अधिकरणों के आदेशों के खिलाफ **90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील** की जा सकती है।
    - **अन्य प्रावधान:**
        - वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण में **प्रौद्योगिकी के उपयोग** को बढ़ावा दिया गया है।
        - **अघाखानी और बोहरा समुदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्डों के** गठन का प्रस्ताव किया गया है, आदि।

'वक्फ' क्या है?

- वक्फ वस्तुतः इस्लामी कानून के तहत **धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सौंपी गई संपत्ति** है। इन संपत्तियों का **अन्य किसी उद्देश्य के लिए उपयोग या बिक्री प्रतिबंधित** है।
- वक्फ संपत्तियां **अल्लाह को समर्पित** होती हैं और इन्हें विशेष रूप से नियुक्त **'मुतवल्ली' द्वारा प्रबंधित और प्रशासित** किया जाता है।
- भारत में वर्तमान में **8.7 लाख वक्फ संपत्तियां** हैं, जो **9.4 लाख एकड़ भूमि में फैली** हुई हैं।
    - **भारत में विश्व की सबसे अधिक वक्फ संपत्तियां हैं।**

1.3.4. डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल (Digital Brand Identity Manual: DBIM)

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सरकार की डिजिटल उपस्थिति को सुसंगत बनाने के लिए डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल (DBIM) की शुरुआत की।

DBIM के बारे में

- यह पहल **सरकारी वेबसाइट्स को सरल और मानकीकृत बनाने पर केंद्रित** है।
- **लक्ष्य:** नागरिकों के लिए **सरकारी वेबसाइटों को नेविगेट करना आसान बनाना** और **आवश्यक सरकारी सेवाओं तक सुगम पहुंच** सुनिश्चित करना।
- **उद्देश्य: सेवा वितरण को प्रभावी बनाना;** सरकारी मंत्रालयों में **बेहतर संचार** सुनिश्चित करना; सरकारी प्राथमिकताओं को **अधिक पारदर्शी** बनाना; आदि।
- **महत्त्व:** यह **"यूनिफार्म गवर्नेंस"** की शुरुआत करके सरकार के **"न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन"** दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. भू-आर्थिक विखंडन (GEO-Economic Fragmentation: GEF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में यह रेखांकित किया गया है कि दुनिया अब **आर्थिक एकीकरण** के बजाय **भू-आर्थिक विखंडन (GEF)** की ओर बढ़ रही है। यह वैश्वीकरण के प्रतिस्थापन या खत्म होने जैसा है।

भू-आर्थिक विखंडन (GEF) के बारे में: नई वैश्विक वास्तविकता

- **GEF क्या है:** 'भू-आर्थिक विखंडन' एक ऐसी स्थिति है जहां देश अपनी नीतियों के कारण **वैश्विक आर्थिक एकीकरण से दूर हो जाते** हैं। अक्सर, इसके पीछे सुरक्षा या राजनीतिक कारण निहित होता है। इसे वैश्विक स्तर पर आर्थिक जुड़ाव में एक नीतिगत बदलाव के तौर पर देखा जाता है। उदाहरण के लिए-
  - **'फ्रेंडशोरिंग':** यह व्यापार के संबंध में एक ऐसी रणनीति है, जहां आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क्स राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी माने जाने वाले देशों पर केंद्रित होते हैं।
    - **उदाहरण के लिए-** एप्पल अपने आईफोन उत्पादन का कुछ हिस्सा चीन से भारत में स्थानांतरित कर रहा है।
  - **'नियरशोरिंग':** जब कोई कंपनी अपने व्यवसाय के कुछ हिस्सों को आउटसोर्स करने (बाहरी कंपनियों से काम कराने) के लिए, किसी ऐसे देश में स्थित आपूर्तिकर्ता के साथ काम करना चुनती है, जो भौगोलिक रूप से उसके निकट हो।
    - **उदाहरण के लिए-** एक जर्मन कंपनी अपने ग्राहकों की सेवा से संबंधित कार्यों को पोलैंड में स्थित एक टीम को सौंप रही है।
- **GEF के माध्यम:** GEF विविध माध्यमों से प्रकट होता है। इनमें व्यापार प्रतिबंध, पूंजी के प्रवाह में कमी, प्रौद्योगिकी के प्रसार में व्यवधान, टेक डिकप्लिंग आदि शामिल हैं।
  - **टेक्नोलॉजिकल डिकप्लिंग** का मतलब है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा, और डेटा की गोपनीयता को लेकर चिंताएं बढ़ने के कारण, आधुनिक तकनीकी उद्योगों में अलग-अलग देश आपस में व्यापार और निवेश कम कर रहे हैं या पूरी तरह से बंद कर रहे हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** अमेरिका के **क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर्स (CHIPS) एंड साइंस एक्ट (2022)** का उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देना है। वहीं चीन की **'मेड इन चाइना 2025'** पहल उच्च तकनीक उद्योगों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने पर केंद्रित है।

भू-आर्थिक विखंडन (GEF) के प्रभाव

- **आर्थिक उत्पादन में हानि:** बढ़ती व्यापारिक बाधाओं (टैरिफ एवं गैर-टैरिफ व्यवधानों) के कारण व्यापार में कमी से वैश्विक स्तर पर आर्थिक संवृद्धि कम हो सकती है।
  - **वित्त वर्ष 2028 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और वित्त वर्ष 2030 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** की अर्थव्यवस्था बनने का भारत का लक्ष्य खतरे में पड़ सकता है।

- **विदेशी निवेश का पुनर्निर्धारण:** विदेशी निवेश भू-राजनीतिक रूप से समान हित वाले देशों की ओर बढ़ रहा है। यह रुझान उभरते बाजारों, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को अलग-थलग कर सकता है।
  - **उदाहरण के लिए-** वित्त वर्ष 2024 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी निवेश पांच साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था।
- **श्रम बाजार पर प्रभाव:** सीमा-पार प्रवास पर प्रतिबंध मेजबान और मूल दोनों देशों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ऐसा इस कारण, क्योंकि इससे मेजबान अर्थव्यवस्थाओं को कुशल श्रम से वंचित होना पड़ सकता है एवं प्रवासी भेजने वाले (मूल) देशों के धन प्रेषण में कमी आ सकती है।
- **बहुपक्षवाद में बाधा:** GEF जलवायु परिवर्तन, महामारी एवं अन्य वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में बहुपक्षीय प्रयासों में बाधा डालता है।
- **वैश्वीकरण में गिरावट:** वैश्वीकरण की प्रक्रिया में गिरावट से नए बाजारों तक पहुंच, तकनीकी नवाचार का प्रसार, पूंजी तक पहुंच, प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान सीमित हो रहा है।

आगे की राह

- **घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना:** इससे विनिर्माण, ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सकेगी।
  - उदाहरण के लिए- **खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली में महत्वपूर्ण खनिजों जैसी विदेशी परिसंपत्तियों का अन्वेषण एवं अधिग्रहण** करता है। इस प्रकार, यह भारत के लिए **लिथियम और कोबाल्ट** जैसे रणनीतिक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
- **क्षेत्रीय साझेदारियों का लाभ उठाना:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में और समान हित वाले देशों के साथ मजबूत व्यापारिक एवं कूटनीतिक संबंध बनाने चाहिए तथा बाजारों व संसाधनों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए।
  - भारत **बिम्सटेक, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF)** जैसे समूहों का लाभ उठा सकता है।
- **नवाचार और प्रौद्योगिकी:** विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन और AI जैसे क्षेत्रों में भारत को अधिक नवाचार करना चाहिए।

निष्कर्ष

भू-आर्थिक विखंडन शीत युद्ध के बाद के मुक्त व्यापार मॉडल में बदलाव को दर्शाता है, जिसने वैश्वीकरण और अति-वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया। हालांकि, यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि दुनिया डी-ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, जहां व्यापार की कुल मात्रा या GDP के अनुपात में व्यापार में गिरावट देखी गई है।

भारत की 2047 तक के लक्ष्यों की प्राप्ति भू-आर्थिक विखंडन के अनुरूप ढलने, सतत विकास सुनिश्चित करने और अपनी वैश्विक स्थिति मजबूत करने पर निर्भर करेगी। इसके लिए देश को घरेलू सुधारों, नवाचार और रणनीतिक साझेदारियों पर विशेष ध्यान देना होगा।

2.2. भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (India's Neighbourhood First Policy: NFP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत की **नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (NFP) को एक दशक पूरा** हुआ।

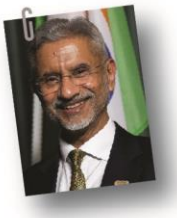

"**भारत** जैसे देश को अपनी **समृद्धि को पूरे क्षेत्र के उत्थान के लिए एक प्रेरक शक्ति** के रूप में देखने की दूरदृष्टि अपनानी चाहिए।
इसका अर्थ है पड़ोसी देशों को **अधिक महत्त्व देना और अधिक संसाधन आवंटित** करना - एक ऐसी नीति जिसे **'पड़ोसी प्रथम'** के रूप में देखा जाता है।"

— अपनी पुस्तक 'द इंडिया वे' में एस. जयशंकर

भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी (NFP) के बारे में

- **उत्पत्ति: नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी** की परिकल्पना **2008** में की गई थी तथा **2014 के बाद** इस पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा था।
- **अवधारणा:** भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' उसके अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यवहार करने का तरीका है। यह नीति **निकटवर्ती पड़ोसी देशों** के साथ संबंधों को प्रबंधित करने की रणनीति को दिशा प्रदान करती है।
- **NFP में शामिल देश:** अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका।
- **उद्देश्य:** पूरे क्षेत्र में **भौतिक, डिजिटल एवं लोगों के बीच संपर्क** बढ़ाना तथा क्षेत्र में **व्यापार एवं वाणिज्य** को बढ़ावा देना।
- **आपसी जुड़ाव या संलग्नता के मुख्य सिद्धांत:** भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी आपसी जुड़ाव के **पांच मुख्य सिद्धांतों** पर आधारित है, जिन्हें **5 'स'** कहा जाता है: **सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि**, और **संस्कृति**। इस नीति में एक सलाहकारी रवैया अपनाया जाता है, जिसमें तत्काल लाभ पर ज़ोर न देकर **दीर्घकालिक संबंधों को महत्त्व** दिया जाता है, **ठोस परिणामों पर ध्यान** केंद्रित किया जाता है, और **पड़ोसी देशों के साथ समग्र रूप से जुड़ने का प्रयास** किया जाता है।

भारत के पड़ोस (दक्षिण एशिया) का भारत के लिए महत्त्व

- **दक्षिण एशिया का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार मात्र 5%** होने के कारण, भारत के पास क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण का नेतृत्व करने का अवसर है।
- **दक्षिण एशिया में अवसंरचना से जुड़ी पहलें** भारत को आर्थिक और रणनीतिक दोनों रूप से चीन को प्रतिसंतुलित करने का अवसर देती हैं।
- **दक्षिण एशिया का साझा इतिहास** लोगों के बीच मजबूत एकरूपता सुनिश्चित करता है तथा सॉफ्ट पावर प्रभाव को बढ़ावा देता है।
- **स्थिर दक्षिण एशिया** भारत की सुरक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्रीय संघर्षों का भारत की आंतरिक सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

भारत की NFP के प्रमुख पहलू

- **कनेक्टिविटी के माध्यम से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना:** इसका उद्देश्य परस्पर निर्भरता का विकास करना है। यह भारत के प्रभाव को मजबूत करेगी और बाहरी शक्तियों को प्रतिसंतुलित करेगी।
  - **उदाहरण के लिए- बांग्लादेश:** जुलाई 2024 में मोंगला बंदरगाह पर एक टर्मिनल के परिचालन अधिकार और रेल पारगमन से पूर्वोत्तर भारत के लिए वस्तुओं की ढुलाई लागत कम हो गई है।
- **उच्च स्तरीय राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि:** एक स्थिर क्षेत्रीय परिवेश सुनिश्चित करते हुए विश्वास का निर्माण करना और राजनयिक संबंधों को मजबूत करना।
  - **उदाहरण के लिए- नेपाल:** भारत के प्रधान मंत्री की 2014 में नेपाल यात्रा, जो 17 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधान मंत्री की इस देश में पहली द्विपक्षीय यात्रा थी।
  - **उदाहरण के लिए- अफगानिस्तान:** भारत द्वारा किए गए विविध विकासात्मक कार्य, जैसे कि जरांज-डेलाराम सड़क मार्ग, पुल-ए-खुमरी से काबुल ट्रांसमिशन लाइन, सलमा बांध विद्युत परियोजना, अफगान संसद निर्माण, आदि।
- **विकास संबंधी सहायता एवं अवसंरचनात्मक परियोजनाएं:** पड़ोसियों को संकट के समय एवं दीर्घकालिक विकास के लिए सहायता प्रदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके परिणामस्वरूप, भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित किया जा सकता है।

- **उदाहरण के लिए- मालदीव:** ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ब्रिज, हनुमाधू एयरपोर्ट, आदि।

- **ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय विद्युत बाजार:** क्षेत्रीय ऊर्जा बाजारों का विकास करना तथा जलविद्युत एवं अन्य विद्युत व्यापार समझौतों के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना।
  - **उदाहरण के लिए- बांग्लादेश:** 2024 में, भारत के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने के लिए त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौता हुआ था।
- **भू-राजनीतिक संतुलन और बाहरी प्रभाव से निपटना:** यह नीति चीन को प्रतिसंतुलित करने और दक्षिण एशिया को भारत के प्रभाव क्षेत्र के रूप में बनाए रखने के अवसर प्रदान करती है।
  - **उदाहरण के लिए, मालदीव:** मालदीव को लगातार वित्तीय सहायता (विशेष रूप से मुद्रा विनिमय) चीन के प्रभाव से निपटने का प्रत्यक्ष प्रयास है।
- **मानवीय और आपदा राहत कार्य:** भारत ने लगातार क्षेत्र में प्रथम सहायता प्रदाता के रूप में प्रतिक्रिया दी है।
  - **उदाहरण के लिए- वैक्सीन मैत्री:** मालदीव और भूटान को **"नेबरहुड फर्स्ट"** नीति के अनुरूप सबसे पहले वैक्सीन प्रदान की गई थी।
  - **उदाहरण के लिए- श्रीलंका:** 2022 के आर्थिक संकट के दौरान भारत की ओर से 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त-पोषण।

अपने पड़ोस में भारत के सामने आने वाली चुनौतियां

- **आंतरिक अस्थिरता:** हाल ही में पड़ोसी देशों में हुई राजनीतिक उथल-पुथल और अस्थिरता का क्षेत्रीय स्थिरता एवं पड़ोस में भारत के रणनीतिक हितों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। (इन्फोग्राफिक देखें)

भारत के पड़ोसी देशों में अस्थिरता

	देश	भारत के लिए चिंताएं
	अफगानिस्तान: 2021 में तालिबान के कब्जे के कारण लोकतांत्रिक तरीके से गठित सरकार का पतन हो गया।	• अफगानिस्तान में अपने निवेश की सुरक्षा • तालिबान शासन और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे
	म्यांमार: 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर कर दिया, जिससे व्यापक विरोध और हिंसा भड़क उठी।	• उग्रवाद में वृद्धि और अवैध शरणार्थियों का आगमन
	श्रीलंका: आर्थिक संकट के कारण 2022 में राजनीतिक अस्थिरता और सार्वजनिक अशांति।	• **शरणार्थियों के आगमन की आशंका** • **व्यापक आर्थिक प्रभाव** • चीन के बढ़ते प्रभाव के संबंध में **रणनीतिक चिंताएं**
	मालदीव: मालदीव में 2012 से राजनीतिक उथल-पुथल जारी • 2023 में, भारत विरोधी मुद्दे पर अभियान चलाने वाली एक नई सरकार चुनी गई थी।	• **चीन के हस्तक्षेप के खिलाफ अपना प्रभाव बनाए रखना** • **हिंद महासागर की सुरक्षा** • **कूटनीतिक संबंधों में संतुलन**
	नेपाल: बार-बार सरकार बदलने से राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है।	• चीन के प्रभाव में वृद्धि
	बांग्लादेश: 2024 में बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के इस्तीफे के बाद राजनीतिक अस्थिरता।	• **शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ और जबरन विस्थापन** • **अखौरा-अगरतला रेल लिंक** जैसी प्रमुख परियोजनाओं के समक्ष खतरा

- **हस्तक्षेपकर्ता की छवि:** एक हस्तक्षेपवादी शक्ति (कथित 'बिग-ब्रदर' व्यवहार) के रूप में भारत की नकारात्मक छवि के परिणामस्वरूप, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो रहे हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** भारत द्वारा 2015 में की गई नेपाल की आर्थिक नाकेबंदी। भारत के इस कदम को मधेशी हितों की रक्षा के रूप में देखा गया था, किंतु इससे वहां भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिला था।
- **परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन:** पड़ोसी देशों में चल रही अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में देरी से विश्वास कम होता है एवं भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा मिलता है।

- **उदाहरण के लिए-** मालदीव में **ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना** को पूरा करने में बहुत अधिक समय लग रहा है। इससे यह परियोजना मालदीव में एक राजनीतिक मुद्दा बन गई है।

- **अनसुलझे विवाद एवं टकराव:** भारत अपने पड़ोसियों के साथ जल बंटवारे, टैक्स एवं समुद्री क्षेत्र में मत्स्यन जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करने में विफल रहा है। इस कारण से भारत का अपने पड़ोसियों से निरंतर टकराव होता रहता है।
  - **उदाहरण के लिए-** बांग्लादेश के साथ **तीस्ता नदी के जल का बंटवारा,** श्रीलंकाई जल क्षेत्र में भारतीय मछुआरों द्वारा **अवैध रूप से मछली पकड़ना** और नेपाल के साथ **कालापानी विवाद** अभी भी अनसुलझे हैं।
- **संघ और राज्यों में समन्वय का अभाव:** आंतरिक नीतिगत विसंगतियां व्यापार और पारगमन को प्रभावित करती हैं, जिससे तनाव बढ़ता है।
  - **उदाहरण के लिए-** पश्चिम बंगाल द्वारा लागू किए गए **'सुविधा शुल्क'** ने भारत के जरिये भूटान से बांग्लादेश को होने वाले बोल्डर निर्यात की लागत बढ़ा दी है।
- **चीन का बढ़ता प्रभाव:** भारत के प्रयासों के बावजूद, दक्षिण एशिया में चीन की बढ़ती उपस्थिति भारत के क्षेत्रीय प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। चीन विशेष रूप से **श्रीलंका** (जैसे- हंबनटोटा बंदरगाह), **नेपाल व बांग्लादेश** (BRI में शामिल) और **मालदीव** में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

नोट: *अपने पड़ोस में अस्थिरता से निपटने के लिए भारत के दृष्टिकोण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जुलाई 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.1 देखें।*

आगे की राह

- **राजनयिक जुड़ाव और संवेदनशीलता:** भारत को अपने पड़ोसी देशों की राजनीतिक वास्तविकताओं और आंतरिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील रहकर कूटनीतिक संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है।
  - चूंकि इनमें से अधिकांश देश लोकतांत्रिक हैं, इसलिए चुनावी चक्रों और प्रतिस्पर्धी राजनीति के दबावों का संतुलित प्रबंधन भी जरूरी होगा।
- **अनसुलझे विवादों का समाधान करना:** भारत को अपने पड़ोसियों के साथ लंबे समय से चल रहे मुद्दों को हल करना चाहिए। उदाहरण के लिए- जल बंटवारे से संबंधित विवाद **(जैसे- तीस्ता नदी का मुद्दा)** और क्षेत्रों को लेकर विवाद **(जैसे- कालापानी व कच्चातिवु)** आदि।
- **आर्थिक सहायता को संतुलित करना:** आर्थिक सहायता की पेशकश करते समय, भारत को अत्यधिक निर्भरता को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। साथ ही, एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भारत की छवि को मजबूत करने के लिए परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए।
- **भू-राजनीतिक संतुलन:** क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करते हुए भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पड़ोसी देश किसी एक पक्ष को चुनने के लिए दबाव महसूस न करें।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना:** भारत को राजनीतिक अस्थिरता से संबंधित चिंताओं को दूर करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का समर्थन करना चाहिए। जैसा कि **बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान और म्यांमार** में राजनीतिक अस्थिरता देखी गई है।
- **घरेलू राजनीतिक बदलावों के प्रति अनुकूलित होना:** भारत को राजनयिक संबंधों के प्रति अपने दृष्टिकोण में लचीला रहना चाहिए, विशेषकर मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों को लेकर, जहां घरेलू राजनीति अक्सर बदलती रहती है।

निष्कर्ष

सम्मान, संवाद, शांति, समृद्धि और **संस्कृति** द्वारा निर्देशित भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, चीन की नव-साम्राज्यवादी एवं ऋण-जाल कूटनीति के विपरीत है। भारत की नीति सहकारी, संधारणीय एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रीय संबंधों को बढ़ावा देती है।

भारत की नेबरहुड पॉलिसी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #108- भारत की नेबरहुड पॉलिसी: संभावनाएं और चुनौतियां

2.3. त्रिकोणीय साझेदारी (Triangular Partnership)

सुर्ख़ियों में क्यों?

OECD[4] और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की एक हालिया रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि **त्रिकोणीय साझेदारियां विभाजित एवं संघर्षग्रस्त विश्व में अपना प्रभाव हासिल करने का प्रभावी माध्यम हो सकती हैं।**

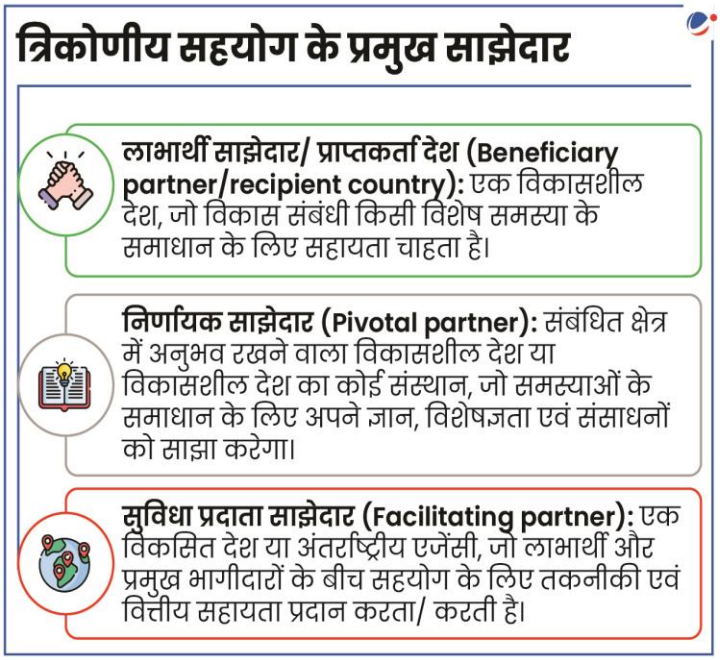

त्रिकोणीय साझेदारी या त्रिकोणीय सहयोग के बारे में

- **परिभाषा:** अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जब दो पारंपरिक रूप से मदद करने वाले देश और एक विकासशील देश मिलकर कोई काम करते हैं तो उसे त्रिकोणीय सहयोग या साझेदारी कहा जाता है। इसमें मदद करने वाले देश अपना अनुभव और संसाधन लगाते हैं, जबकि विकासशील देश अपनी खास जरूरतों और परिस्थितियों को समझते हुए योगदान देता है। इस तरह मिलकर काम करने से विकासशील देशों को ज्ञान और विकास से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है।
- **मुख्य लाभ:**
  - त्रिकोणीय साझेदारी विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाती है क्योंकि यह विभिन्न स्रोतों से धन और संसाधन जुटाने, संयुक्त रूप से नई योजनाएं बनाने और सर्वोत्तम तकनीकों के उपयोग की सुविधा प्रदान करती है।
  - इसके अलावा, यह विकासशील देशों को भी ताकत देती है कि वे सिर्फ मदद लेने वाले न रहें, बल्कि विकास में सहयोग करने वाले और दूसरों की मदद करने वाले देश के रूप में भी आगे बढ़ें।
  - त्रिकोणीय साझेदारी **सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में योगदान** देती है।
- **वैश्विक रुझान:**
  - OECD के अनुमान के अनुसार, 2000 और 2022 के बीच **199 देशों व 85 संगठनों ने 1,000 से अधिक त्रिकोणीय परियोजनाओं** में भाग लिया था।
  - इनमें से **68% परियोजनाओं का बजट 1 मिलियन डॉलर** से कम था। इससे कम लागत वाले और लचीली विकास समाधान उपलब्ध कराए गए थे।
- **त्रिकोणीय सहयोग में भारत की भागीदारी:**
  - त्रिकोणीय साझेदारी में **शीर्ष 10 देशों में भारत 8वें स्थान** पर है।
  - **भारत के नेतृत्व वाली प्रमुख त्रिकोणीय साझेदारियां:**
    - भारत और **जापान** ने 2019 में **श्रीलंका के ईस्ट कंटेनर टर्मिनल (ECT)** के विकास के लिए सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए थे।
    - भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने **'वैश्विक विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य' (SGP)** पर हस्ताक्षर किए थे और इसकी वैधता **2026** तक बढ़ा दी थी।

त्रिकोणीय साझेदारियों के पुनरुत्थान के लिए जिम्मेदार कारक

- **पश्चिमी सहायता मॉडल की विफलता:** 2000 के दशक की शुरुआत में सख्त दाता-प्राप्तकर्ता पदानुक्रम पर आधारित पारंपरिक दान-आधारित विकास सहायता प्रणाली ने अपनी विश्वसनीयता खो दी, जिससे सुधारों की मांग उठने लगी थी।
- **उभरते दाताओं का उदय:** चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों ने समान भागीदारी एवं पारस्परिक लाभ पर आधारित विकास कार्यक्रम शुरू किए। इससे लाभ प्राप्तकर्ता देशों से समर्थन प्राप्त हुआ।
- **चीन का प्रभाव:** अफ्रीका, आसियान[5] देशों और दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में, विशेष रूप से अवसंरचना क्षेत्रक में चीन की बढ़ती मौजूदगी के चलते **G-7 देशों ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की।** इसका मुख्य कारण यह है कि भारत न केवल एक लोकतांत्रिक देश है, बल्कि साझा मूल्यों का प्रतिनिधित्व भी करता है।

[4] Organization for Economic Co-operation and Development/ आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन

- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता:** देशों के भीतर और देशों के बीच बढ़ते संघर्षों से आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है। इससे विकास के लिए एक नए मॉडल की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

त्रिकोणीय साझेदारियों से जुड़ी चुनौतियां

- **शक्ति असंतुलन और विश्वास की कमी:** दाता देशों की प्राथमिकताएं और एजेंडे अक्सर प्राप्तकर्ता देशों के हितों पर हावी हो सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** कुछ विकसित देश केवल अफ्रीका के निवेश करने वाले देशों के साथ काम करना पसंद करते हैं, जबकि अत्यधिक ऋणी गरीब देशों (HIPCs)[6] की उपेक्षा की जाती है।
- **प्राप्तकर्ता देशों की दुविधा:** विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों और मानकों का पालन करना बोझिल लगता है।
  - **उदाहरण के लिए-** अधिकांश प्राप्तकर्ता देशों (विशेष रूप से अफ्रीका में) के लिए यूरोपीय संधारणीयता के विचारों और उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं मानकों का पालन करना कठिन हो जाता है।
- **कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियां:** भागीदार देशों के बीच अक्सर **खरीद नियमों, वित्तीय संरचना और कानूनी ढांचे** को लेकर मतभेद होते हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** भारतीय ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत **75%** इनपुट भारत से ही खरीदे जाते हैं, और भारतीय कंपनियां ही परियोजनाओं को लागू करती हैं। इससे अक्सर भागीदार देशों के साथ मतभेद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे अपनी कंपनियों को प्राथमिकता देना चाहते हैं।
- **सीमित पैमाना और दायरा:** त्रिकोणीय साझेदारियों की एक बड़ी कमी यह है कि ज्यादातर पहलें सिर्फ़ किसी खास परियोजना पर ही ध्यान देती हैं। **पेरिस डिक्लेरेशन ऑन एड इफेक्टिवनेस** में सहायता की प्रभावशीलता पर ज़ोर देते हुए इस बात की चेतावनी दी गई है कि इस तरह सीमित दायरे वाली परियोजनाएं अक्सर बड़े विकास लक्ष्यों से भटक सकती हैं।

त्रिकोणीय साझेदारियों को मजबूत करने के लिए आगे की राह

- **समावेशी साझेदारियों को बढ़ावा देना:** विश्वास सृजित करने के लिए निर्णय-निर्माण में प्राप्तकर्ता देशों की भूमिका सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, व्यावहारिक दिशा-निर्देश तैयार करने के लिए पारस्परिक रूप से सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **प्राप्तकर्ता देशों के लिए मानकों को सरल बनाना:** सभी यूरोपीय मानकों को एक ही तरह से लागू करने की बजाय स्थानीय संदर्भों के लिए संधारणीयता और विनियामक मानदंडों को अपनाना चाहिए।
- **कार्यान्वयन में लचीलापन बढ़ाना:** स्थानीय आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ दाता हितों को संतुलित करने के लिए खरीद नीतियों में तालमेल बिठाना चाहिए।
- **दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों से समन्वय:** परियोजना-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर त्रिकोणीय सहयोग को राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय विकास रणनीतियों के साथ एकीकृत करना चाहिए।
  - सतत प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए **पेरिस डिक्लेरेशन ऑन एड इफेक्टिवनेस** जैसे अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क्स का लाभ उठाना चाहिए।

निष्कर्ष

समानता, अनुकूलनशीलता और दीर्घकालिक विज़न को बढ़ावा देकर त्रिकोणीय सहयोग एक अधिक प्रभावी एवं पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास मॉडल बन सकता है।

2.4. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संबंध (India-USA Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की।

इस आधिकारिक यात्रा के मुख्य आउटकम्स पर एक नज़र

क्षेत्र	विकास-क्रम
रक्षा एवं सुरक्षा	• **अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी के लिए 10-वर्षीय फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया गया:** रक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने की योजना की घोषणा की गई। • **ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री एलायंस (ASIA)[7]:** इसका उद्देश्य **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाना है।**

[5] Association of Southeast Asian Nations/ दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के संगठन

[6] Heavily Indebted Poor Countries

	• **अन्य:** भारत में **जैवलिन (एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल) और स्ट्राइकर (इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स)** के नए सह-उत्पादन समझौतों की घोषणा की गई।
प्रौद्योगिकी और नवाचार	• **USA-इंडिया TRUST[8] पहल:** यह रक्षा आदि क्षेत्रकों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार-से-सरकार, शिक्षा जगत एवं निजी क्षेत्रक के मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। • **इंडस (INDUS) इनोवेशन:** यह अमेरिका-भारत उद्योग और शैक्षणिक जगत के मध्य साझेदारी को आगे बढ़ाने तथा अंतरिक्ष, ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन ब्रिज के रूप में काम करेगा। ○ इसे **INDUS-X** पहल के आधार पर तैयार किया गया है। INDUS-X सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए **अमेरिका और भारत** के बीच साझेदारी को बढ़ावा देती है। • **स्ट्रैटेजिक मिनरल रिकवरी इनिशिएटिव:** यह अमेरिका-भारत का एक नया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य एल्यूमीनियम, कोयला खनन और तेल-गैस जैसे भारी उद्योगों से महत्वपूर्ण खनिजों (जैसे- लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ भू धातु) को पुनः प्राप्त करना और उनका प्रसंस्करण करना है।
अन्य	• **21वीं सदी के लिए यू.एस.-भारत कॉम्पैक्ट/ COMPACT[9]:** यह पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी में विश्वास को मजबूत करने के लिए परिणाम-आधारित एजेंडे को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। • **हिंद महासागर सामरिक वेंचर[10]:** यह आर्थिक कनेक्टिविटी और व्यापार में समन्वित निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नया द्विपक्षीय फोरम है, जो समग्र सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है। • **'मिशन 500': 2030 तक कुल द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने** से अधिक बढ़ाकर **500 बिलियन डॉलर** करने का नया लक्ष्य तय किया गया है।

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका के मजबूत संबंधों का महत्त्व

- **आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देना: संयुक्त राज्य अमेरिका** भारत के लिए **व्यापारिक वस्तुओं (Merchandise export) का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य** है।
  - भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले **इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF) के तीन स्तंभों में शामिल** हो गया है।
- **वैश्विक रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करना:** जैसे- **क्वाड**, **जो ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका** के बीच एक कूटनीतिक साझेदारी है। इसका उद्देश्य एक खुले, स्थिर एवं समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करना है।
  - इस तरह की पहल से **चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित** करने में मदद मिलेगी।
- **रक्षा आधुनिकीकरण और क्षमता विकास:** भारत ने अमेरिका के साथ कई मूलभूत रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, **जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:**
  - जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA)
  - लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA)
  - कम्युनिकेशंस कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA)
  - बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA)
  - अमेरिका ने भारत को **स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन-1 (STA-1)** का दर्जा देकर एक प्रमुख रक्षा साझेदार के तौर पर स्वीकार किया है।

---

[7] Autonomous Systems Industry Alliance

[8] Transforming the Relationship Utilizing Strategic Technology/ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर संबंधों को नया रूप देना

[9] Catalyzing Opportunities for Military Partnership, Accelerated Commerce & Technology/ सैन्य साझेदारी, त्वरित वाणिज्य और प्रौद्योगिकी के लिए अवसरों को उत्प्रेरित करना

[10] Indian Ocean Strategic Venture

- **उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में साझेदारी: महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर अमेरिका-भारत पहल (iCET, 2023)** शुरू की गई है।
- **अंतरिक्ष क्षेत्रक में साझेदारी:** उदाहरण के लिए- **निसार (नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार) मिशन।**
    - इसके अलावा, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस अकॉर्ड में शामिल हो गया है। यह बाह्य अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु और क्षुद्रग्रहों के असैन्य अन्वेषण और उपयोग के लिए **गैर-बाध्यकारी सामान्य सिद्धांत** स्थापित करता है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण, स्थायी और पारदर्शी सहयोग को बढ़ावा देना है।
- **ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना: 2008 के अमेरिका-भारत 123 असैन्य परमाणु समझौते** को पूरी तरह से लागू करने के लिए **भारत में अमेरिका द्वारा डिजाइन किए गए परमाणु रिएक्टर्स** बनाए जाएंगे।
    - हालिया वर्षों में, अमेरिका भारत के लिए **तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG)** के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक के रूप में उभरा है।
- **आतंकवाद से निपटना:** हाल ही में, अमेरिका ने तहव्वुर राणा (26/11 आतंकी हमलों से जुड़ा आतंकी) के भारत को प्रत्यर्पण को मंजूरी प्रदान की।
- **बहुपक्षीय मंचों पर समर्थन:** उदाहरण के लिए- **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता** के लिए अमेरिका का समर्थन।
    - अमेरिका **अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में पूर्ण सदस्य** के रूप में शामिल होने के भारत के प्रयास का समर्थन करता है।
- **जलवायु परिवर्तन से निपटना और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग:** अमेरिका भारत के नेतृत्व वाले **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** में शामिल हो गया है।
    - इसके अलावा, **यू.एस.-इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन प्लेटफॉर्म (RETAP)** शुरू किया गया है।
    - दोनों देश **ग्लोबल बायोफ्यूल्स एलायंस (GBA)** का हिस्सा हैं।

भारत-अमेरिका साझेदारी में तनाव पैदा करने वाले हालिया मुद्दे

- **व्यापार और आर्थिक चुनौतियां:**
    - **पारस्परिक प्रशुल्कों (Reciprocal tariffs)** का आरोपण और अन्य संरक्षणवादी नीतियां भारतीय उत्पादों की **प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को कम** कर सकती हैं।
    - वर्ष 2024 में, भारत को अमेरिका की **"स्पेशल 301" रिपोर्ट** में **प्रायोरिटी वॉच लिस्ट** में शामिल किया गया था। यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर **बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR)** के संरक्षण और प्रवर्तन की वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत करती है।
    - अमेरिका ने जून, 2019 में भारत को **जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफ्रेंसेज (GSP)** का **लाभ लेने वाले देशों की सूची से बाहर** कर दिया था। इससे भारत के कुछ उत्पादों के शुल्क-मुक्त निर्यात पर प्रभाव पड़ा है।
- **भू-राजनीतिक मतभेद:** भारत **सामरिक स्वायत्तता और स्वतंत्र विदेश नीति** का पालन करता है।
    - **उदाहरण के लिए-** भारत क्वाड का हिस्सा है, लेकिन इसे **सैन्य गठबंधन** में बदलने से बचता है। इसके अलावा, रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत का संतुलित दृष्टिकोण अमेरिका की नीति से अलग है।
- **वीज़ा और आव्रजन संबंधी चुनौतियां:** हाल ही में अमेरिका अपने वीज़ा नियमों को सख्त कर रहा है, जैसे कि H-1B वीज़ा पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाना। इसका भारतीय IT पेशेवरों और अन्य लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
    - इसके अलावा, अवैध भारतीय आप्रवासियों को निर्वासित किया जा रहा है।

- **मानव एवं धार्मिक अधिकारों से संबंधित चिंताएं: संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF)**[11] ने **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), 2019** पर चिंता जताई थी। इसे भारत ने अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा है।
- **भारत पर प्रतिबंध लगाना:** अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से **S-400 वायु रक्षा प्रणाली** जैसे उन्नत हथियारों की खरीद पर चिंता व्यक्त की है। इसके चलते, अमेरिका **"काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट (CAATSA)"** के तहत भारत पर आर्थिक एवं अन्य प्रतिबंध लगाने की चेतावनी देता रहता है।

भारत-अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने के उपाय

- **द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA)**[12] **को अंतिम रूप देना:** हाल ही में घोषित BTA वार्ता से बाजार पहुंच बढ़ेगी, प्रशुल्क कम होंगे, निवेश को बढ़ावा मिलेगा, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी, आदि।
  - साथ ही, इससे पारस्परिक प्रशुल्क, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) आदि से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में भी मदद मिलेगी।
- **रक्षा फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना:** दोनों देश 2025 से 2035 तक 10-वर्षीय रक्षा फ्रेमवर्क को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं।
  - इसके अलावा, **पारस्परिक रक्षा खरीद समझौते (RDP)**[13] को भी अंतिम रूप दिया जा सकता है।
- **H-1B वीज़ा प्रतिबंधों में ढील देना:** अमेरिका भारतीय IT पेशेवरों, शोधकर्ताओं आदि के लिए वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल बना सकता है।
- **CAATSA के तहत छूट:** भारतीय-अमेरिकी समुदाय के प्रभाव का भारत को CAATSA के तहत दीर्घकालिक छूट दिलाने में उपयोग किया जा सकता है। इससे रक्षा संबंधों को मजबूत किया जा सकेगा और क्षेत्रीय खतरों का सामना किया जा सकेगा।
- **मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मुद्दों का प्रबंधन:** अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से बचना चाहिए और इसके लोकतांत्रिक तंत्र की विविधता को स्वीकार करना चाहिए।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में सहयोग बढ़ाना:** डेटा विनियमन, सूचना साझाकरण और गोपनीयता का संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
  - उदाहरण के लिए, "यू.एस.-इंडिया ट्रस्ट पहल" के तहत **यू.एस.-इंडिया रोडमैप ऑन एक्सीलरेटिंग AI इंफ्रास्ट्रक्चर** तैयार किया जाएगा।

नोट: *संयुक्त राज्य अमेरिका की संरक्षणवादी नीतियों और उनके प्रभावों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए जनवरी, 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.1. देखें।*

2.4.1. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (India-U.S. Civil nuclear agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट में **2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा** विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, **परमाणु ऊर्जा अधिनियम**[14] तथा **परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम**[15] में संशोधन करने की घोषणा की गई है। इससे कई वर्षों से लंबित पड़े भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके अलावा, हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी **एंटिटी लिस्ट से तीन भारतीय परमाणु संस्थाओं** को हटा दिया है।
  - **यू.एस. एंटिटी लिस्ट** उन विदेशी संस्थाओं के साथ व्यापार को प्रतिबंधित करती है, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम माना जाता है।
- **ये तीन संस्थाएं हैं:** भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC), इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) और इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड (IRE)।
- **हटाने का महत्त्व:** इससे कई वर्षों से लंबित **"परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के संबंध में अमेरिका-भारत समझौते"** को लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसे **123 समझौता** भी कहा जाता है।

---

[11] United States Commission on International Religious Freedom

[12] Bilateral Trade Agreement

[13] Reciprocal Defense Procurement

[14] Atomic Energy Act

[15] Civil Liability for Nuclear Damage Act

नोट: *परमाणु ऊर्जा मिशन, जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 में संशोधन का प्रस्ताव करता है, की चर्चा आर्टिकल 7.1. में की गई है।*

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते या 123 समझौते के बारे में

- **पृष्ठभूमि:**
  - **1978:** भारत द्वारा 1974 के परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए।
  - **2005:** अमेरिका और भारत असैन्य परमाणु सहयोग पर सहमत हुए।
  - **2008:** अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता, या "123 समझौता" (यू.एस. एटॉमिक एनर्जी एक्ट की धारा 123 के तहत) अंतिम रूप से लागू हुआ।
- **भारत-अमेरिका परमाणु समझौते का अवलोकन:**
  - **अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) सेफगार्ड्स:** इस समझौते के तहत भारत को अपने असैन्य परमाणु रिएक्टरों को स्थायी रूप से **IAEA सेफगार्ड्स** के अधीन रखना पड़ा है।
    - इसके अलावा, भारत ने एक **अतिरिक्त प्रोटोकॉल** पर हस्ताक्षर भी किए हैं। इससे IAEA को असैन्य परमाणु सुविधाओं के निरीक्षण में और अधिक अधिकार प्राप्त हुए हैं।
  - **परमाणु परीक्षण और सुरक्षा:** भारत ने **परमाणु हथियारों के परीक्षण पर स्वैच्छिक रोक** लगाई है और अपने **परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा** को मजबूत किया है।
  - **अमेरिकी सहयोग:** अमेरिकी कंपनियों को भारत में **परमाणु रिएक्टर बनाने और इसके असैन्य ऊर्जा कार्यक्रम के लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति** करने की अनुमति दी गई है।
  - **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा छूट: परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करने** के बावजूद, NSG ने भारत पर लगाया अपना प्रतिबंध हटा लिया। इससे अन्य देश भारत को परमाणु ईंधन और तकनीक बेचने में सक्षम हुए।
    - **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG)[16]:** NSG का गठन **1974 में भारत के पोखरण-I परीक्षण के बाद** किया गया था। यह परमाणु सामग्री, तकनीक एवं उपकरणों के व्यापार को नियंत्रित करता है।
    - **परमाणु अप्रसार संधि (NPT)[17]:** यह संधि संयुक्त राष्ट्र के तहत **1970** में लागू हुई थी। इसका उद्देश्य **परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को सक्षम** बनाना है।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते का महत्त्व

- **भारत पर लगे परमाणु प्रतिबंधों की समाप्ति:** इस समझौते ने भारत के साथ **परमाणु व्यापार पर तीन दशक से चले आ रहे अमेरिकी प्रतिबंध को हटाकर** ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत की।
- **भारत की परमाणु स्थिति को वैधता मिली:** इसने भारत को **परमाणु हथियार रखने वाले देश के रूप में मान्यता** प्रदान की है, जबकि भारत ने **NPT पर हस्ताक्षर नहीं** किए हैं। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु प्रौद्योगिकी और ईंधन तक पहुंच प्राप्त हुई है। साथ ही, उसे अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बनाए रखने की अनुमति भी मिली है।

[16] Nuclear Suppliers Group

[17] Non-Proliferation Treaty

- उदाहरण के लिए- **फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम, जापान और कनाडा के साथ सहयोग समझौतों ने जैतापुर एवं कुडनकुलम संयंत्रों जैसी शांतिपूर्ण परमाणु परियोजनाओं** को सक्षम बनाया है।

- **भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूती:** इस समझौते ने **अमेरिका-भारत संबंधों को घनिष्ठ** बनाने की नींव रखी है। इससे तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंध व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में बदल गए हैं।
- **घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा:** परमाणु ईंधन की उपलब्धता ने रिएक्टर दक्षता को **2006-2007 की 50-55% से बढ़ाकर 80%** कर दिया है। इसे **फ्रांस, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और रूस के साथ दीर्घकालिक यूरेनियम आयात समझौतों** से समर्थन मिला है।
- **अन्य ग्रुप/ समझौतों में भागीदारी:** 2008 के बाद, भारत **3 प्रमुख निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं** में शामिल हुआ। भारत **मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)[18] में 2016 में; वासेनार अरेंजमेंट में 2017 में और ऑस्ट्रेलिया समूह में 2018** में शामिल हुआ था।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते से जुड़ी चुनौतियां

- **नागरिक दायित्व कानून को लेकर विवाद:** भारत के **परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम (CLND), 2010** ने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ तनाव उत्पन्न किया है।
  - **CLND अधिनियम की धारा 17(B):** इस धारा के तहत, दुर्घटनाओं की स्थिति में **ऑपरेटर (न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड)** को **आपूर्तिकर्ताओं** (जैसे- अमेरिकी कंपनियों) से मुआवजा मांगने की अनुमति दी गई है।
    - **न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL)** भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को ऑपरेट करता है।
- **सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: 2010** में सुप्रीम कोर्ट ने **भोपाल गैस त्रासदी** से सबक लेते हुए भारत के परमाणु कानून के तहत **आपूर्तिकर्ता के दायित्व** को बरकरार रखा था। इससे निजी निवेश में बाधा उत्पन्न हुई थी।
- **वाणिज्यिक व्यवहार्यता संबंधी चुनौतियां:** एक प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र विनिर्माता वेस्टिंगहाउस ने **2017** में स्वयं को दिवालिया घोषित कर दिया था। इससे **भारत-अमेरिका परमाणु समझौते** का कार्यान्वयन संकट में पड़ गया था।
  - इसने **आंध्र प्रदेश के कोव्वाडा में छह AP1000 परमाणु रिएक्टर्स स्थापित** करने की योजना को प्रभावित किया था।
- **परमाणु ऊर्जा की उच्च पूंजीगत लागत:** भारत ने धीरे-धीरे अपनी **ऊर्जा नीति** को परमाणु ऊर्जा से हटाकर **सौर एवं पवन ऊर्जा** की ओर स्थानांतरित कर दिया है, क्योंकि ये **परमाणु ऊर्जा की तुलना में अधिक किफायती** हैं।

परमाणु क्षति नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम (CLND), 2010 की मुख्य विशेषताएं:

- **ऑपरेटर का उत्तरदायित्व:** इस अधिनियम के तहत दायित्व का भार विशेष रूप से **परमाणु संयंत्र ऑपरेटर** पर ही डाला गया है। सरल शब्दों में, परमाणु दुर्घटना के कारण होने वाले किसी भी नुकसान के लिए केवल परमाणु ऊर्जा संयंत्र का ऑपरेटर ही कानूनी रूप से जिम्मेदार होगा।
- **राइट ऑफ रिकोर्स (क्षतिपूर्ति/ भरपाई का अधिकार) का प्रावधान:** CLND, 2010 की **धारा 17** में राइट ऑफ रिकोर्स का प्रावधान किया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि अगर परमाणु दुर्घटना आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रदान किए गए दोषपूर्ण उपकरण, सामग्री या घटिया सेवाओं के कारण हुई है, तो ऑपरेटर को आपूर्तिकर्ता से उस मुआवजे की वसूली करने का अधिकार है जो उसने पीड़ितों को दिया है।
- **परमाणु क्षति के लिए पूरक मुआवजे पर कन्वेंशन (CSC)[19] के अनुरूप:** भारत का CLND अधिनियम CSC की आवश्यकताओं के अनुरूप है। इससे भारत CSC में शामिल हो सकता है।
- **बीमा पूल मैकेनिज्म: इंडियन न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल** (1,500 करोड़ रुपये) में ऑपरेटर/ आपूर्तिकर्ता के उत्तरदायित्व को कवर किया गया है। यह कानूनी मुकदमों के जोखिम को कम करता है और बाजार आधारित जोखिम-साझाकरण को सक्षम बनाता है।
- **कोई पूर्वव्यापी (Retrospective) प्रभाव नहीं:** देयता सीमाओं में भविष्य में किए गए संशोधन मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट को पूर्वव्यापी रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। इससे समझौते के समय लागू कानून के तहत आपूर्तिकर्ताओं के हितों की रक्षा का ध्यान रखा गया है।

भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को लागू करने की दिशा में आगे की राह

- **भारत के CLND अधिनियम में संशोधन:** इस अधिनियम को कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपेनसेशन (CSC) के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए, ताकि संपूर्ण दायित्व परमाणु संयंत्र ऑपरेटर पर केंद्रित रहे।

[18] Missile Technology Control Regime

[19] Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage

- **दायित्व को लेकर अंतर-सरकारी समझौता स्थापित करना:** परमाणु व्यापार में विदेशी निजी कंपनियों की सीमित देयता सुनिश्चित करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच एक औपचारिक समझौता किया जाना चाहिए।
- **बीमा पूल के कार्यान्वयन में तेजी लाना:** ऑपरेटर और आपूर्तिकर्ताओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए CLND अधिनियम के तहत बनाए गए बीमा पूल को पूरी तरह से वित्त-पोषित और क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत और अमेरिका के बीच **असैन्य परमाणु समझौता** ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है। हालांकि, तकनीकी सहयोग को बढ़ाने और भारी विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए यह जरूरी है कि देयता से जुड़े मुद्दों को सुलझाया जाए।

2.5. भारत-फ्रांस संबंध (India-France Relationship)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और फ्रांस ने पेरिस में आयोजित **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्शन समिट** की सह-अध्यक्षता की।

अन्य संबंधित तथ्य

- फ्रांस द्वारा पेरिस में आयोजित AI एक्शन समिट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का विकास एवं उपयोग अर्थव्यवस्था, समाज और पर्यावरण की भलाई के लिए हो, ताकि आम लोग भी इससे लाभान्वित** हो सकें। इस समिट में **यूनेस्को** ने एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भाग लिया था।
- इस समिट में **राज्य/ सरकार के प्रमुखों**, **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और AI क्षेत्र के व्यावसायिक नेतृत्वकर्ताओं** ने भाग लिया था।
- फ्रांस ने **अगले AI एक्शन समिट** के मेजबान के रूप में **भारत का समर्थन** किया।

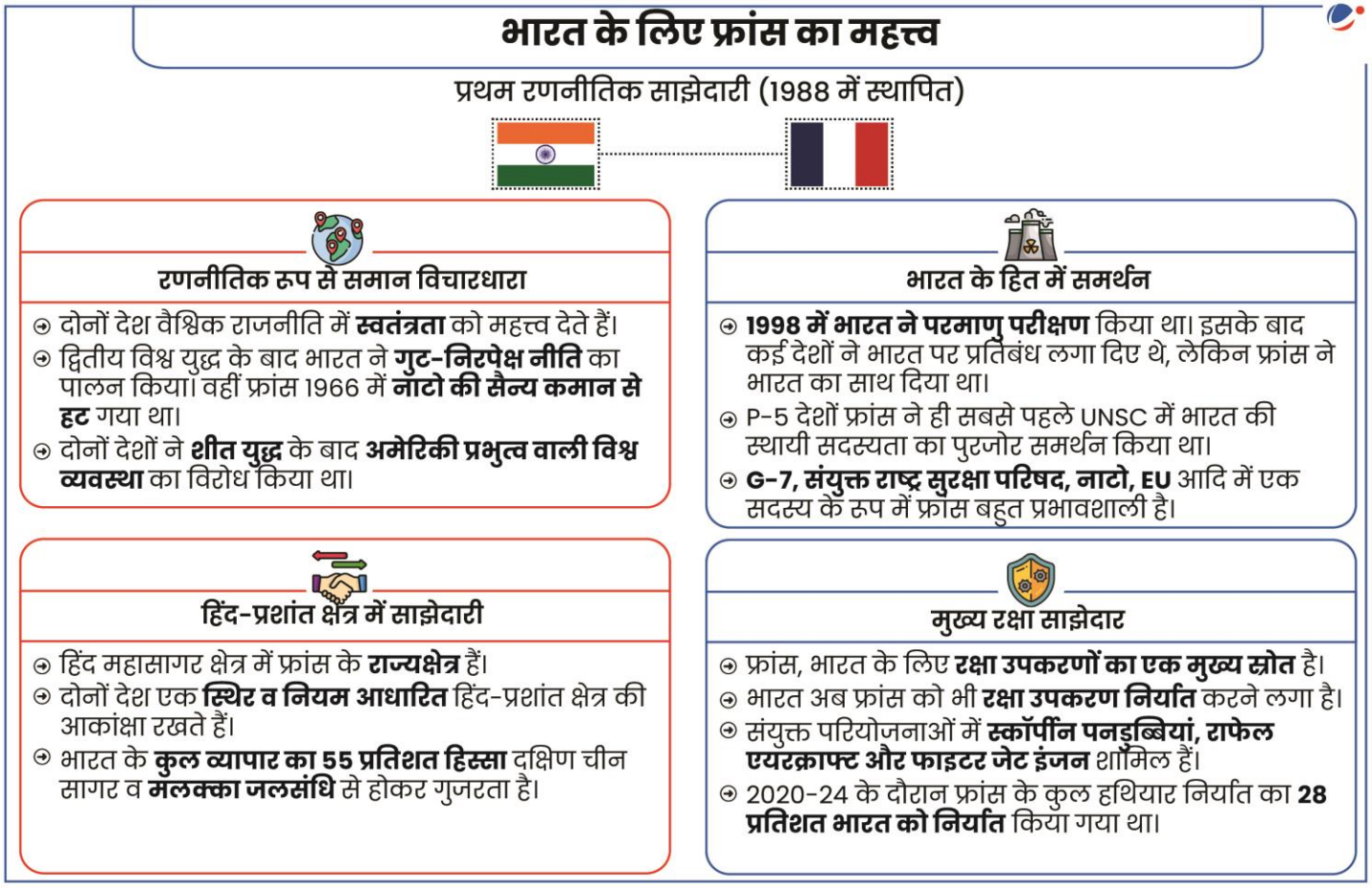

भारत-फ्रांस साझेदारी के प्रमुख आयाम

फ्रांस **पहला** देश था, जिसके साथ भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को घनिष्ठ बनाने के लिए **26 जनवरी, 1998** को अपनी **पहली रणनीतिक साझेदारी** स्थापित की थी। भारत-फ्रांस सहयोग के **निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र हैं:**

सहयोग के क्षेत्र	विवरण
आर्थिक	• **वित्त वर्ष 2022-23** में कुल द्विपक्षीय व्यापार पहली बार **13 बिलियन अमरीकी डॉलर** के आंकड़े को पार कर गया था। इसमें **भारत से निर्यात 7 बिलियन अमरीकी डॉलर को पार** कर गया था।
रक्षा	• **महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास: शक्ति** (थल सेना अभ्यास), **गरुड़ अभ्यास** (द्विपक्षीय वायु सेना अभ्यास), **तरंग शक्ति** (बहुराष्ट्रीय वायु सेना अभ्यास), **वरुण अभ्यास** (नौसेना अभ्यास) आदि। • **FRIND-X (फ्रांस-इंडिया डिफेन्स स्टार्ट-अप एक्सेलेंस) को होराइजन 2047 और भारत-फ्रांस रक्षा औद्योगिक रोडमैप** में निहित विज़न के तहत शुरू किया गया है। ○ यह सहयोगी मंच दोनों देशों के **रक्षा इकोसिस्टम्स से जुड़े प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाएगा।** इसमें रक्षा स्टार्ट-अप्स, निवेशक, इनक्यूबेटर्स, एक्सेलेरेटर्स और अकादमिक संस्थान शामिल हैं। • **होराइजन 2047:** यह रोडमैप भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की **25वीं वर्षगांठ** पर लॉन्च किया गया था। यह **2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय** करेगा। ○ **2047 में भारत की स्वतंत्रता की 100वीं** वर्षगांठ मनाई जाएगी। इसके साथ ही, दोनों देशों के बीच **राजनयिक संबंधों के 100 वर्ष और रणनीतिक साझेदारी के 50 वर्ष** पूरे होंगे। सरल शब्दों में, दोनों देश 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए एक रोडमैप अपनाने पर सहमत हुए, जिसमें भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की शताब्दी और रणनीतिक साझेदारी के 50 वर्ष मनाए जाएंगे।

	• **भारत-फ्रांस रक्षा औद्योगिक रोडमैप:** इसे सैन्य हार्डवेयर के सह-डिजाइन और सह-विकास तथा अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
विज्ञान	• **भारत-फ्रांस AI रोडमैप:** भारत और फ्रांस का AI रोडमैप इस बात पर ज़ोर देता है कि वे सुरक्षित, खुले, संरक्षित और भरोसेमंद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बनाना चाहते हैं। यह उनके विचारों में एक जैसी सोच को दिखाता है। • **इंडो-फ्रेंच लाइफ साइंसेज सिस्टर इनोवेशन हब** की स्थापना की जाएगी। • **NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL)** और **फ्रांस के लाइरा कलेक्ट (Lyra Collect)** बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता **फ्रांस और यूरोप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI)** को लागू करने के लिए किया गया है।
अंतरिक्ष	• फ्रांस भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए आवश्यक **घटकों और उपकरणों** का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों ने **भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान** के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। • दोनों देशों के बीच चल रही परियोजनाओं में **संयुक्त उपग्रह तृष्णा (TRISHNA), समुद्री क्षेत्रक में जागरूकता, पेलोड, ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट, मानव अंतरिक्ष उड़ान और पेशेवर आदान-प्रदान** शामिल हैं।
परमाणु ऊर्जा	• भारत और फ्रांस ने **2008 में एक सिविल परमाणु समझौते** पर हस्ताक्षर किए और **जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र सहित शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा** में सहयोग करना जारी रखा। • भारत **इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) परियोजना** का भी सदस्य है। यह **फ्रांस के कैडारैचे** में स्थित है और यहां दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन ऊर्जा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जा रहा है। • दोनों देश अब **स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMR) और एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स (AMR)** के लिए साझेदारी पर काम कर रहे हैं।

अन्य क्षेत्रक	• **जलवायु परिवर्तन:** दोनों देश **2015 के पेरिस जलवायु समझौते** के क्रियान्वयन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा, दोनों देशों ने संयुक्त रूप से **2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** का शुभारंभ किया था।
	• **संस्कृति: भारत-फ्रांस सांस्कृतिक समझौते (1966) के 60 वर्ष** पूरे होने के उपलक्ष्य में, दोनों देश **ईयर ऑफ़ इनोवेशन 2026 के तहत सांस्कृतिक आदान-प्रदान** करेंगे।
	  ○ **ईयर ऑफ़ इनोवेशन 2026** एक बहु-क्षेत्रीय पहल है, जिसमें **संस्कृति** भी शामिल है। हाल ही में इसके लिए एक **लोगो लॉन्च** किया गया है।
	• **त्रिपक्षीय सहयोग:**
	  ○ **भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया:** यह त्रिपक्षीय सहयोग एक **स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत** को बढ़ावा देता है।
	  ○ **भारत-फ्रांस-UAE:** यह त्रिपक्षीय सहयोग **सौर एवं परमाणु ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और जैव विविधता संरक्षण** पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत-फ्रांस संबंधों में प्रमुख चुनौतियां

- **परमाणु ऊर्जा सहयोग में बाधाएं:** फ्रांस ने **जैतापुर** में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स बनाने की पेशकश की है। हालांकि, इसमें कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें **उच्च लागत, देरी और भारत के CLND अधिनियम, 2010** से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं।
  - CLND अधिनियम परमाणु आपदाओं से पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। यह फ्रांस सहित विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ तनाव का कारण बना हुआ है।
- **अलग-अलग भू-राजनीतिक रुख:** फ्रांस यूक्रेन का खुलकर साथ दे रहा है और रूस का विरोध कर रहा है। वहीं, भारत इस मामले में तटस्थ है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प (Resolutions) पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा। अलग-अलग विचारों की वजह से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत में मुश्किल आ सकती है।
- **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से जुड़ी चिंताएं:** कई फ्रांसीसी व्यवसायों का मानना है कि फार्मास्यूटिकल्स, फैशन और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रकों में भारत IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) को ठीक से लागू नहीं कर रहा है।
  - **नकली उत्पादों की समस्या, पेटेंट मंजूरी में देरी और अपर्याप्त कानूनी सुरक्षा जैसे मुद्दे** फ्रांसीसी निवेश एवं नवाचार सहयोग को हतोत्साहित करते हैं।
- **व्यापार संबंधी बाधाएं और संरक्षणवादी नीतियां:** भारतीय निर्यात (विशेष रूप से कृषि वस्तुएं) को फ्रांस में विरोध का सामना करना पड़ता है। बासमती चावल को भौगोलिक संकेतक (GI) उत्पाद के रूप में मान्यता देने में फ्रेंच राइस एसोसिएशन का विरोध एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के कठोर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानक भारतीय उत्पादों के लिए गैर-टैरिफ बाधाएं उत्पन्न करते हैं।

- **भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में बाधा:** भारत-यूरोपीय संघ व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (BTIA)[20] पर 2007 से वार्ता चल रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है।
  - इस कारण से दोनों पक्ष अपनी **व्यापारिक क्षमताओं का पूरा लाभ नहीं** उठा पा रहे हैं।
- **सीमित निजी क्षेत्रक और लोगों के बीच सीमित संपर्क:** भारत-फ्रांस सहयोग मुख्य रूप से सरकार द्वारा संचालित (G2G) है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और ऊर्जा पर केंद्रित है।
  - हालांकि, व्यापक स्तर पर व्यवसाय-से-व्यवसाय (B2B) और पीपल-टू-पीपल (P2P) जुड़ाव अभी भी कमजोर बना हुआ है।

निष्कर्ष

रणनीतिक साझेदारी का अर्थ हर मुद्दे पर सहमति नहीं, बल्कि मतभेदों को निजी स्तर पर सुलझाना भी है। भारत और फ्रांस ने वर्षों से ऐसे संबंध विकसित किए हैं। दोनों देशों को परमाणु ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने, यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौतों में तेजी लाने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बौद्धिक संपदा सुरक्षा में सुधार करना होगा। साथ ही, उन्हें वैश्विक संघर्षों, जैसे- यूक्रेन संकट, पर साझा दृष्टिकोण अपनाकर कूटनीतिक समन्वय को और प्रभावी बनाना होगा।

2.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

2.6.1. भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया (India and Qatar Elevate Bilateral Ties to Strategic Partnership)

कतर के अमीर, भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने **आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक** ले जाने का फैसला किया। इसके तहत **व्यापार, ऊर्जा, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत** करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- दोनों पक्षों ने **पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करके 28 बिलियन डॉलर** करने का लक्ष्य भी रखा है।

यात्रा के अन्य मुख्य परिणाम:

- **रणनीतिक साझेदारी** को मजबूत करने के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें **दोहरे कराधान से बचाव** और **राजकोषीय अपवंचन (Evasion) की रोकथाम** शामिल है।
- व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन और भारतीय उद्योग संघ (CII) के बीच तथा इन्वेस्ट कतर एवं इन्वेस्ट इंडिया** के बीच अतिरिक्त समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

भारत कतर संबंध

- **आर्थिक संबंध:** 2023-24 में दोनों देशों के बीच **14.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। इसमें भारत **व्यापार घाटे** में है।
  - 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार भारत कतर के **शीर्ष तीन निर्यात गंतव्यों में से एक है और कतर के आयात के शीर्ष तीन स्रोतों** में भी शामिल है।
- **ऊर्जा संबंध:** कतर, भारत का **सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता** है। भारत के कुल LNG आयात के **40% से अधिक की आपूर्ति** कतर से होती है।
- **रक्षा संबंध:** भारत-कतर रक्षा सहयोग समझौते को **2018 में पांच वर्षों** के लिए बढ़ा दिया गया था।
  - **द्विपक्षीय अभ्यास:** ज़ायर अल बहर (नौसेना)।
  - भारत नियमित रूप से कतर में आयोजित होने वाले **द्विवार्षिक दोहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन (DIMDEX)** में भाग लेता है।

[20] Broad-based Trade and Investment Agreement

- **सांस्कृतिक संबंध:** कतर में सक्रिय **भारतीय सांस्कृतिक केंद्र** के साथ 2012 में किए गए सांस्कृतिक सहयोग समझौते के तहत नियमित आदान-प्रदान और गतिविधियां संपन्न की जाती हैं।
    - **लोगों के बीच संबंध:** कतर में 830,000 से अधिक भारतीय निवास करते हैं। यह भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है।

2.6.2. बिम्सटेक/ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (BIMSTEC)

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने **गांधीनगर (गुजरात) में पहली बार बिम्सटेक युवा शिखर सम्मेलन** की मेजबानी की।

- इसका लक्ष्य पूरे क्षेत्र में **युवा सहयोग को मजबूत करना और बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच युवाओं के नेतृत्व वाली पहलों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक** बनाना है।

बिम्सटेक के बारे में

- **सचिवालय: ढाका (बांग्लादेश)** में स्थित है।
- **उत्पत्ति:** इसका गठन **1997 में बैंकॉक घोषणा-पत्र** के माध्यम से किया गया था।
- **सदस्य:** बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल और भूटान।
- **उद्देश्य:** तीव्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देना और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में शांति व स्थिरता सुनिश्चित करना।
- **7 फोकस क्षेत्र:** व्यापार; पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन; सुरक्षा; कृषि एवं खाद्य सुरक्षा; लोगों के बीच संपर्क; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; तथा कनेक्टिविटी।

2.6.3. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने **अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) पर प्रतिबंध** लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।

- यह आदेश उन व्यक्तियों और उनके परिवारों पर वित्तीय एवं वीज़ा संबंधी प्रतिबंध लगाता है, जो अमेरिकी नागरिकों या उसके इजरायल जैसे सहयोगियों की ICC जांच में सहायता करते हैं।

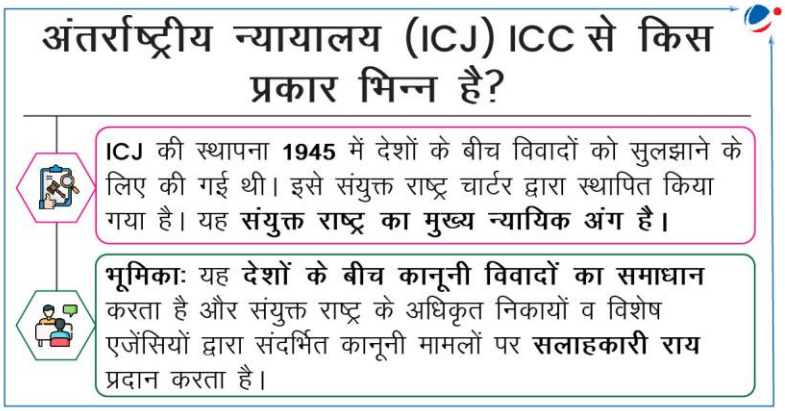

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में

- इसका मुख्यालय **नीदरलैंड के हेग** में स्थित है।
- यह विश्व का **पहला स्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय** है।
- **संस्थापक संधि:** इसे **रोम संविधि** के माध्यम से स्थापित किया गया है। रोम संविधि को **1998** में अपनाया गया था तथा यह **2002** में प्रभावी हुई थी।
- **ICC द्वारा निपटाए जाने वाले अपराधों के प्रकार:** नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अपराध।
- **सदस्यता:** इसके 125 देश सदस्य हैं।
    - **भारत, इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन** रोम संविधि के पक्षकार नहीं हैं।
    - **हालिया सदस्य:** मलेशिया (2019) तथा यूक्रेन (2025)।
- **प्रबंधन: असेम्बली ऑफ़ स्टेट्स पार्टीज़ न्यायालय का प्रबंधन निगरानी और विधायी** निकाय है।
    - यह निकाय उन देशों के प्रतिनिधियों से बना है, जिन्होंने **रोम संविधि की पुष्टि** की है या उसे स्वीकार कर लिया है।
- **आधिकारिक भाषाएं:** अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश।

ICC के कामकाज में संरचनात्मक मुद्दे

- **पक्षकार देशों के सहयोग पर अत्यधिक निर्भरता,** क्योंकि ICC के पास गिरफ्तारी और साक्ष्य संग्रह के लिए कार्यकारी शक्ति का अभाव है।

- **राजनीतिक दबाव:** यह अक्सर **सत्ता की राजनीति और मानवाधिकारों के बीच फंस** जाता है। इसके अलावा, अक्सर कुछ देशों द्वारा विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।

नोट: *ICC के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, मई 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 2.4 देखें।*

2.6.4. पश्चिमी अफ्रीकी देशों का आर्थिक समुदाय (Economic Community of West African States: ECOWAS)

सेना द्वारा शासित तीन देशों **माली, बुर्किना फासो और नाइजर** ने कूटनीतिक तनाव के बाद आधिकारिक तौर पर **पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक, ECOWAS की सदस्यता** का त्याग कर दिया है।

ECOWAS के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसकी **स्थापना 1975** में हुई थी।
- **मुख्यालय:** इसका **मुख्यालय अबुजा (नाइजीरिया)** में स्थित है।
- **उद्देश्य:** इस संगठन का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने और आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
    - ECOWAS के सदस्य देशों के नागरिकों को **सभी सदस्य देशों के यहां रहने और कार्य करने का अधिकार** है। साथ ही, उन्हें वस्तुओं के मुक्त परिवहन का अधिकार भी दिया गया है।
- **सदस्य: 12** (उपर्युक्त तीनों देशों के निकलने के बाद)
    - **इसके वर्तमान सदस्य हैं-** बेनिन, काबो वर्डे, कोटे डी आइवर, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सेनेगल, सिएरा लियोन और टोगो।

2.6.5. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC)

हाल ही में, **ब्राजील की सरकार ने ओपेक+ संगठन में ब्राजील के शामिल होने** को मंजूरी दी।

ओपेक के बारे में

- यह **तेल निर्यातक 12 विकासशील देशों का एक स्थायी अंतर-सरकारी संगठन** है।
    - **भारत इसका सदस्य नहीं** है।
- **स्थापना:** इसे **1960 में बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला** द्वारा गठित किया गया था।
- **उद्देश्य:** पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए **उचित और स्थिर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सदस्य देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण** करना।
- **मुख्यालय:** वियना (ऑस्ट्रिया)।
- **ओपेक+ के बारे में**
    - संयुक्त राज्य अमेरिका में **शेल तेल उत्पादन में अधिक वृद्धि होने** से तेल की कीमतों में गिरावट होने लगी। इसी स्थिति से निपटने के लिए ओपेक ने **2016 में 10 अन्य तेल उत्पादक देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके ओपेक+** का गठन किया था।

2.6.6. अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन (International Organization of Aids to Marine Navigation: IALA)

भारत को सिंगापुर में **IALA के उपाध्यक्ष पद** के लिए चुना गया है। इससे **समुद्री सुरक्षा, नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता** मजबूत हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के बारे में

- **मुख्यालय:** यह **फ्रांस के सेंट-जर्मैन-एन-लाई** में स्थित है।
- **स्थापना:** इसकी **स्थापना 1957 में एक गैर-सरकारी संगठन** (NGO) के रूप में की गई थी।

- **अंतर-सरकारी संगठन के रूप में ट्रांजीशन**: IALA पहले एक NGO था, लेकिन **2024 में यह एक अंतर-सरकारी संगठन (IGO)** बन गया।
- **उद्देश्य:** यह सदस्यों से वैश्विक स्तर पर समुद्री नेविगेशन सहायता (Marine Aids to Navigation) के मानकीकरण में सहयोग करने का आह्वान करता है, ताकि जहाजों की आवाजाही सुरक्षित, प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल बनाई जा सके।
- **सदस्यों की श्रेणियाँ:** IALA के तीन प्रकार के सदस्य हैं;
  - सदस्य राष्ट्र,
  - एसोसिएट सदस्य, और
  - औद्योगिक जगत के सदस्य।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

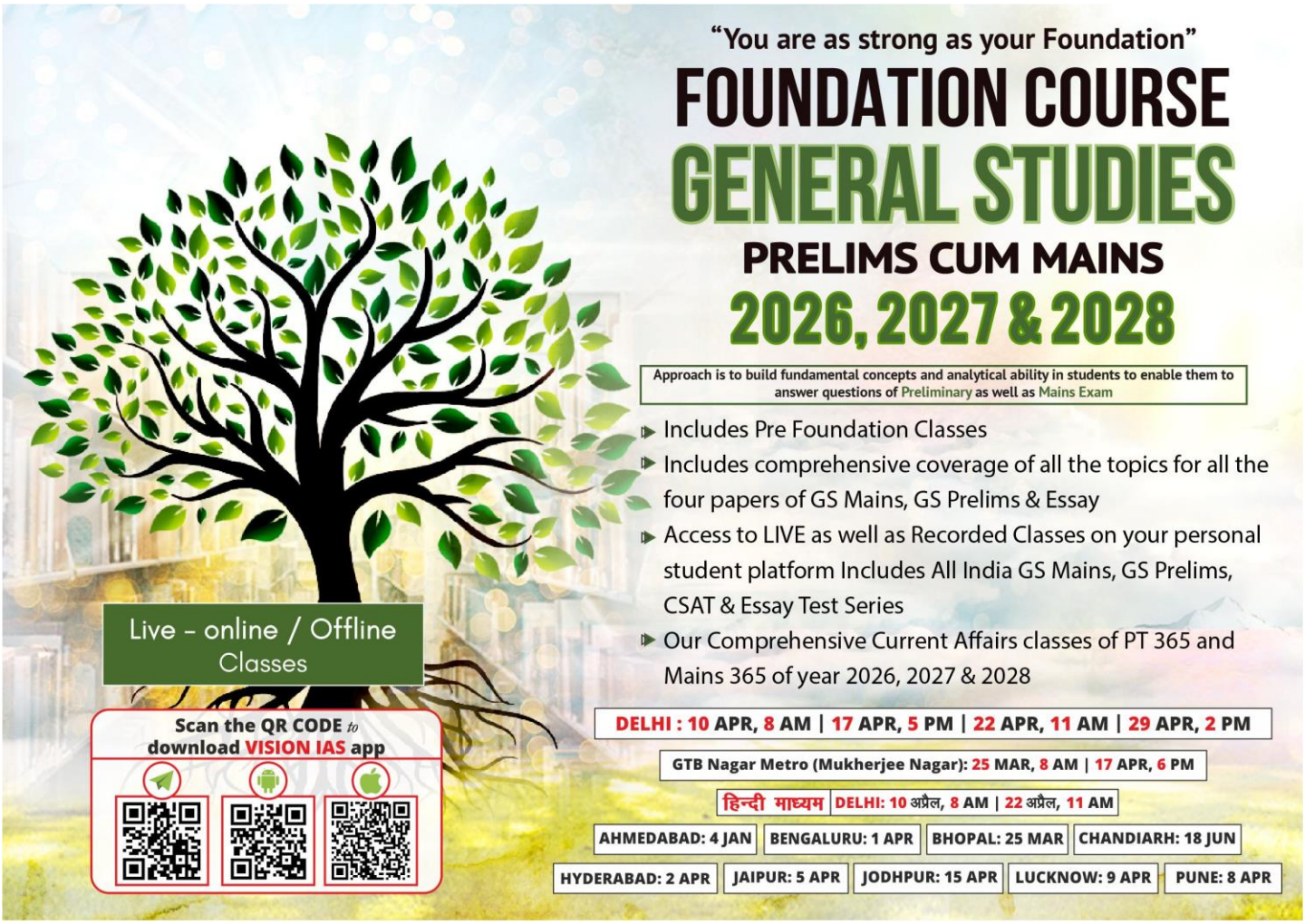

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना {Mutual Credit Guarantee Scheme (MCGS) for MSMEs}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने **विनिर्माण क्षेत्रक से जुड़े MSMEs को मजबूत** करने के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी प्रदान की है। गौरतलब है कि सरकार ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी।

'MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना' के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **गारंटी कवरेज:** MCGS-MSME के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए **सदस्य ऋणदाता संस्थाओं (MLIs)**[21] को राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड **(NCGTC)**[22] द्वारा **60% गारंटी कवरेज प्रदान** की जाती है। NCGTC, भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
  - **सदस्य ऋणदाता संस्थाओं में शामिल हैं:** वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs)[23] और अन्य वित्तीय संस्थाएं जो इस योजना के तहत NCGTC के पास पंजीकृत हैं।
- **ऋण लेने के लिए पात्रता:**
  - **MSME के पास उद्यम पोर्टल का वैध पंजीकरण होना चाहिए।**
  - **ऋण आवेदक के पास पहले से किसी बैंक की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) नहीं** होनी चाहिए।
  - **ऋण आवेदक** को परियोजना लागत का कम-से-कम 75% उपकरण/ मशीनरी पर खर्च करना होगा।
- **योजना की अवधि:** यह **4 साल** तक उपलब्ध होगी या **7 लाख करोड़ रुपये की गारंटी** जारी होने तक चलती रहेगी (इनमें जो भी पहले हो)।
- **पुनर्भुगतान हेतु शर्तें:**
  - **50 करोड़ रुपये तक के ऋण:** ऐसे ऋण को **8 साल** में चुकाना होगा। **पहले 2 साल तक** मूलधन की किस्तें नहीं देनी होंगी (मोरेटोरियम), **सिर्फ ब्याज चुकाना होगा।**
  - **50 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण:** इसका पुनर्भुगतान लंबी अवधि में किया जा सकता है तथा मूलधन की किस्तें चुकाने पर कुछ अवधि के लिए छूट देने (मोरेटोरियम) पर विचार किया जा सकता है।

केंद्रीय बजट 2025-26 में MSMEs के लिए घोषित अन्य प्रमुख उपाय

- **MSMEs के वर्गीकरण मानदंडों को संशोधित किया गया:** MSMEs में मौजूदा निवेश सीमा को 2.5 गुना और टर्नओवर सीमा को दोगुना निर्धारित किया गया है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **ऋण सुविधा का विस्तार:** ऋण गारंटी कवर को बढ़ाया जाएगा-
  - **सूक्ष्म और लघु उद्यमों** के लिए **क्रेडिट गारंटी कवर** को **5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़** रुपये कर दिया गया है। इससे अगले 5 वर्षों में **1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होगा।**

MSMEs के वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंड

श्रेणी	निवेश		टर्नओवर	
	वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
सूक्ष्म उद्योग	1 करोड़ रु.	2.5	5	10
लघु उद्यम	10	25	50	100
मध्यम उद्यम	50	125	250	500

[21] Member Lending Institutions

[22] National Credit Guarantee Trustee Company Limited

[23] Non-Banking Financial Companies

- **स्टार्ट-अप्स के लिए** क्रेडिट गारंटी कवर **10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़** रुपये कर दिया गया है। **आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 महत्वपूर्ण क्षेत्रकों** में ऋण लेने वालों के लिए **गारंटी शुल्क घटाकर 1%** किया गया है।
- **अच्छे प्रदर्शन वाले निर्यातक MSMEs** को **20 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन** गारंटी कवर मिलेगा।

- **कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड योजना:** इसके तहत उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत **सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान** किया जाएगा। इसमें पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे।
- स्टार्ट-अप्स की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपये का एक नया **'फंड ऑफ फंड्स'** स्थापित किया जाएगा।
- **पहली बार उद्यमी बनीं 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों** के लिए एक नई योजना चलाई जाएगी। इस योजना के तहत पांच साल में 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन दिया जाएगा।

भारत के लिए MSMEs का महत्त्व

- **GDP में योगदान:** MSME क्षेत्रक देश की GDP में लगभग 30% और देश के विनिर्माण उत्पादन में 36% का योगदान देता है।
- **रोजगार:** भारत में **1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSMEs** हैं, जिनमें **लगभग 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार** प्राप्त है।
- **विदेशी मुद्रा की प्राप्ति:** MSMEs भारत के **कुल निर्यात में लगभग 45%** का योगदान देते हैं।
- **छिपी हुई बेरोजगारी को कम करता है:** MSMEs **गांवों में कृषि क्षेत्रक से अतिरिक्त श्रमिकों को रोजगार** देते हैं, जिससे छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या कम होती है।
  - **छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised unemployment)** वह स्थिति है जिसमें किसी आर्थिक गतिविधि में आवश्यकता से अधिक लोग कार्यरत होते है। इसे **श्रम संचय** (लेबर होर्डिंग) के रूप में भी जाना जाता है।
- **ग्रामीण विकास:** भारत में **कुल MSMEs में से लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्रों** में स्थित हैं। ये कुल रोजगार का 45% प्रदान करते हैं, जिससे गांवों में आर्थिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है।

MSMEs के समक्ष चुनौतियां

- **वित्तीय समस्याएं:** अधिकतर MSMEs अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। डाक्यूमेंट्स (जानकारी) नहीं होने के कारण ऋण चुकाने की इनकी क्षमता का सही से आकलन नहीं हो पाता है। साथ ही, अधिकतर MSMEs के पास बैंक में **गिरवी रखने के लिए संपत्ति नहीं होती।** इन सब वजहों से MSMEs को बैंकों से ऋण लेना कठिन हो जाता है।
- **अवसंरचना संबंधी समस्याएं:** खराब सड़कें, **अनियमित बिजली आपूर्ति और डिजिटल सुविधाओं की कमी** के कारण MSMEs के लिए व्यवसाय करना मुश्किल हो जाता है।
- **बेची गई वस्तुओं के बदले भुगतान प्राप्ति में देरी :** कई MSMEs सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में बड़े उद्योगों को वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। हालांकि, उन्हें कई बार इसका समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके कारण उनके पास नकदी की कमी हो जाती है। इस वजह से कार्यशील पूंजी नहीं होने से व्यवसाय जारी रखना मुश्किल हो जाता है।
- **अधिक नियमों के पालन का बोझ:** जटिल कर प्रक्रिया, जटिल श्रम कानून और बार-बार बदलती नीतियों के कारण उनके लिए व्यवसाय चलाते रहना कठिन हो जाता है।
- **नई प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग:** अक्सर यह देखा जाता है कि MSMEs **नई तकनीक अपनाने में देरी** करते हैं, जिससे उनकी **उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट आती** है।
- **निर्यात से जुड़ी समस्याएं: अपर्याप्त बुनियादी ढांचा** तथा भारतीय MSMEs द्वारा **पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ESG)[24] रिपोर्टिंग नहीं करने** जैसी वजहों से विदेशों में उनके निर्यात प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं।

MSMEs के लिए शुरू की गई पहलें

- **व्यापार सक्षमता और विपणन (TEAM)[25] पहल:** यह पहल कैटलॉग तैयार करने, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग में सहायता करके सूक्ष्म और लघु उद्योगों को **ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से जोड़ने** में सहायता प्रदान करती है।

[24] Environmental, social and governance

[25] Trade Enablement & Marketing

- **पी.एम. विश्वकर्मा:** इसके तहत हाथों और औजारों से काम करने वाले **18 प्रकार के व्यवसायों** के कारीगरों और शिल्पकारों को एंड-टू-एंड सहायता प्रदान की जा रही है।
- **आत्मनिर्भर भारत निधि योजना:** यह योजना केंद्रीय **MSME मंत्रालय ने शुरू** की है। इसके तहत उन MSMEs को इक्विटी फंडिंग प्रदान की जाती है जिनमें बड़े उद्यम के रूप में विकसित होने की क्षमता और संभावना है।
- **सार्वजनिक खरीद नीति:** इसके तहत **केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को अपनी जरूरत की कुल वार्षिक खरीद का 25% सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSEs) से करना** अनिवार्य है।
- **रैंप (RAMP) योजना:** यह **विश्व बैंक द्वारा समर्थित केंद्रीय क्षेत्रक** की एक योजना है। इसका उद्देश्य MSMEs को **बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी** तक आसान पहुँच प्रदान करके उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना है।
- **उद्यम सहायता मंच (2023):** इसे अनौपचारिक क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिए स्थापित किया गया है। इससे उन्हें **प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL)** का लाभ मिल सकेगा।
- **राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (Ni-MSME)[26]:** यह उद्योग के विस्तार और उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

आगे की राह

- **नीतिगत समर्थन:** सरकार को MSMEs की **विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अनुकूल और सहायक नीतियां** बनानी चाहिए। इन नीतियों में कर छूट और अवसंरचना विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
    - MSMEs को तेजी से बदलते कारोबारी माहौल के अनुसार सर्वोत्तम व्यावसायिक पद्धतियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) को अपनाने में सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करना:** MSMEs की ऋण पात्रता का आकलन करने के लिए **डिजिटल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स और ई-कॉमर्स साइट्स से प्राप्त डेटा** का उपयोग करना चाहिए। इससे MSMEs को तेजी से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
- **नई प्रौद्योगिकी अपनाना और डिजिटलीकरण:** MSMEs को डिजिटल साक्षरता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करने, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उनके उत्पादों को बढ़ावा देने और **उद्योग 4.0 से जुड़ी प्रौद्योगिकियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित** किया जाना चाहिए।
- **बाजार तक पहुँच और विस्तार: व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में** MSMEs की **भागीदारी** को सुविधाजनक बनाना चाहिए। उनके उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए तथा B2B नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए।
- **नियमों (रेगुलेशन) को आसान बनाना:** नौकरशाही से जुड़ी बाधाओं को कम करने, नियमों के पालन की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने और **व्यवसाय के अनुकूल माहौल बनाने** की आवश्यकता है।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs)[27] के साथ एकीकरण:** ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनने से MSMEs उन उत्कृष्ट वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होंगे, जिनकी वैश्विक बाजार में अधिक मांग है।
- **MSMEs क्लस्टर्स के गठन को बढ़ावा देना:** ऐसे क्लस्टर्स के गठन से MSMEs के बीच सहयोग, संसाधन को साझा करने, सामूहिक सौदेबाजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

भारत के **MSMEs क्षेत्रक** के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #72- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs): भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार

VISIONIAS INSPIRING INNOVATION

SANDHAN

Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

[26] National Institute for Micro, Small and Medium Enterprises

[27] Global Value Chains

3.2. राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (National Critical Mineral Mission: NCMM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन (NCMM) को शुरू करने को मंजूरी प्रदान की है।

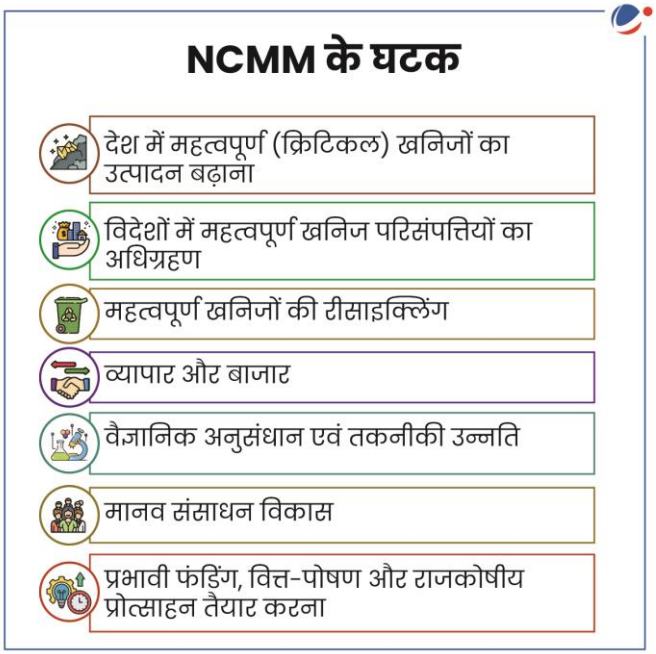

NCMM के बारे में

- **शुरुआत:** केंद्रीय बजट 2024-25 में राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया था।
- **मुख्य उद्देश्य:** देश और विदेशों में खनिज प्राप्ति सुनिश्चित करके भारत की क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना अर्थात इन खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- **कवरेज:** इस मिशन में **मूल्य श्रृंखला** के सभी चरण शामिल होंगे; जैसे कि खनिजों की खोज, **खनन, उन्हें लाभकारी या उपयोगी बनाना (बेनेफिकेशन), प्रोसेसिंग** और **उत्पाद के अनुपयोगी हो जाने पर उनसे उपयोगी सामग्रियों की रिकवरी।**
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - इस **मिशन के तहत क्रिटिकल मिनरल्स की खोज** के लिए **वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान** किया जाएगा तथा **माइन ओवरबर्डन और माइन टेलिंग्स** से इन खनिजों की प्राप्ति को **बढ़ावा दिया जाएगा।**
    - खनिज अयस्क तक पहुँचने के लिए हटाई गई चट्टान या मिट्टी की परत को **'ओवरबर्डन (Overburden)' कहा जाता है, जबकि "टेलिंग्स" (Tailings)** का मतलब है अयस्क से मूल्यवान सामग्री निकालने के बाद बचा हुआ अपशिष्ट। इनमें खनिज के अंश होते हैं।
  - इस मिशन का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित खनन परियोजनाओं के लिए **फास्ट ट्रैक विनियामक मंजूरी प्रक्रिया स्थापित** करना है।
  - यह मिशन **भारत के सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (PSUs)** और **निजी क्षेत्रक की कंपनियों** को **विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों का अधिग्रहण** करने और खनिज **संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित** करेगा।
  - इस मिशन में देश के भीतर **क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार** विकसित करने का प्रस्ताव है।
  - इसमें **खनिज प्रोसेसिंग पार्क स्थापित करने** के प्रावधान भी शामिल है।
  - यह मिशन अपतटीय क्षेत्रों यानी **महासागर** में पॉलिमेटेलिक नोड्यूल के खनन को भी बढ़ावा देगा। पॉलिमेटेलिक नोड्यूल में कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे खनिज पाए जाते हैं।

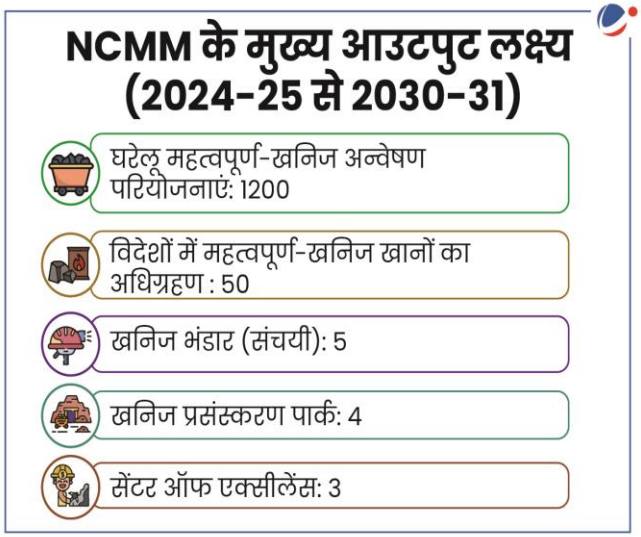

- **गवर्नेंस फ्रेमवर्क:**
  - **"क्रिटिकल मिनरल्स पर अधिकार प्राप्त समिति"** क्रिटिकल मिनरल्स से जुड़ी अलग-अलग गतिविधियों में समन्वय का कार्य करेगी।
  - **केंद्रीय खान मंत्रालय** इस मिशन का प्रशासनिक मंत्रालय होगा।

नोट: यह मिशन **समग्र सरकार आधारित अप्रोच**[28] के अनुसार कार्य करेगा। इसका मतलब है कि यह मिशन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करेगा।

[28] Whole-of-government approach

क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में

- **परिभाषा:** क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज हैं जो **किसी भी देश के आर्थिक विकास** और **राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक** हैं। इन खनिजों की **सीमित उपलब्धता** या **विश्व के कुछ चुनिंदा भौगोलिक स्थलों पर ही इनके भंडार, खनन या प्रोसेसिंग होने से** इनकी **निरंतर आपूर्ति पर खतरा बना रहता है। प्रायः इनकी आपूर्ति बाधित होने का डर बना रहता है।**

आर्थिक महत्त्व + आपूर्ति पर खतरा = खनिजों की क्रिटीकेलिटी या महत्त्व

- भारत सरकार ने देश के लिए **30 क्रिटिकल मिनरल्स** की सूची जारी की है। इनमें बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, फास्फोरस, पोटाश, रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE), सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम आदि शामिल हैं।
- वर्तमान में, भारत **क्रिटिकल मिनरल्स की मांग की पूर्ति के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर** है।

नोट: *क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में अलग-अलग जानकारी, जैसे कि भारत में उनके भंडार, विश्व में सबसे बड़े उत्पादक, आदि परिशिष्ट-1 में दी गई है।*

क्रिटिकल मिनरल्स का महत्त्व		
पर्यावरण की दृष्टि से • ये सोलर पैनल, विंड टरबाइन और सेमीकंडक्टर जैसी **नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों** के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। • ये **बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS)** के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।	**राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से** • ये **भारत के रक्षा क्षेत्र** के लिए भी बहुत आवश्यक हैं, जैसे- मिसाइल प्रणालियों, एयरोस्पेस, संचार प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए।	**आर्थिक और इलेक्ट्रॉनिक की दृष्टि से** • **इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs)** को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए लिथियम-आयन बैटरी की आवश्यकता होती है। • स्मार्टफोन, कंप्यूटर और संचार उपकरणों में लगने वाले **सेमीकंडक्टर चिप्स** के लिए क्रिटिकल मिनरल्स आवश्यक हैं।

भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स सुरक्षित करने की राह में बाधाएं

- **देश में बहुत कम भंडार:** भारत में कई क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार मौजूद नहीं हैं, या देश की आवश्यकता की तुलना में उनकी उपलब्धता बहुत कम है।
  - उदाहरण के लिए- वर्तमान में, देश में उत्पादन उद्देश्यों के लिए **कोबाल्ट, निकल, लिथियम और नियोडिमियम** के लिए कोई संचालित खनन पट्टा नहीं दिया गया है।
- **क्रिटिकल मिनरल्स की खोज से जुड़ी चुनौतियां:** कई क्रिटिकल मिनरल्स अत्यधिक गहराई में मौजूद होते हैं। इनकी खोज में निवेश की हानि का जोखिम होता है। साथ ही इन्हें निकालने के लिये उन्नत खनन तकनीकों की आवश्यकता होती है।
  - जैसे: जम्मू-कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार होने का अनुमान है, लेकिन इसे प्राप्त करना जोखिम भरा है।
- **आपूर्ति-श्रृंखला में व्यवधान:** कई क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन और उनकी प्रोसेसिंग विश्व के कुछ ही क्षेत्रों में केंद्रित है। इस वजह से विश्व भर में इनकी निरंतर आपूर्ति पर हमेशा खतरा बना रहता है।
  - **वैश्विक स्तर पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स एवं क्रिटिकल मिनरल्स का लगभग 60% उत्पादन एवं 85% प्रसंस्करण** चीन में होता है।
    - 2024 में, चीन ने अमेरिकी को **गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी एवं कुछ अन्य क्रिटिकल मिनरल्स** के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरह चीन ने क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया (वेपनाइजेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स)।
  - डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो **विश्व में लगभग 70% कोबाल्ट की आपूर्ति** करता है, लेकिन वहां राजनीतिक अस्थिरता के कारण **इसकी आपूर्ति में हमेशा व्यवधान बना रहता है।**
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** क्रिटिकल मिनरल्स के खनन एवं प्रोसेसिंग से अक्सर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी वजह से स्थानीय आबादी समूह और पर्यावरण संरक्षण समूह क्रिटिकल मिनरल्स खनन से जुड़ी परियोजनाओं का विरोध करते हैं।
  - इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA) की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग **54% खनिज भंडार देशज समुदायों की भूमि के आस-पास स्थित हैं।**
- **रीसाइक्लिंग अवसंरचना का अभाव:** इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से प्राप्त क्रिटिकल मिनरल्स की रीसाइक्लिंग का कार्य देश में अभी भी शुरुआती चरण में हैं। **रीसाइक्लिंग सेक्टर** काफी हद तक असंगठित है और इसमें मुख्य रूप से अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं।

क्रिटिकल मिनरल्स की प्राप्ति हेतु शुरू की गई अन्य पहलें

- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023:** इसमें क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और खनन से संबंधित प्रावधान हैं।
- **राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019:** यह क्रिटिकल मिनरल्स के संधारणीय तरीके से खोज और खनन को बढ़ावा देती है।
- केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार ने अधिकतर क्रिटिकल मिनरल्स पर **सीमा शुल्क समाप्त कर दिया** है।

क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और देश में उत्पादन

- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)[29]:** यह लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एवं अन्य क्रिटिकल मिनरल्स की खोज के लिए बड़े पैमाने पर गतिविधियों का संचालन करता है।
- **लिथियम भंडार की खोज (2023):** जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के विशाल भंडार खोजे गए हैं।
- **रणनीतिक खनिज भंडार (स्ट्रेटेजिक मिनरल्स रिजर्व):** सरकार लिथियम और कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए रणनीतिक भंडार स्थापित करने की योजना बना रही है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और व्यापार समझौते

- **खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL):** यह एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसे 2019 में केंद्रीय खान मंत्रालय ने गठित किया था। इसका उद्देश्य विश्व भर में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है।
  - KABIL अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में खनिज प्राप्ति में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।
- **खनिज सुरक्षा भागीदारी (Minerals Security Partnership):** संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली इस पहल में भारत 2023 में शामिल हुआ। इस पहल में शामिल होने का उद्देश्य देश के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

भारत क्रिटिकल मिनरल्स की लंबे समय तक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कौन-से उपाय कर सकता है?

- **देश में क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन को बढ़ावा देना:**
  - **अधिक निजी निवेश आकर्षित करने** के लिए खनिज क्षेत्र के **आवंटन की वैकल्पिक प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए।** जैसे कि- खनिज की खोज करने वाली कंपनियों को खनिजों के खनन का अधिकार भी देना।
  - भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों, एक्सप्लोरेशन प्रौद्योगिकियों आदि में **सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाना चाहिए**।
- **घरेलू स्तर पर प्रोसेसिंग क्षमताएं विकसित करना:** प्रोसेसिंग फैसिलिटी में निवेश करने के लिए निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन, कर छूट और अन्य नीतिगत सहायता प्रदान की जानी चाहिए।
  - **क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग पर केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** स्थापित किए जा सकते हैं।
- **वैश्विक सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता:** क्रिटिकल खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए खनिज संपन्न देशों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना चाहिए।
- **व्यापक क्रिटिकल मिनरल्स रणनीति तैयार करना:** यह रणनीति आपूर्ति से जुड़े जोखिमों, घरेलू नीतियों और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी प्राथमिक चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है।
  - अर्थव्यवस्था के अलग-अलग क्षेत्रकों में क्रिटिकल मिनरल्स की मांग का **समय-समय पर विस्तृत आकलन करना चाहिए**।
  - **अत्याधुनिक ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग फैसिलिटी स्थापित करना,** ई-अपशिष्ट रीसाइक्लिंग के बारे में जन जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी "रीसाइकिल फॉर रिसोर्सेज" अभियान, जैसी पहलों के बारे में सोचना चाहिए।
  - एक से अधिक देशों से **आयात** के बारे में सोचना चाहिए।
- **राज्य सरकार की भूमिका:** क्रिटिकल मिनरल्स के खनन क्षेत्रों के निकट परिवहन, बिजली और भंडारण जैसी अवसंरचनाओं का विकास करना चाहिए, आदि।

निष्कर्ष

भारत की आर्थिक संवृद्धि, एनर्जी ट्रांजीशन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है। देश में ही इन खनिजों के खनन, रिफाइनिंग और रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रभावी नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। इससे इन खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करने और लंबे समय तक इनकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

नोट: *खनिज सुरक्षा भागीदारी के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, सितंबर 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.8. देखें।*

[29] Geological Survey of India

3.2.1. प्रमुख एवं लघु खनिज (Major and Minor Minerals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय खान मंत्रालय ने **बैराइट्स, फेल्सपार, अभ्रक** और **क्वार्ट्ज** को लघु खनिजों की सूची से निकालकर "प्रमुख खनिजों" की श्रेणी में शामिल किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- हाल ही में, **केंद्रीय मंत्रिमंडल** ने **नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन** को मंजूरी दी थी। इसके बाद खान मंत्रालय ने खनिजों का पुनर्वर्गीकरण किया है।
- खनिजों का पुनर्वर्गीकरण **डॉ. वी.के. सारस्वत** की अध्यक्षता वाली एक अंतर-मंत्रालयी समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

खनिजों के पुनर्वर्गीकरण का कारण

- लघु खनिजों को **प्रमुख खनिजों की श्रेणी** में शामिल करने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि जिन चट्टानों में ये खनिज प्राप्त होते हैं उनमें कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी प्राप्त होते हैं। साथ ही, ये खनिज कई **हाई-टेक इंडस्ट्रीज** में भी प्रयुक्त होते हैं।
    - खान मंत्रालय के अनुसार, क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे खनिज हैं जो **आर्थिक विकास** एवं **राष्ट्रीय सुरक्षा** के लिए अति आवश्यक हैं।
- **पैगमाटाइट चट्टानों में क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक की प्राप्ति:**
    - ये खनिज **पैगमाटाइट चट्टानों** में पाए जाते हैं, जिनमें **बेरिल, लिथियम, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम, टिन, टाइटेनियम और टंगस्टन** जैसे कई क्रिटिकल मिनरल्स भी मौजूद होते हैं।
    - पहले जब क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अभ्रक को **लघु खनिज के रूप में पट्टे पर दिया जाता** था, तो पट्टाधारक क्रिटिकल मिनरल्स की मौजूदगी के बारे में या तो जानकारी नहीं देते थे या इनकी प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करते थे।
- **बैराइट और इसका औद्योगिक महत्त्व:**
    - बैराइट अक्सर **चूना पत्थर (लाइमस्टोन) और डोलोस्टोन** में **कंक्रीट एवं वेन फीलिंग्स के रूप में** पाया जाता है। साथ ही, यह **एंटीमनी, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, मैंगनीज** और **चांदी के अयस्कों** में भी पाया जाता है।
    - बैराइट का इस्तेमाल **अलग-अलग प्रकार के औद्योगिक कार्यों** में होता है। इसका उपयोग **ऑयल और गैस ड्रिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, टी.वी. स्क्रीन, रबर, कांच, सिरेमिक, पेंट, एक्स-रे उत्सर्जन को रोकने, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण आदि** में होता है।

प्रमुख एवं लघु खनिजों के बारे में

- खनिज प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक (ऑर्गेनिक) या अकार्बनिक (इनऑर्गेनिक) रूप से उत्पन्न होते हैं। इन खनिजों में कुछ **निश्चित रासायनिक व भौतिक गुण मौजूद होते हैं**। ये खनिज वास्तव में चट्टानों एवं अयस्कों के रूप में मौजूद होते हैं।
- **खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (MMDR) अधिनियम, 1957** के तहत खनिजों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है- **प्रमुख खनिज (Major minerals) और लघु खनिज (Minor minerals)।**

- "लघु खनिज" उन खनिजों को संदर्भित करता है जो भवन निर्माण में उपयोग किए जाते हैं, जैसे- पत्थर, बजरी, साधारण मृदा, और विशेष उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत। इसके अलावा, इसमें साधारण रेत और वे अन्य खनिज शामिल हैं, जिन्हें केंद्र सरकार लघु खनिज के रूप में अधिसूचित करती है।
- **"प्रमुख खनिज"** में वे सभी खनिज शामिल होते हैं जो लघु खनिजों के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं। **प्रमुख खनिज के उदाहरण हैं-** कोयला, लोहा, जस्ता, चूना-पत्थर आदि।
- **खनिजों के लिए गवर्नेंस फ्रेमवर्क:**
  - **खनिजों के विनियमन के लिए कानूनी व्यवस्था: MMDR अधिनियम, 1957 खनन क्षेत्रक** को प्रशासित करने वाला प्राथमिक कानून है। हालांकि इस अधिनियम में **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को शामिल नहीं** किया गया है।
  - खनिजों के प्रबंधन के लिए **भारत सरकार ने कुछ अतिरिक्त नियम बनाए** हैं। इनमें कुछ नियम निम्नलिखित हैं:
    - **खनिज रियायत नियम, 1960:** इसमें **परमाणु** और **लघु खनिजों** को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के लिए परमिट, लाइसेंस और पट्टा (लीज) से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।
    - **खनिज संरक्षण एवं विकास नियम, 1988:** यह कानून खनिजों का **संरक्षण** एवं **व्यवस्थित विकास** सुनिश्चित करता है।
  - **खनिजों के विनियमन में राज्य सरकारों की भूमिका:**
    - **MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 15:** यह धारा राज्य सरकारों को लघु खनिजों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है।
    - **MMDR अधिनियम, 1957 की धारा 23C:** यह धारा राज्य सरकारों को खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने का अधिकार देती है।
    - **2015 में संशोधित MMDR अधिनियम की धारा 9(b):** यह धारा राज्य सरकारों को खनन कार्य से प्रभावित प्रत्येक जिले में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट स्थापित करने का अधिकार देती है।

3.3. प्रधान मंत्री धन धान्य कृषि योजना (Prime Minister Dhan Dhaanya Krishi Yojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) शुरू करने की घोषणा की।

प्रधान मंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDKY) के बारे में

- **कवरेज:** इस योजना के तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा। जिलों का चयन तीन मुख्य मानकों के आधार पर किया जाएगा। इन मानकों में शामिल है- **निम्न फसल उत्पादकता, सामान्य फसल या शस्य गहनता और औसत से कम कृषि ऋण वितरण।**
  - **फसल या शस्य गहनता (Cropping intensity)**: यह बताती है कि किसी खेत का कितना प्रभावी तरीके से उपयोग हो रहा है। इसे इस आधार पर मापा जाता है कि एक कृषि वर्ष में एक ही खेत में कितनी बार फसलें उगाई जाती हैं।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के बारे में

- इसे **नीति आयोग** ने राज्य सरकारों के सहयोग से शुरू किया है।
- **उद्देश्य: देश भर के 112 सबसे कम विकसित जिलों का तेजी से और प्रभावी तरीके से विकास करना**। यह कार्यक्रम 3C मॉडल पर आधारित है। 3C से आशय है:
  - **कन्वर्जेन्स** (केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का),
  - **कोलैबोरेशन** (केंद्र और राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों और जिला कलेक्टर्स के बीच), और
  - **कम्पटीशन** (मासिक डेल्टा रैंकिंग के माध्यम से जिलों के बीच)।
- इस कार्यक्रम में **प्रत्येक जिले की क्षमता पर ध्यान** केंद्रित किया जाता है। साथ ही, तत्काल सुधार के लिए आसान लक्ष्यों की पहचान की जाती है और **जिलों को मासिक आधार पर रैंकिंग देकर उनके द्वारा की गई प्रगति का मापन** किया जाता है।
- **रैंकिंग का आधार:** जिलों द्वारा की गई प्रगति को **49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों** के आधार पर आंका जाता है, जो निम्नलिखित **5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रकों** से संबंधित हैं-
  - स्वास्थ्य और पोषण,
  - शिक्षा,
  - कृषि और जल संसाधन,
  - वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, तथा
  - अवसंरचना।

- केंद्रीय कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, **अखिल भारतीय स्तर पर, 2021-22 में फसल गहनता 155%** दर्ज की गई।

- **आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित:** PMDKY **आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP)**[30] की तर्ज पर बनाई गई है। गौरतलब है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में की गई थी।
- **परिव्यय:** केंद्रीय बजट में इस योजना के लिए अलग से धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है।
- **कार्यान्वयन रणनीति:** यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जाएगी। इसके क्रियान्वयन में पहले से चल रही योजनाओं का भी लाभ (कन्वर्जेन्स) उठाया जाएगा।

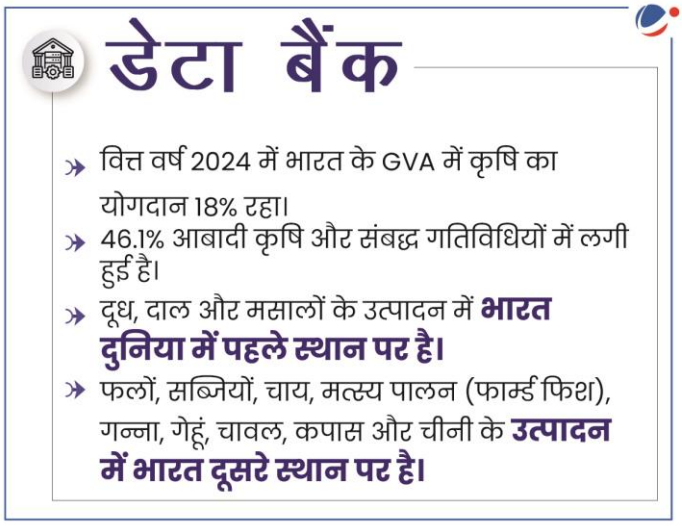

भारत में कृषि क्षेत्रक

- **भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार:** कृषि भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, रोजगार देने और समग्र आर्थिक विकास में इसकी अहम भूमिका है।
- **कृषि उत्पादन और उपज:** वित्त वर्ष 2023 में भारत में **कुल कृषि उत्पादन 329.7 मिलियन टन** रहा। हालांकि इसके बावजूद, चीन, ब्राजील और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की तुलना में अधिकतर फसलों में कृषि उपज काफी कम बनी हुई है।
  - उदाहरण: **भारत में चावल की औसत उपज 2,191 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर** है, जबकि **वैश्विक उपज औसत 3,026 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर** है। भारत में **गेहूं की औसत उपज 2,750 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर** है, जो वैश्विक औसत 3,289 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम है।

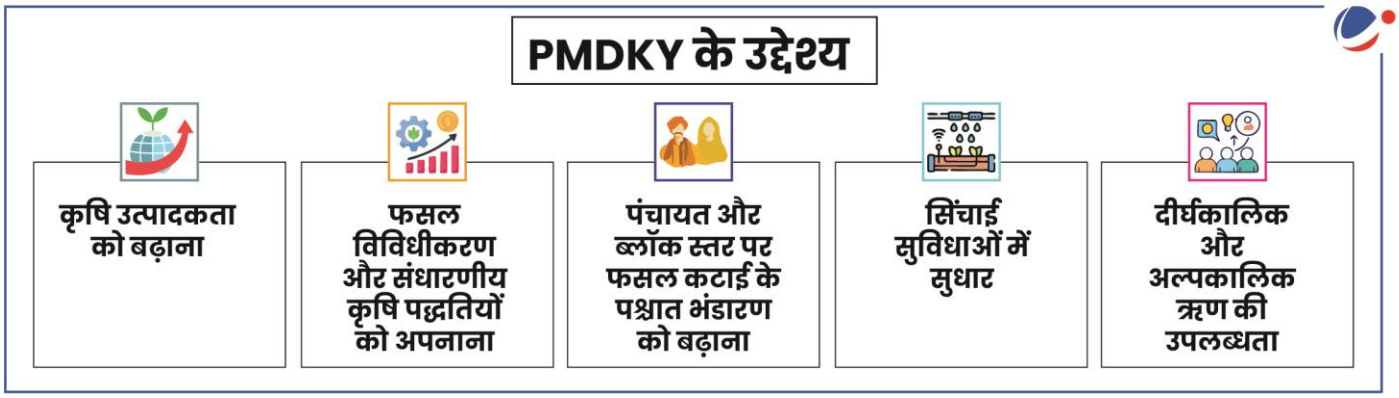

भारत में निम्न कृषि उपज के मुख्य कारण

- **लघु और खंडित भूमि जोत:** नाबार्ड के मुताबिक, 2021-22 में भारत में औसत भूमि जोतों का आकार केवल 0.74 हेक्टेयर था। खेत (जोत) का आकार छोटा होने से कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
  - जोतों के विखंडन से **मशीनों का उपयोग करना और सिंचाई कार्य मुश्किल** हो जाता है। इससे कुल उत्पादकता में गिरावट आती है।
- **मानसून पर निर्भरता:** भारत की लगभग 51% कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। इससे सूखे व अनियमित वर्षा के दौरान कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ने का खतरा रहता है।
- **सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था:** देश में **कुल बुवाई योग्य भूमि का लगभग 48.65% हिस्सा अभी भी असिंचित** है।
  - यह अनुमान है कि देश की **पूरी सिंचाई क्षमता** हासिल करने के बाद भी **40% कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर** रहेगी।

[30] Aspirational Districts Programme

- **आधुनिक तकनीक का सीमित उपयोग:** उच्च उपज देने वाले बीज, उर्वरक और उन्नत मशीनरी सभी को उपलब्ध नहीं होने से कृषि उत्पादकता पर नकारात्मक असर पड़ता है।
- **मृदा क्षरण और रसायनों का अत्यधिक उपयोग:** मृदा अपरदन, लवणता; और ऑर्गेनिक पदार्थों की कमी के कारण कृषि उत्पादन में गिरावट आती है।
- **ऋण और निवेश की कमी:** देश में लगभग 12.56 करोड़ लघु और सीमांत किसान है। इनमें से मुश्किल से 20% किसानों को ही बैंकों से ऋण प्राप्त हो पाता है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु की गई पहलें

- **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM):** इसकी शुरुआत 2007-08 में की गई थी। इसका उद्देश्य चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज और पोषक-अनाजों (न्यूट्री-सीरियल्स) के उत्पादन को संधारणीय तरीके से बढ़ाना है।
- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015):** इस योजना में सिंचाई के कवरेज को बढ़ाने के लिए **'हर खेत को पानी'** और जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए **'प्रति बूंद अधिक फसल'** पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
- **पीएम-किसान (प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि):** इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इस योजना के तहत किसानों को आय सहायता के रूप में हर साल 6,000 रुपये तीन समान किस्तों में दिए जाते है।
- **कृषि अवसंरचना निधि (2020-21):** इसके जरिए किसानों को **फसल कटाई के बाद के प्रबंधन** और **सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश** के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि:** सरकार ने 2018-19 से सभी खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए MSP में वृद्धि की है। इसमें किसानों को उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर कम-से-कम 50% रिटर्न दिया गया है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड योजना:** इस योजना के तहत किसानों को कम ब्याज दर पर आसानी से ऋण प्राप्त हो जाता है।
  - **2019 में,** KCC योजना का विस्तार करते हुए इसमें पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी क्षेत्रकों को भी शामिल किया गया।
- **प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (2016):** इसका उद्देश्य फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को **बीमा कवरेज प्रदान करना, किसानों के आय-अर्जन को जारी रखना** और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति (2010):** यह नीति **नाइट्रोजन (N), फास्फोरस (P) और पोटाश (K) उर्वरकों के संतुलित उपयोग** को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।

निष्कर्ष

भारत में खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण विकास और आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादकता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियां, मशीनीकरण, उच्च उपज वाले बीज और संधारणीय खेती के तरीकों को बढ़ावा देकर, भारत वैश्विक मानकों के अनुरूप अपनी कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, **बाजार तक आसान पहुंच, वित्तीय सहायता और किसानों को सही प्रशिक्षण** देने से भी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी हो सकती है। भारत में उच्च पैदावार और अधिक मजबूत कृषि इकोसिस्टम विकसित करने के लिए एक बहुआयामी अप्रोच अपनाने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की ओर से नीतिगत समर्थन, इनोवेशन और ग्रामीण अवसंरचना के विकास का एकीकरण जरूरी है।

3.4. मखाना (Makhana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की विकास यात्रा के लिए **'कृषि को पहला इंजन'** बनाने के तहत बिहार में **मखाना बोर्ड के गठन** की घोषणा की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- मखाना बोर्ड का गठन **मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू-एडिशन और विपणन में सुधार** के लिए किया जाएगा।
- यह बोर्ड मखाना किसानों को **वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण दिलाने** में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, यह बोर्ड मखाना किसानों को **सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने** में भी मदद करेगा।
- **बजट आवंटन:** 100 करोड़ रुपये

- यह बोर्ड मखाना की खेती से जुड़े किसानों को **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs)**[31] से जोड़ने में मदद करेगा। इससे मखाना से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को औपचारिक बनाने और किसानों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी।

मखाना के बारे में

- **फॉक्सनट** को आमतौर पर मखाना कहा जाता है। यह **जलीय पुष्पी-फसल** है। इसका वानस्पतिक नाम **यूरीले फेरोक्स/Euryale ferox (कांटेदार वाटर लिली)** है।
- इसकी खेती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, दोनों प्रकार की जलवायु में की जाती है।
- मखाना को **'ब्लैक डायमंड'** भी कहा जाता है, क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है।
- मखाने की खेती **शांत बारहमासी** जल स्रोतों; तालाबों, गड्ढों, गोखुर झील (oxbow lakes), दलदली और 4-6 फीट की गहराई वाले क्षेत्रों में की जाती है।
- मखाना की पहचान अब **सुपर फूड के रूप में** की जाने लगी है।
- **खेती के लिए आदर्श जलवायु दशाएं**
  - **तापमान:** 20 से 35 डिग्री सेल्सियस
  - **सापेक्ष आर्द्रता:** 50% से 90%
  - **वार्षिक वर्षा:** 100 से.मी. से 250 से.मी. के बीच
  - **मृदा:** चिकनी दोमट मृदा
- मखाना का पौधा **दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन का स्थानिक (एंडेमिक)** माना जाता है।
- **प्रमुख उत्पादक क्षेत्र:**
  - **भारत:**
    - भारत में सबसे अधिक मखाना उत्पादन बिहार में होता है। बिहार में देश का **90%** मखाना उत्पादित होता है।
    - **अन्य उत्पादक राज्य:** पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इत्यादि। हालांकि, इसका वाणिज्यिक उत्पादन केवल कुछ राज्यों द्वारा ही किया जाता है।
  - **अन्य देश:** मखाना नेपाल, बांग्लादेश, चीन, जापान, रूस और कोरिया में भी उगाया जाता है।

क्या आप जानते हैं?

- **सुपरफूड** में उन खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाता है जिनमें पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स, फाइबर और अन्य स्वास्थ्यवर्धक यौगिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। इनमें मोनो और पॉलीअनसैचुरेटेड वसा जैसे लाभकारी फैट्स भी पाए जाते हैं।
  - यह भोजन का वैज्ञानिक रूप से मान्य वर्गीकरण नहीं है, बल्कि मार्केटिंग उद्देश्य से उपयोग किया जाने वाला एक टर्म है।
- **अन्य सुपरफूड्स:** कटहल, सहजन (मोरिंगा), इमली, हल्दी, लहसुन, आदि।

बहु-गुणकारी मखाना

पोषण
प्रोटीन, विटामिन और खनिजों की प्रचुरता

स्वास्थ्यवर्द्धक
पारंपरिक चिकित्सा और अच्छी सेहत के लिए उपयोगी

आर्थिक प्रभाव
किसानों की आय और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण

पर्यावरण पर प्रभाव
आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करता है

औद्योगिक उपयोग
इसके स्टार्च उच्च गुणवत्ता वाले कपड़ों में इस्तेमाल होते हैं।

अन्य उपयोग
पशुधन चारा में उपयोग होता है। मखाना से कई धार्मिक प्रथाएं भी जुड़ी हुई हैं।

[31] Farmer Producer Organizations

मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा (बिहार):** इसे 2001 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत स्थापित किया गया है।
- **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान:** यह मखाना प्रोसेसिंग गतिविधियों को बढ़ावा देता है।
- **एक जिला एक उत्पाद (ODOP)[32]:** बिहार के **दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों** में मखाना किंग को ODOP के तहत मान्यता दी गई है।
- **GI टैग:** 2022 में **'मिथिला मखाना'** को भौगोलिक संकेतक (GI) का दर्जा प्रदान किया गया।

मखाना की खेती में चुनौतियां

- **निम्न उत्पादकता:** किसान मखाना की खेती पारंपरिक तरीकों से कर रहे हैं जिसके कारण वे प्रति हेक्टेयर 1.7-1.9 टन मखाना उत्पादित कर रहे हैं। वहीं आधुनिक तकनीकों से मखाना का 3–3.5 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन संभव है।
- **मखाना की प्रोसेसिंग के लिए अवसंरचना की कमी:** बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स की संख्या कम है। इसके चलते किसानों को कच्चा मखाना अक्सर बिहार के बाहर की कंपनियों को कम कीमतों पर बेचना पड़ता है। इससे स्थानीय किसानों को मखाना का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है।
- **निर्यात से जुड़ी समस्याएं:** फूड सेफ्टी और स्वच्छता प्रमाणन की आवश्यकता जैसे सख्त वैश्विक गुणवत्ता मानकों की वजह से मखाना का अधिक निर्यात नहीं हो पाता है। वर्तमान में, बिहार का केवल 2 प्रतिशत मखाना ही अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- **बाजार से जुड़ी समस्याएं**: बाजार में मखाना बेचने के लिए संगठित मार्केटिंग चेन का अभाव है। ज्यादातर किसान बिचौलियों को कम कीमत पर मखाना बेचने को मजबूर हैं, जिससे उन्हें कम मुनाफा मिलता है।
- **किसानों के पास जानकारी की कमी:** मखाना उगाने वाले अधिकतर किसान सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में नहीं जानते हैं।
- **अन्य समस्याएं:** मखाना उगाने वाले जल स्रोतों में खरपतवार प्रबंधन की कमी, बेहतर गुणवत्ता वाले टूल्स और संबंधित सहायक टूल्स का अभाव, बेहतर कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं नहीं होना आदि अन्य महत्वपूर्ण समस्याएं हैं।

निष्कर्ष

मखाना बोर्ड की स्थापना भारत में मखाना की खेती को संगठित तरीके से बढ़ावा देने, अनुसंधान करने और वाणिज्यिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह बोर्ड पारंपरिक खेती की कमजोरियों, कटाई के बाद होने वाले नुकसान और विश्व के बाजारों तक नहीं पहुंचने जैसी चुनौतियों का समाधान करके, मखाना को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी सुपर फूड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सरकारी पहलों के साथ-साथ संधारणीय कृषि पद्धतियां न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसर बढ़ाएगी बल्कि मखाना को भारत के कृषि-निर्यात में एक प्रमुख उत्पाद के रूप में भी स्थापित करने में मदद करेंगी।

3.5. कपास उत्पादकता मिशन (Mission for Cotton Productivity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में **'कपास उत्पादकता मिशन'** की घोषणा की गई।

कपास उत्पादकता मिशन के बारे में

- यह **पांच-वर्षीय मिशन** है। इसके उद्देश्य हैं- **कपास की उत्पादकता और उत्पादन सततता में सुधार** करना तथा **एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल (ELS) वाली कपास की किस्मों** के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय **वस्त्र मंत्रालय**
  - यह मंत्रालय **कपास उगाने वाले किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता** प्रदान करेगा।
- यह **सरकार के समग्र 5F विजन** के अनुरूप है। इसके तहत **किसानों की आय बढ़ाने** तथा **भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्रक को कायाकल्प करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति** सुनिश्चित की जाएगी।

[32] One District One Product

- यह **आयात पर निर्भरता को कम करने** तथा **भारत के वस्त्र क्षेत्रक को विश्व में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने** में मदद करेगा। इस क्षेत्र में **80% भागीदारी MSME क्षेत्रक की है।**

कपास मिशन की आवश्यकता क्यों है?

- **उत्पादकता में वृद्धि नहीं होना:** कपास की उत्पादकता 2023-24 में 435 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, और **2024-25 में भी लगभग समान (447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) स्तर पर** बनी रही। इस तरह उत्पादकता बढ़ नहीं रही है।
- **वर्षा-सिंचित फसल:** भारत में विशेष रूप से मध्य और दक्षिणी राज्यों में **अधिकांश कपास उत्पादक क्षेत्र सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर** है।
  - लगभग **67% कपास उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों में** और **33% उत्पादन सिंचित भूमि पर** होता है।
- **कीटों का हमला:** कपास की फसल पर **कीटों के हमले और बीमारियों के संक्रमण का खतरा बना रहता** है। उदाहरण के लिए, **गुलाबी सुंडी (पिंक बॉलवर्म)**, व्हाइटफ्लाई आदि कीट कपास की फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं।

स्टेपल कॉटन फाइबर के बारे में

स्टेपल एकल कॉटन फाइबर होता है। **स्टेपल की लंबाई के आधार पर, कॉटन को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है:**

- **वैरी शॉर्ट स्टेपल कॉटन:** ≤21 मिलीमीटर (mm)
- **शॉर्ट स्टेपल कॉटन:** >22 mm और < 25 mm
- **मीडियम स्टेपल कॉटन**: >26 mm और < 28 mm
- **लॉन्ग स्टेपल कॉटन:** >29 mm और < 34 mm
- **एक्स्ट्रा-लॉन्ग स्टेपल कॉटन:** ≥34.925 mm
  - यह **कॉटन की एक प्रीमियम किस्म** है जिसकी खेती लगभग 10% कॉटन उत्पादन क्षेत्र में की जाती है। **वैश्विक कॉटन उत्पादन में इसका योगदान 4%** है।
  - **भारत में ELS उत्पादक प्रमुख राज्य:** कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश आदि।

- **कीमतों में उतार-चढ़ाव:** कपास की कीमतों में **अधिक उतार-चढ़ाव** देखा जाता है। इसके **बाजार की अवसंरचना भी विकसित नहीं है।** साथ ही, **कपास निर्यात नीति** में भी स्पष्टता का अभाव है।

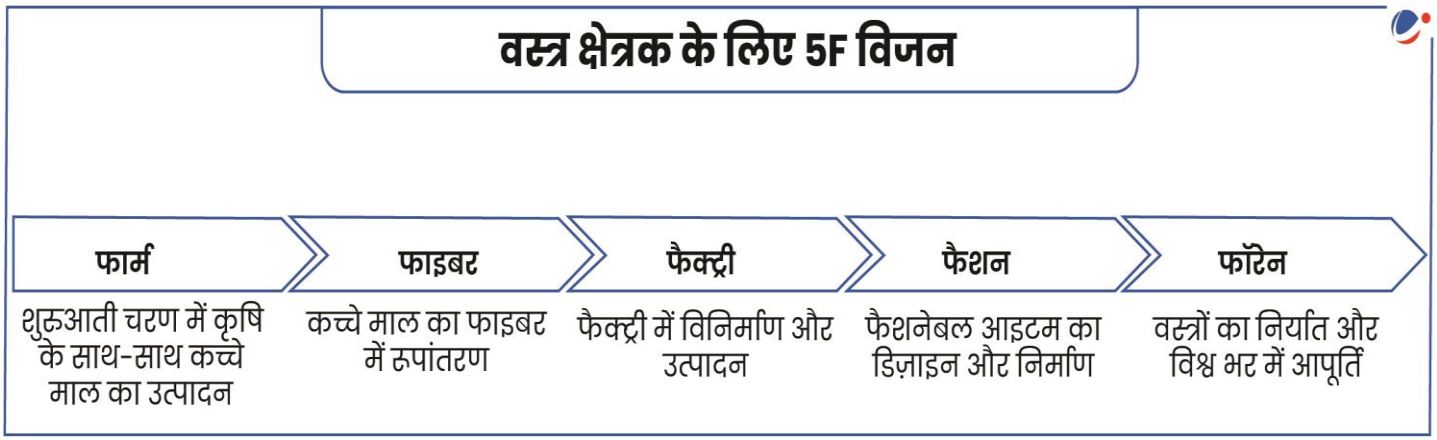

भारत में कपास का उत्पादन, उत्पादकता और खपत

- **उत्पादन:** भारत **कपास उत्पादन क्षेत्र** के मामले में **दुनिया में प्रथम स्थान** पर है। भारत में **वैश्विक कपास उत्पादक क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 40%** है।
- **भारत में कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्र:**
  - **उत्तरी क्षेत्र** - पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
  - **मध्य क्षेत्र** - गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश
  - **दक्षिणी क्षेत्र** - तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
- भारत **कपास के उत्पादन** के मामले में **विश्व में दूसरे स्थान** पर है। भारत में **2022-23 में 343.47 लाख गांठ (5.84 मिलियन मीट्रिक टन) का उत्पादन** हुआ था, जो **वैश्विक उत्पादन का 23.83%** है।
- **उत्पादकता: भारत कपास उत्पादकता के मामले में विश्व में 39वें स्थान** पर है। भारत की उत्पादकता **संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील** जैसे देशों से कम है।
- **खपत:** भारत **दुनिया में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता** है। 2023 में **वैश्विक खपत में भारत की हिस्सेदारी 22.24%** थी।
  - वर्ष 2023 में **भारत की कुल कपास खपत का 10% से कम हिस्सा** कपड़ा उद्योग द्वारा **आयात किया गया।**

भारत में कपास उत्पादन का महत्त्व

- **आर्थिक महत्त्व:** कपास **वाणिज्यिक फसल** है। इसे **'सफेद सोना (व्हाइट गोल्ड)'** भी कहा जाता है, क्योंकि इसका भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में योगदान:** कपास के निर्यात से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और इससे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है।
- **निर्यात की क्षमता:** भारत ने **2022-23 में लगभग 30 लाख गांठ कपास का निर्यात किया था (वैश्विक निर्यात का 6 प्रतिशत)**।
- **आजीविका का स्रोत:** भारत में लगभग **60 लाख कपास उत्पादक किसान** तथा **कपास प्रोसेसिंग एवं व्यापार से जुड़े 40-50 मिलियन लोग** अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं।
    - **कपास वस्त्र उद्योग, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता (रोजगार देने वाला) है**। कृषि क्षेत्रक प्रथम स्थान पर है।

कपास (वैज्ञानिक नाम: Gossypium spp)

- कपास **मुलायम और रेशेदार फाइबर** होता है। यह **बीजों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक खोल (बॉल)** के भीतर विकसित होता है।
- यह एक **झाड़ीदार (अर्ध-शुष्कप्रिय) पौधा** है। यह **संयुक्त राज्य अमेरिका, अफ्रीका, मिस्र और भारत** सहित दुनिया के **उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों** की देशज (नेटिव) फसल है।
- **कपास की चार प्रमुख प्रजातियां निम्नलिखित हैं:**
    - गॉसीपियम आर्बोरियम और गॉसीपियम हर्बेशियम – एशियाई कपास
    - गॉसीपियम बारबाडेंस –इजिप्शियन कपास
    - गॉसीपियम हिर्सुटम – अमेरिकन अपलैंड कपास
- भारत दुनिया का एकमात्र देश है, जहां **कपास की उपर्युक्त चारों प्रजातियां उगाई जाती हैं**।
- गॉसीपियम हिर्सुटम (G. Hirsutum) भारत में 90% हाइब्रिड कॉटन उत्पादन में उपयोग में लाई जाती है। वर्तमान में सभी Bt कपास हाइब्रिड इसी प्रजाति से संबंधित हैं।

बीटी कपास (Bt Cotton) के बारे में

- **अनुवांशिक रूप से संशोधित (GM) कपास** को **बीटी कपास** या **Bt कॉटन** कहा जाता है। GM कपास **बैसिलस थुरिंजिएंसिस ((Bacillus thuringiensis: Bt) नामक बैक्टीरिया के जीन** को शामिल करके विकसित किया गया है। यह कपास को **पिंक बॉलवर्म जैसे कीटों का प्रतिरोधी बनाता** है।
- यह **भारत में वाणिज्यिक खेती के लिए मंजूरी प्राप्त एकमात्र GM फसल है। 2002 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी (GEAC)** ने भारत में Bt कॉटन की वाणिज्यिक खेती की मंजूरी दी थी।
- **बोल्गार्ड-1 (Bollgard-1) और बोल्गार्ड-2** Bt कपास की किस्में हैं।
- हाल में, **वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (CSIR-NBRI)** ने **दुनिया की पहली पिंक बॉलवर्म-प्रतिरोधी GM कपास** फसल विकसित की है।
    - **CSIR-NBRI** ने एक **नया कीटनाशक जीन** विकसित किया है, जो **बोल्गार्ड-2 कपास किस्म की तुलना में पिंक बॉलवर्म का अधिक प्रतिरोधी** है।
    - यह किस्म **कपास लीफवॉर्म और फॉल आर्मीवॉर्म** जैसे अन्य कीटों से भी सुरक्षा प्रदान करती है।

- **कपास की खेती के लिए अनुकूल जलवायु और मृदा:**
    - **तापमान:**
        - **अंकुरण के चरण** में न्यूनतम **15°C** तापमान की आवश्यकता होती है। **इसके हिस्सों के विकास के दौरान** आदर्श तापमान **21-27°C होना चाहिए**।
        - यह **अधिकतम 43°C** तक का तापमान सहन कर सकता है, हालांकि **21°C से कम तापमान इसके लिए हानिकारक** होता है।
        - **फसल की वृद्धि के लिए** कम-से-कम **210 पाले-रहित दिन** और **50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा** की आवश्यकता होती है।
        - फल लगने के दौरान गर्म दिन और ठंडी रातों के बीच तापमान में अधिक अंतर होने से फाइबर और बोल का अच्छा विकास होता है।
    - **मृदा:** कपास अलग-अलग प्रकार की **मृदाओं** में उगाई जाती है: जैसे कि, **उत्तर भारत में** अच्छी जल-निकासी वाली **गहरी जलोढ़ मृदा**; **मध्य भारत में** विभिन्न गहराइयों वाली **काली चिकनी मृदा;** तथा **दक्षिण भारत में काली एवं मिश्रित काली-लाल मृदा**।
        - कपास **अर्ध-लवण सहिष्णु** पौधा है, हालांकि **जलभराव वाली मृदा में फसल खराब होने का खतरा रहता है**। इसलिए, **सिंचित लेकिन बेहतर जल निकासी वाली और नमी बनाए रखने वाली मृदा** उपयुक्त होती है।

- **कपास उगाने के मौसम:**
  - **उत्तर भारत में:** अप्रैल-मई
  - **दक्षिण भारत में:** मानसून पर निर्भर, दक्षिण की ओर बढ़ने पर देरी से बुवाई।

कपास उत्पादन क्षेत्र के विकास के लिए किए गए अन्य उपाय

- **कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) योजना:** केंद्र सरकार **कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI)** के जरिए किसानों से MSP पर कपास की खरीद करती है।
  - **किसानों से खरीदी जाने वाली कपास की अधिकतम मात्रा निर्धारित नहीं है।**
  - **कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)** की सिफारिश पर **फेयर एवरेज क्वालिटी (FAQ)** की दो मूलभूत किस्मों; **मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल लंबाई वाली कपास के लिए MSP** घोषित की जाती है।
- **भारतीय कपास की ब्रांडिंग: "कस्तूरी इंडियन कॉटन"** ब्रांड लॉन्च किया गया, जिससे भारत **आत्मनिर्भर** बने और **स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा** मिले।
  - **स्व-विनियमन:** उद्योगों को भारतीय कस्तूरी कॉटन ब्रांड की **ट्रेसेब्लिटी, सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग** की पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
- **मोबाइल ऐप "Cott-Ally":** किसानों को **MSP, सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों और नज़दीकी CCI खरीद केंद्रों** की जानकारी देने के लिए **"Cott-Ally"** नाम से **किसान अनुकूल मोबाइल ऐप** लॉन्च किया गया है।
- **तकनीकी पहले:** इनमें **हाई-डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS),** गुणवत्ता का वैज्ञानिक मूल्यांकन, **आधुनिक जिनिंग और प्रेसिंग फैक्ट्रियों में कॉटन प्रोसेसिंग, एक्सटेंशन सर्विसेज,** आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष:

कॉटन प्रोसेसिंग में सुधार को **सिर्फ धागा और बुनाई तक सीमित न रखकर, इसमें तैयार उत्पादों के निर्माण** को शामिल करने की आवश्यकता है। कपास आधारित वस्त्र उद्योग में **MSMEs की भूमिका महत्वपूर्ण** है, क्योंकि वे भारत के **कपास वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका** निभाते हैं। **कपास मिशन गुणवत्ता युक्त कपास उत्पादन को बढ़ावा देगा**, जिससे **किसानों की आय में वृद्धि होगी**, **निर्यात को बढ़ावा मिलेगा**, और **ब्रांड इंडिया को मजबूत बनाने** में मदद मिलेगी, जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा।

3.6. अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund: UCF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में **अर्बन चैलेंज फंड (UCF)** शुरू करने का प्रस्ताव किया गया।

अर्बन चैलेंज फंड (UCF) क्या है?

- **1 लाख करोड़ रुपये का यह फंड** राज्यों को मौजूदा शहरों में संधारणीय शहरीकरण तथा शहरी पुनर्विकास को बढ़ावा देने के लिए इनोवेटिव तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निम्नलिखित से जुड़े प्रस्तावों हेतु इस फंड का उपयोग किया जाएगा:
  - **ग्रोथ हब के रूप शहर,**
  - **शहरों का क्रिएटिव पुनर्विकास, और**
  - **जल एवं स्वच्छता (वाटर एंड सैनिटेशन)।**
- **वित्तपोषण का तरीका:** यह **उपयोगी परियोजनाओं की लागत का 25% तक वित्त-पोषण करेगा**, बशर्ते कि कम-से-कम **50% राशि बॉण्ड्स, बैंक ऋण और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के जरिए** जुटाई गई हो।
  - **वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव** किया गया है।

'अर्बन चैलेंज फंड' की आवश्यकता क्यों है?

- **बढ़ती शहरी आबादी की जरूरतों को पूरा करना:** भारत की कुल आबादी में **शहरी आबादी 2001 में 27.7% थी, जो बढ़कर 2011 में 31.1% (377.1 मिलियन)** हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, यह **प्रति वर्ष 2.76% की दर** से बढ़ी है।

- **सतत विकास सुनिश्चित करना:** भारतीय शहरों को **बढ़ते जल संकट, भूकंप, प्रदूषण और शहरी ऊष्मा द्वीप (अर्बन हीट लैंड) प्रभाव** जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - उदाहरण के लिए, **दिल्ली भूकंपीय जोन IV में** स्थित है। साथ ही यह **दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक** है।
- **विकास परियोजनाओं को बढ़ावा देना:** यह परिवहन, लॉजिस्टिक्स, ऊर्जा, जल और स्वच्छता जैसी **महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं के एकीकृत विकास** पर केंद्रित रहेगा।
- **उपलब्ध धनराशि का प्रभावी तरीके से उपयोग:** यह फंड सुनिश्चित करेगा कि **धनराशि को उपयोगी और आवश्यकताओं पर आधारित परियोजनाओं में प्रभावी तरीके से उपयोग** किया जाए।
- **शहरी नियोजन संबंधी समस्याओं का समाधान:** उच्च शहरी घनत्व वाले भू-क्षेत्रों का **समुचित उपयोग नहीं** हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन जमीनों के स्वामित्व का रिकॉर्ड सही से नहीं रखा गया है और इनका स्वामित्व कई लोगों के पास है।
  - **संविधान की 12वीं अनुसूची** के अनुसार, **शहरी नियोजन (अर्बन प्लानिंग) राज्य सूची का विषय है**।
- **मानव संसाधन की कमी को दूर करना: राज्य मशीनरी में योग्य शहरी योजनाकारों की कमी** एक बड़ी समस्या है, जिससे प्रभावी **शहरी नियोजन एवं डिजाइन** तैयार नहीं हो पाता है।

भारत में शहरीकरण

- **शहरीकरण:** यह **पारंपरिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था से आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था** में रूपांतरण का एक संकेतक है।
  - यह **एक दीर्घकालिक प्रक्रिया** है। इसके जरिए कोई भी राष्ट्र **कृषि प्रधान से औद्योगिक समाज** में परिवर्तित होता है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में शहरी इकाई (अर्बन यूनिट) में निम्नलिखित शामिल हैं:
  - वे सभी प्रशासनिक इकाइयां जो **नगर निगम, नगर पालिका, कैंटोनमेंट बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, टाउन पंचायत, नगर पालिका** आदि के रूप में वैधानिक रूप से परिभाषित की गई हैं। जिन वैधानिक नगरों (टाउन) की जनसंख्या **1,00,000 से अधिक** है, उन्हें **शहर (सिटी)** की श्रेणी में रखा जाता है।

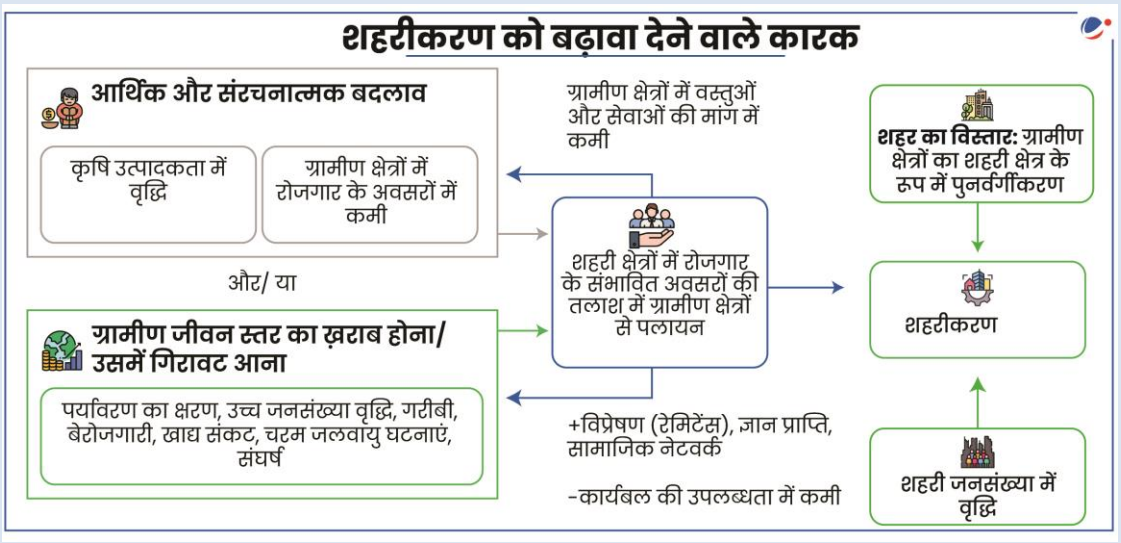

  - वे नगरीय क्षेत्र जो निम्नलिखित तीन मानदंडों को पूरा करते हैं:
    - न्यूनतम **5,000 की जनसंख्या**।
    - कम-से-कम **75% पुरुष कामकाजी आबादी गैर-कृषि क्षेत्रकों में कार्यरत** हों।
    - जनसंख्या घनत्व **400 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी (1,000 प्रति वर्ग मील)** या इससे अधिक हो।
- **भारत में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएं**
  - **गरीबी की वजह से शहरीकरण:** भारत में **आर्थिक संकट के कारण भी** शहरीकरण **को बढ़ावा मिलता** है। आर्थिक संकट के कारण **ग्रामीण-से-शहरी और शहरी-से-शहरी प्रवासन** होता है।
    - यह पश्चिमी देशों की विपरीत स्थिति है जहां **औद्योगीकरण पहले हुआ**, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण लोग शहरों की ओर आकर्षित हुए।
- **धीमी प्रगति: भारत में शहरीकरण की गति धीमी** रही है, क्योंकि **ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र में पुनर्वर्गीकृत करने की प्रक्रिया धीमी** है।
  - **"शहर" का दर्जा न मिलने से** इन बस्तियों की योजना बनाने और प्रबंधन में संस्थागत चुनौतियां आती हैं।
- **शहरीकरण का स्तर समान नहीं:** भारत में शहरीकरण के स्तर के मामले में **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अंतर देखने को मिलता** है।
  - गोवा, केरल, महाराष्ट्र जैसे **आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में** शहरीकरण की दर उच्च रही है।

- **पुरानी परिभाषा: शहरी क्षेत्र की परिभाषा 1961 में निर्धारित मानदंडों** पर आधारित है।
  - वर्तमान में, **भारत की सामाजिक-आर्थिक संरचना बदल गई है**, और **शहर आर्थिक विकास के केंद्र (Loci of Economic Growth)** बन चुके हैं।
- **शहरी क्षेत्रों में उपेक्षित बस्तियां:** भारत की **शहरी अवसंरचना** को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे: प्रवासियों की बढ़ती संख्या, मलिन बस्तियों का विस्तार, जन सेवाओं पर बढ़ता दबाव, सामाजिक अलगाव, आदि।

भारत में शहरी क्षेत्रों की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

- **शहरी गवर्नेंस व्यवस्था को फिर से व्यवस्थित करना और मजबूत बनाना: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों** के आधार पर शहरी प्राधिकरणों की **भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट तरीके से निर्धारित** किया जाना चाहिए।
- **शहरी मास्टर प्लान: वैधानिक दर्जा प्राप्त** मास्टर प्लान **सामाजिक-आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, समावेशन, नागरिक भागीदारी, पर्यावरणीय संधारणीयता** आदि के लिए अनिवार्य है।
  - नीति आयोग की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, **भारत के 52% वैधानिक नगरों के पास मास्टर प्लान नहीं है।**
- **शहरी नियोजन विशेषज्ञों की नियुक्ति: भारतीय सूचना सेवा (IIS) जैसी सिविल सेवाओं की तर्ज पर "अखिल भारतीय शहरी नियोजन सेवा[33]" की स्थापना** की जानी चाहिए ताकि योग्य योजना-विशेषज्ञ उपलब्ध हो सकें।
  - नीति आयोग ने **"नेशनल काउंसिल ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानर्स"** को **वैधानिक संस्था** के रूप में गठित करने की सिफारिश की है।
- **समन्वित क्षमता निर्माण कार्यक्रम:** केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा नगर नियोजकों और शहरी अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का वित्त-पोषण किया जा रहा है।
  - इस कार्यक्रम को और **मजबूत किया जाना चाहिए** तथा मंत्रालय द्वारा स्थापित **उत्कृष्टता केंद्रों** को अधिक सशक्त बनाना चाहिए।
- **मौजूदा कानूनों की समीक्षा करना:** राज्यों को शहरी **नियोजन से जुड़े कानूनों की नियमित समीक्षा** करनी चाहिए। इनमें नगर और राष्ट्रीय नियोजन या शहरी और क्षेत्रीय विकास अधिनियम आदि शामिल हैं।
- **नागरिकों की भागीदारी: नागरिकों की अधिक भागीदारी** के बिना **तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा बनाई गई योजना** को जमीनी स्तर पर लोग स्वीकार नहीं करते हैं।
- **निजी क्षेत्र की भूमिका को बढ़ाना:** लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करके तथा तकनीकी परामर्श सेवाओं की प्राप्ति के लिए निष्पक्ष प्रक्रियाओं को अपनाकर निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जा सकती है।

शहरी क्षेत्रों के सुधार के लिए उठाए गए कदम
भारत में शुरू की गई पहलें

- **स्वच्छ भारत मिशन:** इस मिशन में सेफ सैनिटेशन, अपशिष्ट प्रबंधन, आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसमें घर-घर जाकर कचरा जमा करना, अलग-अलग तरह के अपशिष्टों को अलग-अलग जमा करना, अपशिष्ट प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं।
- **स्मार्ट सिटी मिशन:** इसके तहत, ऐसे शहरों को बढ़ावा दिया जाता है जो **'स्मार्ट समाधानों'** के माध्यम से प्रमुख अवसंरचनाओं, स्वच्छ और संधारणीय पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं।
- **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM):** इसका उद्देश्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और अभावों को कम करना है, जिससे उन्हें लाभदायक स्वरोजगार और कौशल आधारित पारिश्रमिक वाले रोजगार प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
- **पीएम स्वनिधि योजना:** यह केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की **माइक्रो-क्रेडिट योजना** है। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर कार्यशील ऋण प्रदान किया जाता है।
- **प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U):** इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/ निम्न-आय वर्गों और मध्यम-आय वर्गों को शहरी क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराना है।
- **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT):** इसके तहत चुनिंदा शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज जैसी अवसंरचनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- **पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2022-23 – भाग VI (शहरी योजना सुधार)** जैसी योजनाओं के तहत **राज्यों को प्रोत्साहन** प्रदान किया जाता है।

[33] All India Urban Planning Service

वैश्विक पहलें

- **सतत विकास लक्ष्य-11:** इसका उद्देश्य शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, मजबूत (रेजिलिएंट) और संधारणीय बनाना है।
- **यूएन हैबिटेट:** यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर सभी प्रकार के शहरीकरण और मानव बस्तियों से जुड़े मामलों के लिए केन्द्रीय संगठन है।
- **शुरू की गई कुछ अन्य पहलें हैं-** ग्लोबल एलायंस फॉर बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन (ग्लोबल ABC), अर्बनशिफ्ट इनिशिएटिव, या शहरी वातावरण में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा शुरू किया गया **कूल कोएलिशन**।

संधारणीय शहरों में निवेश के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #103- भविष्य के शहरों में निवेश: समावेशी, लचीले और संधारणीय शहरी परिवेश का निर्माण

3.7. शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative Banks: UCBs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से लेनदेन पर छह माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगा दिया। बैंक द्वारा ऋण देने तथा बैंक में धनराशि जमा करने और निकालने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- RBI ने उपर्युक्त कदम न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक की **वित्तीय स्थिरता और तरलता (लिक्विडिटी) को लेकर उत्पन्न चिंता को ध्यान में रखकर उठाए हैं।**
- इसके अलावा, RBI ने "कमजोर गवर्नेंस मानकों" का हवाला देते हुए **बैंक के निदेशक मंडल** को भी 12 माह की अवधि के लिए **भंग कर** दिया है।

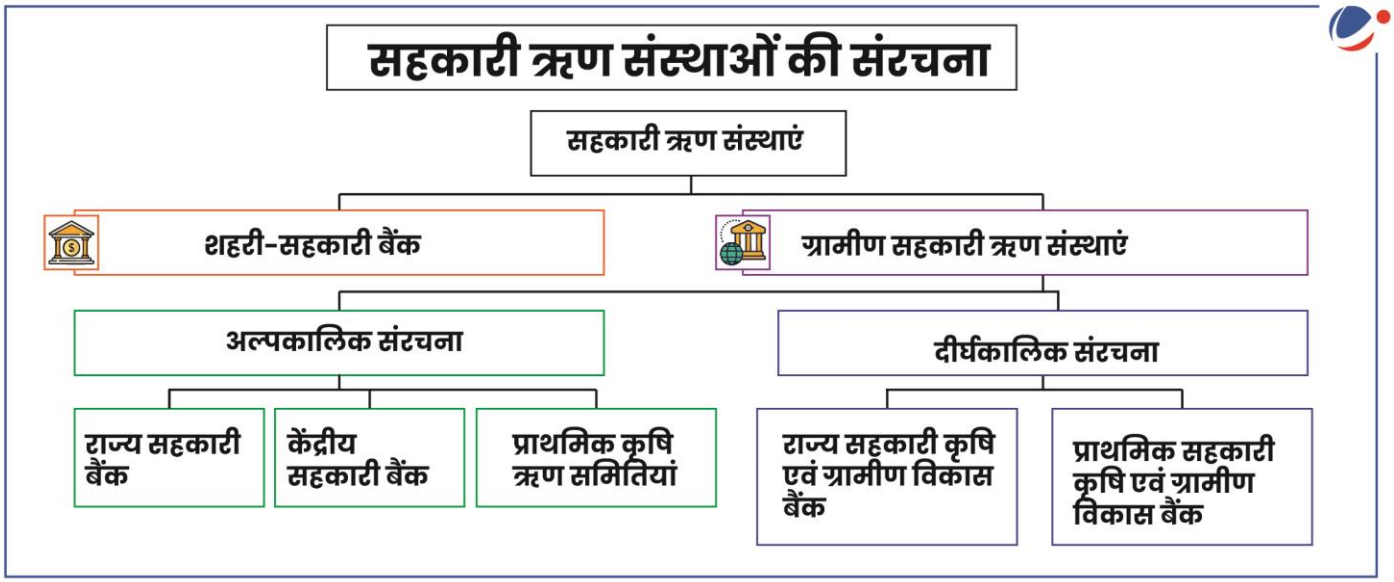

शहरी सहकारी बैंक (UCBs) के बारे में

- **शहरी सहकारी बैंक** भारत में सहकारी बैंकों का एक उप-समूह हैं जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं।
- **इतिहास:** भारत में **सहकारी बैंकिंग प्रणाली** की वैधानिक नींव **लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान पारित सहकारी ऋण समिति अधिनियम, 1904** द्वारा रखी गई थी। **1912 में इस कानून में संशोधन** करके सहकारी समितियों को और अधिक कानूनी अधिकार दिए गए।
  - **देश में पहली** शहरी सहकारी ऋण समिति की स्थापना 1889 में बड़ौदा में की गई थी। इसका नाम **अन्योन्या सहकारी मंडली** था।

- वर्तमान में, ये **बैंक संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम** (यदि एक ही राज्य में कार्य कर रहे हैं) **या बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** (यदि एक से अधिक राज्यों में कार्य कर रहे हैं) के तहत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत हैं।
- **नियंत्रण और विनियमन:** शहरी सहकारी बैंक निम्नलिखित दोहरी विनियामक प्रणाली के तहत कार्य करते हैं:
  - **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949:** 1966 से, RBI इन बैंकों की लाइसेंसिंग, पूंजी पर्याप्तता, ऋण नीतियों और वित्तीय स्थिरता से जुड़े विनियमन का कार्य कर रहा है।
    - **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020** ने RBI को शहरी सहकारी बैंकों पर अधिक नियंत्रण प्रदान किया है। अब RBI उनके **प्रबंधन और गवर्नेंस** में हस्तक्षेप कर सकता है।
  - **सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS):** संबंधित राज्य सरकारें या केंद्र सरकार, **सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार (RCS)** के माध्यम से इन बैंकों के प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं।

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) और वाणिज्यिक बैंकों के बीच मुख्य अंतर

विशेषता	UCBs	वाणिज्यिक बैंक
स्वामित्व	सदस्यों द्वारा स्वामित्व एवं **नियंत्रण (सहकारी संरचना)**	शेयरधारकों **(सार्वजनिक या निजी संस्थाओं)** का स्वामित्व
विनियमन	**भारतीय रिजर्व बैंक और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार** द्वारा दोहरा नियंत्रण	**पूर्णतः RBI द्वारा विनियमित**
लाभ का उद्देश्य	अधिक लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित न करना	लाभकारी बनने पर अधिक ध्यान
ऋण देने हेतु मुख्य फोकस	लघु व्यवसाय, स्वरोजगार, कमजोर वर्ग	बड़े कॉर्पोरेट ऋण, खुदरा बैंकिंग, सरकारी परियोजनाएं
मतदान अधिकार	**एक सदस्य-एक वोट प्रणाली**	शेयर के आधार पर **शेयरधारकों को मताधिकार,**

शहरी सहकारी बैंकों का महत्त्व

- **वित्तीय समावेशन:** UCBs मुख्य रूप से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लघु ऋणियों, सूक्ष्म व्यवसायों और निम्न-आय समूहों को सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **स्थानीय जरूरतों पर ध्यान:** ये बैंक खासतौर पर छोटे इलाकों और समुदायों में कार्य करते हैं, इसलिए वे वहां की स्थानीय जरूरतों को अच्छी तरह समझकर सही तरीके से वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं।
- **प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण:** सरकार ने UCBs के लिए कई प्रावधान किये हैं। उन्हें वित्त वर्ष 2024-25 में अपनी समग्र ऋण राशि का 65% हिस्सा **प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (PSL)** के लिए आवंटित करना होगा। इसे मार्च 2026 तक बढ़ाकर 75% करने का भी प्रावधान किया है।
- **विकास में सहायता:** ये बैंक **गैर-कृषि क्षेत्रक**, खासतौर पर शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लघु ऋण चाहने वालों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं।
  - 1996 तक, UCBs **केवल गैर-कृषि कार्यों के लिए ही ऋण** दे सकते थे। हालांकि, वर्तमान में इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है।

शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष मुख्य चुनौतियां

- **कमजोर गवर्नेंस और धोखाधड़ी का खतरा:** कई शहरी सहकारी बैंकों में राजनीतिक दखल, भाई-भतीजावाद, और वित्तीय कुप्रबंधन देखा जाता है, जिससे धोखाधड़ी का खतरा बना रहता है और इनका संचालन प्रभावित होता है।
  - उपर्युक्त वजहों से 2023-24 में, 24 शहरी सहकारी बैंकों का लाइसेंस रद्द किया गया था।
- **वाणिज्यिक बैंकों और फिनटेक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा:** 2017 में कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों में शहरी सहकारी बैंकों की हिस्सेदारी 3.8% थी जो मार्च 2024 में घटकर 2.5% रह गई।
- **उच्च गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPAs): NPAs का उच्च स्तर** UCBs की लाभप्रदता कम करता है और इनकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करता है।
  - मार्च 2024 के अंत तक, शहरी सहकारी बैंकों का सकल **NPAs** 8.8 प्रतिशत था।
- **पूंजी पर्याप्तता की कमी:** इन बैंकों की **पूंजी बाजारों तक पहुंच कम होती है**। इस वजह से ये पूंजी आवश्यकता से जुड़े विनियामक मानकों को पूरा नहीं पाते हैं और अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार भी नहीं कर पाते हैं।
- **नियमों का पालन करना मुश्किल:** शहरी सहकारी बैंकों पर **RBI और राज्य सहकारी संस्थाओं का दोहरा नियंत्रण** होता है। इस वजह से नियमों का पालन करना मुश्किल हो जाता है और इनके कार्य-संचालन में बाधाएं आती हैं।
- **तकनीकों को अपनाने में पीछे रहना :** कई शहरी सहकारी बैंक **डिजिटल बैंकिंग तकनीकों को अपनाने में पीछे** हैं। इससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है और ग्राहकों को संतोषजनक सेवाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं।

शहरी सहकारी बैंकों में सुधार के लिए उठाए गए हालिया कदम

- **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020:** इस संशोधन ने RBI को शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड को भंग करने, उनके प्रबंधन में बदलाव करने और उनके लिए समाधान योजना तैयार करने का अधिकार दिया।
- **संशोधित त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA)[34] फ्रेमवर्क:** 2024 में, RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को भी PCA फ्रेमवर्क के दायरे में ला दिया। इस फ्रेमवर्क द्वारा UCBs के लिए **पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता** के लिए सीमाएं निर्धारित की गई।
  - PCA फ्रेमवर्क एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत यदि किसी बैंक में वित्तीय संकट के संकेत दिखते हैं, तो RBI शीघ्र हस्तक्षेप करके सुधार से संबंधित जरूरी कदम उठा सकता है।

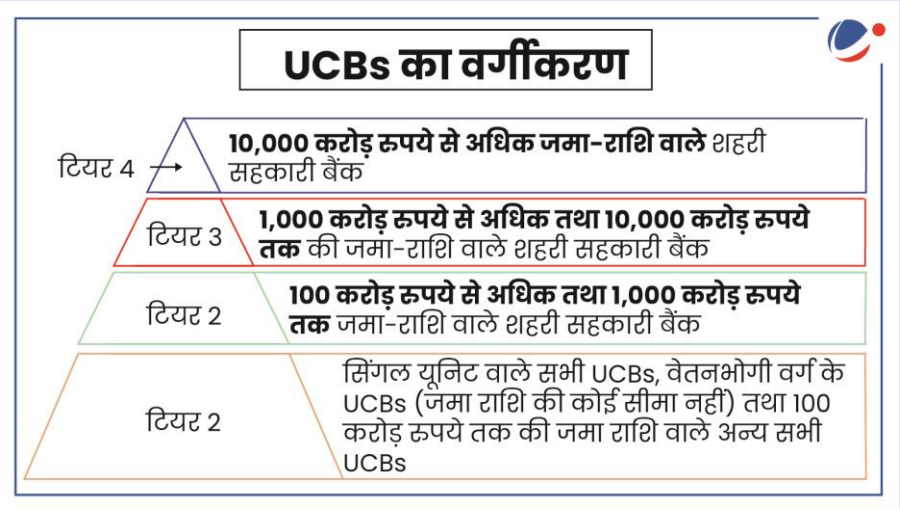

- **अम्ब्रेला संगठन (UO) के माध्यम से तरलता समर्थन:** सरकार ने तरलता (लिक्विडिटी) की कमी की स्थिति में शहरी सहकारी बैंकों की सहायता के लिए अम्ब्रेला संगठन के रूप में **राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम** की स्थापना की है।
- **अलग-अलग स्तरों वाला विनियामक फ्रेमवर्क:** RBI ने विनियामक अप्रोच को प्रभावी ढंग से तैयार करने के लिए जमा-राशि के आधार पर UCB को वर्गीकृत करके चार-स्तरीय विनियामक फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है।
- **अन्य कदम:**
  - अब शहरी सहकारी बैंक RBI की पूर्व मंजूरी लिए बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूद शाखाओं की कुल संख्या के **10% तक नई शाखाएं (अधिकतम 5 शाखाएं)** खोल सकते हैं।
  - RBI ने शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को **डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं** प्रदान करने की अनुमति दी है।
  - सहकारी बैंकों को अब वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों के **वन-टाइम सेटलमेंट (OTS)** की सुविधा दी गई है।

[34] Prompt Corrective Action

आगे की राह

- **गवर्नेंस और निगरानी तंत्र को मजबूत करना:** शहरी सहकारी बैंकों के बोर्ड्स में अधिक-से-अधिक पेशेवर लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। बोर्ड में कम-से-कम 50% निदेशकों के पास बैंकिंग, वित्त या विधि से संबंधित मामलों की विशेषज्ञता होनी चाहिए।
- **समेकन और विलय:** वित्तीय रूप से कमजोर शहरी सहकारी बैंकों का मजबूत शहरी सहकारी बैंकों में विलय कर देना चाहिए। इससे वित्तीय रूप से मजबूत संस्थाओं का निर्माण करने में मदद मिलेगी।
- **स्वतंत्र ऑडिट:** शहरी सहकारी बैंकों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए इनका समय-समय पर स्वायत्त संस्थाओं के जरिए ऑडिट कराया जाना चाहिए।
- **आधुनिक तकनीकों को अपनाना:** सहकारी बैंकों को **कुशल संचालन** और बेहतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने हेतु **आधुनिक तकनीक** अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **सोशल ऑडिट:** नीतियों और फंड आवंटन की समीक्षा के लिए हितधारकों के नेतृत्व में ऑडिट कराया जाना चाहिए।

भारत की सहकारी संस्थाओं के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #48 (अंग्रेजी में)– सहकारिताः सहयोग के माध्यम से समृद्धि

3.8. पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम (Restructured Skill India Programme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम (SIP) को जारी रखने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यक्रम की अवधि को **2026 तक बढ़ा** दिया गया है। **वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26** तक के लिए इसका कुल परिव्यय (आवंटित राशि) **8,800 करोड़** रुपये है।
- इस कार्यक्रम का पुनर्गठन तीन प्रमुख घटकों को मिलाकर किया गया है। ये तीन घटक हैं:-
  - **प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)**
  - **प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)**[35]
  - **जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना**

स्किल इंडिया मिशन के बारे में

- इसे 2015 में केंद्रीय **कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE)** के तहत शुरू किया गया था। यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** कौशल विकास को **मजबूत संस्थागत फ्रेमवर्क** प्रदान करना तथा इसे बड़े स्तर पर लागू करना। साथ ही इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष **1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना भी है**।
- **कौशल विकास निम्नलिखित के जरिए प्रदान किया जाता है:**
  - **अल्पकालिक प्रशिक्षण:** प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना के माध्यम से अल्पावधि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
  - **दीर्घकालिक प्रशिक्षण:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के माध्यम से संचालित शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (CTS)[36] के तहत लंबी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **अन्य योजनाएं:**
  - **प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (PMKK)**: इसकी शुरुआत उत्कृष्ट प्रशिक्षण को मानकीकृत करने के लिए की गई है।

[35] Pradhan Mantri National Apprenticeship Promotion Scheme

[36] Craftsmen Training Scheme

- **प्रधान मंत्री युवा योजना (PM YUVA)**: यह उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- **प्रधान मंत्री विश्वकर्मा योजना:** इसके तहत पारंपरिक कारीगरों को आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- **आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (SANKALP)**[37]

पुनर्गठित योजनाओं के बारे में

पुनर्गठित कौशल भारत कार्यक्रम

- यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत **केंद्रीय क्षेत्रक की एक संयुक्त योजना** है।
- **उद्देश्य: व्यवस्थित कौशल विकास, ऑन जॉब ट्रेनिंग और समुदाय-आधारित शिक्षा** प्रदान करना, ताकि बेहतर वोकेशनल एजुकेशन प्राप्त हो सके।
- **कौशल का औपचारिक प्रमाणन:** सभी प्रमाण-पत्रों को **राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)**[38] से जोड़ा गया है। इन प्रमाण-पत्रों को **डिजिलॉकर और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF)** के साथ भी एकीकृत किया गया है। इससे इन्हें डिजिटल माध्यम से कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (PMKVY 4.0)

- इस योजना के तहत **अल्पकालिक प्रशिक्षण (STT)** के जरिए **NSQF** के अनुरूप मांग-आधारित कौशल प्रशिक्षण तथा **रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग (RPL)** के जरिए रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की जा रही है।
- **लक्षित लाभार्थी:** 15-59 वर्ष
- **फ्यूचर स्किल्स:** AI, 5G तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन, ड्रोन तकनीक जैसी नई **प्रौद्योगिकियों** पर 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- **कौशल केंद्र:** IITs, NITs, जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVs), CIPET जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- **इंटरनेशनल मोबिलिटी इनिशिएटिव्स: माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स (MMPAs)**, इसका उद्देश्य है; सेक्टोरियल स्किल गैब स्टडीज और डोमेन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स आदि में प्रशिक्षण के माध्यम से भारतीय वर्कर्स को विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल प्रदान करना।
  - भारत ने 10 देशों के साथ **MMPAs** पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों में फ्रांस, जर्मनी, इजरायल आदि शामिल हैं।
  - विदेशों में कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने के लिए **30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स** स्थापित किए जाएंगे।
- **सभी सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय:** कौशल विकास से जुड़ी पहलों का बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए **सभी मंत्रालयों के बीच सहयोग** और **"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस"** का तरीका अपनाया गया है।
  - उदाहरण के लिए- पी.एम. विश्वकर्मा योजना, पी.एम. सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नल जल मित्र जैसी योजनाओं के साथ समन्वय किया जा रहा है।

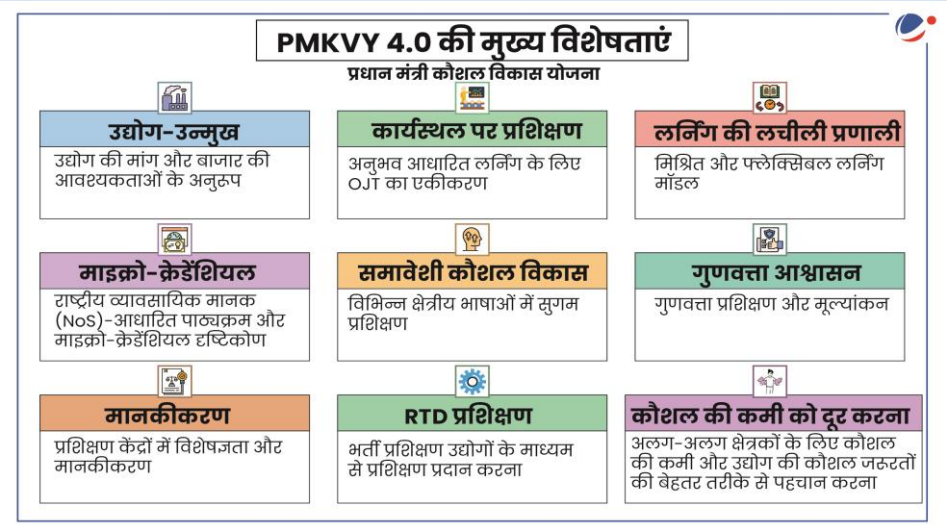

[37] Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion

[38] National Skills Qualification Framework

जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना

- **उद्देश्य:** यह **समुदाय-केंद्रित** कौशल विकास पहल है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षित, नव-साक्षर और स्कूल छोड़ चुके लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना में हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से कौशल की पहचान की जाती हैं और उसी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **लक्षित लाभार्थी:** 15-45 वर्ष
- **समावेशी:** इस योजना का मुख्य ध्यान महिलाओं, ग्रामीण युवाओं और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के प्रशिक्षण पर है।
  - JSS को समावेशी कौशल को बढ़ावा देने के लिए पी.एम. जनमन **(PM JANMAN)** और "अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफलॉन्ग लर्निंग ऑफ ऑल इन सोसाइटी "**(ULLAS)** जैसी पहलों से जोड़ा गया है।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (PM-NAPS)

- इसका उद्देश्य देश भर में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण यानी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देना है। इसके तहत प्रशिक्षुओं को **व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से विनिर्माण और सेवा, दोनों में उद्योग-विशिष्ट कौशल प्रदान** किया जा रहा है।
  - इसका संचालन अप्रेंटिसशिप एक्ट, 1961 के अनुसार किया जा रहा है।
- **लक्षित लाभार्थी:** 14-35 वर्ष
- प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए सरकार कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।
  - **केंद्र सरकार** प्रत्येक प्रशिक्षु के मासिक **प्रशिक्षण भत्ते का 25% (अधिकतम 1,500 रुपये प्रतिमाह)** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से उद्योगों को प्रदान करती है।
- **फ्यूचर स्किल्स:** AI, इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों में अप्रेंटिसशिप के अवसर प्रदान किए जा रहे है।
- **समावेशिता:** MSMEs जैसे लघु उद्यमों, आकांक्षी जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे वंचित क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं के नामांकन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

स्किल इंडिया मिशन के पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों थी?

- **एक ही विषय से जुड़ी योजनाओं के बीच समन्वय का अभाव: PM-NAPS, PMKVY, JSS** जैसी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं, लेकिन इनके बीच तालमेल के कमी है। इसके कारण ये बेहतर परिणाम नहीं दे पाती है तथा लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।
- **प्रशिक्षण संस्थानों और उद्योग जगत के बीच तालमेल नहीं:** उद्योग-जगत की जरूरत अनुसार कौशल प्रशिक्षण नहीं दिए जाने से प्रशिक्षित लोगों के बेरोजगार रहने की संभावना अधिक रहती है।
  - उदाहरण के लिए- मार्च 2025 तक, **PMKVY** के तहत **31,55,984 लोग नामांकित हुए**, लेकिन इनमें से केवल **14,45,166 को ही कौशल प्रमाण-पत्र मिला**। जिन लोगों को प्रमाण-पत्र मिला भी उनमें से काफी कम लोग ही रोजगार प्राप्त करने में सफल हो पाए।
- **अन्य समस्याएं:**
  - अर्थव्यवस्था के अलग-अलग सेक्टर्स में तथा अलग-अलग जगहों पर प्रशिक्षित लोगों की मांग और उनकी उपलब्धता में भी तालमेल की कमी है।
  - **कौशल प्रशिक्षण और उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के बीच विद्यार्थियों का स्थानांतरण कम देखा जाता है, और वोकेशनल ट्रेनिंग को अलग-थलग माना जाता है।**
  - पढाई के दौरान अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों को बहुत कम शामिल किया जाता है।

कौशल विकास के समक्ष अन्य चुनौतियां

- **तेजी से बदलता जॉब मार्केट:** जॉब मार्केट में लगातार बदलाव हो रहा है, जिसके लिए **अपस्किलिंग और रीस्किलिंग** जरूरी है। हालांकि, यह सुविधा सभी को सही तरीके से उपलब्ध नहीं है।
- **उत्कृष्ट कौशल विकास का अभाव:** सुप्रशिक्षित फैकल्टी, अच्छे पाठ्यक्रम, व्यावहारिक शिक्षण तरीकों का अभाव कौशल विकास को प्रभावित करते हैं।
  - इससे विदेशों में **रोजगार** प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- **गवर्नेंस से जुड़ी समस्याएं:** कई तरह की मूल्यांकन और प्रमाणन प्रक्रियाएं होने से बेहतर **परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं और नियोक्ताओं** में भी कौशल सर्टिफिकेट को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। साथ ही, कुशल वर्कर्स को उनके कौशल के अनुसार पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाता है।
- **बेहतर प्रशिक्षण अवसंरचना का अभाव:** कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों में **संसाधनों और उचित रख-रखाव की कमी** है।
- **लैंगिक भेदभाव:** कौशल विकास और श्रम बाजार में **महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कम** है।

आगे की राह

- **डेटा आधारित उपाय:** जॉब मार्केट को समझने के लिए कौशल का बेहतर तरीके से विश्लेषण करके उसमें सुधार करना चाहिए। साथ ही, जॉब मार्केट की नई जरूरतों को पूरा करने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)** ने **उद्योग जगत के लीडर्स के** नेतृत्व में **36 सेक्टर स्किल काउंसिल्स (SSCs)** स्थापित किए हैं। SSCs अलग-अलग सेक्टर्स की कौशल विकास आवश्यकताओं की पहचान करते हैं तथा कौशल योग्यता मानकों का निर्धारण करते हैं।
- **अनुभव प्राप्ति आधारित लर्निंग को बढ़ावा देना:** वोकेशनल एजुकेशन को बेहतर बनाने और अप्रेंटिसशिप के अवसरों का विस्तार करने की आवश्यकता है।
  - राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (NCVET)[39] को और अधिक मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** कौशल विकास में उद्योगों और सिविल सोसाइटी की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ानी चाहिए। यह कार्य जागरूकता अभियान चलाकर, अप्रेंटिसशिप के अधिक अवसर प्रदान करके किया जा सकता है।
- **विश्व की सर्वोत्तम पद्धतियों (बेस्ट प्रैक्टिसेज) से सीखना:**
  - **केन्या का टेक्निकल एंड वोकेशनल वाउचर्स प्रोग्राम (TVVP):** इस प्रोग्राम में वाउचर्स के माध्यम से अधिक-से-अधिक व्यक्तियों को वोकेशनल एजुकेशन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
  - **अप्रेंटिसशिप लेवी, यूनाइटेड किंगडम:** इसके अंतर्गत कंपनियों को प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, इन कंपनियों पर लगाई गई लेवी का उपयोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की फंडिंग के लिए किया जाता है।

कार्य की बदलती प्रकृति के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #99- फ्यूचर ऑफ वर्क

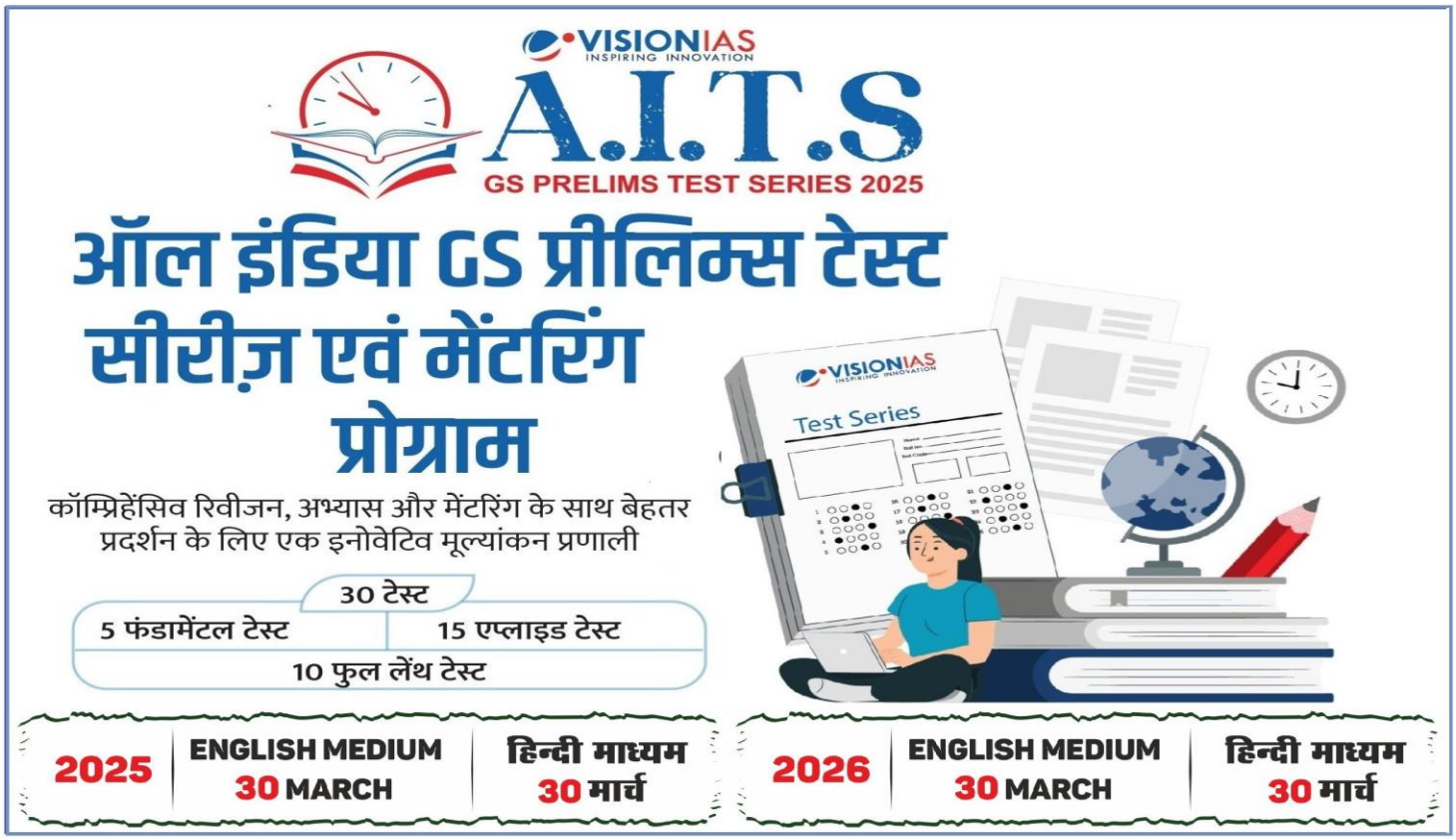

[39] National Council for Vocational Education and Training

3.9. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

3.9.1. सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (Gross Domestic Knowledge Product: GDKP)

हाल ही में, **केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)** ने "सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) मापन के वैचारिक फ्रेमवर्क" पर एक सत्र आयोजित किया था।

- इससे पहले, GDKP पर **2021** में चर्चा की गई थी। उस समय **नीति आयोग ने GDKP के कांसेप्ट नोट पर एक प्रस्तुति** दी थी।
- सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) भारत की आर्थिक संवृद्धि में **ज्ञान-आधारित सेक्टर्स, इनोवेशन और बौद्धिक संपदा के योगदान** को दर्शाएगा।
- GDKP देश के **आर्थिक और सामाजिक जीवन पर ज्ञान के प्रभाव का आकलन** करेगी।
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, GDKP के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के योगदान की गणना (माप) के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक **तकनीकी समिति** गठित करेगा।

GDKP को मापने की आवश्यकता क्यों है?

- **अर्थव्यवस्था के सटीक आकलन में आर्थिक संकेतकों का विस्तार हेतु:** GDKP **ज्ञान-आधारित सेक्टर्स, इनोवेशंस और बौद्धिक संपदाओं के योगदान** को बेहतर तरीके से मापने में मदद करेगी। इससे पारम्परिक आर्थिक संकेतकों के परे **देश की प्रगति को बेहतर तरीके से समझने में मदद** मिलेगी।
- **GDP के आकलन में पूरक की भूमिका:** GDKP, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का और अधिक बेहतर अनुमान लगाने में मदद करेगी।
- **वैश्विक मानकों के अनुरूप:** विश्व की विकसित अर्थव्यवस्थाएं पहले से ही **अमूर्त परिसंपत्तियों, डिजिटल इनोवेशंस और बौद्धिक पूंजी (Intellectual capital)** को मापने के लिए संकेतक विकसित कर रही हैं। भारत भी अपने GDKP फ्रेमवर्क को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना चाहता है।
- **देश के प्रमुख आर्थिक सेक्टर्स के लिए नीति निर्माण में मदद मिलेगी:** GDKP का अच्छी तरह से परिभाषित फ्रेमवर्क सरकार को शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता विकास के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में मदद करेगा।

3.9.2. डिपॉजिट इंश्योरेंस (Deposit Insurance)

केंद्र सरकार बैंकों में जमा धनराशि पर **बीमा कवर (डिपॉजिट इंश्योरेंस) की 5 लाख रुपये की ऊपरी सीमा को बढ़ाने** पर विचार कर रही है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस के बारे में

- डिपॉजिट इंश्योरेंस वास्तव में बैंकों में जमाकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली **एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा** है। इसके तहत किसी **बैंक के विफल होने** से उसमें कम धनराशि जमा करने वाले **ग्राहकों की बचत को डूबने से बचाने के लिए बीमा कवर** प्रदान किया जाता है।
- **भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस का इतिहास:** भारत में **जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) अधिनियम, 1961** के तहत **1962** में डिपॉजिट इंश्योरेंस की शुरुआत की गई थी।
- डिपॉजिट इंश्योरेंस की शुरुआत करने वाला **भारत विश्व का दूसरा देश** था। ऐसा **पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका** (1933 में) था।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) के बारे में

- इसकी स्थापना DICGC अधिनियम, 1961 के तहत 1 जनवरी, 1962 को हुई थी।
- यह **भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी** है।
- इसका मुख्यालय **मुंबई** में है।

- **बीमा कवरेज की राशि:** वर्तमान में एक बैंक में **प्रत्येक जमाकर्ता की 5 लाख रुपये तक की जमा राशि बीमित** होती है। किसी एक बीमित बैंक की अलग-अलग शाखाओं में एक ही व्यक्ति के अलग-अलग बैंक खातों पर अलग-अलग बीमा कवरेज प्राप्त नहीं होगा बल्कि उसके सभी खातों की कुल बीमित राशि 5 लाख रुपये ही होगी।
    - हालांकि, किसी एक व्यक्ति के **अलग-अलग बैंकों में खाते होने पर उसे प्रत्येक अलग बैंक के खातों पर 5 लाख रुपये का अलग-अलग बीमा कवरेज** प्राप्त होगा।
- **बीमा के तहत कवर बैंक:** सभी वाणिज्यिक बैंक (भारत में विदेशी बैंकों की शाखाएं सहित), लोकल एरिया बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और सहकारी बैंक।
    - **डिपॉजिट इंश्योरेंस योजना अनिवार्य** है, और कोई भी बैंक इससे बाहर नहीं हो सकता।
    - **डिपॉजिट इंश्योरेंस में नहीं शामिल बैंक/ संस्थान:** भूमि विकास बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs), आदि।
- **बीमित जमा खाते:** बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट, चालू खाता, और रिकरिंग डिपॉजिट।
    - **जिन जमा खातों को बीमा कवरेज प्राप्त नहीं है:** विदेशी सरकारों, केंद्र एवं राज्य सरकारों की जमा राशियों, और इंटरबैंक जमा राशियों को बीमा कवरेज प्राप्त नहीं है।
- **बीमित राशि में मूलधन और ब्याज, दोनों शामिल** हैं।
- **2021 में DICGC अधिनियम की धारा 18A में संशोधन** किया गया। इस संशोधन के अनुसार जब भी RBI किसी बैंक पर प्रतिबंध लगाता है, तो **90 दिनों के भीतर बीमित ऊपरी राशि के अंतरिम भुगतान की व्यवस्था** की गई है।
- डिपॉजिट इंश्योरेंस **प्रीमियम का पूरा व्यय बीमित बैंक द्वारा वहन** किया जाता है।
    - DICGC सदस्य बैंकों से **एक समान दर पर** या **जोखिम के स्तर के आधार पर अलग-अलग दरों पर प्रीमियम** एकत्र करता है।

3.9.3. GI टैग वाले चावल के लिए नया हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड (New Harmonised System Codes for Gi Tagged Rice)

भारत ने कथित तौर पर GI टैग वाले चावल के लिए नए हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) कोड प्रस्तुत किए।

- इसके लिए **सीमा शुल्क अधिनियम (1975)** में संशोधन किया गया है, ताकि GI मान्यता प्राप्त चावल किस्मों के लिए HS कोड प्रदान किया जा सके।
- इस संशोधन के चलते वित्त मंत्रालय से किसी **विशेष अधिसूचना या किसी बाधा के बिना GI टैग वाले चावल का निर्यात** किया जा सकेगा।

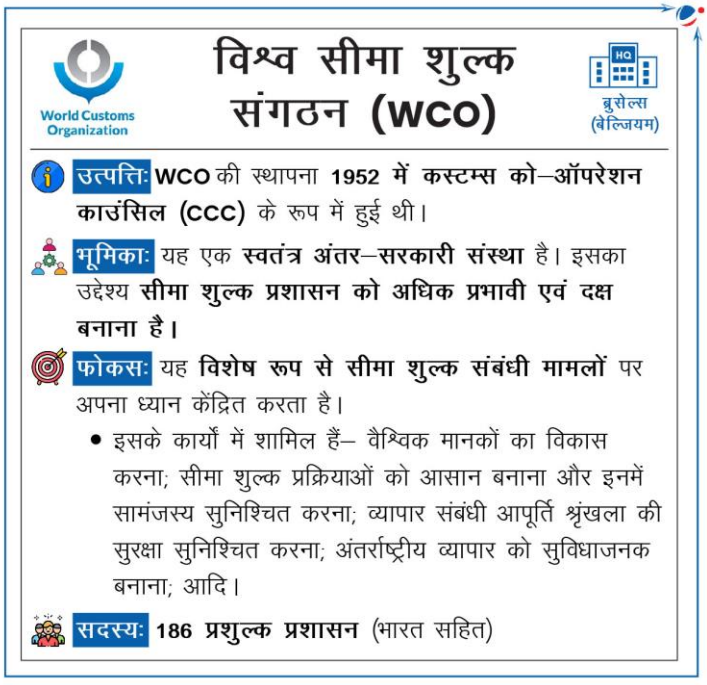

हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) के बारे में

- **परिभाषा:** यह **विश्व सीमा शुल्क संगठन (World Customs Organization: WCO)** द्वारा विकसित एक **वैश्विक उत्पाद वर्गीकरण प्रणाली** है।
- **वर्गीकरण संरचना:**
    - हार्मोनाइज्ड सिस्टम के तहत, **विविध श्रेणियों/ वर्गीकरण और वस्तुओं के लिए छह-अंकों का एक विशिष्ट कोड** प्रदान किया जाता है।
    - देशों को पहले छह अंकों के बाद **लंबे कोड** जोड़ने की अनुमति होती है, ताकि और अधिक वर्गीकरण किया जा सके।
- **गवर्नेंस और अपडेट्स:**
    - हार्मोनाइज्ड सिस्टम को **"द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्शन एंड कोडिंग सिस्टम"** द्वारा प्रशासित किया जाता है।
    - सदस्य देशों से बनी **HS समिति, हार्मोनाइज्ड सिस्टम वर्गीकरण प्रणाली की निगरानी करती है और हर 5-6 साल** में इसे अपडेट भी करती है।

- **व्यापक तौर पर इस्तेमाल:**
  - यह लगभग **98% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** को वर्गीकृत करता है।
  - इसमें **5,000 से अधिक कमोडिटी समूह** शामिल हैं।
  - इसे **200 से अधिक देशों** द्वारा अपनाया गया है।
- **हार्मोनाइज्ड सिस्टम (HS) के लाभ:**
  - यह **साझा कोडिंग पद्धति** देशों को वैश्विक व्यापार में **उत्पादों को व्यवस्थित करने और उन्हें ट्रैक करने** में मदद करती है।
  - **आंतरिक करों, व्यापार नीतियों** आदि के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निजी संगठनों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
  - यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की लागत को कम** करता है और **आर्थिक अनुसंधान को** बढ़ावा देता है।

नोट: *GI टैग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, जनवरी 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 8.2. देखें।*

3.9.4. 'उद्यमिता के लिए AI' माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल ('AI for Entrepreneurship' Micro-Learning Module)

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 'उद्यमिता के लिए AI' माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया।

'उद्यमिता के लिए AI' माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल के बारे में

- इसे **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और इंटेल इंडिया** के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
- **उद्देश्य:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) **अवधारणाओं को सरल बनाना** और पूरे भारत में युवा नवोन्मेषकों में **उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित** करना।
- **लक्ष्य:** 2025 तक **1 लाख युवाओं** को प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था में कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल से प्रशिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना।

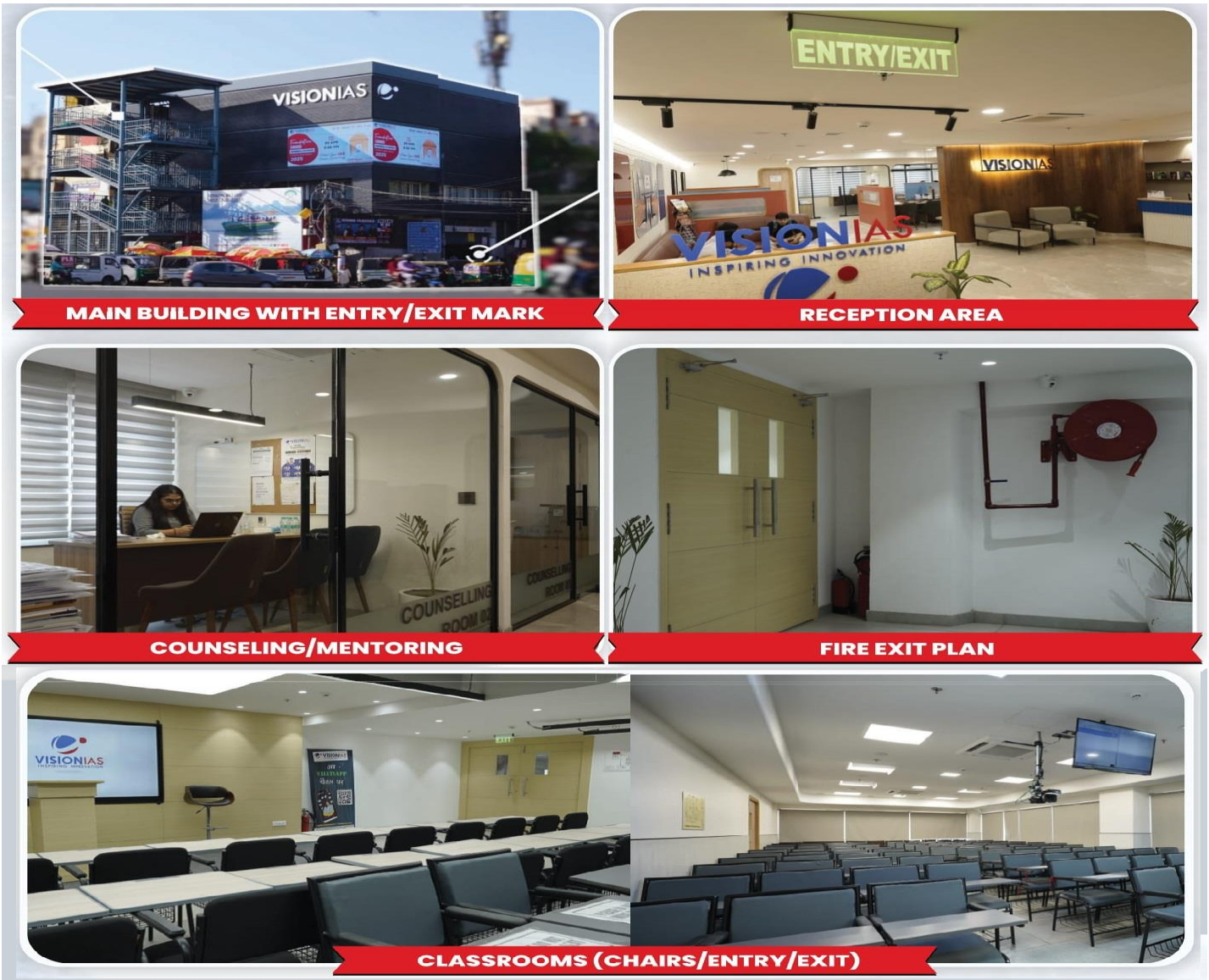

क्लासरूम प्रोग्राम : Vision IAS तैयारी के विभिन्न चरणों में सहायता और मार्गदर्शन के लिए अभ्यर्थियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है :

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा): लगभग 12–14 महीने में सम्पूर्ण सिलेबस कवरेज
- CSAT क्लासेज
- करेंट अफेयर्स क्लासेज– मासिक करेंट अफेयर्स रिवीजन, PT365, Mains365
- निबंध लेखन
- एथिक्स (Ethics)– एथिक्स क्रैश कोर्स, एथिक्स केस स्टडीज
- GS मेंस एडवांस कोर्स

3.9.5. ई-श्रम माइक्रोसाइट्स तथा ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स {E-Shram Microsites & Occupational Shortage Index (OSI)}

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने **ई-श्रम पहल** के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए **माइक्रोसाइट्स** तथा **ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI)** लॉन्च किए हैं।

ई-श्रम माइक्रोसाइट्स के बारे में

- यह **राज्य-विशिष्ट डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** हैं। इन्हें **राष्ट्रीय ई-श्रम डेटाबेस के साथ सहजता से एकीकृत** किया गया है।
- **लाभ:**
  - **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए:** यह रेडी-टू यूज डिजिटल अवसंरचना, रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा।
  - **श्रमिकों के लिए:** वे आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं, ये कई भाषाओं में उपलब्ध हैं, आदि।

ऑक्यूपेशनल शॉर्टेज इंडेक्स (OSI) के बारे में

- **उद्देश्य:** यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) पद्धति और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के डेटा का उपयोग करके **कार्यबल की मांग एवं उपलब्धता में मौजूद अंतर की पहचान** करेगा।
- **मुख्य कार्य:** उच्च मांग वाले क्षेत्रकों में नौकरी की कमी को ट्रैक करना, कार्यबल नियोजन और कौशल विकास का समर्थन करना इत्यादि।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज (All India Test Series) : इस परीक्षा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु हर तीन में से दो चयनित अभ्यर्थियों द्वारा इसे चुना जाता रहा है। VisionIAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस ठोस सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराता है एवं प्रदर्शन में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है। उत्तर लेखन में सुधार एवं मार्गदर्शन के लिए Vision IAS के Innovative Assessment System™ द्वारा अभ्यर्थी को फीडबैक दिया जाता है।

- ऑल इंडिया सामान्य अध्ययन (GS Mains) टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवं मेंटरिंग प्रोग्राम
- CSAT टेस्ट सीरीज
- वैकल्पिक विषय टेस्ट सीरीज– दर्शनशास्त्र, भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र
- संधान टेस्ट सीरीज
- ओपन टेस्ट (Open Test)
- Abhyaas– Abhyaas Prelims & Mains

मेंटरिंग कार्यक्रम – UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान किसी भी प्रकार की एकेडेमिक या गैर–एकेडेमिक समस्या के समाधान एवं मार्गदर्शन के लिए मेंटर की भूमिका बढ़ गई है। इसलिए Vision IAS प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम लेकर आया है।

- दक्ष (Daksha): आगामी वर्षों में मुख्य परीक्षा देने वाले
- लक्ष्य (Lakshya): मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए।
- लक्ष्य प्रीलिम्स एवं मेंस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम।

करेंट अफेयर्स (Current Affairs)– सिविल सेवा परीक्षा में प्रायः प्रश्नों को करेंट अफेयर्स से जोड़कर पूछा जाता है। इसलिए Vision IAS द्वारा प्रतिदिन, साप्ताहिक और मासिक आधार पर करेंट अफेयर्स के अलग–अलग स्रोत अभ्यर्थियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। जिनमें टॉपिक के स्टैटिक के साथ करेंट अफेयर्स के टॉपिक में महत्वपूर्ण समाचार पत्रों, सरकारी प्रकाशनों एवं वेब साइट का विश्लेषण सम्मिलित होता है।

- मासिक मैगजीन
- वीकली फोकस
- न्यूज टुडे
- PT 365
- Mains 365

स्टडी मैटेरियल– सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए Vision IAS द्वारा विभिन्न मैटेरियल उपलब्ध कराए जाते हैं।

- क्लासरूम स्टडी मैटेरियल
- वैल्यू एडेड मैटेरियल
- मासिक मैगजीन, वीकली फोकस, न्यूज टुडे
- PT 365 एवं Mains 365
- केन्द्रीय बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण सारांश
- विगत वर्षों के प्रश्नों (PYQs) का विस्तृत विश्लेषण
- टॉपर्स कॉपी

Student Wellness Cell – देश की प्रतिष्ठित सेवा एवं उसकी भर्ती प्रक्रिया कई बार बोझिल हो जाती है, जिससे अभ्यर्थी चिंता, तनाव, अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं का सामना करते हैं। जिसे ध्यान में रखकर Vision IAS द्वारा स्टूडेंट वेलनेस सेल की स्थापना की गई है। इसमें अभ्यर्थी प्रशिक्षित काउंसलर और प्रोफेशनल मनोविशेषज्ञ से मिलकर अपनी समस्या साझा करते हुए समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

3.9.6. टाइम यूज सर्वे (Time Use Survey: TUS)

हाल ही में, **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)** ने 2024 के लिए दूसरा **टाइम यूज सर्वे (TUS)** जारी किया।

टाइम यूज सर्वे (TUS) के बारे में

- **प्रमुख उद्देश्य:** यह जनसंख्या द्वारा **अलग-अलग गतिविधियों पर व्यतीत किए गए समय को मापने के लिए एक फ्रेमवर्क** प्रदान करता है।
- **अन्य उद्देश्य: वैतनिक और अवैतनिक** गतिविधियों में **पुरुषों एवं महिलाओं की भागीदारी** का मापना करना।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - **रोजगार** से संबंधित गतिविधियों (वैतनिक कार्यों) **में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि** हुई है।
  - भारतीय परिवारों में **जेंडर की परवाह किए बिना देखभाल संबंधी गतिविधियों को मान्यता** मिल रही है।
  - **जनसंचार माध्यमों और खेलकूद संबंधी गतिविधियों** में पुरुषों एवं महिलाओं दोनों द्वारा व्यतीत किए गए समय में वृद्धि हुई है।

3.9.7. बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई (FDI Limit Hiked in Insurance Sector)

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्रक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा **74% से बढ़ाकर 100%** करने की घोषणा की।

- विदेशी निवेश की यह बढ़ी हुई सीमा उन बीमा कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी **जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करेंगी।**
- बीमा क्षेत्रक में FDI की सीमा बढ़ाने के लिए **बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956** और **बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999** में संशोधन करना होगा।

बीमा क्षेत्रक में 100% FDI का महत्त्व

- **निवेश में वृद्धि:** बीमा क्षेत्रक की संवृद्धि और विस्तार के लिए अधिक विदेशी पूंजी उपलब्ध होगी।
- **प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए बीमा कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे लोगों के लिए **बेहतर बीमा उत्पाद, बेहतर बीमा सेवाएं** और **कम प्रीमियम पर** बीमा योजनाएं उपलब्ध होंगी।
- **तकनीकी सुधार:** विदेशी निवेश आने से बीमा कंपनियां **अत्याधुनिक तकनीक** अपना सकेंगी और बाजार में **नए बीमा उत्पाद भी लॉन्च** कर सकेंगी।
- **बीमा की पैठ का विस्तार:** विदेशी निवेश बढ़ने से अधिक लोगों को **बीमा कवरेज के दायरे में** लाया जा सकेगा। इससे **'2047 तक सभी के लिए बीमा'** के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

भारत के बीमा क्षेत्रक की स्थिति (आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार)

- **कुल बीमा प्रीमियम** वित्त वर्ष 24 में 7.7% की वृद्धि के साथ **11.2 लाख करोड़ रुपये** तक पहुंच गया।
- **बीमा की पैठ (Insurance Penetration)** वित्त वर्ष 23 के **4%** से घटकर वित्त वर्ष 24 में **3.7%** हो गया है।
- **बीमा घनत्व (Insurance Density)** वित्त वर्ष 23 के **92 डॉलर** से बढ़कर **वित्त वर्ष 24 में 95 डॉलर** हो गया है।
    - **बीमा की पैठ** वास्तव में यह बताती है कि **देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का कितना प्रतिशत बीमा प्रीमियम संग्रह किया गया है।**
    - **बीमा घनत्व** का मतलब है कि किसी देश में **प्रति व्यक्ति औसतन कितना बीमा प्रीमियम संग्रह किया जाता है।**

भारत में बीमा क्षेत्रक के विकास के लिए उठाए गए कदम

- **भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) का गठन:** इसका उद्देश्य बीमा उद्योग का संगठित और सुव्यवस्थित विकास सुनिश्चित करना है।
- **बीमा लोकपाल नियम, 2017:** इसका उद्देश्य बीमा सेवाओं में मौजूद कमियों से संबंधित **शिकायतों का त्वरित, वहनीय तरीके से और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना है।**

भारत में बीमा क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियां

- **भारत में विश्व की बड़ी बीमा कंपनियों का न होना:** विश्व की 25 शीर्ष बीमा कम्पनियों में से 20 कंपनियां भारत में बीमा सेवाएं नहीं प्रदान कर रही हैं।
- **आर्थिक बाधाएं: बीमा प्रीमियम अधिक होने के कारण** बड़ी संख्या में लोग बीमा नहीं करवाते हैं।
- **भारतीय समाज में बीमा को अधिक प्राथमिकता नहीं देना:** भारत में लोग बीमा कराने की बजाय अन्य पारंपरिक निवेश (जैसे- सोना खरीदना) को प्राथमिकता देते हैं।

नोट: *IRDAI के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, अप्रैल 2025 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 3.13. देखें।*

3.9.8. एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली {Enhanced Certificate of Origin (ECOO) 2.0 System}

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली शुरू की।

एनहैंस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (eCoO) 2.0 प्रणाली के बारे में

- यह निर्यातकों के लिए **प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाने और व्यापार दक्षता बढ़ाने** के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **मल्टी-यूजर एक्सेस:** इसमें एक ही **आयातक-निर्यातक कोड (IEC)** के तहत कई उपयोगकर्ताओं को अधिकृत करने की सुविधा है। इसी प्रकार इसमें उपयोगकर्ता अनुकूल कई अन्य विशेषताएं भी शामिल हैं।

- यह **डिजिटल हस्ताक्षर टोकन के साथ-साथ आधार-आधारित ई-हस्ताक्षर को भी स्वीकार** करता है, जिससे अधिक सुगमता सुनिश्चित होती है।

सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन (CoO) के बारे में:

- यह **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोग** किया जाने वाला एक दस्तावेज है। यह प्रमाणित करता है कि निर्यातित वस्तु **किस देश में बनाई** गई है।

3.9.9. टनेज कर प्रणाली (Tonnage Tax Scheme)

केंद्रीय बजट 2025-26 में **टनेज (टन भार) कर प्रणाली** का विस्तार किया गया है।

टनेज कर प्रणाली के बारे में

- यह योजना पहले **समुद्री जहाजों** के लिए उपलब्ध थी।
- अब **अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (Inland Vessels Act, 2021)** के तहत पंजीकृत **अंतर्देशीय जलयानों (पोतों)** के लिए भी उपलब्ध है। इस कदम का उद्देश्य **जल परिवहन को बढ़ावा** देना है।
- **अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:**
  - सुरक्षित और वहनीय अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना;
  - जलयान के पंजीकरण, निर्माण और संचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं एवं कानूनों में एकरूपता सुनिश्चित करना।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय।
- **शुरुआत:** टनेज कर प्रणाली **भारतीय वित्त अधिनियम, 2004** के तहत **2004** में पेश की गई थी।
- **महत्त्व:**
  - अधिक माल ढुलाई को बढ़ावा देना;
  - शिपिंग कंपनियों को अंतर्देशीय जलमार्ग जहाजों में निवेश करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित करेगा।

3.9.10. RBI ने रेपो रेट में कटौती की (RBI Cut Repo Rate)

RBI की **मौद्रिक नीति समिति (MPC)** ने **रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर इसे 6.25%** कर दिया।

- मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने लगभग **पांच साल** के अंतराल के बाद **तरलता समायोजन सुविधा (LAF)** के तहत **नीतिगत रेपो रेट में कटौती** का निर्णय लिया।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

- RBI ने **मौद्रिक नीति पर अपना रुख 'तटस्थ'** ही बनाए रखा है।
  - तटस्थ रुख यह दर्शाता है कि RBI **मौजूदा आर्थिक स्थितियों के आधार पर नीतिगत दरों को समायोजित करने में लचीलापन** बनाए हुए है।
- **वित्त वर्ष 2026** के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर **6.7% रहने का अनुमान** है।
- **खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव** में महत्वपूर्ण **"नरमी या कमी"** आने की संभावना है, जबकि **कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की उम्मीद** है, लेकिन यह मध्यम बनी रहेगी।

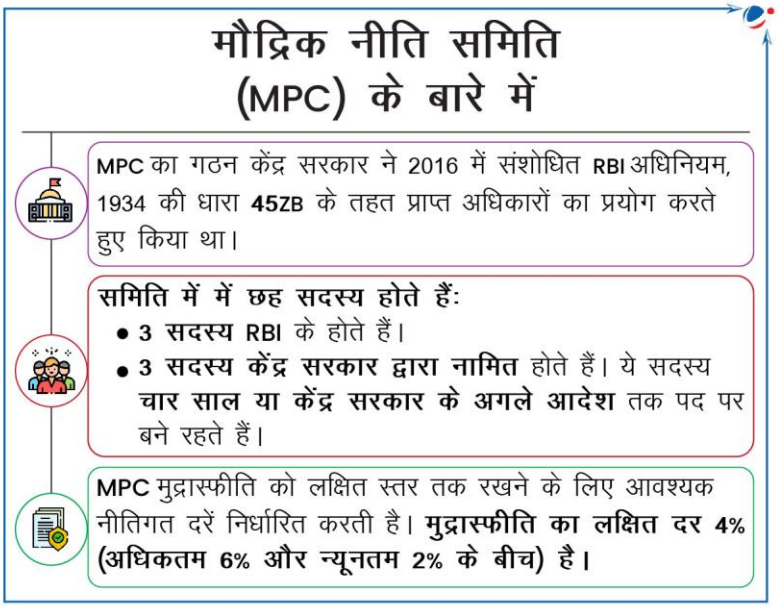

MPC के निर्णयों का औचित्य

- **मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज** की गई है। साथ ही, **संवृद्धि दर** में 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान निचले स्तर से **सुधार होने की उम्मीद** है।
- **वैश्विक वित्तीय बाजारों** में अत्यधिक अस्थिरता का जोखिम बना हुआ है और
- **प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के साथ-साथ वैश्विक व्यापार नीतियों के बारे में** अनिश्चितताएं जारी रहेंगी।

तरलता समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF) के बारे में

- यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है। इसका उपयोग **केंद्रीय बैंकों द्वारा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन** करने के लिए किया जाता है। इसमें **रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट** शामिल हैं।
  - **रेपो रेट** वह ब्याज दर है, जिस पर **केंद्रीय बैंक, वाणिज्यिक बैंकों को पूंजी की कमी की स्थिति में उन्हें धन उधार** देता है। इसके विपरीत, रिवर्स रेपो रेट वह दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक **अपनी अधिशेष धनराशि को केंद्रीय बैंक के पास रख** सकते हैं।

3.9.11. भारत में भुगतान प्रणाली का विनियमन (Regulation of Payment Systems in India)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान प्रणाली रिपोर्ट, दिसंबर 2024 जारी की।

- "भुगतान प्रणाली रिपोर्ट" **वर्ष में दो बार प्रकाशित** की जाती है। इसमें पिछले **5 कैलेंडर वर्षों** में **विभिन्न भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके** किए गए **भुगतान संबंधी लेन-देन के ट्रेंड्स का विश्लेषण** किया जाता है। वर्तमान रिपोर्ट में वर्ष 2024 तक के आंकड़े शामिल हैं।

भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **डिजिटल भुगतान लेन-देन: 2013** में **222 करोड़** डिजिटल लेन-देन हुए, जिनका मूल्य **772 लाख करोड़ रुपये** था। वर्ष 2013 की तुलना में वर्ष 2024 में डिजिटल लेन-देन की संख्या में **94 गुना और मूल्य की दृष्टि से 3.5 गुना से अधिक की वृद्धि** हुई है।
- **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI):** पिछले 5 वर्षों में **UPI** लेन-देन की **संख्या में 74.03%** और लेन-देन के **मूल्य में 68.14%** की CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से वृद्धि हुई है।
- **क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड:** पिछले पांच वर्षों में **क्रेडिट कार्डों की संख्या दो गुना से भी अधिक बढ़ी** है। वहीं, इस दौरान **डेबिट कार्डों की संख्या में अपेक्षाकृत स्थिरता** देखी गई है।
- **वैश्विक ट्रेंड्स:** भारत **प्रोजेक्ट नेक्सस** में शामिल हो गया है। यह **चार आसियान देशों** (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड) और **भारत की फ़ास्ट पेमेंट सिस्टम्स (FPSs)** को आपस में जोड़ने वाला एक बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म है। यह साझेदारी भुगतान प्रणालियों के बीच सहज और तीव्र लेन-देन सुनिश्चित करती है।
  - **प्रोजेक्ट नेक्सस** का विचार **बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स** (BIS) द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह **संबंधित देशों** की घरेलू तीव्र भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर **तत्काल सीमा-पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाता है।**

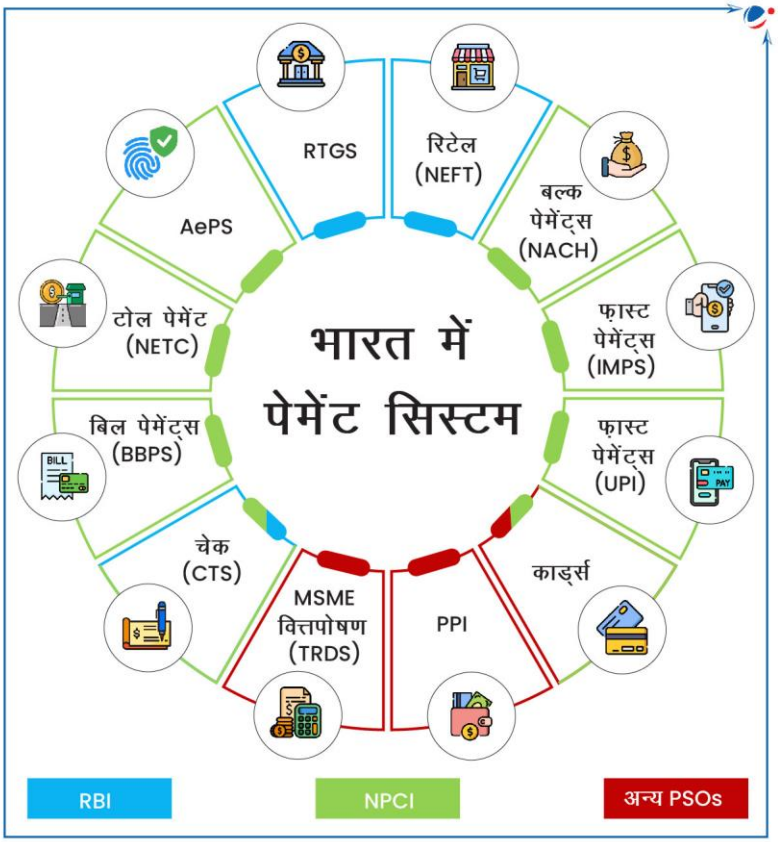

भारत में भुगतान प्रणालियां

- भुगतान प्रणालियां **मौद्रिक और अन्य वित्तीय लेन-देन** के समाशोधन (Clearing) और निपटान (Settlement) को आसान एवं प्रभावी बनाती हैं।

फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026
▸ प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
DELHI: 10 अप्रैल, 8 AM | 22 अप्रैल, 11 AM | JAIPUR: 10 अप्रैल | JODHPUR: 15 अप्रैल | प्रवेश प्रारम्भ | BHOPAL | LUCKNOW
Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.
/visionias.upsc /c/VisionIASdelhi /c/VisionIASdelhi /t.me/s/VisionIAS_UPSC

3.9.12. डिजिटल भुगतान सूचकांक (Digital Payments Index: DPI)

हाल ही में, RBI ने **भारतीय रिज़र्व बैंक-डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI)** जारी किया।

RBI-DPI के बारे में

- **उद्देश्य:** भुगतान प्रणालियों के डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाना और ऑनलाइन लेन-देन को अपनाने के स्तर को मापना।
- **जारी किए जाने की अवधि:** वर्ष में दो बार (मार्च और सितंबर)।
- **आधार अवधि (बेस पीरियड):** मार्च 2018 है।
- **मापने हेतु मानदंड:**
  - भुगतान को सक्षम करने वाले कारक;
  - भुगतान अवसंरचना (मांग-पक्ष कारक);
  - भुगतान अवसंरचना (आपूर्ति-पक्ष कारक);
  - भुगतान प्रणाली का प्रदर्शन; और
  - उपभोक्ता को केंद्र में रखना।

भारत में डिजिटल समावेशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #113- भारत में डिजिटल समावेशनः एक कनेक्टेड और सशक्त राष्ट्र का निर्माण

3.9.13. बाजार अवसंरचना संस्थान (Market Infrastructure Institutions: MIIs)

हाल ही में, SEBI ने **बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs)** की वैधानिक समितियों के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

- इन दिशा-निर्देशों के तहत, MIIs को अपने प्रदर्शन और अपनी वैधानिक समितियों के **कामकाज का मूल्यांकन** करने के लिए एक **स्वतंत्र बाहरी एजेंसी की नियुक्ति** करनी होगी।
- यह मूल्यांकन **प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार** किया जाना आवश्यक है।

बाजार अवसंरचना संस्थानों (MIIs) के बारे में

- ये ऐसे संगठन हैं, जो **प्रतिभूतियों के व्यापार के लिए अवसंरचना** प्रदान करते हैं। ये SEBI द्वारा विनियमित होते हैं।
- इनमें **स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन** आदि शामिल हैं।
- **उद्देश्य:** व्यापार को सक्षम बनाना, निवेशक होल्डिंग को सुरक्षित करना, लेन-देन निपटान आदि।

3.9.14. एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग (Algorithmic Trading)

सेबी ने **रिटेल एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव** प्रस्तुत किया है।

- एल्गो ट्रेडिंग स्वचालित रूप से खरीदने/ बेचने संबंधी आदेशों को निर्धारित शर्तों के आधार पर सटीक रूप से निष्पादित करने की प्रक्रिया है।
- वर्तमान में केवल **संस्थागत निवेशकों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस (DMA)** के माध्यम से इसका उपयोग करने की अनुमति है।

विनियामकीय फ्रेमवर्क की मुख्य विशेषताएं

- **एल्गोरिदम का वर्गीकरण**
  - **व्हाइट-बॉक्स:** इसमें लॉजिक (कार्य प्रणाली) का खुलासा किया जाता है और इसे दोहराया भी जा सकता है, अर्थात एल्गो निष्पादन।
  - **ब्लैक-बॉक्स:** इसमें लॉजिक उपयोगकर्ता के लिए ज्ञात नहीं होता और इसे दोहराया नहीं जा सकता।
- **खुदरा व्यापारियों के लिए ट्रेडिंग संबंधी सीमाएं:** खुदरा व्यापारियों को एक्सचेंज द्वारा निर्धारित सीमाओं का पालन करना होगा, जिन्हें अभी तय किया जाना बाकी है।

- **एल्गो प्रदाताओं का पंजीकरण:** एल्गो प्रदाताओं को सेबी द्वारा विनियमित नहीं किया जाता है, लेकिन उन्हें एल्गो बेचने के लिए **एक्सचेंजों के साथ पंजीकरण कराना होगा और ब्रोकर के साथ साझेदारी करनी होगी।**

3.9.15. पोटाश (Potash)

सरकार पंजाब के फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में पोटाश खनिज भंडार की खोज करेगी।

- **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)** के एक सर्वे में **राजस्थान** में भी पोटाश भंडार की पहचान की गई है। इससे भारत की पोटाश खनिज पर आयात निर्भरता कम होने की संभावना है।

पोटाश के बारे में

- **परिभाषा:** पोटाश **पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम (K) लवणों** का अशुद्ध मिश्रण है।
- **मुख्य अयस्क:** सिल्वेनाइट
- **पोटाश का उपयोग:**
  - **कृषि: 90% से अधिक** पोटाश का उपयोग **उर्वरक** के रूप में किया जाता है। यह कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले तीन प्राथमिक पोषक तत्वों **(नाइट्रोजन, फास्फोरस** और **पोटाश)** में से एक है। इन्हें सामूहिक रूप से **NPK** कहा जाता है।
    - पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए **NPK पोषक तत्वों का आदर्श अनुपात 4:2:1** है।
  - **जल का शुद्धिकरण: पोटाश एल्युम (Potash alum)** जल की कठोरता को दूर करता है और इसमें **जीवाणुरोधी** गुण होते हैं।
  - **अन्य उपयोग:** इसका **ग्लास सिरेमिक, साबुन व डिटर्जेंट, विस्फोटक** आदि के निर्माण में उपयोग होता है।
- **पोटाश उर्वरकों के सामान्य प्रकार:** सल्फेट ऑफ पोटाश (SOP) एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP)।
- **मोलासेस से बनने वाला पोटाश (PDM):** यह **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना** के तहत **100% स्वदेशी उर्वरक** है।
  - **पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना:** इसमें किसानों को **वास्तविक पोषक तत्व (नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम)** के आधार पर उर्वरक सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **पोटाश एक महत्वपूर्ण खनिज:** इसे **"खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन (MMDR) अधिनियम, 2023"** के तहत महत्वपूर्ण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

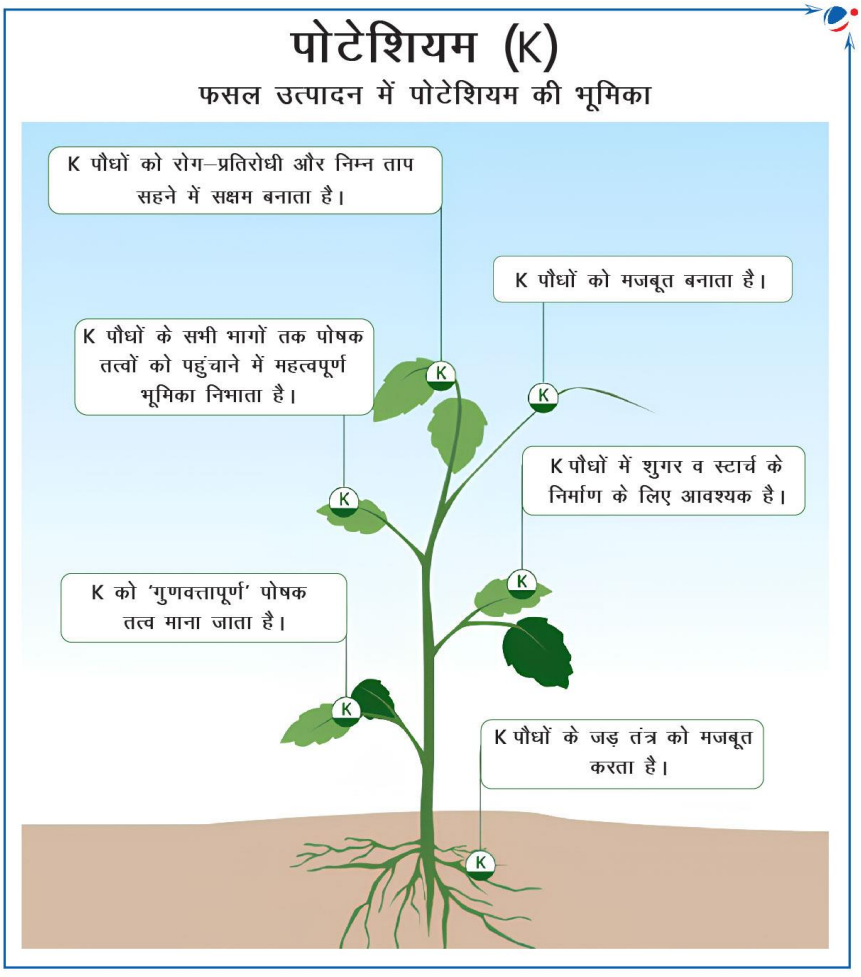

भारत में पोटाश का भंडार और आयात

- **भंडार:** राजस्थान (89%), मध्य प्रदेश (5%) और उत्तर प्रदेश (4%)
- **आयात:** भारतीय मिनरल ईयरबुक, 2022 के अनुसार, भारत अपनी पोटाश की **100% आवश्यकता को आयात** के माध्यम से पूरी करता है।

3.9.16. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Electronics Manufacturing)

भारत **विश्व में दूसरा सबसे अधिक मोबाइल विनिर्माण करने वाला देश** बन गया है। **प्रथम स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर वियतनाम** है।

- वर्तमान में, भारत में बेचे जाने वाले **99.2% मोबाइल फोन देश में ही निर्मित** होते हैं।
- भारत के **कुल इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में 43% हिस्सेदारी मोबाइल फोन** की है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्रक की स्थिति

- **कुल मूल्य (वैल्यूएशन):** भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक में **तीव्र संवृद्धि** दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में यह क्षेत्रक **कुल 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य** का हो गया था।
- **उत्पादन:** इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष **2017 में 48 बिलियन अमेरिकी डॉलर** था। यह **वित्त वर्ष 2023 में दोगुने से अधिक बढ़कर 101 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का हो गया।
- **निर्यात:** इलेक्ट्रॉनिक्स **भारत का पांचवां सबसे बड़ा निर्यात** उत्पाद बन चुका है। हालांकि, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में **भारत की हिस्सेदारी अभी भी 1% से कम** है।

3.9.17. केंद्रीय बजट 2025: 50 शीर्ष पर्यटन स्थलों को 'चैलेंज मोड' में विकसित करना (Union Budget 2025: Developing 50 Top Tourist Destinations In 'Challenge Mode')

यह घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई है। इन स्थलों को **राज्यों के साथ साझेदारी** में विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य **पर्यटन संबंधी अवसंरचना को बेहतर करना, यात्रा को आसान बनाना और प्रमुख पर्यटन स्थलों तक कनेक्टिविटी को मजबूत** करना है।

- राज्यों को महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए **भूमि उपलब्ध करानी होगी, जिसे इन्फ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट (HML) के तहत वर्गीकृत** किया जाएगा।

इस संबंध में बजट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र

- **रोजगार आधारित विकास:** इसमें कौशल विकास कार्यक्रम, होम-स्टे के लिए मुद्रा ऋण, पर्यटन स्थलों तक यात्रा और कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल है।
- **आध्यात्मिक पर्यटन:** विशेष रूप से बौद्ध स्थलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।
- **चिकित्सा पर्यटन (मेडिकल टूरिज्म):** इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में अग्रणी बनाने के लिए **"हील इन इंडिया" पहल को बढ़ावा** देना शामिल है।
- **ज्ञान भारतम मिशन:** भारत की पांडुलिपि विरासत का दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण करना।

पर्यटन क्षेत्रक का योगदान

- वित्त वर्ष 2023 में GDP में इसका योगदान **5%** रहा था। इसी अवधि में इस क्षेत्रक ने **7.6 करोड़ रोजगार** सृजित किए थे।
- 2023 के दौरान वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय में भारत की हिस्सेदारी **1.8 प्रतिशत** थी। इसके चलते वैश्विक स्तर पर पर्यटन से होने वाली आय के मामले में भारत **14वें स्थान** पर पहुंच गया।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **अवसंरचना का विकास:** इसमें स्वदेश दर्शन 2.0, प्रसाद योजना, क्षेत्रीय संपर्क के लिए RCS-उड़ान योजना आदि शामिल हैं।

- **नीति एवं कानूनी:** राष्ट्रीय पर्यटन नीति, विविध श्रेणियों के लिए ई-वीजा आदि।
- **थीमेटिक टूरिज्म:** इसमें आरोग्य, पाककला, ग्रामीण और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।
- **NIDHI/ निधि (आतिथ्य उद्योग का राष्ट्रीय एकीकृत डेटाबेस):** यह आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्रक में व्यापार को आसान बनाने के लिए डिजिटल प्रणाली है।

3.9.18. RuTAGe स्मार्ट विलेज सेंटर (RuTAGe Smart Village Center: RSVC)

हरियाणा के मंडौरा में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (रूटेज/ RuTAGe) स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC) का शुभारंभ किया गया।

- RSVC को **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय के तत्वाधान** में विकसित किया गया है।
- इसका उद्देश्य **ग्रामीण जरूरतों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना,** उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना एवं संधारणीय समाधानों के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना है।
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार (PSA) के कार्यालय ने **2003-04 में RuTAGe की अवधारणा** तैयार की थी।

RSVC मॉडल की मुख्य विशेषताएं

- **भौतिक उपस्थिति:** यह पंचायत स्तर पर **दीर्घकालिक तकनीकी सहायता प्रदान** करेगा। इसके अलावा, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विविध ग्रामीण चुनौतियों का समाधान करने के लिए **12 प्रौद्योगिकी ट्रैक** की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करेगा। यह कई वर्षों तक 15-20 गांवों की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में ठोस सहायता प्रदान करेगा।
- **बाजार तक पहुंच:** ग्रामीण उत्पादकों को बड़े बाजारों से जोड़ने के लिए **ONDC, अमेजन और मार्केट मिर्ची** जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ सहयोग पर जोर देता है।
- **व्यापकता:** RSVC मॉडल का विस्तार करने हेतु देश भर में 20 नए केंद्र खोलने की योजना है। इसके अलावा, इस कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए **टेकप्रेन्योर्स कार्यक्रम** के माध्यम से **महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने** की भी योजना है।

ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका

- **कृषि नवाचार: ई-नाम (e-NAM)** जैसे प्लेटफॉर्म किसानों को बाजारों से जोड़ते हैं तथा कृषि उपज का बेहतर मूल्य और पारदर्शी व्यापार प्रदान करते हैं।
- **उद्यमिता: ई-कॉमर्स** और **3D प्रिंटिंग** जैसी तकनीक छोटे व्यवसायों का समर्थन करती हैं। इससे उन्हें वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलती है।
- **शिक्षा: पी.एम.ई-विद्या (PM e-VIDYA)** और **स्वयं (SWAYAM)** जैसे कार्यक्रम, ऑनलाइन तरीके से बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही, छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में सुधार भी करते हैं। इसके अलावा, इस तरह के तकनीकी नवाचार समाज में डिजिटल विभाजन को खत्म करने का कार्य भी करते हैं।
- **वित्तीय समावेशन: प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) कार्यक्रम और पी.एम. जन धन योजना** प्रत्यक्ष व नकद रहित अंतरण की सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये धोखाधड़ी को कम करते हैं और पारदर्शिता बढ़ाते हैं।
- **जल प्रबंधन: राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन कार्यक्रम (NAQUIM)** भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। इससे कृषि क्षेत्रक में जल का दक्ष उपयोग सुनिश्चित होता है।

ग्रामीणीकरण में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #128- भारतीय समाज को पुनर्परिभाषित करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका

3.9.19. वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCC)

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने **समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति** प्रस्तुत की है।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) के बारे में

- GCC वे केंद्र हैं, जिन्हें कंपनियां अपनी **संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और व्यावसायिक परिवर्तन** को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित करती हैं। ये केंद्र **वैश्विक प्रतिभा पूल और तकनीकी नवाचारों** का उपयोग करते हुए व्यापारिक प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाते हैं।
- भारत के GCCs **रणनीतिक केंद्रों के रूप में उभर** रहे हैं। ये केंद्र **वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित करते हुए भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य** को नया आकार दे रहे हैं।
- **वर्तमान परिदृश्य:** भारत में GCCs की संख्या वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1430 थी। यह वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 1700 हो गई है।
    - वित्त वर्ष 2024 तक, भारत में GCCs में लगभग 1.9 मिलियन पेशेवर कार्यरत हैं।

3.9.20. स्वरेल (SwaRail) एप्लीकेशन (SwaRail APPLICATION)

रेल मंत्रालय ने **'स्वरेल' नामक सुपर ऐप** विकसित किया है। यह रेलवे की **अलग-अलग सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए वन-स्टॉप समाधान** प्रस्तुत करता है।

स्वरेल के बारे में

- इस ऐप के जरिए **आरक्षित टिकट, अनारक्षित टिकट और प्लेटफ़ॉर्म टिकट बुकिंग जैसी सेवाएं** प्राप्त की जा सकती हैं।
    - इस ऐप का मुख्य फोकस **सहज और क्लीन यूजर इंटरफ़ेस (UI)** के साथ यात्रियों को बेहतर तरीके से सेवाएं प्रदान करना है।
- इस ऐप का विकास **रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS)** ने किया है।

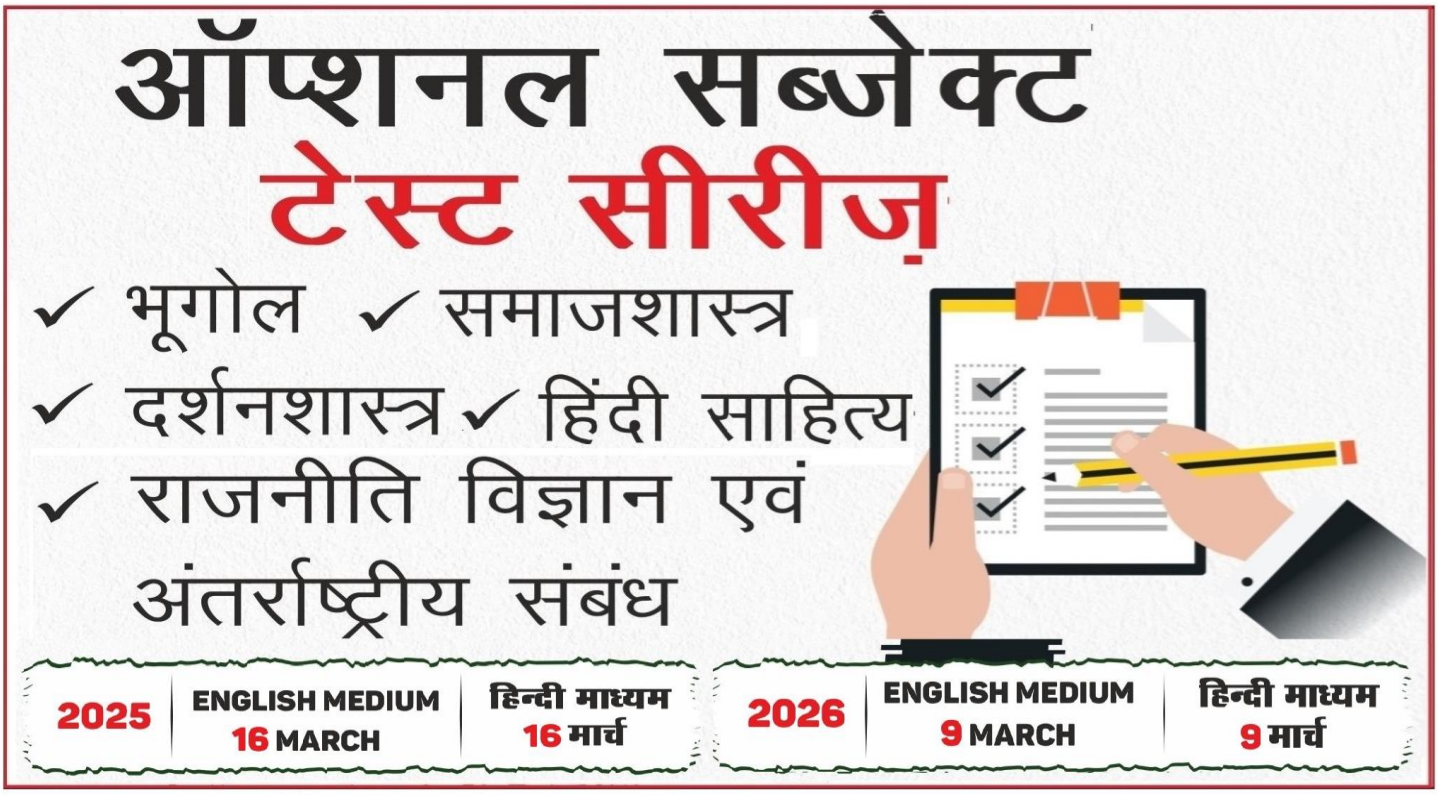

3.10. शुद्धिपत्र (Errata)

- जनवरी, 2025 मासिक समसामयिकी मैगज़ीन के **आर्टिकल 3.1 (रुपये का मूल्यह्रास)** में यह गलत रूप से उल्लेख किया गया था कि "वर्तमान में, भारत फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का पालन करता है। इसके तहत आवश्यक होने पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कभी-कभी हस्तक्षेप करता है।"
    - **सही जानकारी है-** वर्तमान में, भारत प्रबंधित (Managed) फ्लोटिंग विनिमय दर का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि देश में मुद्रा बाजार और विनिमय दर को RBI द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। हालांकि, RBI सक्रिय रूप से बाजार में हिस्सा लेता है, जिसका घोषित उद्देश्य "अस्थिरता को कम करना" और "विनिमय दर को नियंत्रण में रखना" होता है।

केंद्रीय बजट और आर्थिक समीक्षा

टॉपिक	QR कोड स्कैन करें
आर्थिक समीक्षा का सारांश: 2024–25 और आर्थिक समीक्षा 2024–25 की मुख्य विशेषताएं	
केंद्रीय बजट 2025–26 का सारांश	

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

4. सुरक्षा (Security)

4.1. क्षेत्रवाद (Regionalism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के उपराष्ट्रपति ने उन ताकतों पर चिंता व्यक्त की है जो राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं।

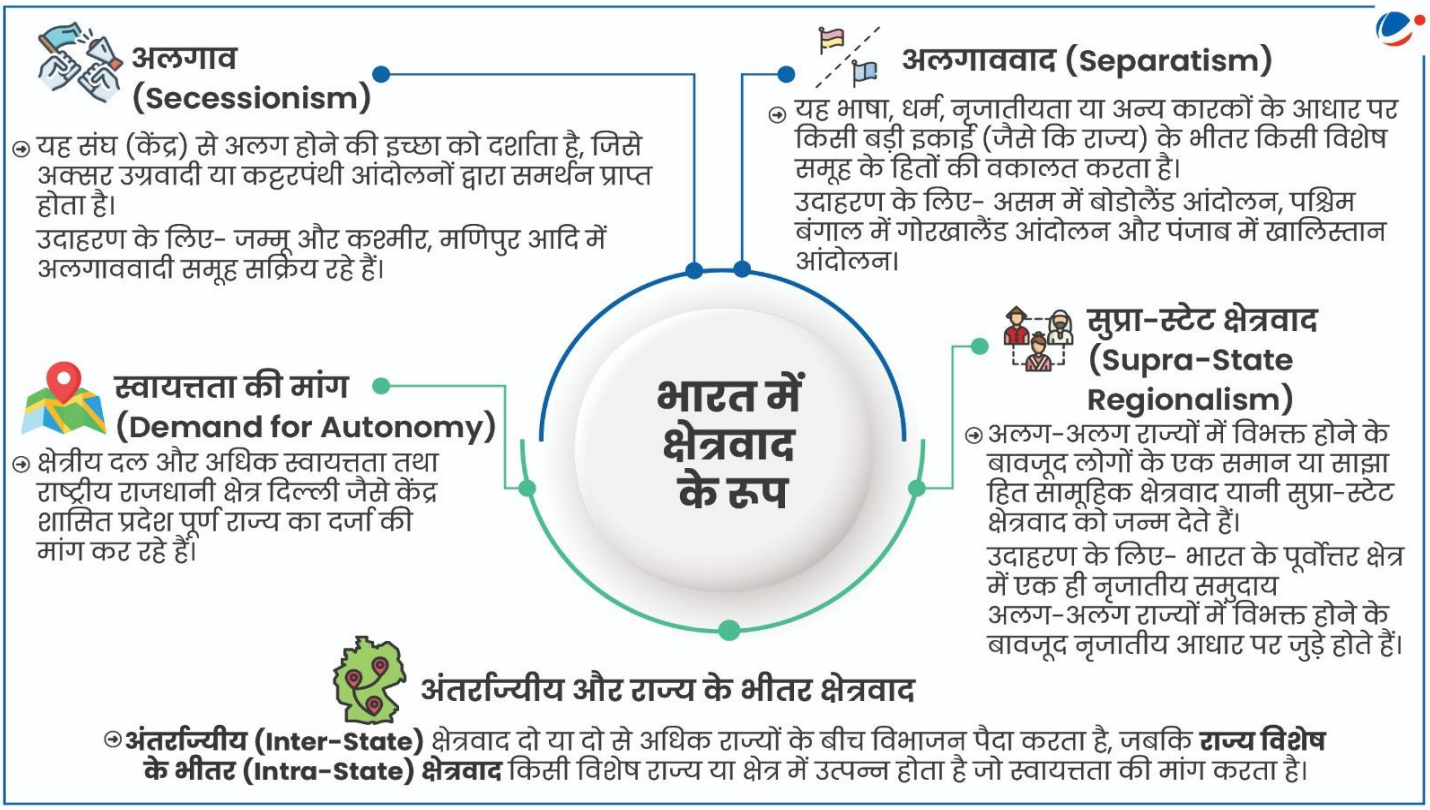

क्षेत्रवाद के बारे में

- **साझा पहचान:** क्षेत्रवाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच **समानता और एक-समान पहचान की भावना** को दर्शाता है।
  - यह अक्सर विशिष्ट **नृजातीय, भाषाई, आर्थिक और सांस्कृतिक चेतना** के कारण कुछ विशेष क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में उत्पन्न होता है।
- **भारत में क्षेत्रवाद का विकास:** भारत में क्षेत्रवाद की जड़ें **औपनिवेशिक काल से** जुड़ी हुई हैं। औपनिवेशिक शासन ने पूरे देश में क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा दिया।
  - स्वतंत्रता के बाद के **भारत में क्षेत्रवाद की प्रारंभिक अभिव्यक्ति 'भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन' की मांग** के साथ हुई। इसकी शुरुआत पोट्टि श्रीरामुलु की भूख हड़ताल से हुई थी। आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अनशन के बाद 1952 में उनकी मृत्यु हो गई थी।
  - विगत दशकों की बात करें तो, वर्ष 2000 में **झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्यों का गठन** तथा **2014 में आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना राज्य** का गठन, भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों के विकास के कुछ हालिया उदाहरण हैं।

क्षेत्रवाद की भावना के लिए उत्तरदायी कारक

- **भाषाई और सांस्कृतिक पहचान:** इसका एक उदाहरण **तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन है, जो भाषाई पहचान की मजबूत भावना** का परिणाम है।
- **नृजातीयवाद (Ethnocentrism):** इसके तहत, स्थानीय लोग यह मानते हैं कि उनके क्षेत्र से संबंधित **मुद्दा उठाने का अधिकार केवल उन्हीं के पास** है। वे एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना करते हैं जिसमें वे केवल खुद को शामिल करते हैं और 'अन्य' को बाहरी समझते हैं।
  - जैसे कि **मराठी मानुष** की अवधारणा। इसका अर्थ है कि जो लोग महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं, केवल वे ही महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इस प्रकार अन्य राज्य के लोगों को राज्य से बाहर का माना जाता है।
- **जनजातीय पहचान:** जनजातीय समुदायों में मौजूद सामाजिक-आर्थिक अंतर भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है।

- उदाहरण के लिए, **झारखंड राज्य के गठन की मांग** आंशिक रूप से जनजातीय सांस्कृतिक पहचान की रक्षा पर आधारित थी।

- **संसाधनों का असमान वितरण:** उदाहरण के लिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में **गोरखा नेशनलिस्ट लिबरेशन फोरम (GNLF)** का उदय इसलिए हुआ क्योंकि दार्जिलिंग के लोगों को लगता है कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों (दक्षिणी बंगाल) की तुलना में उनके क्षेत्र का विकास अधिक नहीं हुआ है।
- **विकास एवं प्रशासनिक मुद्दे:** देश के कुछ क्षेत्र नीति-निर्धारण की प्रक्रियाओं, जैसे- नदी जल बंटवारा, बजट आवंटन, रोजगार के अवसर आदि में खुद की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाते रहे हैं।
  - आंध्र प्रदेश से अलग **तेलंगाना राज्य के गठन** की मांग के पीछे भी यही भावना कार्य कर रही थीं।

क्षेत्रवाद का प्रभाव (राष्ट्रीय एकता एवं क्षेत्रवाद)

- **सकारात्मक प्रभाव:**
  - **संघवाद को मजबूत करना:** क्षेत्रवाद राज्यों को अपने अधिकारों का दावा करने और अधिक स्वायत्तता की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करके एक मजबूत संघीय ढांचे के निर्माण में मदद करता है।
  - **राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाता है:** यह स्थानीय मुद्दों और उपेक्षित समुदायों के पक्ष को सामने लाता है, जिन्हें राष्ट्रीय दल अनदेखा कर सकते हैं।
  - **सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देना:** क्षेत्रवाद स्थानीय परंपराओं, भाषाओं और रीति-रिवाजों को बढ़ावा देकर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, भाषाई और नृजातीय विविधता को संरक्षित रखने और उसे बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - **संघर्ष समाधान और एकीकरण:** यह लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर किसी क्षेत्र की शिकायतों और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। इससे हिंसक संघर्ष की आशंका कम हो जाती है।
- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - **राष्ट्रीय एकता को खतरा:** अत्यधिक क्षेत्रवाद विभाजनकारी शक्तियों को बढ़ावा दे सकता है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों के बीच या क्षेत्रीय और राष्ट्रीय हितों के मध्य संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। गंभीर मामलों में, यह **अलगाववादी आंदोलनों के उदय का कारण** भी बन सकता है।
  - **पूर्वाग्रह और भेदभाव:** क्षेत्रवाद अक्सर **पहचान आधारित राजनीति** को बढ़ावा देता है।
    - उदाहरण के लिए, **'भूमिपुत्र' (Son of the Soil) की भावना से प्रेरित होकर** स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की मांग उठाई जाती रही है। इसके अलावा ऐसे कई उदाहरण हैं जहां प्रवासी मजदूरों पर हमलों के कारण उनका सामूहिक पलायन हुआ है।
  - **राजनीतिक विखंडन:** क्षेत्रीय दलों के उदय से अक्सर **खंडित चुनावी नतीजे सामने आते** हैं। इससे स्थिर सरकार का गठन चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  - **राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देना:** संकीर्ण मुद्दों की वजह से क्षेत्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करने से संसाधन आवंटन में असंतुलन पैदा हो सकता है। साथ ही ऐसी नीतियां बन सकती हैं जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की बजाय क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को प्राथमिकता देती हों।

आगे की राह

- **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना:** शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से **एक समावेशी राष्ट्रीय पहचान** को बढ़ावा देना चाहिए और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **सांस्कृतिक एकीकरण:** क्षेत्रीय बाधाओं को समाप्त करने और राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए सांस्कृतिक मेलजोल को निरंतर बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - उदाहरण के लिए, **एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम** के तहत अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा दिया जाता है।
- **संघवाद को मजबूत करना:** राज्यों और स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने तथा **सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने** से क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के भीतर समायोजित करने में मदद मिल सकती है।
- **समावेशी विकास:** अविकसित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वहां पर **लक्षित कार्यक्रम और अवसंरचना परियोजनाओं** का क्रियान्वयन करना चाहिए।
- **वास्तविक स्वायत्तता:** केंद्र सरकार को राज्यों के मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि यह राष्ट्रीय हित के लिए अत्यंत आवश्यक न हो।

परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #74- परमाणु निरस्त्रीकरण: सुरक्षित और बेहतर विश्व की ओर एक कदम

4.2. एल्गोरिदमिक एम्पलीफिकेशन और कट्टरपंथवाद (Algorithmic Amplification and Radicalisation)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कुछ विशेषज्ञों ने चिंता जताई है कि **सोशल मीडिया एल्गोरिदम में उग्रवाद को बढ़ावा देने और इसे प्रसारित करने की क्षमता** है।

सोशल मीडिया एल्गोरिदमिक एम्पलीफिकेशन क्या है?

- **सोशल मीडिया एल्गोरिदम: ये कंप्यूटर आधारित नियम होते हैं** जो यूजर्स के व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। ये लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, टाइमलाइन जैसे **इंटरैक्टिव मेट्रिक्स के आधार पर कंटेंट को रैंक** प्रदान करते हैं।
  - **यह मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके यूजर्स के अनुकूल कंटेंट उपलब्ध कराता है।**
  - यह कंटेंट के प्रसार या उसे लोकप्रिय बनाने (**एम्पलीफायर**) में बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक पढ़े-देखे जाने वाले; अधिक शेयर किये जाने वाले तथा अधिक लाइक और हैशटैग वाले कंटेंट तुरंत पॉपुलर हो जाते हैं और फिर ये **वायरल ट्रेंड बन जाते** हैं।
- **एल्गोरिदम आधारित कट्टरपंथवाद:** यह वह परिघटना है, जिसमें **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम यूजर्स को तेजी से चरमपंथियों द्वारा प्रसारित दुष्प्रचार** एवं **ध्रुवीकरण करने वाली धारणाओं** की ओर ले जाते हैं।
  - यह प्रक्रिया यूजर्स की वैचारिक सोच को प्रभावित करती है। इससे सामाजिक विभाजन पैदा होता है, गलत सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा मिलता है एवं चरमपंथी समूहों के प्रभाव में वृद्धि होती है।
  - **सोशल मीडिया एल्गोरिदम** के डिजाइन का उद्देश्य यूजर्स की भागीदारी को बढ़ाना होता है। हालांकि ऐसा करने में, वे अक्सर अनजाने में **इको चैंबर और फ़िल्टर बबल** का निर्माण करते हैं। इससे लोगों की पूर्वधारणाएं और अधिक पुख्ता हो जाती हैं, जिससे वे अपनी धारणाओं का समर्थन करने वाली सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इससे सामूहिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिलता है।
  - यह दिखाता है कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स **यूजर्स को ख़ास विचारधारा में फंसाते हैं और भेदभावपूर्ण कंटेंट क्यूरेशन मॉडल के माध्यम से उनकी राय में बदलाव करते हैं।**

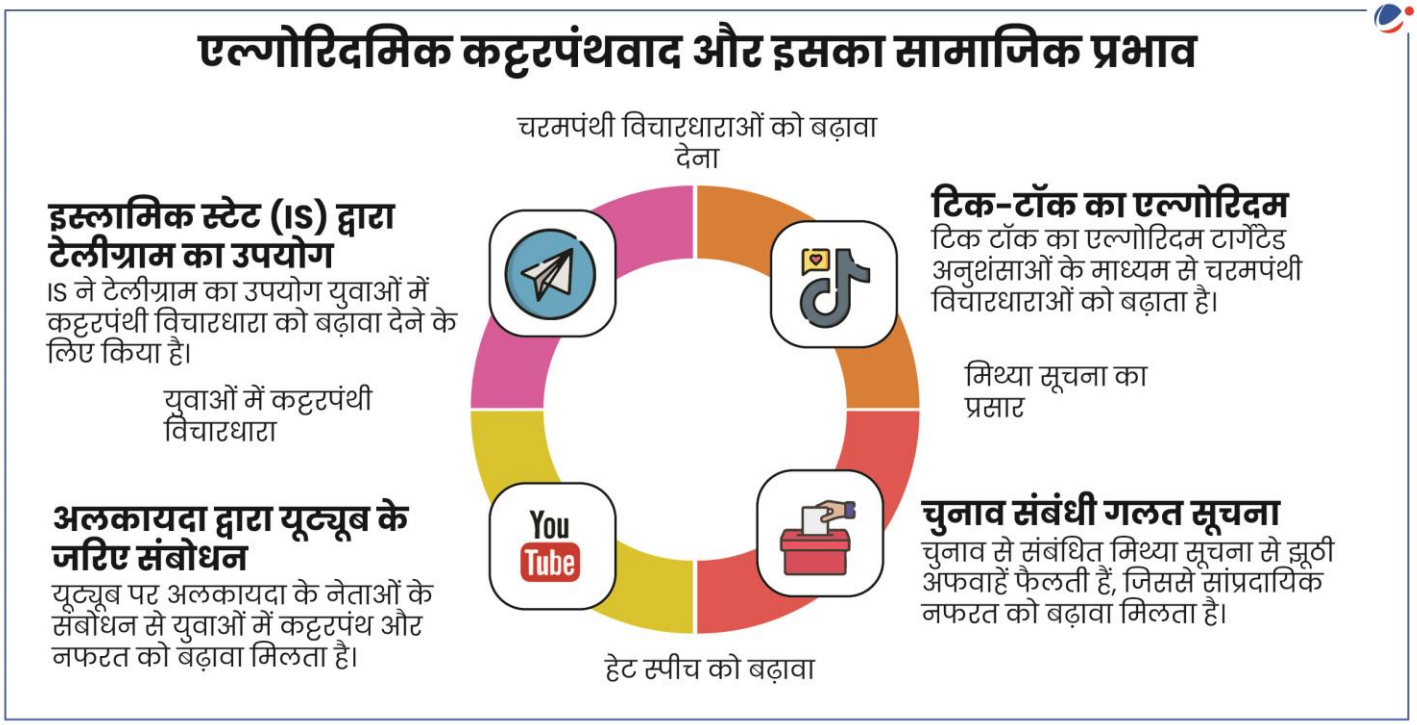

एल्गोरिदम आधारित कट्टरपंथवाद को रोकने में मौजूद चुनौतियां

- **जटिल मेकेनिज्म:** सोशल मीडिया के विकास में उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम में पारदर्शिता की कमी के कारण चरमपंथी कंटेंट से निपटना चुनौतीपूर्ण बन गया है।

- **सोशल मीडिया एल्गोरिदम 'ब्लैक बॉक्स' के रूप में** कार्य करते हैं। इससे कई बार **डेवलपर्स भी पूरी तरह नहीं समझ पाते कि एल्गोरिदम किस आधार पर कुछ विशेष कंटेंट को रेकमंड या सजेस्ट करता** है।
- **उदाहरण के लिए,** टिक-टॉक के **"फॉर यू"** पेज का ऑपरेशनल मैकेनिज्म इसके एल्गोरिदम पूर्वाग्रह को समाप्त करने की प्रक्रिया को कठिन बना देता है।

- **मॉड्यूलेटेड कंटेंट: चरमपंथी समूह अक्सर अपने कंटेंट के टेक्स्ट को बैन होने से बचाने के लिए कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले कंटेंट को** यूफेमिज्म (सांकेतिक) या कूट भाषा में बदल देते हैं।
  - उदाहरण के लिए- ISIS और अलकायदा अपनी पहचान छुपाने के लिए कूट भाषा (Coded language) और व्यंग्य (Satire) का प्रयोग करते हैं।
- **कंटेंट मॉडरेशन बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: प्रभावी कंटेंट मॉडरेशन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच** सही संतुलन बनाए रखना एक विवादित विषय है।
  - **चरमपंथी समूह इसी का फायदा उठाते हैं, ताकि उनके कंटेंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रहे,** और साथ ही ये विभाजनकारी विचारधाराओं का प्रसार भी करते रहे।
- **स्थानीय संदर्भों की अनदेखी:** चरमपंथ को प्रसारित करने वाले कंटेंट अक्सर किसी देश की **सामाजिक-राजनीतिक पृष्ठभूमि** से प्रभावित होते हैं। **वैश्विक स्तर पर उपयोग होने वाला एल्गोरिदम अक्सर इन स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को समझने में विफल रहते हैं,** जिससे समस्या और बढ़ जाती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कानून और सहयोग की कमी:** अनेक देश कट्टरपंथी गतिविधियों को वैश्विक मानवीय दृष्टिकोण से देखने की बजाय अपने राष्ट्रीय हित के नजरिये से देखते हैं।

एल्गोरिदम जनित कट्टरपंथवाद को रोकने के लिए उठाए गए कदम

वैश्विक स्तर पर

- **यूरोपीय संघ (EU) का डिजिटल सर्विसेज एक्ट 2023:** इसके तहत सोशल मीडिया ऐप्स को यह बताना होता है कि उनके एल्गोरिदम किस प्रकार कार्य करते हैं। साथ ही, यह एक्ट स्वतंत्र शोधकर्ताओं को यूजर्स पर इन ऐप्स के प्रभाव का अध्ययन करने का अधिकार भी देता है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा संचालित मॉडरेशन:** उदाहरण के लिए, **यूट्यूब का** 2023 का मशीन लर्निंग मॉडल चरमपंथी विचारों को प्रसारित करने वाली लगभग 30% वीडियो की पहचान करके उन्हें हटाने में सक्षम रहा।
- **क्राइस्टचर्च कॉल:** यह 130 से ज़्यादा राष्ट्रीय सरकारों, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स और सिविल सोसाइटी संगठनों का एक समूह है। ये आतंकी और हिंसक गतिविधियों को प्रसारित करने वाले चरमपंथी कंटेंट को खत्म करने के लिए एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** की विभिन्न पहलों के तहत अब तक **9,845 से अधिक हानिकारक URL** को चिन्हित कर ब्लॉक किया गया है।
- **आई.टी. नियम 2021:** यह सरकार को **सोशल मीडिया, डिजिटल समाचार, ओटीटी प्लेटफॉर्म** आदि पर प्रसारित कंटेंट के **मूल स्रोत का पता लगाने में सक्षम** बनाता है और **चिह्नित (फ्लैग्ड) कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होता** है।

आगे की राह

- **एल्गोरिदम ऑडिट:** पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया एल्गोरिदम का नियमित रूप से ऑडिट अनिवार्य किया जाना चाहिए, **जैसा कि यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट, 2023** में किया गया है।
- **जवाबदेही तय करना: नीति निर्माताओं को एल्गोरिदम की जवाबदेही तय करने के लिए स्पष्ट नियम बनाने चाहिए।** साथ ही जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हानिकारक कंटेंट को रोकने में विफल रहते हैं, उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए,** जर्मनी का **नेट्ज कानून (Netz law)** 24 घंटों के भीतर आपत्तिजनक कंटेंट को नहीं हटाने पर **सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर जुर्माना लगाता है।**
- **कस्टम-मेड कंटेंट मॉडरेशन:** स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार तैयार मॉडरेशन पॉलिसीज या एल्गोरिदम, सोशल मीडिया के जरिए प्रसारित होने वाले **कट्टरपंथवाद** को रोकने में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** फ्रांस में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर ऐसे एल्गोरिदम विकसित किए हैं, जो **देश की अलग-अलग बोलियों को समझकर चरमपंथी कंटेंट का पता लगा सकें और उसे प्रसारित होने से रोक सके।**

- **जन जागरूकता:** सरकार को ऐसे जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, जो **लोगों को दुष्प्रचार को पहचानने** और **चरमपंथ का प्रसार करने वाले कंटेंट से बचने** में मदद करें।
    - **उदाहरण के लिए, यूनाइटेड किंगडम के ऑनलाइन सेफ्टी बिल** में जनता को ऑनलाइन मीडिया की बेहतर समझ प्रदान करने हेतु जन शिक्षा संबंधी पहल को शामिल किया गया है।

4.3 हाइब्रिड वारफेयर (Hybrid Warfare)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने **हाइब्रिड वारफेयर** से भारत को होने वाले संभावित **खतरे के बारे में रेखांकित किया।**

अन्य संबंधित तथ्य

- रक्षा मंत्री ने **सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के बीच ख़त्म होते अंतर या दोनों के बीच धुंधली होती सीमा को रेखांकित** किया है। साथ ही, इस बात पर भी बल दिया है कि **हाइब्रिड वारफेयर** भारत की **महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अवसंरचनाओं (क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर) के लिए खतरा बन सकता है।**
- उन्होंने कहा कि **फ्रंटलाइन वार की पारंपरिक अवधारणा तेजी से बदल रही है,** क्योंकि **आतंकवाद, उग्रवाद, साइबर युद्ध या साइबर अटैक, मानव तस्करी या मानवीय संकट** जैसे खतरे **देश की सीमाओं तक सीमित नहीं हैं।** साथ ही, ये भारत की आंतरिक सुरक्षा की मान्य धारणाओं को भी चुनौती दे रहे हैं।

क्या आप जानते हैं?

> **काइनेटिक वारफेयर** आमतौर पर **पारंपरिक सैन्य अभियान** होता है। इसमें **प्रत्यक्ष युद्ध के माध्यम से** क्षति पहुंचाने के लिए बड़ी संख्या में हथियारों, सैनिकों (सैन्य कर्मी) और सैन्य मशीनरी का उपयोग किया जाता है।
> **नॉन-काइनेटिक वारफेयर** एक नई अवधारणा है, **जो पारंपरिक सैन्य-युक्तियों से कहीं अधिक आधुनिक** है। इसमें **इलेक्ट्रॉनिक युद्ध,** महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर **साइबर अटैक, दुष्प्रचार अभियान, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दबाव आदि** शामिल हैं। **इसमें नॉन-मिलिट्री हितधारक भी शामिल हो सकते हैं।**

हाइब्रिड वारफेयर के बारे में

- **परिभाषा:** हाइब्रिड वारफेयर को **एसिमेट्रिक वारफेयर** के रूप में भी जाना जाता है। यह **पारंपरिक युद्ध-नीतियों** (काइनेटिक वारफेयर) और **गैर-पारंपरिक रणनीतियों** (नॉन-काइनेटिक वारफेयर) का मिश्रण है। इसका उपयोग अक्सर **पूर्ण युद्ध का सहारा लिए बिना** राजनीतिक या सामरिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
- **उदाहरण के लिए:**
    - **चीन की तीन 'थ्री वारफेयर' स्ट्रैटेजी (TWS) यानी त्रि- युद्ध रणनीति,** जिसमें मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और कानूनी रणनीतियां शामिल हैं;
    - **रूस-यूक्रेन संघर्ष** के दौरान **साइबर अटैक, गलत सूचनाओं का प्रसार एवं दुष्प्रचार का उपयोग** देखने को मिला;
    - **इजरायल-फिलिस्तीन संघर्ष में मनोवैज्ञानिक और सूचना युद्ध की रणनीति** देखने को मिली;
    - **लेबनान** में **संकट** पैदा करने के लिए **पेजर ब्लास्ट करना,** आदि।

हाइब्रिड युद्ध की प्रमुख विशेषताएं

अस्पष्टता
यह समझना मुश्किल हो जाता है कि यह वास्तविक युद्ध है या किसी और प्रकार का संघर्ष है।

भ्रम की स्थिति
हाइब्रिड युद्ध में भ्रम की स्थिति यह पैदा होती है कि हमलावर देश अपने हमलों को स्वीकार नहीं करता, जिससे टारगेट देश के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि हमला किसने किया है और उसे कैसे जवाब देना है।

मल्टी-डोमेन ऑपरेशन
यह युद्ध कई क्षेत्रों (भूमि, वायु, समुद्र, साइबर, अंतरिक्ष आदि) में लड़ा जाता है, जिससे बचाव करना कठिन हो जाता है।

नॉन-स्टेट एक्टर्स
इसमें प्रॉक्सी संगठन और नॉन-स्टेट (सरकार के बाहर की) संस्थाएं शामिल होती हैं।

मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन
सुनियोजित दुष्प्रचार, मीडिया प्रभाव आदि के जरिए मनोबल और जनमत को प्रभावित करता है।

हाइब्रिड वारफेयर के उद्भव के कारण

- **सामरिक लाभ**: यह **किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष युद्ध की घोषणा किए बिना राजनीतिक, सैन्य या आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में** मदद करता है। परिणामस्वरूप कूटनीतिक वार्ता की गुंजाइश बनी रहती है।

- **उदाहरण के लिए, 'लिटिल ग्रीन मैन'** (बिना पहचान वाले सैनिकों/ अननोन सोल्जर) का उपयोग **रूस की हाइब्रिड युद्ध रणनीति की एक पहचान बन गई** है। यह रणनीति रूस को अन्य राष्ट्रों के साथ सीधे टकराव के खतरे को कम करते हुए **अपने राजनीतिक और सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करने में रणनीतिक लाभ प्रदान करता** है।

- **कम लागत:** इस तरह का युद्ध प्रत्यक्ष जिम्मेदारी से बचने में मदद करता है तथा कम **लॉजिस्टिक वाला व आर्थिक रूप से कम खर्चीला और कम जटिल होता** है।
  - **उदाहरण के लिए,** संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान से होने वाले **खतरों को कम करने के** उद्देश्य से कई प्रकार के नीतिगत उपायों का सहारा लेता है। इनमें **आर्थिक प्रतिबंध** भी शामिल हैं जिसकी वजह से ईरान को **वित्तीय और सैन्य खर्च में कटौती के लिए मजबूर** होना पड़ता है। इस तरह **अमेरिका** अपने सैनिकों को तैनात किए बिना या सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है।
- **तकनीकी प्रगति:** साइबर क्षमताओं,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल संचार उपकरणों आदि के विकास ने साइबर अटैक, गलत सूचनाओं के प्रसार जैसे **गैर-पारंपरिक युद्ध तरीकों को** संभव बनाया है। इसमें **प्रत्यक्ष सैन्य टकराव की जरूरत नहीं** पड़ती है।
  - **उदाहरण के लिए, 2014 में क्रीमिया पर रूस के अवैध कब्जे के बाद से ही यूक्रेन पर लगातार साइबर अटैक** किए गए हैं। 2022 में **यूक्रेन पर रूस** के आक्रमण से ठीक पहले ये **साइबर अटैक और** तेज हो गए थे।
- **नॉन-स्टेट एक्टर्स और प्रॉक्सी युद्ध का उदय:** हालांकि पारंपरिक युद्ध कम होते जा रहे हैं, लेकिन **स्टेट एवं नॉन-स्टेट एक्टर्स** (आतंकवादी समूह, मिलिशिया, साइबर वॉरियर, आदि) **से जुड़े संघर्ष बढ़ रहे हैं**। ये समूह **अपने रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जटिल गठबंधनों, प्रॉक्सी समर्थन, सूचना युद्ध और छद्म रणनीतियों का उपयोग करते** हैं। इसमें **ये एक्टर्स अपनी गतिविधियों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं**।
  - **उदाहरण के लिए;** यमन में हूती विद्रोहियों को ईरान द्वारा **हथियारों की तस्करी के माध्यम से अप्रत्यक्ष** समर्थन।
- **विश्व के देशों का एक-दूसरे से जुड़ा होना:** आज विश्व के देश आर्थिक रूप से एक-दूसरे पर निर्भर हैं, साथ ही इंटरनेट ने भी विश्व के देशों और लोगों के बीच दूरियां कम कर दी हैं। इन सबने हाइब्रिड वारफेयर को गति प्रदान की है। इससे शत्रु पक्षों को प्रत्यक्ष तौर पर किसी भी संघर्ष में शामिल हुए बिना **साइबर स्पेस की क्षमताओं का दुरुपयोग, आर्थिक कार्रवाइयों** (प्रतिबंध, व्यापार अवरोध आदि)**, मीडिया प्रोपेगेंडा** (चुनावी हस्तक्षेप) **जैसी गतिविधियों के माध्यम से अन्य देशों को अस्थिर करने में मदद मिलती** है।
  - **उदाहरण के लिए, रूस पर आरोप लगे थे कि उसने** सोशल मीडिया बॉट का उपयोग करके **2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप किया था**।

भारत पर हाइब्रिड वारफेयर का खतरा

- **दुश्मन पड़ोसी और नॉन-स्टेट एक्टर्स की गतिविधियां:** उदाहरण के लिए, **पाकिस्तान** हाइब्रिड वारफेयर में माहिर है। पाकिस्तान द्वारा **प्रॉक्सी युद्ध और आतंकवादी संगठनों को समर्थन तथा फेक करेंसी का प्रसार भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा** है।
- **बाहरी खतरे:** उदाहरण के लिए, **चीन 'ग्रे जोन' रणनीतियों में विशेषज्ञता रखता है** और बिना लड़े युद्ध जीतता रहा है। इस तरह वह वैश्विक महाशक्ति बनने की अपनी आकांक्षा को पूरा कर रहा है।
- **आंतरिक विद्रोह:** उदाहरण के लिए, मध्य भारत में **वामपंथी उग्रवाद (नक्सलवाद) एक चुनौती बना** हुआ है, वहीं पूर्वोत्तर भारत में **नृजातीय संघर्ष** भी देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
- **महत्वपूर्ण अवसरंचनाओं (Critical Infrastructure) को खतरा:** उदाहरण के लिए 2019 में **कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर साइबर अटैक;** 2020 में मुंबई ग्रिड पर कथित रूप से चीन का मैलवेयर अटैक आदि।
- **आर्थिक युद्ध:** उदाहरण के लिए, भारत, **चीन से** इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं और दवाइयों के उत्पादन के लिए APIs (एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट) के आयात पर अधिक निर्भर है। जाहिर है चीन भविष्य में तनाव की स्थिति में इन वस्तुओं की आपूर्ति को रोक सकता है।

हाइब्रिड वारफेयर के मामले में भारत की तैयारी

- **रक्षा क्षमताओं का आधुनिकीकरण:** जैसे- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) द्वारा शुरू की गई **'डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे-गन एरे (DURGA)-II परियोजना' के तहत अत्याधुनिक हथियारों** का विकास किया जा रहा है; 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत **रक्षा हथियारों के स्वदेशीकरण** पर बल दिया जा रहा है, आदि।
- **संस्थागत सुधार और रक्षा संस्थानों की स्थापना:** उदाहरण के लिए, **चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ** (CDS) की नियुक्ति के द्वारा **सैन्य सेवाओं के संचालन का एकीकरण** किया गया है; **डिफेंस AI प्रोजेक्ट एजेंसी** (DAIPA) और **डिफेंस AI काउंसिल** (DAIC) का गठन किया गया है।

- **साइबर खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाना:** उदाहरण के लिए, साइबर खतरों से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 2021 में रक्षा साइबर एजेंसी का संचालन आरंभ किया गया।
- **विश्व के देशों के साथ साझेदारी बढ़ाना:** उदाहरण के लिए, **संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA) के जरिए सहयोग** बढ़ाया जा रहा है। साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों से निपटने के लिए **क्वाड (क्वाडिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग) फ्रेमवर्क के साथ सहयोग** किया जा रहा है।
- **संसदीय समीक्षा:** भारतीय सशस्त्र बलों की **हाइब्रिड वारफेयर से निपटने की तैयारी, रक्षा से संबंधित संसदीय स्थायी समिति (2024)** द्वारा चर्चा के लिए चुने गए विषयों में से एक है।
    - इसमें **साइबर सुरक्षा, एंटी-ड्रोन प्रौद्योगिकी एवं अत्याधुनिक प्रणालियों के एकीकरण जैसी** नई चुनौतियों का मूल्यांकन किया जाएगा।

आगे की राह

- **क्षमता निर्माण:** भारतीय रक्षा बलों और सुरक्षा तंत्र को भविष्य की हाइब्रिड वारफेयर की चुनौतियों से निपटने के लिए अलग-अलग डोमेन में **विशेषज्ञता, जवाब देने हेतु प्रणालियों और डॉक्ट्रिन** विकसित करने होंगे। उदाहरण के लिए:
    - **सैनिकों को एडवांस तकनीकों से लैस करना** होगा तथा उन्हें युद्ध के गैर-परंपरागत तरीकों से निपटने में सक्षम बनाना होगा।
    - साइबर अटैक का जवाब देने और आक्रामक साइबर ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता विकसित करनी होगी।
- **हाइब्रिड वार को एडैप्टिव रक्षा रणनीतियों में शामिल करना:** उदाहरण के लिए: एक विशेष **"हाइब्रिड वारफेयर डिवीजन"** का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें **आक्रामक और रक्षात्मक, दोनों क्षमताएं** हों। इस वारफेयर डिवीजन को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- **रिएक्टिव की बजाय प्रोएक्टिव रणनीति अपनाना:** स्मार्ट पावर का उपयोग करना चाहिए एवं सभी उपलब्ध साधनों की सहायता से जवाबी कार्रवाई विकल्प तैयार करना चाहिए। इनमें कूटनीतिक (ट्रैक-II चैनल), आर्थिक, सूचनात्मक, अवसंरचनात्मक, राजनीतिक व सेनाओं के बीच समन्वय, आदि शामिल हैं।
- **सभी मंत्रालयों एवं सभी सरकारी एजेंसियों को शामिल करना:** उदाहरण के लिए: हाइब्रिड युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए एक **समन्वित 'ग्रैंड प्लान'** तैयार करना चाहिए। इस प्लान में सभी मंत्रालय शामिल होंगे। इसे **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार** के निर्देशन में **राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय** द्वारा तैयार किया जाएगा जिस पर **सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति** की सहमति भी ली जाएगी।

4.4. परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जिनेवा में **संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन** आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में **संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस** ने परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने सरकारों से परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की।

परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे की मुख्य वजहें:

- **भू-राजनीतिक खतरा: बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव** राष्ट्रों को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए प्रेरित कर रही है। इसका एक उदाहरण यूक्रेन के साथ युद्ध की परिस्थिति में रूस द्वारा **नई "स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी (New START)** समाप्त करना और **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)**[40] से बाहर निकलने का निर्णय लेना है।
- **डूम्सडे क्लॉक (प्रलय की घड़ी) की चेतावनी: जनवरी 2025 में**, प्रतीकात्मक **डूम्सडे क्लॉक** को एक सेकेंड और आगे बढ़ा दिया गया, जो परमाणु युद्ध के बढ़ते खतरे का संकेत है।
- **परमाणु शस्त्रागारों में वृद्धि:** विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या **12,000 से अधिक** हो गई है। कई देश इन परमाणु हथियारों को ढोने वाले हथियारों (मिसाइल इत्यादि) को भी आधुनिक बना रहे हैं।
    - उदाहरण के लिए- 2022 की पेंटागन रिपोर्ट के अनुसार, चीन के पास 2035 तक 1,500 "ऑपरेशनल" परमाणु हथियार हो जाने का अनुमान है, जो इसकी परमाणु क्षमताओं में तेजी से विस्तार को दर्शाता है।
- **परमाणु शस्त्रागारों के आधुनिकीकर का खतरा:** उदाहरण के लिए, **हाइपरसोनिक मिसाइल जवाबी कार्रवाई के** समय को कम कर रही है, जिससे हमले की पहचान में भूल हो सकती है। इससे संघर्ष के तेजी से छिड़ने का खतरा बढ़ सकता है।
- **फाल्स अलार्म और अनजाने में संघर्ष छिड़ना:** 1983 में सोवियत संघ में हमले के "फाल्स अलार्म" की घटना इसका एक उदाहरण है। रूस की प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों ने अमेरिकी परमाणु हमले होने की गलत चेतावनी दे डाली थी। बाद में इंसानी हस्तक्षेप से जवाबी हमले को टाला गया।
- **नई प्रौद्योगिकियां:** कई देश तेजी से **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हथियार के रूप में उपयोग** करना शुरू कर दिए हैं। इससे परमाणु हमला करने का स्वचालित यानी ऑटोमेटेड निर्णय चिंताएं बढ़ा सकता है।
- **बाह्य अंतरिक्ष (आउटर स्पेस) में भी हथियारों की दौड़ का बढ़ना:** जैसे-**संयुक्त राज्य अमेरिका की "स्पेस फोर्स" का विस्तार** और **मिशन शक्ति 2019 के तहत भारत का ASAT (एंटी-सैटेलाइट) परीक्षण** नए खतरे उत्पन्न कर रहे हैं।

परमाणु निरस्त्रीकरण क्या है?

- परमाणु निरस्त्रीकरण का अर्थ है एकतरफा निर्णय से या अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत **परमाणु हथियारों की संख्या को कम करना या इन हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करना**। इसका अंतिम लक्ष्य **"परमाणु-मुक्त विश्व"** सुनिश्चित करना है।

[40] Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty

परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों में मौजूद प्रमुख बाधाएं:

- **प्रतिबद्धता करने और जमीनी कार्यान्वयन में अंतर:** परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र एक तरफ निरस्त्रीकरण का संकल्प लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने परमाणु शस्त्रागार को और आधुनिक बनाना जारी रखते हैं।
  - उदाहरण के लिए- रूस **परमाणु अप्रसार संधि (NPT)**[41] और **स्टार्ट (START)** का समर्थन करता है, लेकिन वह **अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM)**[42] **और हाइपरसोनिक हथियार** का विकास भी जारी रखे हुए है।
- **वैश्विक निरस्त्रीकरण पहलों से जुड़ी चिंताएं:**
  - **सही से लागू नहीं होना:** पिछले दो दशकों में **निरस्त्रीकरण सम्मेलन** ने बहुत कम प्रगति की है। इससे निरस्त्रीकरण प्रयासों के बारे में संदेह पैदा हुआ है।
  - **संधि में मौजूद कमियां: NPT जैसी संधियों में कई प्रावधानों को स्पष्ट नहीं किया गया है।** इससे परमाणु हथियार संपन्न देश बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को लागू करने में देरी करते हैं या उन बाध्यताओं से बचने में सफल हो जाते हैं।
    - उदाहरण के लिए- **संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दूसरे देशों** को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोकने के लिए सलाह देते रहे, लेकिन स्वयं इन हथियारों को कम करने वाले बाध्यकारी समझौतों में शामिल होने से बचते रहे हैं।
  - **संधियों से बाहर निकलना:** उदाहरण के लिए, उत्तर कोरिया (डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया) ने NPT से बाहर निकलकर परमाणु परीक्षण किए, जिससे संधि का पालन न करने की गलत परंपरा शुरू हुई।
- **द्विपक्षीय शस्त्र-नियंत्रण समझौतों की विफलता: इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (INF) संधि** जमीन से लॉन्च की गई मिसाइलों (500-5500 किलोमीटर रेंज) पर प्रतिबंध लगाती है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका **रूस पर संधि का उल्लंघन करने का आरोप मढ़कर** संधि से बाहर हो गया। इस तरह यह संधि लगभग समाप्त हो गई। इससे विश्व की बड़ी शक्तियों द्वारा निरस्त्रीकरण के प्रति की गई प्रतिबद्धताओं की विफलताएं उजागर हुईं।
- **निरस्त्रीकरण संधियों में शामिल नहीं होने वाले देश: भारत, इजरायल और पाकिस्तान परमाणु-हथियार संपन्न** तीन ऐसे देश हैं जो NPT में शामिल नहीं हुए हैं। इससे वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रयासों की विफलता सामने आई है।
- **विश्व के देशों के बीच सैन्य असंतुलन:** 2023 में, संयुक्त राज्य **अमेरिका का सैन्य व्यय 916 बिलियन डॉलर (वैश्विक रक्षा व्यय का 37%) और रूस का सैन्य व्यय 109 बिलियन डॉलर (वैश्विक रक्षा व्यय का 4.5%) था।** स्पष्ट है कि इन दोनों देशों के बीच सैन्य व्यय में काफी अंतर मौजूद है। यह अंतर रूस को अमेरिका के साथ सामरिक संतुलन बनाए रखने हेतु परमाणु हथियार रखने (न्यूक्लियर डेटरेंस) के लिए मजबूर करता है।
- **अन्य चिंताएं:**
  - **प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक**: संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक कुछ देश परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक मानते हैं। इससे निरस्त्रीकरण प्रयासों को असफलता का सामना करना पड़ता है।
  - **प्रभावी कानूनी व्यवस्था की कमी**: ऐसी कोई बाध्यकारी बहुपक्षीय संधि नहीं है जो विशेष रूप से मिसाइल प्रणालियों के विकास को नियंत्रित करती हो।
  - **नाटो का परमाणु सिद्धांत**: उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO)[43] न्यूक्लियर डेटरेंस का समर्थन करता है। इस सिद्धांत का मतलब है कि परमाणु हथियार रखना किसी देश की आक्रामकता को रोकने के लिए ज़रूरी है। जाहिर है इस तरह के सिद्धांत निरस्त्रीकरण प्रयासों के समक्ष चुनौती पेश करते हैं।
  - **परस्पर सुनिश्चित विनाश (MAD)**[44] **का सिद्धांत:** संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस MAD सिद्धांत में विश्वास करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई महाशक्ति पूर्ण शक्ति से परमाणु हमला करती है, तो उसे जवाबी विनाशकारी परमाणु हमले का सामना करना पड़ेगा। इससे दोनों का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। यही डर दोनों महाशक्तियों को हमला करने से रोकता है।

---

[41] Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

[42] Intercontinental Ballistic Missile

[43] North Atlantic Treaty Organization

[44] Mutually Assured Destruction

परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत का रुख

- भारत **समय-समय पर बिना भेदभाव वाले और सत्यापन योग्य परमाणु निरस्त्रीकरण प्राप्त करने के वैश्विक लक्ष्य** के लिए प्रतिबद्ध है।
- **निरस्त्रीकरण की दिशा में भारत के प्रयास:**
  - **1954:** भारत विश्व का पहला देश था जिसने **परमाणु परीक्षण पर विश्वव्यापी प्रतिबंध लगाने की मांग की**।
  - **1978:** भारत ने **परमाणु हथियारों के उपयोग** को प्रतिबंधित करने **या इसके खतरे को कम** करने के लिए **एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का प्रस्ताव** रखा।
  - **1982:** भारत ने **परमाणु हथियारों पर रोक लगाने की अपील की।** इसके माध्यम से **भारत ने परमाणु हथियार बनाने के लिए** परमाणु विखंडनीय सामग्रियों (Fissile Material) के उत्पादन को रोकने का आह्वान किया।
  - **1988:** संयुक्त राष्ट्र महासभा में, **भारत ने 'परमाणु-हथियार-मुक्त और हिंसा-रहित विश्व व्यवस्था की शुरुआत के लिए कार्य योजना'** का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव का लक्ष्य 2010 तक तीन चरणों में परमाणु हथियारों को खत्म करना तथा **भेदभाव-रहित** वैश्विक परमाणु **निरस्त्रीकरण** पर जोर देना था।
  - **1998: परमाणु परीक्षण** करने के बावजूद, भारत ने स्वेच्छा से परमाणु प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाए।
    - भारत ने **"नो फर्स्ट यूज़"** की नीति अपनाई। इसमें **परमाणु हथियार नहीं रखने वाले देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करने का वचन** दिया गया।
  - **1999: भारत ने परमाणु सिद्धांत के मसौदे में** जोर दिया कि **"वैश्विक, सत्यापन योग्य और भेदभाव-रहित परमाणु निरस्त्रीकरण भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के उद्देश्य हैं।"**
- **वैश्विक परमाणु संधियों पर भारत का रुख:**
  - **NPT:** भारत परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का विरोध करता रहा है। भारत का मानना है कि यह संधि **भेदभावपूर्ण है** क्योंकि यह केवल पांच देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है।
  - **CTBT:** भारत ने व्यापक परमाणु-परीक्षण-प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत का मानना है कि यह संधि परमाणु निरस्त्रीकरण, अप्रसार और भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करने में विफल रही है।
  - **TPNW:** भारत 'परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW)[45] का समर्थन नहीं करता है क्योंकि इसमें **निरस्त्रीकरण के लिए नए कानूनी मानकों का अभाव** है।
- **बहुपक्षीय दृष्टिकोण:**
  - भारत **सार्वभौमिक समझौतों** के माध्यम से **चरणबद्ध निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है। भारत ने** संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने '**परमाणु निरस्त्रीकरण पर वर्किंग पेपर 2006**' में इस रुख का उल्लेख किया था।
  - भारत **निरस्त्रीकरण सम्मेलन** के भीतर **परमाणु हथियार कन्वेंशन पर वार्ता करने का समर्थन करता है** क्योंकि उसका मानना है कि **निरस्त्रीकरण सम्मेलन** वैश्विक परमाणु प्रतिबंध संधि के लिए **प्राथमिक फोरम है**।

आगे की राह

- **चरणबद्ध रणनीति: न्यूक्लियर डेटेरेन्स और निरस्त्रीकरण को संतुलित** करने वाली चरणबद्ध रणनीति अपनानी चाहिए, जो राष्ट्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए क्रमिक रूप से परमाणु हथियारों पर निर्भरता को कम करे। **इस रणनीति में निम्नलिखित शामिल हैं -**
  - **द्विपक्षीय समझौतों के जरिए हथियारों में कमी: संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस,** जिनके पास सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है, को अपने शस्त्रागार को कम करने के लिए न्यू स्टार्ट वार्ता को पुनर्जीवित करके विश्व के समक्ष मिसाल पेश करनी चाहिए।
  - सभी देशों को **न्यूनतम न्यूक्लियर डेटेरेन्स और नो-फर्स्ट-यूज (NFU) नीति को अपनाना** चाहिए।
- नई विकसित हो रही **हाइपरसोनिक मिसाइलों** से निपटने के लिए संधियों के तहत स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिफेंस की सीमाएं तय करने की आवश्यकता है।
- परमाणु और पारंपरिक हथियार आधारित आक्रामकता से निपटने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों को सख्त बनाना चाहिए, विशेष रूप से **प्रिवेंटिव वॉर** के खिलाफ।
  - प्रिवेंटिव वॉर या निवारक युद्ध वास्तव में किसी संभावित शत्रु के खिलाफ किया गया हमला है, ताकि भविष्य में उस शत्रु द्वारा किए जाने वाले हमले को रोका जा सके।
- **वैश्विक सहयोग की आवश्यकता:** शीत युद्ध काल से प्रेरणा लेते हुए स्वास्थ्य पेशेवरों को **"परमाणु युद्ध निवारक अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सक (IPPNW)[46]"** संगठन को परमाणु निरस्त्रीकरण प्रयासों को जारी रखना चाहिए। गौरतलब है कि इस संगठन को **1985 में नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।

[45] Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

[46] International Physicians for the Prevention of Nuclear War

* **निरस्त्रीकरण में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका:** संयुक्त राष्ट्र महासचिव **एंटोनियो गुटेरेस** ने **बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ को रोकने के लिए नई वार्ता** शुरू करने की अपील की है। उन्होंने वैश्विक सुरक्षा और निरस्त्रीकरण सुनिश्चित करने में संयुक्त राष्ट्र की अहम भूमिका को भी रेखांकित किया।

परमाणु निरस्त्रीकरण के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #74- परमाणु निरस्त्रीकरण: सुरक्षित और बेहतर विश्व की ओर एक कदम

4.5. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

4.5.1. नेवल (नौसेना) एंटी-शिप मिसाइल-शॉर्ट रेंज (NASM-SR) {Naval Anti-Ship Missile–Short Range (NASM-SR)}

DRDO और भारतीय नौसेना ने **पहली स्वदेशी नेवल एंटी-शिप मिसाइल (NASM-SR) का सफल** परीक्षण किया। यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR), **चांदीपुर** से किया गया है।

NASM-SR की मुख्य विशेषताएं

* **स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड (IIR) सीकर:** यह उच्च-सटीकता वाली स्ट्राइक (हमला) को संभव बनाता है।
* **मैन-इन-लूप कंट्रोल:** यह रियल टाइम में लक्ष्य को समायोजित करने की सुविधा प्रदान करता है।
* **प्रणोदन प्रणाली:** यह **इन-लाइन इजेक्टेबल बूस्टर** और **लॉन्ग-बर्न सस्टेनर** के साथ **ठोस ईंधन प्रणाली** का उपयोग करता है। इससे इसकी मारक क्षमता और दक्षता बढ़ती है।
* **अन्य:** इसमें **फाइबर ऑप्टिक जाइरोस्कोप-आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम (INS) जैसी उन्नत स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को शामिल** किया गया है।
* **महत्त्व:**
    * यह नौसेना की स्ट्राइक क्षमता को बढ़ाता है;
    * स्वदेशी रक्षा उत्पादन को प्रोत्साहित करता है;
    * नौसेना के अभियानों में अधिक लचीलापन प्रदान करता है आदि।

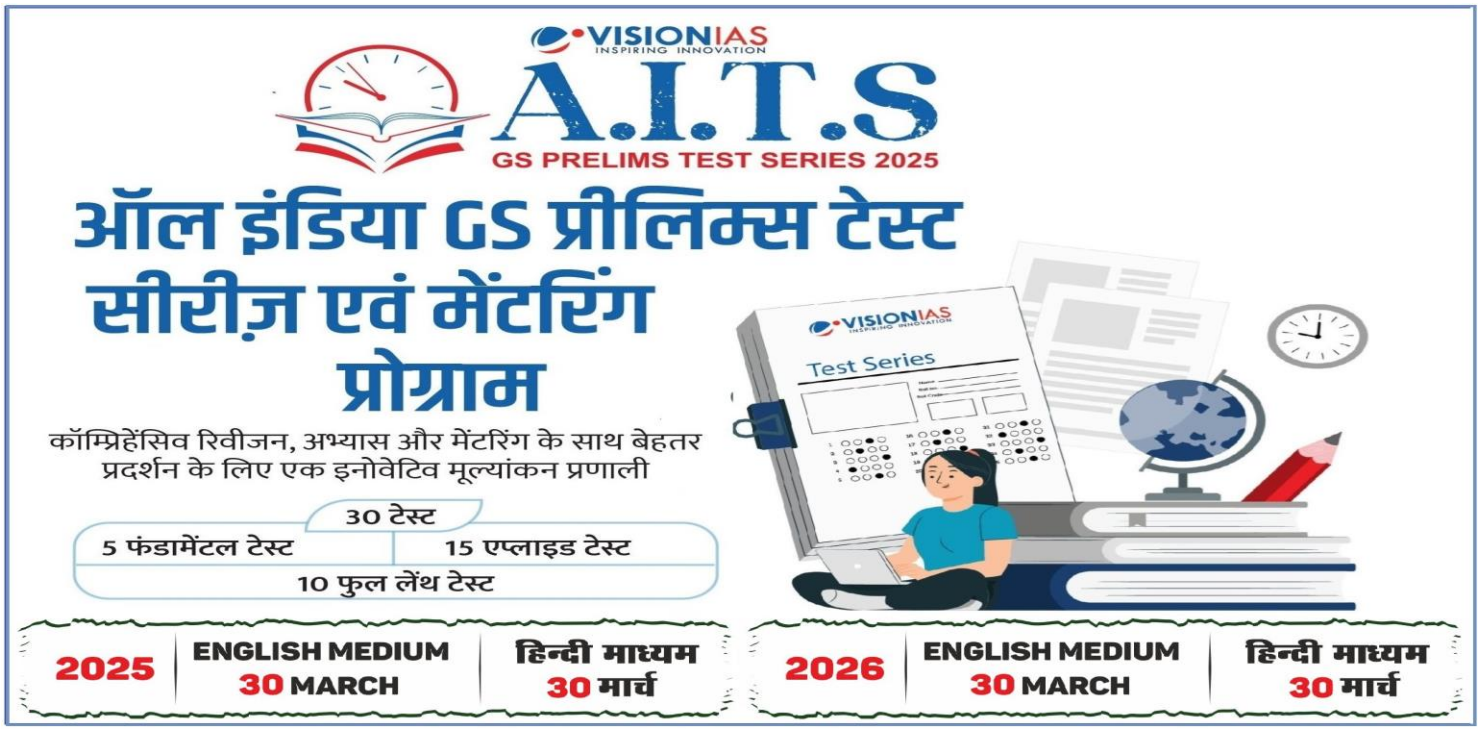

4.5.2. सैन्य अभ्यास (Military Exercises)

सुर्ख़ियों में रहे अभ्यास

धर्म गार्जियन

भारतीय थल सेना की एक टुकड़ी ने **जापान** में आयोजित **संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन'** में भाग लिया।

धर्म गार्जियन के बारे में

- यह **भारत और जापान में बारी–बारी** से आयोजित होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास है।
- **उद्देश्य:** संयुक्त राष्ट्र के मैंडेट के तहत **संयुक्त अर्बन वारफेयर और आतंकवाद–रोधी अभियान संचालित** करते हुए दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ाना देना।

कोमोडो अभ्यास (Exercise Komodo)

बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'कोमोडो' **इंडोनेशिया के बाली** में शुरू हुआ।

कोमोडो अभ्यास के बारे में

- इसका उद्देश्य **समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में समन्वय और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाना** है।
- इस अभ्यास में भारत की ओर से **INS शार्दुल** और लॉन्ग रेंज मेरीटाइम सर्विलांस **P8I विमान** ने भाग लिया।
- पहला **कोमोडो अभ्यास 2014** में आयोजित किया गया था।
- यह एक **गैर–युद्धक प्रकृति का सैन्य अभ्यास** है।
- इसे **इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा मित्र देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने** के लिए आयोजित किया जाता है।

एकुवेरिन अभ्यास

भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य 'एकुवेरिन' अभ्यास का **13वां संस्करण मालदीव** में शुरू हुआ।

एकुवेरिन अभ्यास के बारे में

- यह **द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास** है। इसका आयोजन **भारत और मालदीव में बारी–बारी** से किया जाता है।
  - मालदीव में बोली जाने वाली **धिवेही भाषा में एकुवेरिन का अर्थ 'मित्र'** होता है।
- **उद्देश्य:**
  - उग्रवाद और आतंकवाद–रोधी अभियानों में आपसी समन्वय को बढ़ाना; तथा
  - मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान संयुक्त रूप से संचालित करना।

'साइक्लोन 2025'

भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'साइक्लोन 2025' आयोजित हुआ।

साइक्लोन 2025 के बारे में

- **भाग लेने वाले देश: भारत और मिस्र**
- **अभ्यास स्थल:** राजस्थान
- **उद्देश्य:** रक्षा सहयोग को बढ़ाना, आपसी समन्वय क्षमता में सुधार करना तथा मरुस्थलीय युद्ध में विशेष बलों के कौशल को साझा करना।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. भारत में सौर ऊर्जा (Solar Energy in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने 100 गीगावाट (GW) की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- जनवरी, 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 100.33 गीगावाट तक पहुंच गई है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इसके अलावा, वर्तमान में **84.10 गीगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर काम चल** रहा है तथा **47.49 गीगावाट की सौर परियोजनाएं निविदा** प्रक्रिया के चरण में हैं।
- भारत में **हाइब्रिड और राउंड-द-क्लॉक (RTC) नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं** में भी वृद्धि देखी गई है। यहां **RTC नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं** का अर्थ ऐसी परियोजनाओं से है जो **24 घंटे लगातार बिजली** उपलब्ध कराती हैं।
  - 64.67 GW की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं निर्माणाधीन या निविदा चरण में हैं। इससे सौर और हाइब्रिड परियोजनाओं की कुल क्षमता **296.59 GW** हो गई है।

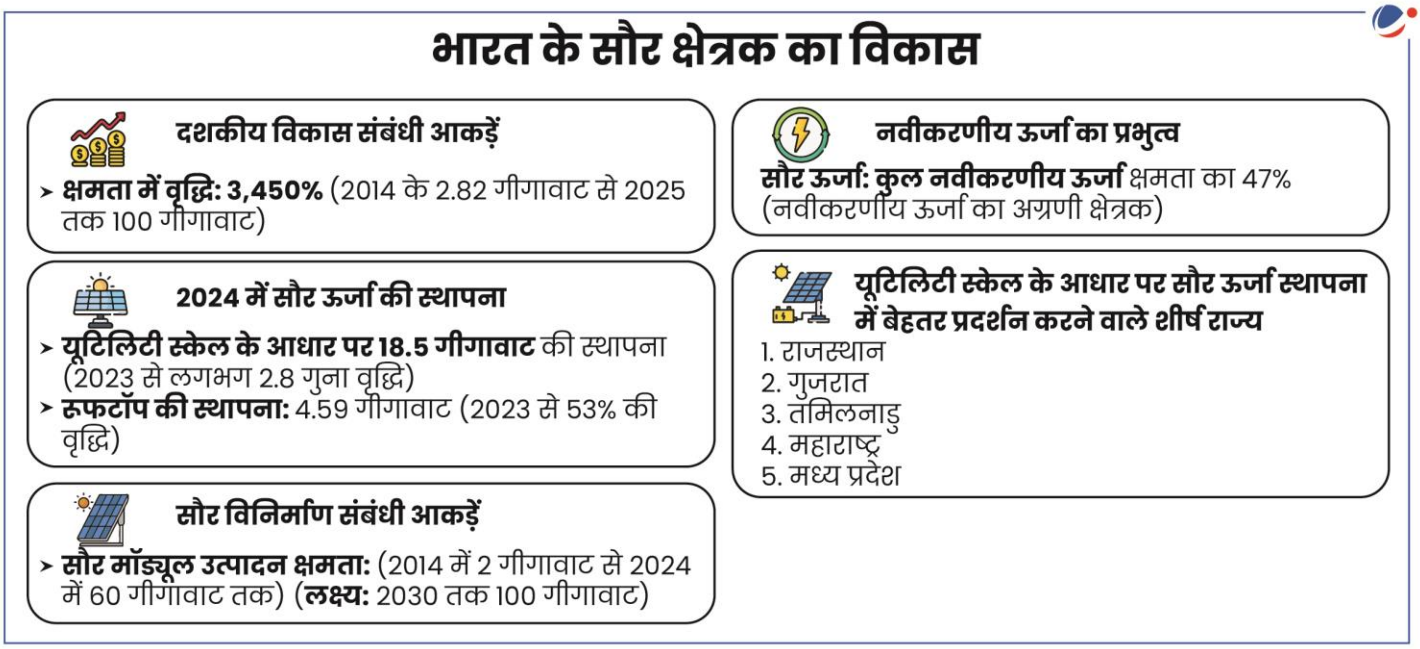

सौर ऊर्जा के बारे में

- सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है जिसे **तापीय या विद्युत ऊर्जा में बदलकर उपयोग में लाया जाता** है।
- यह निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:
  - **फोटोवोल्टिक सेल्स:** इनका इस्तेमाल **सेमीकंडक्टर सामग्री** से बने सोलर पैनल्स में किया जाता है। **फोटोवोल्टिक सेल्स** सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं।
  - **कंसंट्रेटिंग सोलर-थर्मल पावर (CSP) सिस्टम** एक ऐसी तकनीक है, जिसमें दर्पणों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को एक स्थान (रिसीवर) पर संकेंद्रित किया जाता है। इसके बाद रिसीवर्स सौर ऊर्जा को एकत्रित करते हैं और उसे ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं।

- **भारत में सौर ऊर्जा की संभावना: राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (NISE)[47] का अनुमान है कि यदि देश की कुल बंजर** भूमि के 3% क्षेत्र पर सोलर पैनल्स बिछा दिए जाए तो, **748 गीगावाट सौर ऊर्जा** का उत्पादन किया जा सकता है।
- **भारत के लिए सौर ऊर्जा का महत्त्व**
  - **भारत के जलवायु लक्ष्य प्राप्त करना:** भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत, **राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) लक्ष्य** निर्धारित किए हैं। इन लक्ष्यों में 2030 तक GDP की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना और 50% विद्युत उत्पादन गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से करना शामिल है।
    - इसके अलावा, **COP26 में भारत ने पंचामृत की घोषणा** की थी। **इसके तहत भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता** हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  - **भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना:** इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार भारत की ऊर्जा खपत **वैश्विक औसत का तीन गुना** है। साथ ही, **अगले 20 वर्षों में ऊर्जा की वैश्विक मांग में होने वाली बढ़ोतरी में भारत की हिस्सेदारी 25%** होगी।
  - **ग्रामीण विद्युतीकरण:** तेजी से विस्तार के साथ सौर ऊर्जा से **ऑफ-ग्रिड विद्युत उत्पादन में मदद मिल सकती** है। इससे **दूरदराज के क्षेत्रों** में विद्युत सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं।

भारत में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने वाले कारक

- **भौगोलिक अवस्थिति:** भारत में **साल के 300 दिन धूप खिली** रहती है औसतन **4-7 kWh/m²/दिन** के साथ प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इस वजह से देश के अधिकांश हिस्से सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल हैं।
- **सरकारी योजनाएं:**
  - **प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना का लक्ष्य** कृषि क्षेत्रक में 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना करना है।
  - **पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना** के तहत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई है। साथ ही, मार्च 2025 तक लगभग **10.09 लाख सोलर रूफटॉप स्थापित किए जाने** हैं।
- **वित्तीय सहायता और निवेश को बढ़ावा:** इस क्षेत्रक में **स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (FDI) की अनुमति दी गई है।
  - इसके अलावा, **30 जून 2025** तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए राज्यों में **सौर और पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम (ISTS) शुल्क माफ किया गया है।**

[47] National Institute of Solar Energy

- **नवीकरणीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देना:** विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए अलग नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO)[48] सहित 2029-30 तक RPO की घोषणा की गई है।
- **सौर घटकों का स्वदेशी विनिर्माण: सोलर पार्क योजना,** उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना आदि के जरिए देश में ही सौर घटकों के विनिर्माण** को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **उपभोक्ता जागरूकता:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)[49] ने मार्च 2024 में ग्रिड से कनेक्टेड सौर इनवर्टर और सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, दोनों के लिए **मानक और लेबलिंग कार्यक्रम शुरू किया।** इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को जानकारी के आधार पर विकल्प चुनने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने में मदद करना है।
- **अवसंरचना का निर्माण: हरित ऊर्जा गलियारा योजना** के तहत सरकार नई ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने और नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण एवं ट्रांसमिशन के लिए नए सब-स्टेशन का निर्माण कर रही है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नेतृत्व:** अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलों ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अग्रणी बनाया है। इन पहलों ने भारत की ऊर्जा पहुंच में वृद्धि करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने सदस्य देशों के बीच ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    - इसके अलावा, **भारत-जर्मनी सौर ऊर्जा साझेदारी (IGSP)[50]** के तहत सक्षमकारी प्रणालियों की शुरुआत करने और रूफटॉप फोटोवोल्टिक प्रणालियों में निवेश को सुगम बनाने के साथ-साथ बाजार आधारित कारकों का विकास किया जा रहा है।

भारत में सौर ऊर्जा के भावी विकास की राह में बाधा डालने वाले मुद्दे

- **भूमि अधिग्रहण:** आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार सौर ऊर्जा के लिए **परमाणु ऊर्जा की तुलना में 300 गुना अधिक जगह की आवश्यकता** होती है।
    - बड़े सोलर फार्म स्थापित करने के लिए बहुत बड़े भू-भाग की आवश्यकता होती है। इस वजह से अक्सर **खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय हितों से जुड़े मुद्दे** उभर कर सामने आते हैं।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं:** ग्रिड एकीकरण और ऊर्जा भंडारण में कई तरह की तकनीकी तथा उच्च लागत जैसी समस्याएं मौजूद हैं। इस वजह से सौर ऊर्जा का बड़े पैमाने पर विस्तार करने में दिक्कतें आ रही हैं।
- **पर्यावरण संबंधी चिंताएं:** सौर क्षेत्रक के लिए आवश्यक खनिजों, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और कुछ दुर्लभ भू-खनिजों का खनन करना पड़ता है। इससे पर्यावरण को काफी क्षति पहुँचती है। साथ ही, इनके खनन हेतु अत्यधिक जल की भी आवश्यकता होती है और खनन संबंधी गतिविशियों से प्रति टन खनिज के हिसाब से लगभग 15 टन CO_2 उत्सर्जित होती है (आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24)।
- **घरेलू स्तर पर विनिर्माण संबंधी चुनौतियां:** अनुसंधान एवं विकास की कमी, आधुनिक उत्पादन सुविधाओं और विनिर्माण संबंधी अवसंरचना का अभाव भारत में सोलर पैनल्स, उपकरणों और इनवर्टर के विकास को प्रभावित करता है। इसके कारण भारत की आयात पर निर्भरता बढ़ जाती है।
- **नीतिगत एवं विनियामकीय बाधाएं:** जटिल विनियामकीय फ्रेमवर्क्स और राज्यों में असंगत नीतियां सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में बाधा उत्पन्न करती हैं।
    - **परियोजनाओं के अनुमोदन** और भूमि अधिग्रहण में अक्सर देरी होती है। इस वजह से **परियोजनाएं समय** पर पूरी नहीं हो पाती हैं।
- **अन्य समस्याएं:** शुरुआती निवेश अधिक होना; प्रत्येक दो दशक में सौर पैनल्स को बदलने की आवश्यकता के कारण अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या; आदि।

आगे की राह

- **ग्रिड का आधुनिकीकरण:** स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों में निवेश करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीयकृत माइक्रोग्रिड विकसित करने पर बल देना चाहिए।
- **भूमि उपयोग दक्षता में वृद्धि करना:** इसके लिए **एग्री-वोल्टिक्स** (खेती के साथ सौर ऊर्जा) को बढ़ावा देना चाहिए तथा **जलाशयों, सिंचाई नहरों और जल निकायों पर फ्लोटिंग सोलर पैनल्स** लगाने चाहिए। इससे भूमि उपयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।
- **नीतियों का सरलीकरण:** राज्यों और केंद्र सरकार की नीतियों **में सामंजस्य बिठाने** का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे **परियोजना अनुमोदन और निवेश को प्रोत्साहित** करने में मदद मिल सकती है।

---

[48] Renewable Purchase Obligation

[49] Bureau of Energy Efficiency

[50] Indo-German Solar Energy Partnership

- **तकनीकी नवाचार:** सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **सोलर पैनल्स की दक्षता, बैटरियों का ऊर्जा भंडारण और हाइब्रिड सिस्टम (सौर-पवन)** में तकनीकी प्रगति व नवाचार पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
    - **सौर प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** का एकीकरण सौर ऊर्जा उत्पादन और खपत को अनुकूलित कर सकता है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था आधारित दृष्टिकोण:** क्रिटिकल मिनरल्स को पुनर्प्राप्त करने के लिए और नए खनिज निष्कर्षण की आवश्यकता को कम करने हेतु सोलर पैनल्स और बैटरियों के लिए एक मजबूत रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए।
- **घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना:** "मेक इन इंडिया" जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स एवं ऊर्जा भंडारण समाधानों के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इससे **सौर ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने में मदद** मिलेगी।

5.2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme: SHCS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** के लागू होने के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। यह योजना **2015 में शुरू** की गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस योजना को देश के **सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड** जारी करने में राज्य सरकारों की मदद करने हेतु शुरू किया गया है।
- 2022-23 से, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (SHCS) को **प्रधान मंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया योजना के साथ एकीकृत किया गया है।** इसे RKVY के एक घटक के रूप में **'मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता'[51] नाम दिया गया है**।

पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) कैफेटेरिया योजना

- **प्रारंभ:** 2007-08 में।
- यह भारत सरकार के **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** की एक **प्रमुख योजना है**।
- **उद्देश्य:** कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रकों का **अधिक समावेशी एवं एकीकृत विकास** सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को व्यापक कृषि विकास योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहन देना।
- **घटक:** मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास, कृषि वानिकी, परम्परागत कृषि विकास योजना, फसल अवशेष प्रबंधन सहित कृषि मशीनीकरण, प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्रॉप मोर क्रॉप), फसल विविधीकरण कार्यक्रम, RKVY विस्तृत परियोजना रिपोर्ट घटक और एक्सेलेरेटर फंड फॉर एग्री स्टार्टअप्स।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में

- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- **उद्देश्य:**
    - सभी किसानों को प्रत्येक **तीन वर्ष में मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना**।
    - पोषक तत्वों के प्रभावी उपयोग को बढ़ाने के लिए **मृदा परीक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का उपयोग करना और उन्हें बढ़ावा देना।**
    - **किसी विशेष मृदा के प्रकार की पहचान करना** तथा उसे **उर्वर बनाने के तरीके** बताना।

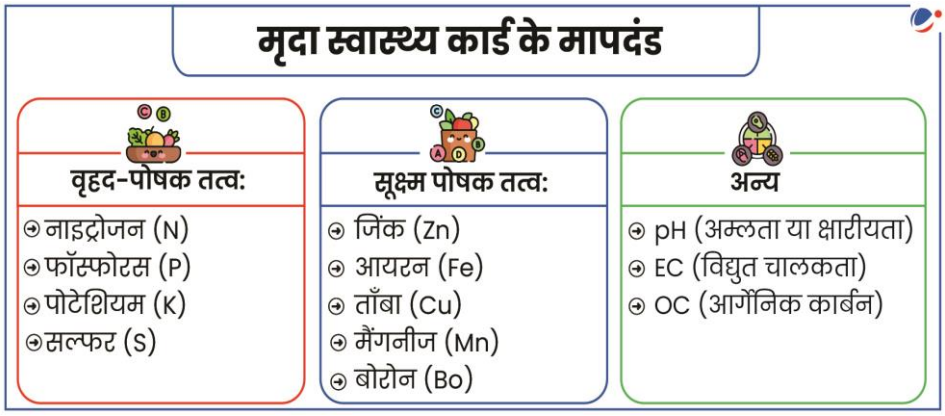

[51] Soil Health and Fertility

- **योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:**
  - **मृदा स्वास्थ्य कार्ड:** यह मृदा में मौजूद प्रमुख पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में किसानों को जानकारी प्रदान करता है। साथ ही, इसके तहत मृदा स्वास्थ्य में सुधार यानी मृदा को उर्वर बनाने के लिए **पोषक तत्वों की उचित मात्रा** से संबंधित सुझाव भी दिए जाते हैं।
    - इस कार्ड में **12 मापदंडों के आधार पर मृदा स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में बताया जाता है** (इन्फोग्राफिक देखिए)।
  - मृदा परीक्षण के लिए **ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं** की स्थापना की गई है।
  - **मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल,** देश भर में सभी प्रमुख भाषाओं और 5 बोलियों में एक समान एवं एक ही प्रारूप में मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **योजना का क्रियान्वयन:** संबंधित राज्य/केंद्र प्रशासित प्रदेशों के कृषि विभाग द्वारा।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:**
  - **पोर्टल को भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS)[52] के साथ एकीकृत** किया गया है। इससे **मृदा परीक्षण के परिणामों को मानचित्र पर दर्शाया** जाता है।
  - एक **मोबाइल ऐप** लॉन्च किया गया है, जो किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करना **सुविधाजनक, प्रभावी और पारदर्शी** बनाता है।

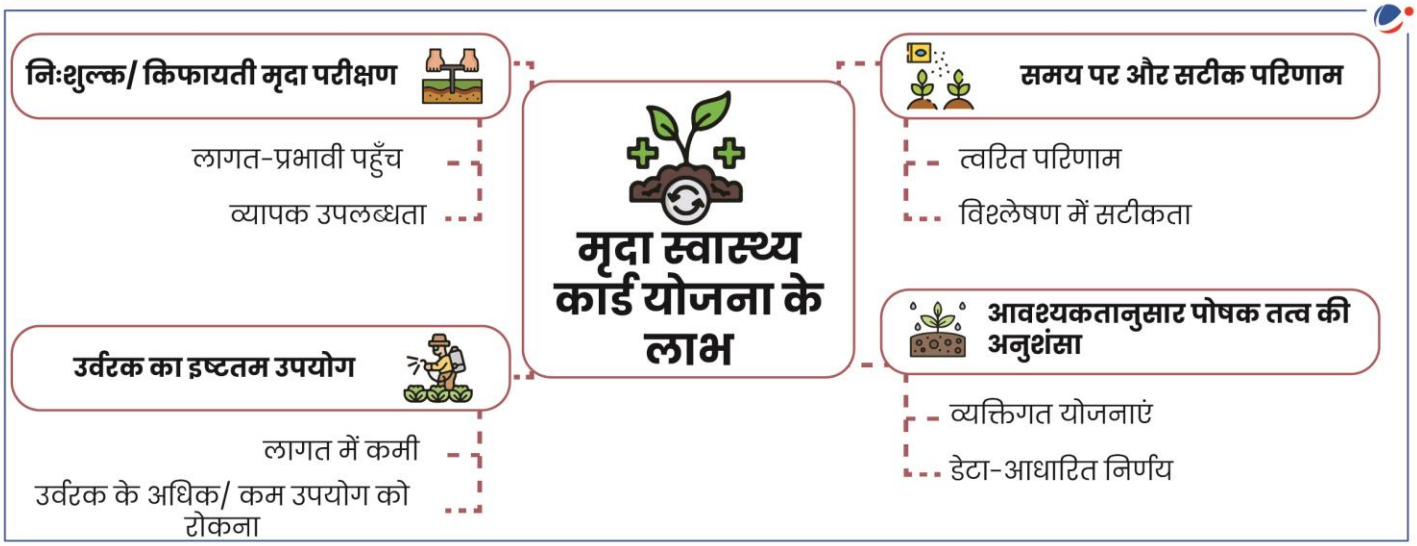

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की प्रमुख उपलब्धियां

- **कवरेज:** फरवरी 2025 तक 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
- **बढ़ता कवरेज: किसानों को 2020-21 में 16 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड** जारी किए गए थे। यह संख्या **2024-25 में बढ़कर 53 लाख** हो गई।
- **मैपिंग:** भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग ने **21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1,987 ग्राम-स्तरीय मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार** किए हैं।
- **प्रयोगशालाएं:** 8272 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।
- **वित्त-पोषण:** अलग-अलग **राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1706.18 करोड़ रुपये जारी** किए गए हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की कमियां

- **मृदा परीक्षण की गुणवत्ता और सटीकता को लेकर चिंताएं:** कई बार मृदा के सही तरीके से सैंपल एकत्र नहीं किए जाते हैं। इससे मृदा **परीक्षण के गलत नतीजे सामने आते हैं।**
  - प्रत्येक क्षेत्र की मृदा और प्रत्येक फसल के पोषक तत्वों की आवश्यकताएं अलग-अलग होती हैं। लेकिन कई बार मृदा स्वास्थ्य कार्ड कई क्षेत्रों और फसलों के लिए एक जैसी ही सिफारिशें कर देता है। इससे बेहतर परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं।

[52] Geographic Information System

- **समझने में कठिनाई:** कई किसान मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दिए गए विवरण को समझने में असमर्थ होते हैं, इसलिए दिए गए सुझावों का पालन नहीं कर पाते हैं।
- **मृदा के कई गुणों एवं सूक्ष्म-जैविक तत्वों की उपस्थिति के बारे में जानकारी नहीं देना:** मृदा के घटक, जल धारण क्षमता तथा जल की आवश्यकता एवं मृदा में उपस्थित जीवाणुओं जैसे घटकों के बारे में जानकारी नहीं देना।
- **अन्य चिंताएं:** मृदा के परीक्षण के लिए पर्याप्त अवसंरचना की कमी, गांवों में मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सुझाए गए उर्वरकों और जैव-उर्वरकों का आसानी से उपलब्ध नहीं होना, आदि।

आगे की राह

- **मृदा के सैंपल्स को एकत्रित करना और परीक्षण करना:** अलग-अलग देशों और राज्यों में मृदा के परीक्षण के तरीकों से जानकारी लेकर **उत्कृष्ट तरीकों** को अपनाना चाहिए।
- **प्रशिक्षण एवं विकास:** मृदा की स्थिति का परीक्षण करना विशेषज्ञता वाला कार्य है और इसके लिए कौशल आवश्यक होता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए और मृदा के सैंपल्स एकत्रित करने हेतु आसानी से उपयोग किए जाने वाले टूल्स विकसित किए जाने चाहिए।
- **आधुनिक प्रयोगशालाएं:** मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रत्यक्ष स्तर पर **इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री (ICP-AES)** से लैस होनी चाहिए। यह तकनीक मृदा के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए पोषक तत्वों के घटक को मापने में उपयोगी होती है।

शब्दावली को जानें

- **इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री (Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry: ICP-AES):** यह एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी पद्धति है, जिसमें प्लाज्मा की मदद से परमाणुओं और आयनों को उत्प्रेरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में, परमाणु और आयन किसी तत्व विशेष के लिए विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं।

- **विशेष संस्था का गठन:** मृदा स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर विशेष संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए। ये संस्थाएं यह भी सुनिश्चित करेंगी कि मृदा स्वास्थ्य पर प्रदान की जा रही सेवाएं बेहतर गुणवत्ता वाली हों।
- **अन्य सुझाव:**
    - कृषि विस्तार पदाधिकारियों और किसानों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए,
    - मृदा स्वास्थ्य सूचकांक तैयार करना चाहिए,
    - उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए NPK उर्वरकों पर दी जा रही सब्सिडी में कटौती की जानी चाहिए।

5.3. पराली जलाना (Stubble Burning)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद की एक स्थायी समिति ने पराली जलाने को हतोत्साहित करने के लिए धान के बचे हुए डंठलों के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)**[53] घोषित करने की सिफारिश की है। गौरतलब है कि **पराली जलाने को** दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- संसदीय समिति की सिफारिशें **अधीनस्थ विधान संबंधी समिति** द्वारा की गई थीं। इस समिति को '**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति का अधिरोपण, संग्रहण और उपयोग) के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) नियमावली, 2023**' के परीक्षण का कार्य सौंपा गया था।
- यह नियमावली **राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम, 2021** के तहत अधिसूचित की गई थी। इसका उद्देश्य **पराली जलाने** की समस्या से निपटना और इस अधिनियम की **धारा 15** के प्रावधान के लक्ष्यों को पूरा करना है।

[53] Minimum Support Price

'पराली जलाने' के बारे में

- पराली जलाने से आशय **धान, गेहूं जैसी फसलों की कटाई के बाद उसके बचे हुए** डंठलों को खेत में ही जलाने से है।
- गेहूं की बुवाई की तैयारी हेतु **खेतों से धान की फसल के डंठलों को** नष्ट करने के लिए धान की पराली को जलाया जाता है। गौरतलब है कि गेहूं की बुवाई सितंबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में की जाती है।
    - इन महीनों के दौरान **पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश** जैसे राज्यों में पराली जलाना आम घटना हो गई है।
- **पराली जलाने के कारण:** खरपतवार प्रबंधन, कीट नियंत्रण के अन्य विकल्पों की तुलना में खेत में पराली जलाने में अधिक खर्चा नहीं आता है।

पराली जलाने की घटना को रोकने में चुनौतियां

- **तकनीकी और अवसंरचना से संबंधित चुनौतियां**
    - **फसल कटाई के लिए सही मशीन का उपयोग नहीं करना:** वर्तमान कंबाइन हार्वेस्टर **10-15 सेंटीमीटर तक लंबी पराली खेत में ही छोड़ देते हैं।** बाद में इन परालियों को खेतों से साफ करना आसान नहीं रहा जाता है।
    - **पराली को भंडारित करने के लिए अवसंरचना की कमी:** धान की पराली को एक जगह सुरक्षित रूप से जमा करने के लिए बड़े भूखंड उपलब्ध नहीं हैं। फसल कटाई वाली उपयुक्त मशीनों को किराए पर देने वाले कस्टम हायरिंग केंद्रों की कमी है। इससे लघु एवं सीमांत किसानों को मशीन उपलब्ध नहीं हो पाती क्योंकि वे उसे खरीद नहीं सकते।
    - **आपूर्ति श्रृंखला की कमी:** पराली एकत्र करने वाली कंपनियों से पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है।
    - **मशीनरी को क्षति:** पराली का कई क्षेत्रों में फीडस्टॉक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि खेतों से संग्रह की जाने वाली पराली में सिलिका की उच्च मात्रा होती है। इनसे मशीनों के ख़राब होने का खतरा रहता है। इस वजह से सभी पराली का फीडस्टॉक के रूप में उपयोग नहीं हो पाता है।
    - **पराली को निपटाने के लिए कम समय (15-20 दिन) मिलना:** धान की कटाई और **गेहूं की बुवाई के बीच काफी कम समय मिलता है।**
- **कानून और प्रशासन से जुड़ी चुनौतियां**
    - **कई शब्दावलियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करना:** इसमें **"पराली जलाना"**, **"पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति "** जैसी कई शब्दावलियों की परिभाषा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
    - **प्रक्रियाएं स्पष्ट नहीं होना: पराली जलाने से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने पर "रेड एंट्री"** प्रणाली लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।
        - किसानों के रिकॉर्ड से रेड एंट्री हटाने **के लिए प्रावधानों की कमी** है।
    - **समन्वय की कमी:** कई मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी देखी जाती है।
- **वित्तीय एवं आर्थिक चुनौतियां**
    - किसानों को ज्यादा-से-ज्यादा मशीनरी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पर्याप्त **सब्सिडी नहीं** दी जाती है।
    - **उचित उपयोग के लिए फ्रेमवर्क का अभाव: पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति निधि** में जमा राशि का सही तरीके से उपयोग के लिए फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है।

- **सामाजिक-आर्थिक मुद्दे और जागरूकता की कमी**
  - पराली को निपटाने के वैकल्पिक तरीकों तथा संधारणीय खेती के बारे में **शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी है।**
  - दंडात्मक उपायों और सकारात्मक प्रोत्साहनों के बीच असंतुलन।

पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **CAQM का फ्रेमवर्क:**
  - **फसल अवशेषों को खेत में ही निपटाना (इन-सीटू प्रबंधन):** इसमें **मशीनों की खरीद, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना, उच्च उपज देने वाली और कम समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों की खेती को बढ़ावा देना**, फसल कटाई के समय का बेहतर प्रबंधन, बायो-डिकम्पोजर का बड़े पैमाने पर उपयोग शामिल हैं।
  - **फसल अवशेषों को किसी अन्य जगह निपटाना (एक्स-सीटू प्रबंधन):** इसमें धान की पराली का अलग-अलग तरीकों से उपयोग करना शामिल है। जैसे- बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं में, थर्मल पावर प्लांट्स में को-फायरिंग हेतु, 2G इथेनॉल संयंत्रों में फीड-स्टॉक के रूप में, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में फीड स्टॉक के रूप में, पैकेजिंग सामग्री के निर्माण में, आदि।
  - **पराली जलाने पर रोक:** इसमें प्रभावी निगरानी, योजनाओं को लागू करके धान की पराली के उत्पादन को कम करना तथा धान की पराली जलाने से वायु प्रदूषण फैलाने पर किसानों से पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति वसूलना जैसे उपाय शामिल हैं।
- **वित्तीय सहायता योजनाएं:** कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM)[54] के तहत लघु और सीमांत किसानों को कृषि मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **विकल्पों को बढ़ावा देना:** पराली को निपटाने के विकल्पों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें बायो एंजाइम-पूसा, पैलेटाइजेशन, हैप्पी सीडर मशीन; जैव ईंधन उत्पादन के लिए बायोमास का उपयोग करना आदि शामिल है।
- **राज्य स्तरीय पहलें:**
  - **उत्तर प्रदेश: "पराली के बदले गोवंश खाद"** योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं को रोकना और संधारणीय कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है।
  - **पंजाब: आई-खेत** मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप फसल अवशेषों को खेतों में ही निपटाने और किसानों को कृषि मशीनरी/उपकरण उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही **"कोआपरेटिव मशीनरी ट्रैकर"** फसल अवशेष प्रबंधन हेतु मशीनों को आसानी से उपलब्ध कराने में मदद करता है।

आगे की राह: संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों पर आधारित

- **वित्तीय फ्रेमवर्क और सहायता प्रणालियां: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की तर्ज पर पराली के लिए भी मूल्य प्रणाली** लागू करनी चाहिए ताकि किसानों को पराली बेचने पर गारंटी रिटर्न प्राप्त हो सके।
  - खरीफ फसल की कटाई के मौसम से पहले प्रतिवर्ष बेंचमार्क मूल्यों की समीक्षा करने के बाद **पराली के मूल्य को अधिसूचित करना चाहिए।**
  - पराली का मूल्य निर्धारित करते समय फसल अवशेष को एकत्र करने में किसानों को हुए खर्चे का भी आकलन करना चाहिए। इसमें श्रम और मशीनरी पर खर्चे भी शामिल हैं।
- **तकनीकों को अपनाना एवं अवसंरचना का विकास**
  - बेहतर योजना के लिए जिलेवार फसल पैदावार का आकलन करने हेतु फसल-बुआई क्षेत्र का रियल टाइम आधार पर आकलन करना चाहिए। फसल तैयार होने का पूर्वानुमान लगाने के लिए तकनीकों का उपयोग करना चाहिए।
  - उन जिलों में **पराली को जमा करने के लिए अस्थायी सुविधाएं** स्थापित करनी चाहिए जहां 20-50 किलोमीटर के दायरे में पराली उपयोग करने वाले उद्योग या एंड-यूजर मौजूद नहीं हैं।
  - **पराली के निपटान से जुड़े स्थानीय उद्यमियों और एग्रीगेटर्स को सहायता** प्रदान करनी चाहिए तथा सप्लाई चेन अवसंरचना का विकास करना चाहिए।
- **विनियामकीय और प्रशासनिक सुधार**
  - **एक विशेष सरकारी एजेंसी को किसानों की शिकायतों का समय पर समाधान** करने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए।
  - मौजूदा नियमों में आवश्यक संशोधन करके प्रावधानों को स्पष्ट करना चाहिए।
  - संधारणीय पद्धतियों को अपनाने वाले किसानों को आर्थिक प्रोत्साहन देना चाहिए तथा उन्हें **रेड एंट्री से हटाने की व्यवस्था शुरू करनी चाहिए।**

[54] Sub-Mission on Agriculture Mechanization

- पराली जलाने वाले किसानों से वसूली गई राशि से स्थापित **पर्यावरणीय प्रतिपूर्ति निधि** के उचित उपयोग के लिए **एक नया उप-नियम** बनाना चाहिए।

- **कृषि पद्धतियों में सुधार**
  - पूसा 44 किस्म के धान को तैयार होने में काफी लंबा वक्त लगता है। इसके बदले में **कम समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों की खेती करने वाले किसानों को आर्थिक प्रोत्साहित** देना चाहिए।
  - कम समय में तैयार होने वाली फसल किस्मों की खरीद प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए और कई तरह की समस्याओं को जन्म देने वाली फसल किस्मों के बीज को प्रमाणित करने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।
- **हितधारकों के बीच समन्वय और एकीकृत नीति:** फसल अवशेषों का बायो-एनर्जी उत्पादन में उपयोग करने के लिए **एकीकृत राष्ट्रीय नीति** बनानी चाहिए।
  - बायोएथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोमास पेलेट **जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्राथमिकता** दी जानी चाहिए।

5.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

5.4.1. वेटलैंड एक्रेडिटेड सिटीज (Wetland Accredited Cities)

इंदौर और उदयपुर, **वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन (WCA) की वैश्विक सूची** में शामिल होने वाले **भारत के पहले दो शहर** बन गए हैं। यह सूची **आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन** के तहत है।

- **इंदौर: सिरपुर झील** नामक **रामसर साइट को जल पक्षियों की अधिक संख्या** के लिए मान्यता दी गई है। इस साइट को **"पक्षी अभयारण्य"** के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- **उदयपुर:** यह शहर पांच प्रमुख आर्द्रभूमियों- **पिछोला, फतेहसागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई** से घिरा हुआ है।

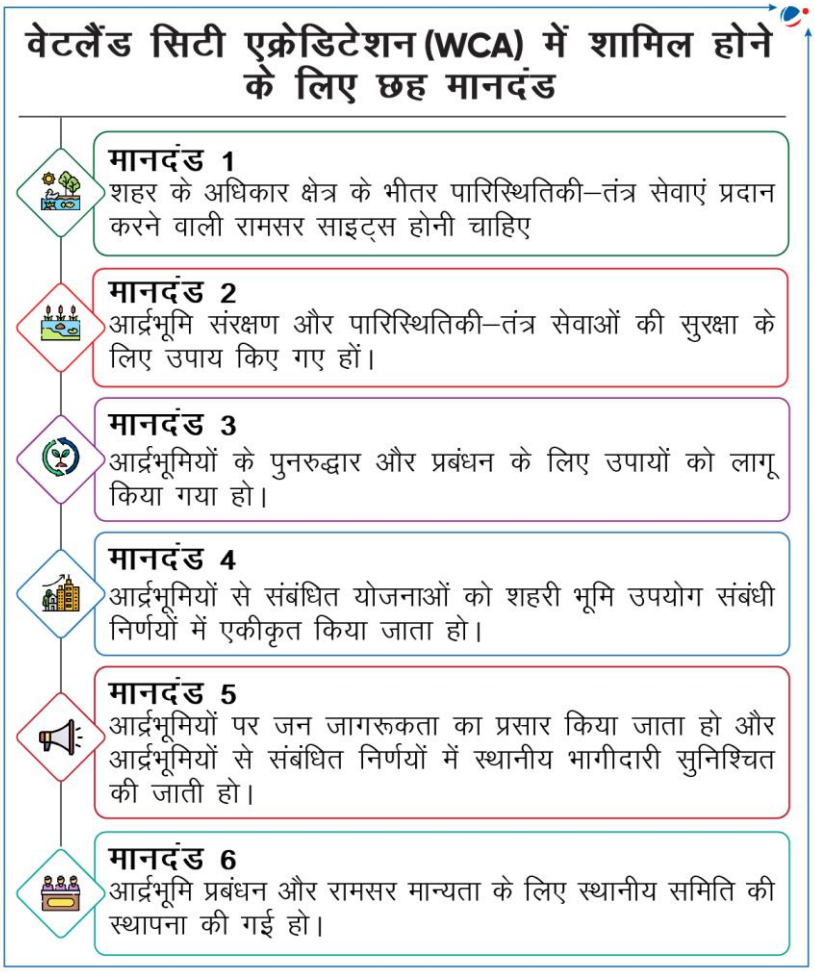

वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन (WCA) के बारे में

- यह एक **स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली** है। यह अपनी **प्राकृतिक या मानव निर्मित आर्द्रभूमियों** को महत्त्व देने वाले शहरों को अपने प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान और सकारात्मक प्रचार प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है
- इसे **उरुग्वे में रामसर कन्वेंशन (2015) के COP-12** में अनुमोदित किया गया था।
- यह **मान्यता 6 वर्षों के लिए वैध** होती है। इसे नवीनीकृत करने के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि शहर **सभी 6 मानदंडों को पूरा** करता रहे। (इन्फोग्राफिक देखिए)।

वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन का महत्त्व

- यह **शहरी और उप-शहरी आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं उनके विवेकपूर्ण उपयोग** को बढ़ावा देता है। साथ ही, यह स्थानीय आबादी के लिए **सतत सामाजिक-आर्थिक लाभ** भी सुनिश्चित करता है।
- यह मान्यता **केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की अमृत धरोहर पहल** के कार्यान्वयन में मदद करेगी।

5.4.2. रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की चार और आर्द्रभूमियां शामिल की गईं (Four More Wetlands Included Under The Ramsar Convention)

इससे **रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत भारत की आर्द्रभूमियों की संख्या 85 से बढ़कर 89** हो गई हैं। यह **एशिया में सबसे बड़ी संख्या है, जबकि विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी संख्या** है। इन चार आर्द्रभूमियों को **तमिलनाडु, सिक्किम** और **झारखंड** से शामिल किया गया है।

- **तमिलनाडु 20 रामसर स्थलों** के साथ सबसे आगे है, जो भारतीय राज्यों में सबसे ऊपर है।
- **सिक्किम** और **झारखंड** से **पहले** रामसर स्थल हैं।

नए रामसर स्थल

सक्काराकोत्तई पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)	• स्थानः मन्नार की खाड़ी के पास, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित। • ऐतिहासिक महत्त्वः सक्काराकोत्तई हौज को 1321 ईस्वी में कुडिमारमट्टू (सामुदायिक भागीदारी) के जरिए बनाया गया था। • यहां पेंटेड स्टॉर्क, ब्लैक–हेडेड आइबिस आदि प्रजातियां पाई जाती हैं।
थेरथांगल पक्षी अभयारण्य (तमिलनाडु)	• स्थानः मन्नार की खाड़ी के पास, मध्य एशियाई फ्लाईवे पर स्थित। • यह पेंटेड स्टॉर्क, ब्लैक–हेडेड आइबिस, स्पॉट–बिल्ड पेलिकन आदि प्रजातियों का पर्यावास है। • यह बबूल (अकेसिया निलॉटिका) वृक्षों के लिए भी विख्यात है।
खेचेओपलरी वेटलैंड (सिक्किम)	• इसे विशिंग लेक के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह इच्छाएं पूरी करती है। स्थानीय रूप से इसे शो ज़ो शो ("ओह लेडी, सिट हियर") कहा जाता है। ▪ इसे मूल रूप से खा–चोट–पालरी भी कहा जाता है। इसका अर्थ "पद्मसंभव का स्वर्ग" है। • यह सर्क (Cirque) प्रकार की आर्द्रभूमि है। इसे बौद्ध और हिंदू दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है।
उधवा झील (झारखंड)	• इसका नाम भगवान कृष्ण के मित्र, महाभारत के संत उद्धव के नाम पर रखा गया है। • इसे वन्यजीव अभयारण्य और महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (IBA) घोषित किया गया है। ▪ इस अभयारण्य में दो जल निकाय हैं – पटौरन और बरहले। • यह हाउस स्विफ्ट, फिशिंग ईगल और ब्राह्मिनी काइट जैसी पक्षी प्रजातियों का पर्यावास है।

आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन के बारे में

- इसे **1971 में रामसर (ईरान)** में अपनाया गया था।
- **उद्देश्य:** आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करना।
- **2 फरवरी** को **विश्व आर्द्रभूमि दिवस** मनाया जाता है।

ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं
✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

2025 | ENGLISH MEDIUM 23 MARCH | हिन्दी माध्यम 23 मार्च
2026 | ENGLISH MEDIUM 30 MARCH | हिन्दी माध्यम 30 मार्च

5.4.3. गुनेरी का अंतर्देशीय मैंग्रोव (Inland Mangrove of Guneri)

गुजरात सरकार ने **"गुनेरी के अंतर्देशीय मैंग्रोव" को जैव विविधता विरासत स्थल**[55] के रूप में अधिसूचित किया है। यह स्थल **कच्छ जिले** में स्थित है।

- यह **गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल** है।
- इसे **जैव विविधता अधिनियम, 2002** के तहत **जैव विविधता विरासत स्थल** अधिसूचित किया गया है।

'गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव' के बारे में

- गुनेरी के मैंग्रोव वन वास्तव में **अरब सागर तट से 45 किलोमीटर और कोरी क्रीक से 4 किमी दूर अवस्थित** हैं। इस तरह यह **अंतर्देशीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र** है।
  - अंतर्देशीय मैंग्रोव वन **विश्व में दुर्लभ** हैं।
  - पारंपरिक मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र समुद्र के तटों पर होते हैं। इसके विपरीत, **अंतर्देशीय मैंग्रोव वनों तक समुद्री ज्वार का जल नहीं** पहुंचता है और यहां **कीचड़ या दलदली जमीन नहीं** होती है।
- एक रिपोर्ट के अनुसार **दुनिया में केवल आठ अंतर्देशीय मैंग्रोव वन** हैं। इनमें **गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव** भी शामिल है।
- **गुनेरी अंतर्देशीय मैंग्रोव** वन में लगभग **20 प्रकार की प्रवासी और 25 प्रकार की रेजिडेंट प्रवासी पक्षी प्रजातियां** पाई जाती हैं।

5.4.4. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेट्लमेंट्स प्रोग्राम (यूएन-हैबिटैट/ UN-Habitat) {United Nations Human Settlements Programme (Un-Habitat)}

C40 सिटीज और यूएन-हैबिटेट ने शहरी नियोजन में बदलाव लाने के लिए एक ऐतिहासिक साझेदारी की घोषणा की।

- इस साझेदारी के तहत **अर्बन प्लानिंग एक्सेलरेटर** शुरू किया जाएगा। यह **2050 तक शहरी उत्सर्जन में 25% की कटौती** करेगा तथा **सुरक्षित, निष्पक्ष और समावेशी अर्बन स्पेस** को बढ़ावा देगा।

यूएन-हैबिटेट के बारे में

- **स्थापना:** 1978
- **मिशन:**
  - सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय कस्बों एवं शहरों को बढ़ावा देना, तथा
  - सभी के लिए पर्याप्त आश्रय सुनिश्चित करना।
- **भूमिका:** यह **न्यू अर्बन एजेंडा** जैसी पहलों के माध्यम से शहरों को समावेशी, सुरक्षित, सक्षम और संधारणीय बनाने का प्रयास करता है।

C40 के बारे में

- C40 **दुनिया के अग्रणी शहरों के लगभग 100 महापौरों (मेयर) का एक वैश्विक नेटवर्क** है। ये महापौर **जलवायु संकट का सामना करने के लिए एकजुट** हुए हैं।
- वर्तमान में 6 भारतीय शहर C40 के सदस्य हैं: बेंगलुरु; चेन्नई; दिल्ली; जयपुर; कोलकाता और मुंबई।

5.4.5. एग्री-NBSAPs (Agri-NBSAPS)

संयुक्त राष्ट्र **जैव विविधता अभिसमय** के **पक्षकारों का 16वें सम्मेलन** का नया सत्र **(CBD COP 16.2) रोम** में आयोजित किया गया। यह सत्र वास्तव में कोलंबिया के **कैली** में आयोजित CBD COP-16 की प्रगति को आगे बढ़ाने पर केंद्रित था।

- गौरतलब है कि **कैली** में ही **FAO** ने कोलंबियाई सरकार और जैव-विविधता अभिसमय (CBD) के सहयोग से **"कृषि-राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियां और कार्य योजनाएं (Agri-NBSAPs)"** पहल की शुरुआत की थी।

एग्री-NBSAPs के बारे में

- **एग्री-NBSAPs** का उद्देश्य सरकारों को **कृषि-खाद्य प्रणाली (Agrifood Systems: AFS)** को **राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (NBSAPs)** में शामिल करने तथा उन्हें लागू करने में सहायता प्रदान करना है।

[55] Biodiversity Heritage Site

- कृषि-खाद्य प्रणाली में खेत से लेकर प्लेट तक भोजन के पहुँचाने में शामिल खाद्य उत्पादन के सभी चरण होते हैं।
- गौरतलब है कि **NBSAP** जैव विविधता संरक्षण के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करती है और जैव संसाधनों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देती है।
  - अलग-अलग देश अपनी **NBSAP** को **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF)** के तहत तैयार करते हैं। **KM-GBF** का लक्ष्य **2030 तक जैव विविधता क्षरण को रोकना और पुनर्बहाली सुनिश्चित करना** है।

- यह एक **समन्वित तंत्र** प्रदान करती है, जो सरकारों को क्षमता निर्माण करने, कृषि-खाद्य प्रणाली में रणनीतिक प्रयासों की पहचान करने और उन्हें लागू करने में सहायता करता है। इससे NBSAP के लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जा सकता है।

NBSAP में कृषि-खाद्य प्रणाली को क्यों एकीकृत किया जाना चाहिए?

- **KM-GBF लक्ष्यों को हासिल करने के लिए: कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क** के 23 टार्गेट्स में से आधे से अधिक कृषि से संबंधित हैं।
  - **KM-GBF** का लक्ष्य **2030 तक जैव विविधता की हानि को रोकना और जैव-विविधता को पुनर्बहाल करना** है।
- **उत्सर्जन में कटौती: कृषि-खाद्य प्रणाली** वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में **लगभग एक-तिहाई का योगदान** करती है। इस तरह यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है और वन्यजीवों के पर्यावासों को नष्ट कर जैव विविधता हानि का कारण बनती है।
- **खाद्य सुरक्षा बनाए रखना:** जैव विविधता **परागण (Pollination), मृदा की उर्वरता और कीट नियंत्रण** में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
  - जैव विविधता की हानि से **3 अरब लोगों** को खतरा है, क्योंकि **75% खाद्य फसलें परागणकों (Pollinators) पर निर्भर** हैं।

5.4.6. चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन (Champions of Animal Protection)

AWBI दो प्रमुख श्रेणियों यानी 'प्राणी मित्र' और 'जीव दया पुरस्कार' में "चैंपियंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन" पुरस्कार प्रदान करेगा।

- यह पहल **पशु कल्याण और सुरक्षा** में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड (AWBI) के बारे में

- AWBI को 1962 में **पशु क्रूरता निवारण अधिनियम (PCAA), 1960** के तहत एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। यह पशु कल्याण कानूनों पर सलाह देता है और पशु कल्याण को बढ़ावा देता है।
- इसकी शुरुआत प्रसिद्ध मानवतावादी रुक्मिणी देवी **अरुंडेल के नेतृत्व में हुई थी।**
- इसमें **6 संसद सदस्यों** (राज्यसभा से 2 और लोकसभा से 4) सहित **28 सदस्य होते हैं।**

5.4.7. F11 बैक्टीरिया (F11 Bacteria)

हाल ही में किए गए एक अध्ययन में **F11 बैक्टीरिया (लैब्रिस पोर्टुकैलेंसिस)** की खोज की गई है। यह कम-से-कम 3 प्रकार के **'पर- एंड पॉलीफ्लुओरोएल्काइल सबस्टेंस' (PFAS) को विघटित** करता है।

F11 बैक्टीरिया के बारे में

- यह **ज़ैंथोबैक्टेरेसी परिवार का एक एरोबिक** बैक्टीरिया है।
- यह **अपशिष्ट जल उपचार आदि में जैवसंवर्द्धन में सहायता** कर सकता है।
    - **जैवसंवर्द्धन, उन सूक्ष्मजीवों को शामिल** करने की प्रक्रिया है, जो **प्रदूषित वातावरण में प्रदूषक अणुओं को जैव-निम्नीकृत** कर सकते हैं।

पर- एंड पॉलीफ्लुओरोएल्काइल सबस्टेंस (PFAS) के बारे में

- PFAS **ऐसे विषैले रसायन** होते हैं, जो **ग्रीस, तेल, पानी और गर्मी का प्रतिरोध** करते हैं। ये लगभग **अविनाशी प्रकृति** के होते हैं। इसलिए, इन्हें **'फॉरएवर केमिकल'** कहा जाता है।
- **उपयोग:** नॉनस्टिक कुकवेयर, ग्रीस-प्रतिरोधी खाद्य पैकेजिंग तथा जलरोधी एवं अग्निशमन वस्त्र आदि।

5.4.8. कम गहराई वाला भूकंप (Shallow-Depth Earthquake)

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया।

- हिमालयी क्षेत्र में **प्लेट विवर्तनिकी के कारण आने वाले भूकंपों** के विपरीत यह भूकंप एक **अंतःप्लेट (Intra-plate) परिघटना थी, जो "इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजिनिटी"** के कारण घटित हुई है।
- **भूकंप का एपिसेंटर** दिल्ली में होने तथा भूकंप का धरातल से **मात्र 5 किलोमीटर की गहराई (बॉक्स देखें) पर होने** के कारण भूकंप के झटके अधिक तीव्र थे।
    - **भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को एपिसेंटर या अधिकेंद्र** कहते हैं।

इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजिनिटी के कारण आने वाले भूकंप

- **परिभाषा:** यह **पृथ्वी की भूपर्पटी के भौतिक गुणों** में मौजूद असमानताओं जैसे चट्टान के प्रकार, चट्टान के छिद्रों में तरल पदार्थ की उपस्थिति, आदि के कारण घटित होने वाली भूकंपीय गतिविधि को संदर्भित करता है।
- **भूकंप का आना:** चट्टानों के भौतिक गुणों में भिन्नता के कारण **तनाव का संकेन्द्रण** होने लगता है। इससे अंततः **भूकंप की संभावना बढ़** जाती है।
- **भ्रंश रेखा पर प्रभाव:** 'इन-सीटू हेटेरोजिनिटी' के चलते **भ्रंश वाले क्षेत्रों में तनाव** का निर्माण होता है। इससे भी भूकंप की संभावना में बढ़ोतरी हो जाती है।
    - **दिल्ली भारत के भूकंपीय मानचित्र में ज़ोन-IV में स्थित है, जो देश का दूसरा सबसे संवेदनशील ज़ोन है।**

उथले भूकंप (Shallow Earthquake) या कम गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप के बारे में

- **भूकंप** पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के खिसकने से उत्पन्न अचानक और तेजी से होने वाला कंपन है।
  - **उथले भूकंप** पृथ्वी की भूपर्पटी में **अपेक्षाकृत कम गहराई (0 से 70 किमी)** पर उत्पन्न होते हैं।
  - **मध्यम गहराई के भूकंप 70 से 300 किमी** के बीच और अधिक **गहरे भूकंप 300 से 700 किमी** के बीच उत्पन्न होते हैं।
- **प्रभाव:** उथले भूकंप **धरातल के ज्यादा निकट होने के कारण अधिक विनाशकारी** होते हैं और **भारी क्षति** पहुंचा सकते हैं।

5.4.9. पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव में स्थानान्तरण (Shift In Earth's Magnetic North)

संशोधित वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल के अनुसार, पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव साइबेरिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है

WMM के बारे में

- वर्ल्ड मैग्नेटिक मॉडल (WMM) **नेविगेशन, दिशा (heading) और स्थिति संदर्भ प्रणालियों के लिए एक स्टैंडर्ड मॉडल** है। इन सुविधाओं के लिए यह मॉडल **पृथ्वी के भू-चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग** करता है।
- इस मॉडल को **हर पांच साल में अपडेट** किया जाता है, ताकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में **होने वाले परिवर्तनों के साथ इसे व्यवस्थित** किया जा सके।
- इसे **संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी (NGA) और यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस जियोग्राफिक सेंटर (DGC)** द्वारा तैयार किया जाता है।

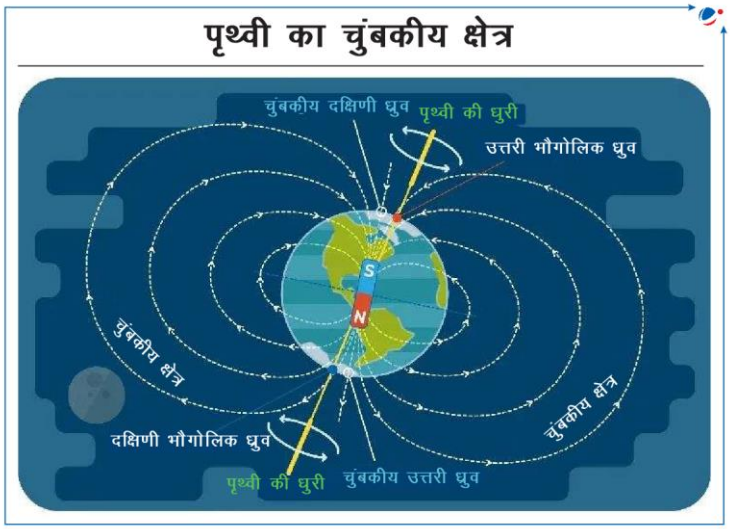

पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का स्थानांतरण

- **चुंबकीय उत्तरी ध्रुव (मैग्नेटिक नॉर्थ)** वह दिशा है, जिस ओर **कम्पास की सुई तब इशारा करती है जब वह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित** होती है। वहीं **भौगोलिक उत्तर** (Geographic north) वह स्थान या बिंदु है, जहां **उत्तर में देशांतर रेखाएं (मध्याह्न रेखाएं) मिलती** हैं।
  - पृथ्वी के अपने अक्ष पर **पश्चिम से पूर्व** की ओर घूर्णन करने से दो प्राकृतिक संदर्भ बिंदु प्राप्त होते हैं, जो **उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव** हैं।
- पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव की खोज सबसे पहले **1831 में अन्वेषक जेम्स क्लार्क रॉस** ने की थी। तब से, यह **धीरे-धीरे स्थानांतरित** हो रहा है।
  - बीते 100 वर्षों में, इसका स्थान **कनाडा से साइबेरिया (रूस) की ओर स्थानांतरित** हुआ है। 2000 के दशक में, यह **प्रति वर्ष 31 मील** तक खिसकने लगा था, लेकिन **पिछले पांच वर्षों में यह गति धीमी** हो गई है।
- चुंबकीय उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की स्थिति **समय के साथ पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में बदलावों के कारण धीरे-धीरे बदलती** रहती है।
  - **चुंबकीय दिक्पात (Magnetic Declination)** समय के साथ किसी स्थान पर बदलता रहता है। चुंबकीय दिक्पात **'चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और 'भौगोलिक उत्तर' के बीच का कोण** है।
- कभी-कभी चुंबकीय ध्रुव **पोल रिवर्सल (ध्रुवों का उलट जाना)** से गुजरते हैं, यानी **चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव परस्पर स्थान बदल** लेते हैं।
  - **पेलियोमैग्नेटिक रिकॉर्ड्स** के अनुसार, पिछले **83 मिलियन वर्षों** में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव **183 बार परस्पर स्थान बदल** चुके हैं।
  - **संभावित प्रभाव:**
    - **नेविगेशन सिस्टम में त्रुटियां** उत्पन्न होती हैं;
    - **प्रवासी प्रजातियों** की उड़ान दिशा में भ्रम उत्पन्न हो सकता है;
    - **सौर तूफानों** से सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड के संचालन में व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं आदि।

5.4.10. 'एक राष्ट्र, एक समय' के लिए मसौदा नियम (Draft Rules For 'One Nation, One Time')

उपभोक्ता मामले विभाग ने विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 का मसौदा अधिसूचित किया।

- इन ऐतिहासिक नियमों का उद्देश्य भारत के सभी क्षेत्रकों में **भारतीय मानक समय (IST) के उपयोग को मानकीकृत और अनिवार्य** बनाना है।

विधिक माप विज्ञान (भारतीय मानक समय) नियम, 2025 के मसौदे के बारे में

- **अनिवार्य समय संदर्भ (Mandatory time reference):** वाणिज्य, परिवहन, लोक प्रशासन, कानूनी अनुबंध और वित्तीय परिचालन सहित सभी क्षेत्रकों में भारतीय मानक समय (IST) ही अनिवार्य समय संदर्भ होगा।
- **प्रतिबंध:** कोई भी व्यक्ति/ संस्था आधिकारिक/ व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए IST के अलावा अन्य समय संदर्भ का उपयोग, प्रदर्शन या रिकॉर्ड नहीं करेगा/ करेगी।
  - बशर्ते कि जब तक कोई कानून/ सरकारी निर्देश/ दिशा-निर्देश इसकी अनुमति देते हो।
- **टाइम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल को अपनाना:** सरकारी कार्यालयों के लिए **नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और प्रिसिजन टाइम प्रोटोकॉल आदि को अपनाना अनिवार्य है।**
- **साइबर सुरक्षा:** रेसिलिएंस सुनिश्चित करने के लिए, **साइबर सुरक्षा उपाय और वैकल्पिक संदर्भ तंत्र** निर्धारित किए गए हैं।
- **अधिकृत अपवाद:** पूर्व अनुमति के साथ निर्धारित उद्देश्यों जैसे **खगोल विज्ञान, नेविगेशन, वैज्ञानिक अनुसंधान** आदि के लिए वैकल्पिक टाइम स्केल (GMT, आदि) के उपयोग की अनुमति है।

इन नये मसौदा नियमों का महत्त्व

- यह महत्वपूर्ण अवसंरचना के सिंक्रोनाइजेशन में सुधार करके **राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत** करता है।
- डिजिटल उपकरणों और सार्वजनिक सेवाओं के सिंक्रोनाइजेशन से **विश्वसनीय एवं कुशल सेवाएं सुनिश्चित** होती हैं।
- इससे **सटीक वित्तीय लेन-देन और रिकॉर्ड रखने में एक सामंजस्य** सुनिश्चित होगा।

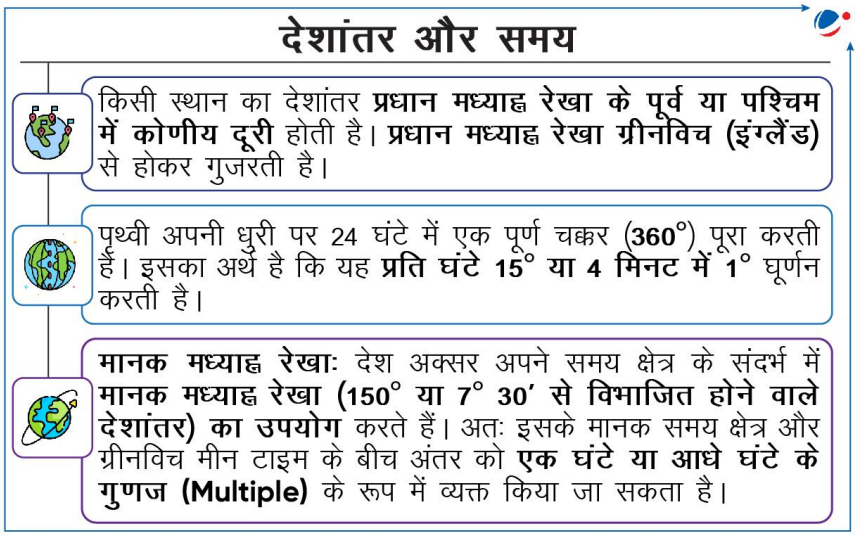

भारतीय मानक समय (IST) के बारे में

- भारत की **केंद्रीय मध्याह्न रेखा** (अर्थात **मिर्जापुर** से गुजरने वाली **82°30' पूर्व मध्याह्न रेखा**) को **मानक मध्याह्न रेखा या IST** के रूप में माना जाता है। IST का प्रबंधन और मेंटेनेंस **CSIR-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL)** द्वारा किया जाता है।
  - **केंद्रीय मध्याह्न रेखा:** यह **मिर्जापुर** से गुजरने वाली **82°30' पूर्व मध्याह्न रेखा** है।
- यह **ग्रीनविच मीन टाइम (GMT) से 5 घंटे 30 मिनट** आगे है। GMT को अब **यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड टाइम (UTC)** कहा जाता है।
  - **प्रधान मध्याह्न रेखा (0° देशांतर)** पर स्थानीय समय को **GMT** के नाम से जाना जाता है।
- असम के कई चाय बागानों में अनौपचारिक **'चाय बागान' या 'बागान टाइम'** (चाय बागान समय) का पालन किया जाता है, जो **IST से एक घंटा आगे** है।
  - इसे ब्रिटिश चाय कंपनियों द्वारा **दिन के समय काम के घंटे और उत्पादकता बढ़ाने के लिए** शुरू किया गया था।

5.4.11. स्ट्रैटोवोलकेनो (Stratovolcano)

एक दुर्लभ घटना में **माउंट फेंटाले ज्वालामुखी से मीथेन गैस का विशाल गुबार** निकला है। यह ज्वालामुखी **इथियोपिया** में स्थित है।

- **माउंट फेंटाले** एक **स्ट्रेटो ज्वालामुखी है,** जिसमें अंतिम बार **1820 में प्रस्फुटन** हुआ था।

स्ट्रैटोवोलकेनो के बारे में

- **स्ट्रैटोवोलकेनो या स्ट्रैटोज्वालामुखी लावा प्रवाह और ज्वालामुखीय राख की परतों से निर्मित** एक विशाल व खड़ी ढाल वाला ज्वालामुखी होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों से अक्सर विस्फोट या उदगार होते हैं।
- उदाहरण के लिए- माउंट **फ़ूजी** (जापान), माउंट **वेसुवियस** (इटली), माउंट **एटना** (इटली), माउंट **रेनियर** (अमेरिका), माउंट **क्राकाटोआ** (इंडोनेशिया), आदि।

मीथेन के विशाल गुबार के बारे में

- यह गैस ड्रिलिंग स्थलों जैसे **अत्यधिक बड़े उत्सर्जन स्थलों से विशाल मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन है।**
- मीथेन एक **शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस** है। **20 वर्ष की अवधि** में इसकी ग्लोबल वार्मिंग क्षमता (GWP) कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में **80 गुना अधिक** होती है।

5.4.12. माउंट डुकोनो (Mount Dukono)

हाल ही में, इंडोनेशिया के **माउंट डुकोनो में ज्वालामुखी विस्फोट** हुआ।

माउंट डुकोनो के बारे में

- यह **समुद्र तल से 1,087 मीटर की ऊंचाई** पर स्थित है। यह इंडोनेशिया के 127 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
- **अवस्थिति: हल्माहेरा द्वीप**

इंडोनेशिया में हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट की अन्य घटनाएं:

- **माउंट मेरापी:** यह **योग्याकार्टा शहर** के नजदीक स्थित है।
- **माउंट रुआंग:** यह **सुलावेसी द्वीप समूह** में स्थित एक स्ट्रैटोवोलकानो है।
- **माउंट लेवोटोबी लाकी-लाकी:** यह **फ्लोरेस द्वीप** में अवस्थित है।

5.4.13. कैस्पियन सागर (Caspian Sea)

पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर पर चिंता जताई है।

- 2005 के बाद से अब तक इसका लगभग 31,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल कम हो चुका है।

कैस्पियन सागर के बारे में

- यह विश्व का **सबसे बड़ा स्थलरुद्ध जल निकाय है।**
- **इस समुद्र की सीमा पांच देशों यानी** कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान और ईरान से लगती है।

- कैस्पियन सागर के साथ **सबसे लम्बी तटरेखा कजाकिस्तान की लगती है।**

- ऐसा अनुमान है कि कैस्पियन सागर में लगभग **48 अरब बैरल का तेल भंडार** है।
- **जल स्तर में गिरावट के कारण:** इसमें जलवायु संकट, कृषि के लिए अत्यधिक जल उपयोग तथा परमाणु अपशिष्ट, उद्योग और खराब शहरी नियोजन से होने वाला प्रदूषण आदि शामिल हैं।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

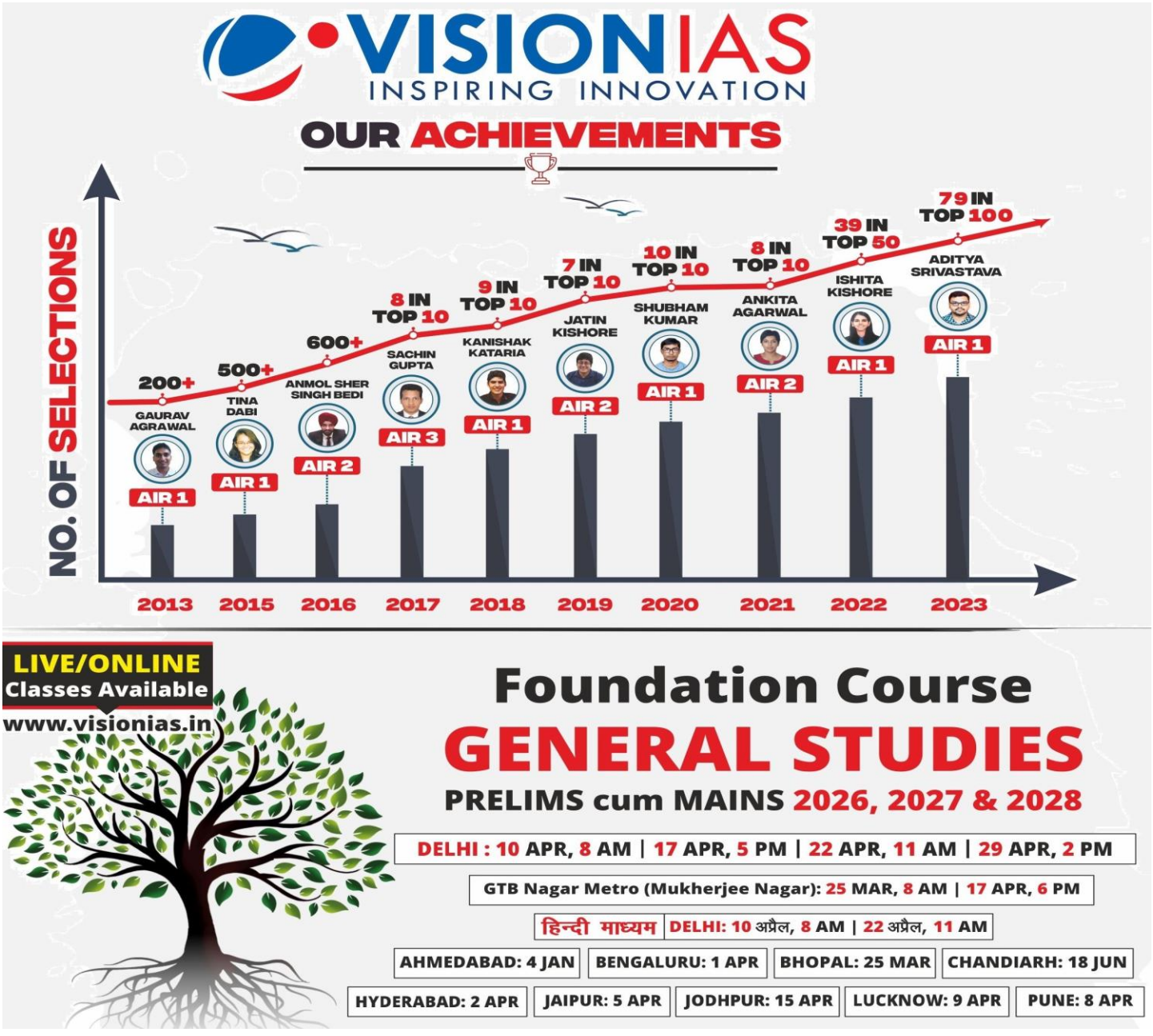

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. मध्यम आय वर्ग (Middle-Income Class)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई आयकर संरचना के तहत **12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वालों को आयकर से छूट प्रदान** की गई है। यह छूट भारत में **मध्यम आय वर्ग** को महत्वपूर्ण कर लाभ प्रदान करती है।

अन्य संबंधित तथ्य

- नई कर व्यवस्था के तहत शून्य कर स्लैब को **7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये** कर दिया गया है। इस परिवर्तन से वेतनभोगी करदाताओं को **75,000 रुपये की मानक कटौती** के कारण **12.75 लाख रुपये** तक का प्रभावी कर लाभ प्राप्त होगा।
- मध्यम वर्ग के लिए इस कर राहत का उद्देश्य **प्रयोज्य आय (Disposable incomes) में वृद्धि करना और उपभोक्ता खर्च को प्रोत्साहित** करना है। इससे अंततः **आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा** मिलेगा।

मध्यम आय वर्ग (MIC) के बारे में

- **परिभाषा:**
  - मध्यम आय वर्ग की कोई **विशिष्ट परिभाषा नहीं है, फिर भी उन्हें परिभाषित करने के लिए अलग-अलग पद्धतियों** का इस्तेमाल किया जाता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:
    - **आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)** उन लोगों को मध्यम-आय वर्ग समूह में शामिल करता है, जिनकी आय **प्रतिदिन 10 से 100 अमेरिकी डॉलर** के बीच है।
    - **पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज़ कंज्यूमर इकोनॉमी (PRICE)** के अनुसार, मध्यम वर्गीय परिवारों की वार्षिक आय 2020-21 की कीमतों के आधार पर ₹5 लाख से ₹30 लाख के बीच होती है।
  - इस प्रकार, मध्यम आय वर्ग को ऐसा **सामाजिक-सांस्कृतिक समूह** माना जा सकता है, जो **अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं** तथा जिनके गरीबी या सुभेद्य स्थिति में पड़ने की संभावना कम होती है।
- **मध्यम आय वर्ग में उल्लेखनीय विविधताएं मौजूद हैं, इनमें निम्नलिखित को शामिल किया गया हैं-**
  - **निम्न मध्यम वर्ग:** यह समूह आम तौर पर अपनी आय का अधिकांश हिस्सा **निजी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और गैर-आवश्यक उपभोक्ता** वस्तुओं, जैसे कि वाहन और बुनियादी घरेलू उपकरणों पर खर्च करता है।
  - **उच्च मध्यम वर्ग:** उपर्युक्त खर्चों के अलावा, यह समूह **विवेकाधीन वस्तुओं में भी निवेश** करता है और उनके पास कंप्यूटर, एयर कंडीशनर जैसी विलासिता की संपत्तियां होने की भी संभावना होती है।

भारतीय मध्यम आय वर्ग का विकास

- **स्वतंत्रता-पूर्व:** मध्यम आय वर्ग का प्रारंभिक स्वरूप मुख्य रूप से शिक्षित एवं उच्च जाति व अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग के एक छोटे समूह तक सीमित था। यह समूह ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों से अस्तित्व में आया था।
- **उदारीकरण के बाद विस्तार:** 1990 के दशक में हुए LPG[56] सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाया। इन सुधारों के बाद, भारतीय बाजार विदेशी कंपनियों के लिए खुल गया, जिससे सेवा और सूचना प्रौद्योगिकी (IT) जैसे क्षेत्रों में नौकरियों की भरमार हो गई। खासकर शहरों में, इस वजह से मध्यम वर्ग बहुत तेजी से बढ़ा।
- **वर्तमान और भविष्य के अनुमान:** PRICE के अनुसार, भारत में मध्यम वर्ग की जनसंख्या 2021 में **31%** थी। इसके **2031 तक 38% और 2047 तक 60% तक पहुंचने** का अनुमान है।

मध्यम वर्ग की बदलती प्रकृति का अलग-अलग क्षेत्रकों पर प्रभाव

अर्थव्यवस्था

- **उपभोग को बढ़ावा देना:** बढ़ती आय और मध्यम वर्ग का विस्तार भविष्य के उपभोग को नया आकार देगा। इससे **वस्त्र, संचार, व्यक्तिगत देखभाल आदि पर अतिरिक्त उपभोग बढ़ेगा।**
  - PRICE के अनुसार, मध्यम वर्ग और अमीर परिवार **2030-31 तक लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर के वृद्धिशील उपभोग व्यय[57] को बढ़ावा देंगे।**
- **एक नए बाजार का उदय:** शहरी मध्यम आय वर्ग स्थानीय और वैश्विक कंपनियों के लिए एक **विशाल बाजार एवं राजस्व स्रोत के रूप में कार्य** करता है। इस कारण ये कंपनियां अपनी ब्रांडिंग के लिए इन बाजारों को प्रभावी ढंग से लक्षित कर अपनी नीतियां तैयार करती हैं।
  - मध्यम आय वर्ग स्टार्ट-अप्स और नई सेवाओं की मांग पैदा करके एक गतिशील उद्यमिता परिवेश को भी बढ़ावा देता है।
- **समावेशी विकास:** एक मजबूत और समृद्ध मध्यम वर्ग शिक्षा एवं स्वास्थ्य में निवेश कर **स्वस्थ समाज के विकास में अपना योगदान** देता है। साथ ही, यह भ्रष्टाचार के प्रति असहिष्णु रहकर समावेशी विकास की नींव रखता है।

शहरी अवसंरचना

- **टियर-II शहरों को आकर्षक बनाना:** मध्यम वर्ग की बढ़ती **समृद्धि और उच्च क्रय शक्ति** से टियर-II एवं टियर-III शहरों में मांग बढ़ेगी। इससे वे निवेश और विकास के नए केंद्र बनेंगे।
- **उभरते विकास केंद्र:** नए मध्यम आय वर्ग के कारण शहरों में कॉफी शॉप, शॉपिंग मॉल, विविध मनोरंजन केंद्रों आदि का उदय हो रहा है।
- **आवासीय सोसाइटियों का उदय:** पहले, **गेटेड आवासीय सोसाइटियों को मुख्य रूप से उच्च वर्गों के लिए पसंदीदा आवास मॉडल** के रूप में देखा जाता था। हालांकि, मध्यम वर्ग के उदय ने इस प्रवृत्ति को टियर-II शहरों तक भी बढ़ा दिया है।

सामाजिक पहलू

- **बेहतर सामाजिक-आर्थिक परिणाम:** विभिन्न शोधों से पता चला है कि मध्यम वर्ग की अधिक हिस्सेदारी बेहतर संस्थानों का निर्माण करती है। इससे बदले में बेहतर सामाजिक-आर्थिक परिणाम प्राप्त होते हैं।
- **सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना:** सामाजिक मूल्यों और आर्थिक संवृद्धि के बीच एक सकारात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे-जैसे संपत्ति बढ़ती है, लोग लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्त्व देने, धार्मिक प्रभाव को कम करने और पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति अधिक संवेदनशील होने की प्रवृत्ति दिखाते हैं।

भारत में मध्यम आय वर्ग के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **बढ़ती महंगाई:** स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के निजीकरण ने गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को महंगा कर दिया है। इससे मध्यम वर्ग की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ रहा है।
- **बेरोजगारी:** बेरोजगारी का उच्च स्तर या अल्प-रोजगार वित्तीय असुरक्षा एवं स्थिर आय की कमी का कारण बनते हैं।
- **स्थिर वेतन वृद्धि:** आर्थिक संवृद्धि के बावजूद मध्यम वर्ग के वेतन में आनुपातिक वृद्धि नहीं हो रही है। इससे उनकी क्रय शक्ति प्रभावित हो रही है।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी खतरा:** विशेष रूप से बैंकिंग, आईटी और विनिर्माण क्षेत्रकों में स्वचालित नौकरियों के कारण अनेक मध्यमवर्गीय पेशेवर बेरोजगार हो रहे हैं।

---

[56] उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण

[57] Incremental consumption spend

- **कराधान और अपर्याप्त सामाजिक सुरक्षा:** प्राथमिक करदाता समूह होने के बावजूद, मध्यम आय वर्ग को निम्न आय समूहों की तुलना में सीमित कर प्रोत्साहन और सामाजिक लाभ प्राप्त होते हैं।
- **ऋण का बोझ:** जीवनशैली संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, मध्यम आय वर्ग अक्सर उपभोक्ता ऋण और क्रेडिट कार्ड ऋण का सहारा लेता है। इससे इस वर्ग की वित्तीय असुरक्षा बढ़ जाती है।
    - CareEdge की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में, भारत का **घरेलू ऋण GDP के 38% तक पहुंच** गया था। यह **हाउसहोल्ड लिवरेज में बढ़ती प्रवृत्ति** को दर्शाता है।
        - **हाउसहोल्ड लिवरेज:** इसका अर्थ उस सीमा से है, जिस तक परिवार अपने व्यय और निवेश के वित्त-पोषण के लिए ऋण का उपयोग करते हैं। इसे प्रायः कुल घरेलू ऋण और प्रयोज्य आय (Disposable income) के बीच अनुपात से मापा जाता है।
- **सामाजिक संरचनाएं:** पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण अक्सर पेशेवर परिस्थितियों में मध्यम वर्ग की महिलाओं को प्रभावित करता है तथा उनके करियर के विकास को सीमित करता है।

भारत में मध्यम वर्ग की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार कारक

- **आत्मनिर्भर विशेषता:** यह एक गलत धारणा है कि मध्यम वर्ग आत्मनिर्भर है और उसे सरकारी सहायता की आवश्यकता नहीं है, जबकि वह अप्रत्यक्ष करों, मुद्रास्फीति आदि के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है।
- **विषम संरचना:** इस वर्ग में सार्वजनिक क्षेत्रक के कर्मचारी, बढ़ई जैसे असंगठित कामगार, गिग वर्कर्स आदि भी शामिल हैं। इससे उनके लिए कोई विशेष प्रोत्साहन तैयार करना मुश्किल हो जाता है।
    - मध्यम वर्ग आमतौर पर दबाव समूह के रूप में संगठित नहीं होता है और विचारधारा से कम प्रेरित होता है। यहां तक कि मध्यम वर्ग से उभरने वाले राजनीतिक नेताओं का भी उन पर ध्यान केंद्रित नहीं होता है।
- **निम्न राजनीतिक भागीदारी:** मध्यम वर्ग में कम मतदान प्रतिशत उनके राजनीतिक और आर्थिक रूप से अनदेखा किए जाने का एक प्राथमिक कारण है।
- **नीति-निर्माण में सीमित प्रतिनिधित्व:** नीति-निर्माण निकायों में मध्यम वर्ग की चिंताओं को कम प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये संस्थाएं आमतौर पर व्यापारिक समूहों या ग्रामीण-आधारित एजेंडे से प्रभावित होती हैं।

निष्कर्ष

मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए एक बहुआयामी एप्रोच अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें कर लाभ, किफायती आवास और मजबूत श्रम बाजार नीतियां शामिल हों। उनकी सुभेद्यताओं को दूर करने, वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक व हितधारक-संचालित कार्य योजना आवश्यक है। इससे अर्थव्यवस्था और समाज में उनका निरंतर योगदान सुनिश्चित हो सकेगा।

6.2. त्रिभाषा फॉर्मूला (Three-Language Formula)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कुछ राज्यों में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)[58], 2020** के **त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध** किया जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) और त्रिभाषा फार्मूले के बारे में

- **NEP 2020:** प्रत्येक छात्र को तीन भाषाएं सीखनी होंगी, जिनमें से दो भारत की मूल भाषाएं होनी चाहिए।
- **पिछली नीतियों में बदलाव:** NEP, 1968 में **हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा अनिवार्य** थी, जबकि NEP 2020 भाषा का चयन करने में लचीलापन प्रदान करती है।
- **क्षेत्रीय लचीलापन:** राज्य और छात्र भाषाओं का चयन कर सकते हैं। साथ ही, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता का सम्मान करते हुए बहुभाषावाद को बढ़ावा दे सकते हैं।

त्रिभाषा फॉर्मूला नीति का विकासक्रम

- **संविधान का अनुच्छेद 351:** यह अनुच्छेद **संघ को हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कर्तव्यबद्ध** बनाता है।
- **कोठारी आयोग (1964-66):** इसने सबसे पहले **त्रिभाषा फॉर्मूला** का प्रस्ताव दिया था। इसे बाद में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968)** में अपनाया गया था।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 1968:** इसने **प्राथमिक और माध्यमिक स्तर** पर क्षेत्रीय भाषाओं के उपयोग की सिफारिश की थी और **विश्वविद्यालय स्तर** पर भी इसे अपनाने की सिफारिश की थी।
- **कार्य योजना 1992:** इसमें यह प्रावधान किया गया था कि **प्री-स्कूल स्तर पर मातृभाषा/ क्षेत्रीय भाषा** को बातचीत का माध्यम होना चाहिए।
- **शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009:** जहां तक संभव हो, स्कूल में **शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा** होनी चाहिए।
- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020:** इस नीति में कम-से-कम **कक्षा 5** तक और यदि संभव हो तो **कक्षा 8 और उससे आगे तक** शिक्षा के माध्यम के रूप में **घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा** का उपयोग करने की सिफारिश की गई है।

त्रिभाषा फॉर्मूले का महत्त्व/ लाभ

यूनेस्को की नवीनतम रिपोर्ट 'लैंग्वेजेज मैटर: ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन' के अनुसार, बहुभाषी शिक्षा-

- **पहुंच और समावेशन को बढ़ावा देती है**
  - **व्यापक शैक्षिक पहुंच:** विविध भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चों को उस भाषा में सीखने में मदद करती है, जिसे वे समझते हैं।
  - **माता-पिता की भागीदारी:** मातृभाषा में शिक्षा से माता-पिता की भागीदारी बढ़ती है।
  - **वंचित समूहों का समावेश:** यह शिक्षा में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सम्मान देने एवं समाहित करने में सहायक होती है।
- **सीखने के परिणामों में सुधार करती है**
  - **सामाजिक-भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना:** बहुभाषी शिक्षा बच्चों को स्वयं को बेहतर ढंग से व्यक्त करने और विविध दृष्टिकोणों को समझने में मदद करती है।
  - **बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन:** शोध से पता चलता है कि बहुभाषी छात्र उन्नत संज्ञानात्मक क्षमताओं के कारण अन्य विषयों में भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं।
- **सतत विकास का समर्थन करती है**
  - **सांस्कृतिक संरक्षण:** बहुभाषी शिक्षा भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखती है।
  - **आर्थिक लाभ:** उदाहरण के लिए- स्विट्जरलैंड अपने सकल घरेलू उत्पाद का 10% अपनी बहुभाषी विरासत में निवेश करता है।
  - **सामाजिक सौहार्द:** अलग-अलग भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच समझ एवं सहिष्णुता को बढ़ावा देती है।
  - **पर्यावरण का संरक्षण:** देशज भाषाएं पारंपरिक ज्ञान और सतत विकास की पद्धतियों को संरक्षित करती हैं।
- **राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है**
  - **प्रभावी संचार:** छात्रों को विविध क्षेत्रों के लोगों के साथ संवाद करने में मदद मिलती है।

[58] National Education Policy

- **विविधता में एकता:** अलग-अलग संस्कृतियों एवं भाषाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देती है, जिससे राष्ट्रीय पहचान मजबूत होती है।

त्रिभाषा फार्मूले के खिलाफ तर्क

- **राजनीतिकरण:** भाषा, विश्व के कई हिस्सों में एक संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा है। बहुभाषी शिक्षा का उपयोग लोगों को 'भूमिपुत्र (Sons of the soil)' की भावना को भड़काने के लिए किया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय एकता बाधित हो सकती है।
  - भूमिपुत्र, जो अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली होते हैं, अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक होते हैं। उन्हें अपने ही देश में आकर बसने वाले बहुसंख्यक संस्कृति के प्रवासियों से अपनी सांस्कृतिक पहचान के खोने का डर महसूस होता है।
- **भाषा सीखना एक विकल्प होना चाहिए:** वयस्क अपने प्रोफेशन और अन्य आवश्यकताओं के आधार पर नई भाषाएं सीख सकते हैं। ऐसा करने से स्कूलों में अनिवार्य भाषा नीतियों की आवश्यकता नहीं होगी।
- **प्राथमिक शिक्षा में संघर्ष:** भारत में कई छात्रों को बुनियादी साक्षरता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तीसरी भाषा जोड़ने से पहले से ही संसाधन-विहीन शिक्षा प्रणाली पर और अधिक बोझ बढ़ सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, एकभाषी (Monolingual) परिवारों से आने वाले बच्चों के लिए बहुभाषी शिक्षा भ्रमित करने वाली और मानसिक रूप से तनावपूर्ण हो सकती है।
- **योग्य शिक्षकों की कमी:** दूसरी और तीसरी भाषा के शिक्षकों की कमी से शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अवसंरचना जरूरी हो जाती है। यह अधिक दबाव डालने वाली शैक्षिक आवश्यकता बन जाती है, जिस पर अधिक व्यय करना पड़ता है। इस खर्च को अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **भाषाई रूप से विविध राज्यों के लिए चुनौतियां:** नागालैंड जैसे राज्य, जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं और संसाधनों की कमी है, उनके लिए त्रिभाषा फार्मूला लागू करना मुश्किल हो सकता है।
- **क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयां:** उदाहरण के लिए- हरियाणा में तमिल भाषा को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें कई व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं।
- **प्रौद्योगिकी भाषा संबंधी बाधा को कम करती है:** Google Gemini जैसे AI टूल्स त्वरित अनुवाद प्रदान करते हैं, जिससे भाषा में दक्षता की आवश्यकता कम हो जाती है।

त्रिभाषा फॉर्मूले को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए आगे की राह

- **शिक्षा की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना:** अधिक भाषाओं को जोड़ने की बजाय शिक्षण की गुणवत्ता और सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
- **सहकारी संघवाद को मजबूत करना:** NEP 2020 के सुचारू कार्यान्वयन और फंडिंग में देरी से बचने के लिए केंद्र एवं राज्यों के बीच संवाद को बढ़ावा देना चाहिए।
- **यूनेस्को के बहुभाषी शिक्षा दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करना:**
  - **डेटा-संचालित नीति:** प्रभावी योजना निर्माण के लिए सामाजिक-भाषाई और शैक्षिक डेटा एकत्र किया जाना चाहिए।
  - **शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन:** शिक्षार्थियों की भाषाओं में संसाधन विकसित करने चाहिए और मूल्यांकन प्रणाली को उसी के अनुसार अनुकूलित किया जाना चाहिए।
  - **योग्य शिक्षक:** ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो मातृभाषा और आधिकारिक भाषा दोनों में दक्ष हों।
  - **सामुदायिक भागीदारी:** माता-पिता, देखभाल करने वालों और देशज समूहों को प्रभावी बहुभाषी कार्यक्रमों के विकास में शामिल किया जाना चाहिए।

6.3. भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा (Quality Higher Education in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नीति आयोग ने **'राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा का विस्तार**[59]**'** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय

प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित तथा राज्य सरकार द्वारा ही वित्त-पोषित विश्वविद्यालयों को राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय (SPUs)[60] कहा जाता है।

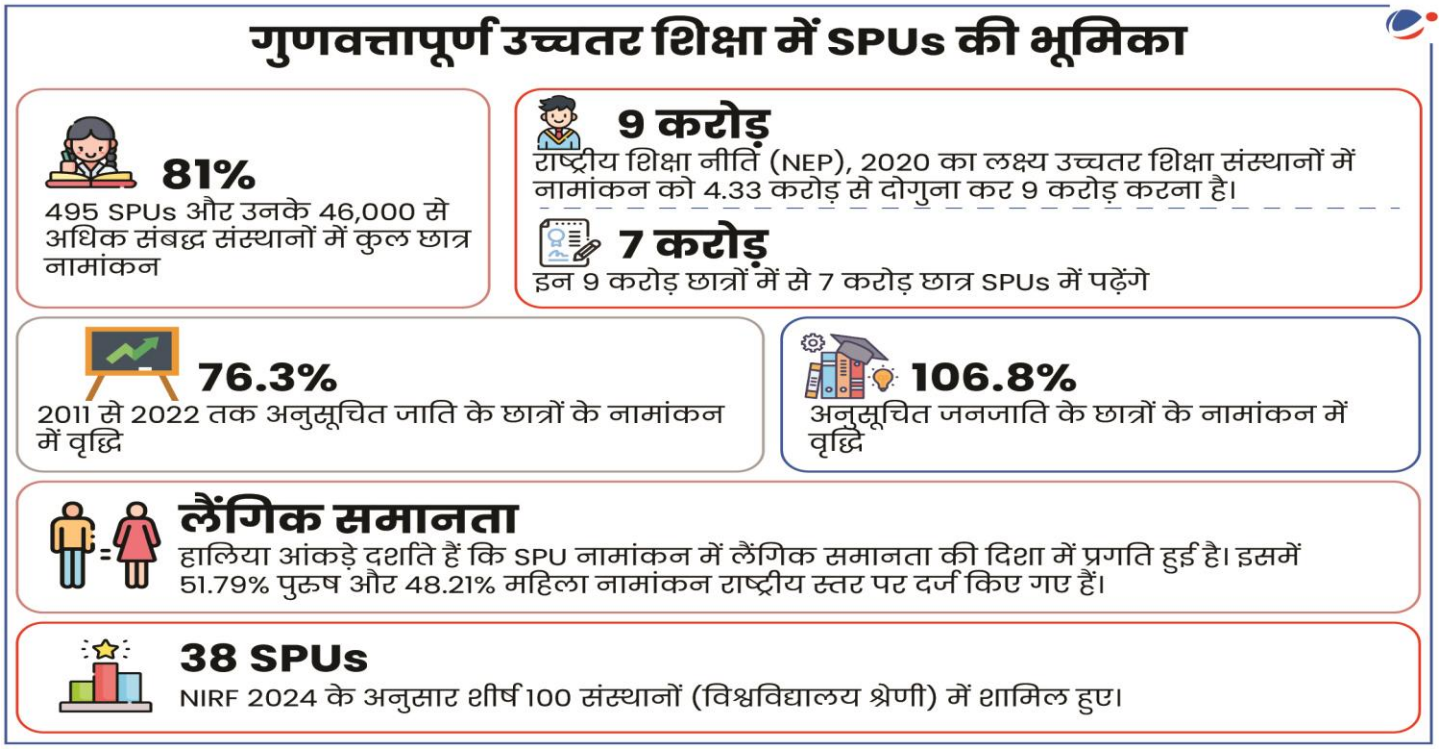

[59] Expanding Quality Higher Education through States and State Public Universities

[60] State Public Universities

भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति

AISHE रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार-

- **प्रवेश और नामांकन:**
  - **संस्थान:** देश में **1,168 विश्वविद्यालय, 45,473 कॉलेज और 12,002 स्टैंड अलोन संस्थान** हैं।
  - **छात्र नामांकन: 4 करोड़ से अधिक छात्र** उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस मामले में **भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश** बन गया है।
  - **सकल नामांकन अनुपात (GER)[61]:** यह **1950-51 के 0.4 से बढ़कर 2021-22 में 28.4** हो गया, जो **71 गुना वृद्धि** को दर्शाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 का लक्ष्य **2035** तक GER को बढ़ाकर **50%** करना है।
  - **लैंगिक समानता सूचकांक (GPI)[62]:** यह **2011-12 के 0.87 से बढ़कर 2021-22 में 1.01** हो गया, जिसमें **16% का सुधार** देखा गया है।
- **गुणवत्ता और शोध:**
  - **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR)[63]:** पिछले 5 वर्षों से **23:1** पर स्थिर बना हुआ है।
  - **शोध:** भारत का **वैश्विक शोध में योगदान 2017 के 3.5% से बढ़कर 2024 में 5.2%** हो गया, लेकिन उच्चतर शिक्षा कुल शोध आउटपुट में केवल **10% का योगदान** देती है।
- **वित्त-पोषण:** केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त व्यय (GDP के प्रतिशत के रूप में)-
  - **विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा:** 0.62%
  - **तकनीकी शिक्षा:** 0.95%
  - **समग्र तृतीयक (Tertiary) शिक्षा:** 1.57% (यह खर्च अधिकांश यूरोपीय देशों से बेहतर है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम से अभी भी थोड़ा पीछे है)।

भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा को प्राप्त करने में आने वाली मुख्य चुनौतियां

- **अकुशल प्रत्यायन (Accreditation) प्रणाली:** NAAC प्रत्यायन प्रणाली को लागू हुए लगभग 35 वर्ष हो चुके हैं, फिर भी **देश भर में 39% से भी कम विश्वविद्यालयों** को प्रत्यायन प्राप्त है। इसका आंशिक कारण प्रत्यायन की उच्च लागत है।
- **वित्तीय अंतराल:** भारत **समग्र तृतीयक शिक्षा बजट के मामले में वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान** पर है। हालांकि, **तृतीयक शिक्षा पर इसका प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय केवल लगभग 30 अमेरिकी डॉलर** है।
  - यह **ब्राज़ील (2.6 गुना अधिक)** जैसे कई उभरते देशों और **संयुक्त राज्य अमेरिका (35 गुना अधिक)** जैसे अधिकांश विकसित देशों से कम है।
- **कम प्रभावी शोध:**
  - सरकार और उच्चतर शिक्षा संस्थान (HEIs) **अनुसंधान एवं विकास पर बहुत कम खर्च** करते हैं। सरकार GDP के लगभग **0.7% के बराबर** ही खर्च करती है। इसके परिणामस्वरूप, नवाचार के अच्छे परिणाम सामने नहीं आते हैं।

शब्दावली को जानें

- **सकल नामांकन अनुपात (GER):** यह 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग में पात्र आबादी के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में नामांकित छात्रों की संख्या को मापता है।
- **लिंग समानता सूचकांक (GPI): GPI की गणना** किसी राज्य में कुल छात्राओं की आबादी को कुल छात्र आबादी से विभाजित करके की जाती है।
- **विद्यार्थी शिक्षक अनुपात (PTR):** PTR की गणना शिक्षा के किसी विशेष स्तर पर नामांकित स्टूडेंट्स की कुल संख्या को शिक्षकों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है।

[61] Gross Enrolment Ratio

[62] Gender Parity Index

[63] Pupil-Teacher Ratio

- शोधकर्ताओं को वित्त-पोषण, मान्यता, प्रोटोटाइप के व्यवसायीकरण और करियर में उन्नति के अवसरों जैसे प्रोत्साहनों की कमी है। इस कारण **गुणवत्तापूर्ण PhD छात्रों की कमी** रहती है। इससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) में फैकल्टी की कमी हो जाती है।

- **नीतिगत और गवर्नेंस संबंधी मुद्दे:**
  - **बहु-विषयक शिक्षा में अंतराल: MERUs[64]** के लिए कोई ठोस संरचना नहीं है। साथ ही, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, AI, डेटा गोपनीयता जैसे क्षेत्रकों में स्पष्ट नीतियों का अभाव है।
  - **विश्वविद्यालय पर कर का बोझ:** जो पैसे विश्वविद्यालय को दान (जैसे- CSR) के रूप में मिलते हैं, उन पर भी टैक्स लगता है। साथ ही, विश्वविद्यालय के पास कई तरह की इमारतें और सुविधाएं होती हैं। इन सुविधाओं के लिए बिजली और पानी जैसी चीजों के लिए उच्च टैक्स लगाया जाता है। इससे विश्वविद्यालय का खर्च बहुत बढ़ जाता है।
  - **सीमित स्वायत्तता:** उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शुल्क या पाठ्यक्रम तय करने की स्वतंत्रता के साथ-साथ प्रशासनिक स्वायत्तता की कमी का भी सामना करना पड़ता है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, और नवाचार बाधित होता है।
- **क्षेत्रीय असमानताएं:** AISHE रिपोर्ट 2021-2022 के अनुसार-
  - **विश्वविद्यालय घनत्व (प्रति 1 लाख पात्र छात्र पर):**
    - सर्वाधिक **सिक्किम (10.3), अरुणाचल प्रदेश (5.6), लद्दाख (5.2),** आदि में है।
    - जबकि **बिहार (0.2), उत्तर प्रदेश (0.3), पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र (0.6)** में यह घनत्व राष्ट्रीय औसत से भी कम है।
  - **सकल नामांकन अनुपात (GER):**
    - दक्षिणी राज्यों जैसे कि **तमिलनाडु (47- सबसे अधिक), केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश** में GER का स्तर **उच्च** है। वहीं उत्तरी राज्यों जैसे कि **बिहार, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में** GER का स्तर काफी **निम्न** है।
  - **लैंगिक समानता सूचकांक (GPI):** यह **केरल** में सबसे अधिक **(GPI 1.44)** है। उसके बाद **हिमाचल प्रदेश और मेघालय** का स्थान आता है। जबकि **ओडिशा (0.88) और त्रिपुरा (0.89) में सबसे कम** GPI है।
  - **छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR):**
    - **तमिलनाडु (14), गोवा, कर्नाटक और केरल** में छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से **बेहतर** है।
    - जबकि **बिहार (64), झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़** में छात्र-शिक्षक अनुपात राष्ट्रीय औसत से भी **नीचे** है।

गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए प्रमुख पहलें

- **2025-26 के बजट में मुख्य घोषणाएं:**
  - **10,000 प्रधान मंत्री अनुसंधान फेलोशिप (PMRF)** का चयन करना।
    - **PMRF योजना** का उद्देश्य भारत के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों का डॉक्टरेट अनुसंधान में समर्थन करना है।
  - **दूसरी जनरेशन के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs)** में 6,500 सीटों की वृद्धि करना।
  - क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए **भारतीय भाषा टेक्स्टबुक** योजना शुरू की गई है।
- **मूल्यांकन और रैंकिंग:**
  - **राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (NAAC)[65]:** NAAC की स्थापना **1994 में UGC के तहत एक स्वायत्त संस्थान** के रूप में की गई थी। इसने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के मूल्यांकन और उन्हें प्रत्यायन देने के लिए सात मानदंड स्थापित किए हैं।
  - **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)[66]:** NIRF को **2015** में शुरू किया गया था। यह पूरे भारत के उच्चतर शिक्षा संस्थानों को एक **मानकीकृत पद्धति से रैंकिंग** प्रदान करता है।
- **अवसंरचना संबंधी विकास:**
  - **उच्चतर शिक्षा वित्त-पोषण एजेंसी (HEFA)[67]:** इसका उद्देश्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में पूंजीगत परिसंपत्तियों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं जैसी अत्याधुनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्त-पोषण प्रदान करना है।

[64] Multidisciplinary Education & Research Universities/ बहु-विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों

[65] National Assessment and Accreditation Council

[66] National Institutional Ranking Framework

[67] Higher Education Financing Agency

- **नॅशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर (NDEAR):** इसे **2021** में शुरू किया गया था। NDEAR ने **शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा** देने के लिए एक व्यापक डिजिटल अवसंरचना स्थापित की है।
- **प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA):** इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा संचालित विशिष्ट विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को वित्त-पोषित करना है, ताकि उनकी गुणवत्ता में सुधार हो सके।

- **अनुसंधान एवं विकास:**
  - **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF):** इसे देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने, विकसित करने तथा उसका विस्तार करने की लिए स्थापित किया गया है।
  - **शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (SPARC)[68]:** इसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान को बढ़ावा देना है। इसके लिए यह योजना **शीर्ष रैंक वाले भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त विदेशी संस्थानों के बीच साझेदारी** की सुविधा प्रदान करती है।
  - **वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) योजना:** इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा प्रबंधित सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों, शिक्षकों व शोधकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों के उच्च प्रभाव वाले शोध लेखों और जर्नल तक देशव्यापी पहुंच की सुविधा दी जाती है।
  - **त्वरित नवाचार और अनुसंधान साझेदारी (PAIR)[69] कार्यक्रम:** इसे **अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन** ने शुरू किया है। इसके तहत **उच्च NIRF रैंकिंग वाले संस्थान (हब्स) उभरते संस्थानों (स्पोक्स)** को अनुसंधान गतिविधियों में **मार्गदर्शन प्रदान** करेंगे। इसके अलावा, अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए पहुंच भी प्रदान करेंगे।
- **रोजगार क्षमता को बढ़ावा:**
  - **नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF):** यह एक व्यापक प्रणाली है, जिसे **नई शिक्षा नीति (NEP), 2020** के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अकादमिक शिक्षा को व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा के साथ एकीकृत करना है।
  - **पीएम इंटर्नशिप योजना:** इस योजना में रोजगार क्षमता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए **पांच वर्षों में 1 करोड़ इंटर्नशिप** प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा के लिए आगे की राह

- **वित्त-पोषण और फंडिंग:** नई शिक्षा नीति (NEP) द्वारा अनुशंसित **बजट आवंटन** सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही, **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** का अवसंरचना, अनुसंधान और कौशल विकास के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
  - **उदाहरण के लिए- तेलंगाना एकेडमी फॉर स्किल एंड नॉलेज (TASK)** को गैर-लाभकारी संगठन के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन और सेवाएं प्रदान करके उद्योग-अकादमिक शिक्षा के बीच के अंतर को समाप्त करना है।
- **गवर्नेंस में सुधार:** सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के लिए **'विनियामक-सुविधाकर्ता'** मॉडल[70] को अपनाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें पाठ्यक्रम विकास, फैकल्टी की नियुक्ति जैसे मामलों में अधिक स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए।
- **अवसंरचना में सुधार:** उदाहरण के लिए- **उत्कृष्टता और समानता के लिए ओडिशा उच्चतर शिक्षा कार्यक्रम (OHEPEE)[71]** के तहत 850 कॉलेजों को कवर किया गया है। इसका उद्देश्य शैक्षिक मानकों और मूलभूत अवसंरचना को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है।
- **शिक्षा पद्धति में सुधार: शिक्षण प्रभावशीलता के मूल्यांकन** के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक विश्वविद्यालय में **पाठ्यक्रम समीक्षा समितियों की स्थापना** करनी चाहिए।
- **उच्चतर शिक्षा का डिजिटलीकरण:** समर्पित डिजिटल लर्निंग सेंटर्स स्थापित करने चाहिए, छात्रों के जीवन की सभी अवस्थाओं में प्रबंधन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपनाने चाहिए, आदि।
  - **केरल की 'लेट्स गो डिजिटल'** पहल के तहत ICT-आधारित शिक्षण विधियों और डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री के माध्यम से डिजिटल शिक्षण पहल की शुरुआत की गई है।

---

[68] Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration

[69] Partnerships for Accelerated Innovation and Research

[70] Regulatory-facilitator' model

[71] Odisha Higher Education Programme for Excellence and Equity

- **शोध की गुणवत्ता में सुधार:**
  - **नीतिगत फ्रेमवर्क:** ANRF के अनुरूप एक राष्ट्रीय अनुसंधान नीति फ्रेमवर्क को विकसित और लागू किया जाना चाहिए।
  - **क्षमता निर्माण:** शिक्षकों और प्रशासकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए।
    - उदाहरण के लिए- **महाराष्ट्र स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी** की स्थापना शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई है।
  - **उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण:** उदाहरण के लिए- **गुजरात में GIFT सिटी ने विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों** को अपनी शर्तों के तहत परिसर स्थापित करने की अनुमति दी है।
  - **उद्योग-अकादमिक सहयोग:** विश्वविद्यालयों में **इंडस्ट्री रिलेशन सेल (IRC)** स्थापित करने चाहिए। इसके अलावा CII, फिक्की (FICCI), एसोचैम (ASSOCHAM), नैसकॉम (NASSCOM) जैसे मौजूदा उद्योग संघ मंचों का भी उपयोग करना चाहिए।
    - छात्र-नेतृत्व वाले स्टार्ट-अप्स का समर्थन करने के लिए **इनक्यूबेशन सेंटर या को-वर्किंग स्पेस** स्थापित किए जाने चाहिए।

6.4. स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण {Swachh Bharat Mission-Grameen (SBM-G)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **'स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G)' के कार्यान्वयन का विश्लेषण** करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के बारे में

- इसे **2014** में शुरू किया गया था। यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। यह **ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्वच्छता कवरेज** प्राप्त करने पर केंद्रित है।
- **SBM-G के उद्देश्य:**
  - **चरण-I (2014-2019): महात्मा गांधी** की 150वीं जयंती यानी 2 अक्टूबर, 2019 तक देश को **खुले में शौच से मुक्त (ODF)** बनाना। इसके लिए **सभी ग्रामीण परिवारों को शौचालय की सुविधा प्रदान** करने का कार्य किया जा रहा था।
  - **चरण-II (2019-2025):** इसकी शुरुआत **2020** में ग्रामीण क्षेत्रों में **'संपूर्ण स्वच्छता'** सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसके तहत गांवों को **ODF प्लस मॉडल** के रूप में विकसित करने हेतु **घरेलू शौचालयों और उचित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली** का निर्माण किया जा रहा है। इसमें कोई भी गांव/ परिवार पीछे न छूटे इस सिद्धांत पर ध्यान दिया गया है।

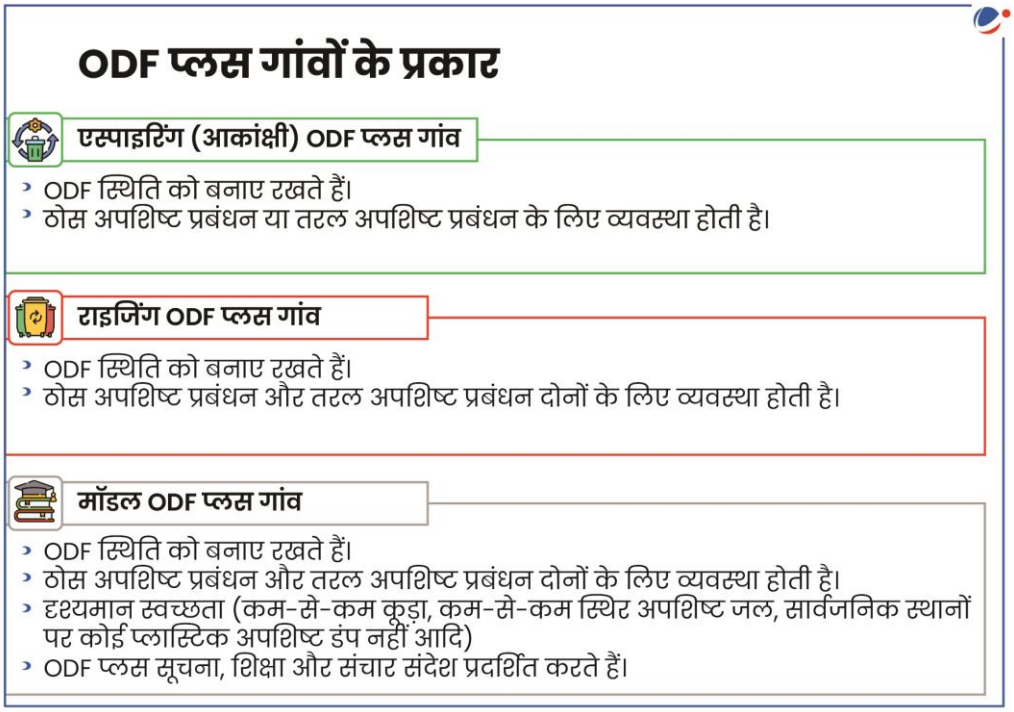

  - **ODF प्लस मॉडल में निम्नलिखित शामिल हैं: -**
    - ODF में स्थायित्व (ODF Sustainability);
    - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management);
    - तरल अपशिष्ट प्रबंधन (Liquid Waste Management); तथा
    - ऐसी स्वच्छता, जो दिखे (Visual Cleanliness)।

- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - **वित्त-पोषण पैटर्न:**
    - **60:40-** केंद्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिए।
    - **90:10-** पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के मामले में।
    - **अन्य केंद्र शासित प्रदेश: 100%** हिस्सा केंद्र द्वारा वहन किया जाता है।
  - **12,000/- रुपये का प्रोत्साहन:** इस मिशन के तहत व्यक्तिगत घरेलू शौचालय निर्माण के लिए सभी BPL परिवारों और कुछ चिन्हित APL परिवारों (SC/ ST, दिव्यांगजन वाले परिवार, गृहस्थल वाले भूमिहीन श्रमिक, लघु व सीमांत किसान, और महिला मुखिया वाले परिवारों) को यह राशि सहायता के रूप में देने का प्रावधान है।
    - **BPL:** गरीबी रेखा से नीचे।
    - **APL:** गरीबी रेखा से ऊपर।
    - **गृहस्थल (Homestead):** ऐसे मजदूर जिनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, लेकिन उनके पास रहने के लिए थोड़ी सी जमीन (गृहस्थल) है, जिस पर उनका घर बना हुआ है।

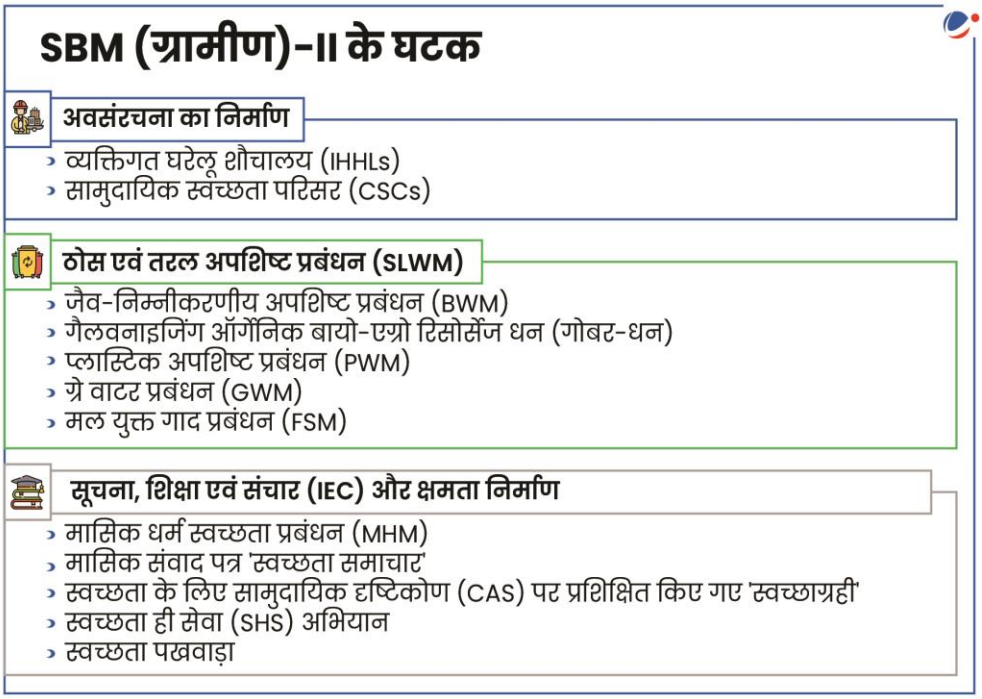

  - **जन आंदोलन मॉडल:** इसे दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम माना जाता है।
  - **स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG):** यह एक **वार्षिक** सर्वेक्षण है, जिसका आयोजन एक **थर्ड पार्टी सर्वेक्षण एजेंसी** द्वारा किया जाता है।
  - **स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2024 अभियान:** इसका उद्देश्य देश भर में स्वच्छता प्रयासों में सामूहिक कार्रवाई और नागरिक भागीदारी की भावना को फिर से जगाना है।

योजना की प्रगति और उपलब्धियां

- **चरण-I के प्रभाव:**
  - अक्टूबर 2019 तक, देश भर के **सभी 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों ने स्वयं को ODF घोषित** कर दिया था।
  - **ग्रामीण स्वच्छता कवरेज:** 2014 के 39% से बढ़कर 2019 में **100%** हो गया था।
  - **स्वास्थ्य:** WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार, SBM के कारण 2014 की तुलना में 2019 में डायरिया से होने वाली मौतों की संख्या में 3 लाख तक की गिरावट देखने को मिली थी।
  - **पोषण और उत्पादकता:** बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के अनुसार, ODF क्षेत्रों की तुलना में गैर-ODF क्षेत्रों के बच्चों में **दुबलेपन (Wasting) के मामले 58% अधिक** दर्ज किए गए हैं।
  - **महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान:** यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, **93% महिलाओं** ने घर में शौचालय बनने के बाद स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस किया है।
  - **स्वास्थ्य व्यय में बचत:** यूनिसेफ के अनुसार, ODF गांवों में रहने वाले परिवारों ने **हर साल औसतन 50,000 रुपये की बचत** की है, क्योंकि उन्हें बीमारियों पर कम खर्च करना पड़ा।

- **चरण-II की उपलब्धियां:**
  - इस चरण में **5,87,529 गांवों में से 5,57,468 गांवों (लगभग 95%) को ODF प्लस** घोषित किया गया है।
  - **SBM-G डैशबोर्ड (मार्च, 2025) के अनुसार:**
    - **ODF-प्लस मॉडल राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** सिक्किम और लक्षद्वीप
    - **ODF-प्लस राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश:** लद्दाख
    - **5 लाख से अधिक गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन,** दोनों की व्यवस्था है।

कार्यान्वयन में चुनौतियां (जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति के अनुसार)

- **कमजोर प्रदर्शन:** पिछले 5 वर्षों में धीमी प्रगति के कारण लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो रहा है-
  - SWM (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) और LWM (तरल अपशिष्ट प्रबंधन) में क्रमशः **मात्र 35% एवं 57% लक्ष्य हासिल** किए गए हैं।
  - **ODF प्लस (मॉडल) गांवों** के संबंध में केवल **56% लक्ष्य** हासिल किए गए हैं।
  - व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHLs) तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSCs) के मामले में क्रमशः **मात्र 31% और 8% लक्ष्य हासिल** किए गए हैं।
- **आवंटित धनराशि का कम उपयोग:** चालू वित्त वर्ष **2024-25** में अब तक केवल **19.61% बजट** का उपयोग किया गया है।
- **अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (EBR)[72] पर निर्भरता:** पिछले **5 वर्षों** के दौरान बजटीय आवंटन का **9-17% हिस्सा EBR पर ब्याज भुगतान** में खर्च किया गया था। इसके कारण प्रभावी उपयोग के लिए **उपलब्ध धनराशि कम** हो गई थी।
- **अपर्याप्त प्रोत्साहन:** वर्तमान में, BPL परिवारों को **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों (IHHL)** के निर्माण के लिए **12,000 रुपये की वित्तीय सहायता** दी जाती है, लेकिन यह **2014 के आकलन** पर आधारित होने के कारण अब अपर्याप्त है।
- **उचित मूल्यांकन संबंधी चुनौतियां: SSG-2023 मूल्यांकन में कई खामियां** हैं, जैसे- छोटे स्तर पर सर्वेक्षण, थर्ड पार्टी सर्वेक्षण एजेंसी की विश्वसनीयता पर संदेह, अपनाई गई कार्य-प्रणाली में दोष, आदि।
- **क्षेत्रीय असमानता:** मणिपुर, मेघालय, झारखंड, पंजाब और नागालैंड जैसे राज्य **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM)** लक्ष्यों को प्राप्त करने में पिछड़ रहे हैं।
- **अन्य:**
  - कई राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में **स्वच्छता सेवाओं के लिए पर्याप्त वाहन नहीं** हैं;
  - बहुत कम ब्लॉक्स में **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां (PWMUs)[73]** स्थापित की गई हैं;
  - **छूटे हुए परिवारों की पहचान के लिए नया सर्वेक्षण नहीं** किया गया है, आदि।

सिफारिशें (जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति)

- **त्वरित कार्यान्वयन:** मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में आ रही समस्याओं की पहचान और समाधान के लिए **राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर त्वरित प्रयास** करने की आवश्यकता है।
- **आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग: निर्धारित समय-सीमा** में आवंटित बजट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने तथा **निधियों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं उन्हें जारी करने के लिए रोडमैप** तैयार करने की जरूरत है।
  - **EBR के माध्यम से धन जुटाने से बचने की कोशिश** करनी चाहिए, क्योंकि इसके कारण ब्याज के रूप में बड़ी राशि का भुगतान करना पड़ता है।
- **व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि** की वर्तमान मुद्रास्फीति दर के आधार पर **समीक्षा करने और उसमें संशोधन** करने की आवश्यकता है।
- मुख्य ODF प्लस मापदंडों की कार्यक्षमता का सटीक मूल्यांकन करने के लिए एक **व्यापक निगरानी तंत्र विकसित** किया जाना चाहिए।

---

[72] Extra Budgetary Resources

[73] Plastic Waste Management Units

- **ठोस और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार** करने के लिए स्वच्छता वाहनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए फॉरवर्ड लिंकेज के विकास एवं कार्यात्मक PWMUs की संख्या बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

6.5. जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission: JJM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन (JJM) को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही, इस मिशन के **बजट में भी वृद्धि** की गई है।

जल जीवन मिशन (JJM) के बारे में

- इसकी शुरुआत **2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP)**[74] का पुनर्गठन और जल जीवन मिशन में उसका विलय करके की गई थी।
  - आरंभ में, इसका उद्देश्य **2024 तक अतिरिक्त 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों** को नल से जल उपलब्ध कराना था।
- **उद्देश्य: 'हर घर जल (HGJ)' यानी-**
  - **प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC)**[75] **प्रदान** करना;
  - भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार निर्धारित गुणवत्ता की **पर्याप्त मात्रा** सुनिश्चित करना;
    - **पर्याप्त मात्रा:** न्यूनतम जलापूर्ति स्तर **55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (lpcd)** है।
  - **नियमित व दीर्घकालिक आधार** पर जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना;
  - **किफायती शुल्क** पर जल उपलब्ध कराना; आदि।
- **नोडल मंत्रालय:** जल शक्ति मंत्रालय के तहत **पेयजल और स्वच्छता विभाग।**
- **योजना का प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है।
- **केंद्र और राज्य के बीच वित्त-पोषण पैटर्न:**
  - हिमालयी राज्यों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश) और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए **90:10 के अनुपात** में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी;
  - **केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% वित्त-पोषण केंद्र सरकार द्वारा।**
  - शेष राज्यों के लिए केंद्र-राज्य वित्त-पोषण **अनुपात 50:50** है।
- **योजना की मुख्य विशेषताएं:**
  - **जल आपूर्ति के लिए फोकस में बदलाव:** "बस्तियों से घरों तक"।
  - यह एक **विकेंद्रीकृत, मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित** जलापूर्ति योजना है।
    - योजना के तहत **'पब्लिक यूटिलिटी'** की भूमिका की जिम्मेदारी **ग्राम पंचायत** या उपयोगकर्ता समूहों से बनी उसकी **उप-समिति** को दी गई है।
    - प्रत्येक गांव में **कम-से-कम 5 व्यक्तियों (प्राथमिक रूप से महिलाओं)** को, ग्राम स्तर पर जल की गुणवत्ता की जांच करने हेतु **फील्ड टेस्ट किट्स (FTKs)** का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।
  - **जल जीवन सर्वेक्षण (JJS):** इसे 2022 में शुरू किया गया था। इसके तहत JJM के उद्देश्यों को प्राप्त करने में **जिलों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन** किया जाता है।
  - **महिलाओं और कमजोर वर्गों की केंद्रीय भूमिका:** ग्राम जल और स्वच्छता समिति (VWSC)/ जल समितियों के न्यूनतम **50% सदस्य महिलाएं** होनी चाहिए। साथ ही, इसमें समाज के कमजोर वर्गों का भी उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

---

[74] National Rural Drinking Water Programme

[75] Functional Household Tap Connection

- **तकनीकी हस्तक्षेप: JJM-IMIS (जल जीवन मिशन-एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली),** रियल-टाइम डैशबोर्ड, परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, जल आपूर्ति माप के लिए सेंसर-आधारित इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT) समाधान, **JJM-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (JJM-WQMIS)** आदि।
- **जागरूकता पैदा करना और हितधारकों की भागीदारी:** इसके अंतर्गत जल के लिए जन-आंदोलन चलाना तथा लोगों को नकद, वस्तु और/ या श्रम तथा स्वैच्छिक श्रम **(श्रमदान)** में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना आदि शामिल हैं।

नोट: *जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी के महत्त्व के बारे में और अधिक जानकारी के लिए अक्टूबर, 2024 मासिक समसामयिकी का आर्टिकल 5.1. देखें।*

प्रगति और उपलब्धियां

- **11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** ने अपने सभी ग्रामीण घरों **(100%)** में नल से जल कनेक्शन प्रदान किए हैं।
  - **'हर घर जल' यानी जिन राज्यों में 100% परिवारों को नल से जल प्राप्त हो रहा है- (राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश जल आपूर्ति विभाग द्वारा पुष्टि):** मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, आदि।
  - **'हर घर जल' प्रमाणित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश[76] (ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव, जिसमें जल आपूर्ति विभाग के दावों का पता लगाया गया):** गोवा, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, आदि।
- **मिशन के शुभारंभ के बाद से 75.89% कनेक्शन जोड़े गए हैं।**
  - **वर्ष 2019** में केवल **3.23 करोड़ (17%)** ग्रामीण घरों में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध था, जो **फरवरी 2025 में बढ़कर 15.44 करोड़ (79.74%)** हो गया।
- **9,32,440 स्कूलों और 9,69,585 आंगनवाड़ी केंद्रों** में नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

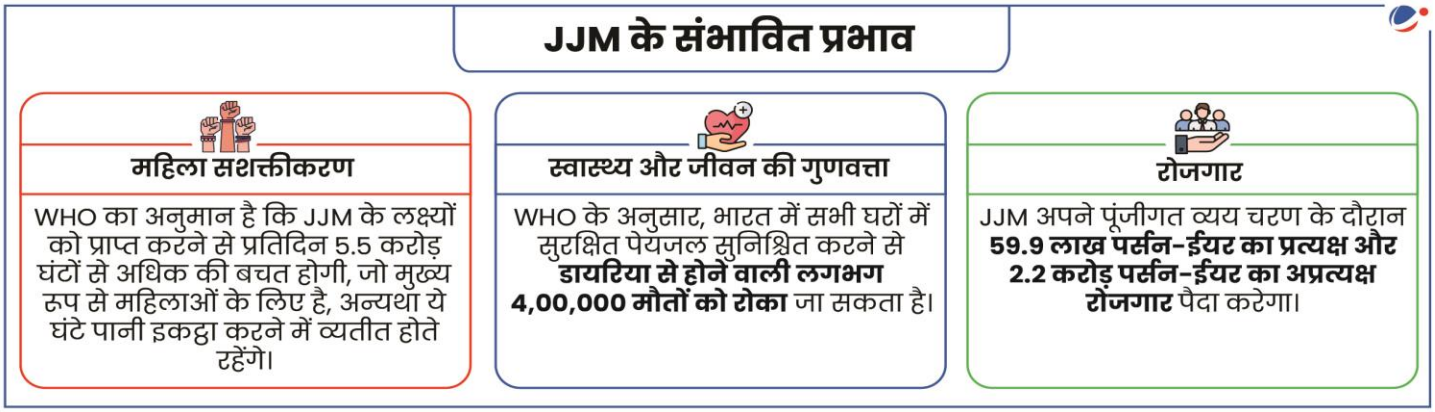

जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति (2024-25) की रिपोर्ट के अनुसार, कार्यान्वयन में मौजूद चुनौतियां

- **फंड्स का कम उपयोग:** चालू वित्त वर्ष **2024-25** के लिए आवंटित फंड्स का केवल **30.72%** ही उपयोग किया गया है।
- **शत प्रतिशत 'हर घर जल (HGJ)' स्थिति प्राप्त करने की धीमी दर:** केवल **11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** ने HGJ स्थिति प्राप्त की है। **शत प्रतिशत स्थिति प्राप्त न होने के पीछे निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-**
  - बहु-ग्राम योजनाओं की लंबी जेस्टेशन अवधि;
  - सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय क्षेत्रों में भू-जल स्रोतों की कमी व भूगर्भीय संदूषण;
  - पहाड़ी और वन क्षेत्रों में भू-भाग संबंधी चुनौतियां;
  - राज्यों में वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं का अभाव;
  - नोडल एजेंसियों से मंजूरी में देरी; आदि।

[76] HGJ Certified States/ UTs

- **व्यापक परिचालन एवं रखरखाव (O&M)[77] नीति का अभाव:** O&M नीतियों की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी गई है, लेकिन अभी तक केवल **12 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों** ने ग्रामीण जल अवसंरचना की संधारणीयता के लिए O&M नीतियां अधिसूचित की हैं।
    - राज्यों को **संस्थागत एवं तकनीकी क्षमताओं की कमी, वित्तीय बाधाओं और समन्वय से जुड़ी चुनौतियों** का सामना करना पड़ रहा है।
- **जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं (WQTL)[78] की कमी:** वर्तमान में, लगभग **5.86 लाख गांवों के लिए केवल 2160 WQTLs** मौजूद हैं।
    - इसके अलावा, सभी प्रयोगशालाओं को **NABL[79] द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं** है।
- **जल संधारणीयता पर कम ध्यान:** वर्तमान में, JJM के तहत जल के प्रमुख स्रोतों में **52% भू-जल और 48% सतही जल** है।

जल संसाधन पर संसदीय स्थायी समिति (2024-25) की रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

- केंद्र-राज्य समन्वय के साथ **समयबद्ध तरीके से JJM के कार्यान्वयन के लिए फंड्स के उपयोग में तेजी लाने का प्रयास** करना चाहिए।
- **कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों को सक्रिय रूप से सहायता** प्रदान की जानी चाहिए।
- राज्य जल और स्वच्छता मिशन की **शीर्ष समिति में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित** किया जाना चाहिए।
- **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को जल्द-से-जल्द उनकी O&M नीति** को अधिसूचित करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में WQTLs की संख्या बढ़ाने और मौजूदा प्रयोगशालाओं की NABL मान्यता** के लिए समयबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए।
    - इसके अलावा, JJM के परिचालन दिशा-निर्देशों को संशोधित करके **जल गुणवत्ता निगरानी और चौकसी (WQM&S)[80]** के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को **2% आवंटन अनिवार्य** किया जा सकता है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए योजनाएं/ रणनीतियां** बनाई जानी चाहिए।
    - **उदाहरण के लिए-** पारंपरिक जल निकायों का पुनरुद्धार और कायाकल्प; गाद निकालना; वर्षा जल संचयन एवं जनता को शिक्षित करना; आदि।

[77] Operation and Maintenance

[78] Water Quality Testing Laboratories

[79] National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories/ राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड

[80] Water Quality Monitoring and Surveillance

6.6. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

6.6.1. "इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस" अभियान ("Imagine A World With More Women in Science" Campaign)

यूनेस्को ने "इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस" अभियान शुरू किया।

- यह अभियान **अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।** साथ ही, यह ***#EveryVoiceInScience*** का उपयोग करके अलग-अलग दृष्टिकोणों के सकारात्मक प्रभाव को भी उजागर करता है।
- ज्ञातव्य है कि **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2015 में 11 फरवरी को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस'** के रूप में घोषित किया था।

विज्ञान में लैंगिक असमानता

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **कम भागीदारी:** वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं की भागीदारी केवल **एक तिहाई है।**
  - **नेतृत्व में कमी: 10 में से केवल 1** महिला ही STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित) क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका में है।
- **भारत में:**
  - **STEMM** (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) में महिलाओं का नामांकन **43%** है।
  - भारत में **महिला वैज्ञानिकों की संख्या 18.6% है, जबकि 25% शोध परियोजनाएं महिलाएं** चला रही हैं।

चुनौतियां

- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंड,** जैसी प्रतिबंधात्मक लैंगिक भूमिकाएं,
- **रोल मॉडल की कमी,** जैसे विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात महिलाओं की कम संख्या,
- **कार्यस्थल असमानता,** जैसे पक्षपातपूर्ण वर्क कल्चर आदि।

उठाए जाने वाले कदम

मानक	सुझाए गए उपाय
विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को खत्म करना	निम्नलिखित तरीकों से महिला रोल मॉडल के प्रचार को बढ़ाया जा सकता है: • महिला वैज्ञानिकों की खोजों और कहानियों को इमेज के साथ स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करना चाहिए। • प्रासंगिक बोर्डों, समितियों और पैनल में महिलाओं का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।
विज्ञान में लड़कियों के लिए शिक्षा के विकल्प खोलना	इसके लिए नवीन एवं प्रेरक शैक्षिक रणनीतियों एवं पहलों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे: • टीचिंग और लर्निंग सामग्रियों से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए। • विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को बढ़ावा देने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसी पहलों को लागू करने हेतु कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
महिला वैज्ञानिकों को आकर्षित करने, बनाए रखने और आगे बढ़ाने वाले कार्यस्थल परिवेश का निर्माण करना	कार्यस्थल पर समावेशिता, विविधता और समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां अपनानी चाहिए, जैसे: • लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न सहित लैंगिक हिंसा के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। • नेतृत्वकारी पदों पर महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

6.6.2. स्वावलंबिनी (Swavalambini)

केंद्रीय **कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबिनी** का शुभारंभ किया।

स्वावलंबिनी के बारे में

- यह महिला उद्यमिता कार्यक्रम[81] है, जिसे आरंभ में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEIs) में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को अब देश के अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जा रहा है।
- **कार्यान्वयन:** नीति आयोग के साथ संयुक्त साझेदारी में **राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD)**[82] द्वारा।
- इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के चुनिंदा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में छात्राओं को **आवश्यक उद्यमशीलता सोच, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है, ताकि वे सफल उद्यमी** बन सके।
- यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपनी उद्यमिता सोच को सतत संभावनाओं में बदलने में मदद करने के लिए **छह महीने का मार्गदर्शन और सहायता** भी प्रदान करता है।

6.6.3. NGO प्रथम फाउंडेशन ने 'वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2024' जारी की {ASER 2024 Released By Ngo Pratham Foundation}

ASER **बच्चों की स्कूली शिक्षा और सीखने की स्थिति का एक राष्ट्रव्यापी ग्रामीण परिवार-आधारित सर्वेक्षण** है। यह निम्नलिखित का परीक्षण करती है-

- **3-16 वर्ष** की आयु वर्ग के बच्चों की **स्कूली शिक्षा की स्थिति;** तथा
- **5-16 वर्ष** की आयु वर्ग के बच्चों की **सरल पठन सामग्री को पढ़ने और बुनियादी अंकगणितीय क्षमता का परीक्षण।**

ASER सर्वेक्षण **2005 से 2014 तक प्रतिवर्ष आयोजित** किया जाता था। 2014 के बाद से यह **एक साल के अंतराल पर आयोजित** किया जाता रहा है।

इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **सीखने में मौजूदा अंतराल का कम होना:** ग्रामीण क्षेत्रों में **कक्षा 3 और 5** के छात्रों के बीच **बुनियादी पठन सामग्री पढ़ने और अंकगणितीय क्षमता में सुधार** हुआ है, जो महामारी के बाद हुए नुकसान से उबरने का संकेत देता है।
  - 2022 से सभी **प्रारंभिक कक्षाओं (कक्षा I-VIII) के बच्चों में पढ़ने की क्षमता और अंकगणितीय क्षमता दोनों में सुधार** हुआ है। इसमें भी **अंकगणितीय क्षमता में सुधार पिछले एक दशक में सबसे अधिक** रहा है।
- **डिजिटल साक्षरता:** 2024 में **पहली बार इसमें 14-16** आयु वर्ग के बीच **'डिजिटल साक्षरता'** का एक नया घटक शामिल किया गया था।
- **स्मार्टफोन तक लगभग सार्वभौमिक पहुंच:** लगभग **90%** लड़कियों और लड़कों के घर में स्मार्टफोन है।
- **स्मार्टफोन के स्वामित्व में लैंगिक अंतराल: 36.2% लड़कों** के पास स्मार्टफोन है, जबकि केवल **26.9% लड़कियों** के पास स्मार्टफोन है।
- **स्मार्टफोन का शिक्षा की बजाये सोशल मीडिया के लिए अधिक उपयोग:** केवल **57% किशोर/ किशोरियां** शैक्षिक या पढ़ाई के उद्देश्य से स्मार्ट डिवाइस का उपयोग करते हैं, जबकि लगभग **76%** सोशल मीडिया के लिए इसका उपयोग करते हैं।
- **स्कूल की अवसंरचना:** ASER के अनुसार **शिक्षा के अधिकार** के सभी संकेतकों में मामूली सुधार हुआ है, जिसमें **बालिकाओं के लिए कार्यशील शौचालय, पेयजल सुविधाएं** आदि शामिल हैं।

6.6.4. WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC) {Who Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC)}

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अपनी पहली वैश्विक संधि **"WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO FCTC)"** के 20 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है।

---

[81] Women Entrepreneurship Programme

[82] National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development

WHO FCTC के बारे में

- **उत्पत्ति:** इसे 2003 में अपनाया गया था और **2005** में लागू किया गया था।
- **उद्देश्य: तम्बाकू नियंत्रण के लिए** एक **कानूनी ढांचा प्रदान** करना। इसमें **बड़ी चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां, धूम्रपान-मुक्त कानून और उच्च कर** शामिल हैं।
- **भारत की भूमिका:** भारत ने **2004 में इस संधि की पुष्टि** की थी। भारत दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र का **क्षेत्रीय समन्वयक** रहा है।
- **प्रभाव: 5.6 बिलियन लोग** कम-से-कम एक तंबाकू नियंत्रण नीति के अधीन आते हैं। इससे **वैश्विक धूम्रपान दर में गिरावट** आई है।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. परमाणु ऊर्जा मिशन (Nuclear Energy Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक समर्पित परमाणु ऊर्जा मिशन शुरू करने की घोषणा की। यह केंद्रीय बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ परमाणु ऊर्जा क्षेत्रक का विस्तार करने की दिशा में सबसे बड़े कदमों में से एक है।

परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में

- **लक्ष्य:** मिशन का मुख्य लक्ष्य **2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल** करना है। यह भारत की दीर्घकालिक एनर्जी ट्रांजीशन स्ट्रेटेजी और **"विकसित भारत"** संबंधी व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
  - **30 जनवरी, 2025 तक** भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 8180 मेगावाट थी। सरकार की योजना **2031-32 तक इसे बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करने की है।**
- **उद्देश्य: स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMRs)** के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना तथा 2033 तक कम-से-कम पांच SMRs स्थापित करना।
- **निजी क्षेत्रक की भागीदारी:** इसके लिए **परमाणु ऊर्जा अधिनियम[83], 1962** और **परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम[84], 2010** में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
  - **निजी क्षेत्रक के साथ साझेदारी के उद्देश्य:**
    - **भारत स्मॉल रिएक्टर (BSRs)** की स्थापना करना,
    - **भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर** के संबंध में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा
    - परमाणु ऊर्जा के लिए **नई प्रौद्योगिकियों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।**
  - BSRs के अतिरिक्त, **भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (BARC) निम्नलिखित हेतु स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs)** विकसित कर रहा है।
    - **बंद हो रहे कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की अवसंरचना का उपयोग करना,** तथा
    - **दूरदराज के स्थानों में बिजली की जरूरतों को पूरा करने** हेतु।
- **स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास:** इस मिशन में BSRs के विकास पर जोर दिया गया है। **भारत स्मॉल रिएक्टर (BSRs)** 220 मेगावाट के कॉम्पैक्ट दाब युक्त भारी जल रिएक्टर (PHWRs)[85] हैं। इन्हें **कैप्टिव उपयोग के लिए डिजाइन** किया गया है।
  - **परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE)[86]** भी नए **परमाणु रिएक्टरों को शुरू करने की योजना बना रहा** है। इसमें हाइड्रोजन सह-उत्पादन के लिए हाई-टेम्परेचर गैस-कूल्ड रिएक्टर और मॉल्टेन सॉल्ट रिएक्टर शामिल हैं। इनका उद्देश्य भारत के प्रचुर **थोरियम संसाधनों का उपयोग** करना है।
- **एनर्जी ट्रांजीशन में सहायता:** भारत ने 2030 तक **500 गीगावाट** गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा उत्पादन प्राप्त करने और **2030** तक अपनी **50%** ऊर्जा आवश्यकताओं को **नवीकरणीय ऊर्जा** स्रोतों से पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। यह प्रतिबद्धता **2021 में ग्लासगो में हुए COP26 शिखर सम्मेलन** में व्यक्त की गई थी।

स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) क्या हैं?

- **परिभाषा:** स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMRs) पारंपरिक रिएक्टर की तुलना में उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं। इनकी बिजली उत्पादन क्षमता **300 मेगावाट (MWe) प्रति यूनिट** तक होती है, जो पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की उत्पादन क्षमता का लगभग एक-तिहाई है। ऐसे SMRs जो बड़ी मात्रा में कार्बन न्यून बिजली[87] का उत्पादन कर सकते हैं:

---

[83] Atomic Energy Act

[84] Civil Liability for Nuclear Damage Act

[85] Pressurized Heavy Water Reactors

[86] Department of Atomic Energy

[87] low-carbon electricity

- **स्मॉल:** भौतिक रूप से इनका आकार पारंपरिक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर की तुलना में काफी छोटा होता है।
- **मॉड्यूलर:** इसकी प्रणालियों और घटकों को कारखाने में असेंबल किया जा सकता है और एक इकाई के रूप में किसी भी स्थान पर स्थापित करने के लिए भेजा जा सकता है।
- **रिएक्टर:** परमाणु विखंडन द्वारा ऊष्मा उत्पन्न करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।

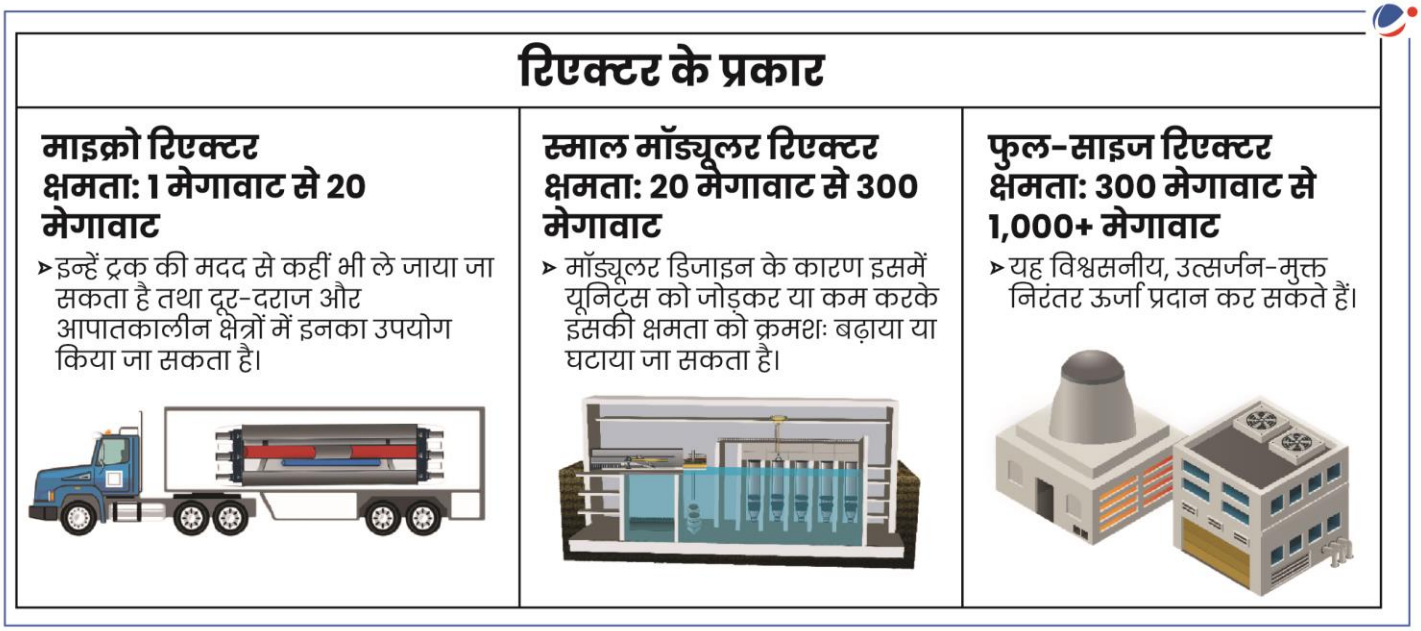

SMR परमाणु ऊर्जा का महत्व

- **कॉम्पैक्ट आर्किटेक्चर और पैसिव सेफ्टी:** इसमें दुर्घटनाओं का शमन करने के लिए एक्टिव सेफ्टी सिस्टम्स और अतिरिक्त पंपों सहित AC पावर पर निर्भरता कम हो जाती है।
  - **अमेरिका स्थित न्यूस्केल के SMR (NuScale's SMR)** डिजाइन में पैसिव कूलिंग सिस्टम्स शामिल हैं। इससे आपात स्थितियों के दौरान बाह्य स्रोत से बिजली लेने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- **उपयोग के मामले में सहूलियत:** SMRs का उपयोग विविध क्षेत्रों, जैसे- बिजली उत्पादन, औद्योगिक ताप आपूर्ति (विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए ऊष्मा की आवश्यकता) और विलवणीकरण के लिए किया जा सकता है।
  - **दक्षिण कोरिया का स्मार्ट {सिस्टम-इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर एडवांस्ड रिएक्टर (SMART)}** बिजली उत्पादन (100 मेगावाट तक) और/ या समुद्री जल विलवणीकरण जैसे उपयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **फैक्टरी निर्माण के लिए मॉड्यूलरिटी:** SMRs के प्रमुख घटक फैक्टरी में बने होते हैं, जिससे उच्च गुणवत्ता मानक सुनिश्चित होते हैं और निर्माण संबंधी समय तथा लागत में कमी आती है।
  - **न्यूस्केल के SMRs संयंत्र** को कारखाने में मॉड्यूल्स के रूप में असेम्बल किया जा सकता है और साइट पर ले जाकर इंस्टॉल किया जा सकता है। इस तरह मॉड्यूलर होने के कारण, इनके निर्माण के लिए बहुत अधिक जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती।
- **सब-ग्रेड (भूमिगत या पानी के नीचे) इंस्टॉलेशन की संभावना:** यह रिएक्टर यूनिट को प्राकृतिक (*जैसे-* भूकंप या सुनामी) या मानव निर्मित खतरों से अधिक सुरक्षा प्रदान करती है।
  - उदाहरण के लिए, रूस का एक तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र, **एकेडमिक लोमोनोसोव** सुदूर आर्कटिक क्षेत्रों में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- **स्केलेबिलिटी:** मॉड्यूलर डिजाइन और छोटे आकार के चलते एक ही स्थान पर इनकी कई इकाइयों को स्थापित किया जा सकता है।
- **पोर्टेबिलिटी:** इनका जीवनकाल समाप्त होने पर रिएक्टर मॉड्यूल को यथास्थान पर बंद किया जा सकता है या आसानी से हटाया जा सकता है।

भारत के असैन्य परमाणु समझौते

- **सितंबर 2008 में, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) ने** अपने सदस्यों और भारत के बीच असैन्य परमाणु सहयोग की अनुमति देने वाला निर्णय लिया।
- **रूस: 2008 के अंतर-सरकारी समझौते ने** कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP) में अतिरिक्त परमाणु रिएक्टरों के निर्माण हेतु सहयोग के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित किया।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** 123 समझौतों (2008) ने भारत को अमेरिकी परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी हासिल करने के रास्ते खोल दिये हैं।
- **फ्रांस: 2008 के असैन्य परमाणु समझौते** के तहत जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना पर चर्चा जारी है।
- **अन्य देश हैं: कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान (2016), यूनाइटेड किंगडम (2015) और नामीबिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, चेक गणराज्य, श्रीलंका, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश,** मंगोलिया, वियतनाम, **संयुक्त अरब अमीरात** और घाना।

SMRs से संबंधित कुछ मुद्दे और चुनौतियां

- **निजी क्षेत्रक और लाभ उन्मुखता:** निजी कंपनियां लागत कम करने के लिए सुरक्षा संबंधी उपायों में कटौती कर सकती हैं, जिससे संयंत्र की सुरक्षा से समझौता हो सकता है। फुकुशिमा दुर्घटना की समीक्षा के बाद नए और पहले से काम कर रहे रिएक्टरों के लिए सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं को और सख्त किया गया है।
- **पैसिव सेफ्टी को लेकर अविश्वसनीयता:** SMRs में पैसिव सेफ्टी का शामिल किया गया है, जो हो सकता है कि बड़े भूकंप, भयंकर बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाओं के दौरान काम न करें।
- **अमेरिकी न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन द्वारा** न्यूस्केल डिजाइन की समीक्षा से पता चला है कि पैसिव इमरजेंसी प्रणालियां शीतलक में मौजूद बोरोन को समाप्त कर सकती हैं, जो दुर्घटना के बाद रिएक्टर को सुरक्षित रूप से बंद रखने के लिए आवश्यक होता है।
- **आर्थिक व्यवहार्यता:** यदि अन्य सभी कारक समान हों तो छोटे रिएक्टरों द्वारा उत्पन्न प्रति किलोवाट-घंटा बिजली की लागत बड़े रिएक्टरों की तुलना में अधिक होगी।
- **उदाहरण के लिए,** 1,100 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र के निर्माण की लागत 180 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र के निर्माण की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक होगी, लेकिन इससे छः गुना अधिक बिजली पैदा होगी।
- **रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान की समस्या:** छोटे रिएक्टरों द्वारा उत्पन्न उच्च-रेडियोधर्मी समस्थानिकों की मात्रा प्रति इकाई ताप के हिसाब से बड़े रिएक्टरों के समान होगी। अतः इनके निपटान के लिए बड़े रिएक्टरों के समान ही फैसिलिटी की आवश्यकता होगी।
- **बड़े रिएक्टरों की तुलना में कम ईंधन दक्षता:** कुछ SMR को "हाई-अस्से लो एनरिच्ड यूरेनियम (HALEU)" नामक ईंधन की आवश्यकता होती है, जिसमें पारंपरिक लाइट-वॉटर रिएक्टर ईंधन की तुलना में समस्थानिक यूरेनियम-235 की सांद्रता उच्च होती है। HALEU के लिए एक जटिल संवर्धन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जिससे ईंधन की आपूर्ति और उत्पादन अधिक कठिन एवं महंगा हो सकता है।

आगे की राह

- **सार्वभौमिक विनियामकीय फ्रेमवर्क:** विभिन्न देशों में SMRs के उपयोग को सुगम बनाने के लिए विनियामकीय फ्रेमवर्क द्वारा स्पष्ट मानकीकरण और लाइसेंसिंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की जरूरत है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान:** सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए जनता के साथ जुड़ाव से SMRs परियोजनाओं के लिए स्वीकृति और समर्थन में सुधार हो सकता है। SMRs की प्रणालियों, संरचनाओं और घटकों (SSC) की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सुरक्षा मूल्यांकन पद्धति होना अनिवार्य है।
- **फर्स्ट ऑफ अ काइंड (FOAK) SMR डेमोंस्ट्रेशन इकाइयों का निर्माण करना और उससे सीखना:** सरकार दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों से लेकर लागत-साझाकरण तंत्र तक विभिन्न रूपों में SMRs संबंधी परियोजनाओं को समर्थन प्रदान कर सकती है। इससे SMRs के निर्माण से संबंधित जोखिमों को कम कर निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
- **परियोजना विशिष्ट तकनीकी-आर्थिक आकलन (TEA):** इसे पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए, जैसे कि उत्सर्जन मुक्त विद्युत उत्पादन के लिए SMRs की क्षमता आदि।
- **डिजाइन द्वारा सुरक्षा उपाय (SBD)[88]:** IAEA के सहयोग के साथ SMR डिजाइनों के प्रारंभिक चरणों के दौरान सुरक्षा संबंधी अनिवार्यताओं को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि SMR संयंत्र के पूरे जीवन-चक्र में सुरक्षा संबंधी उपाय प्रभावी रूप से काम करते रहें।

[88] Safeguards by Design

- **नवीन वित्त-पोषण फ्रेमवर्क:** SMR परियोजनाओं को आर्थिक रूप से आकर्षक बनाने के लिए कम लागत वाली वित्तीय सहायता, ग्रीन फाइनेंस की उपलब्धता और परमाणु ऊर्जा को ग्रीन टैक्सोनॉमी में शामिल किया जा सकता है।

7.2. डीप ओशन मिशन (Deep Ocean Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"मत्स्य 6000"** नामक चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली पनडुब्बी ने अपना वेट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा किया।

मत्स्य 6000 के बारे में

- **"मत्स्य 6000" समुद्रयान परियोजना (डीप ओशन मिशन के तहत एक परियोजना)** के तहत **स्वदेशी रूप से विकसित** मानव चालक दल युक्त पनडुब्बी है।
    - **समुद्रयान परियोजना का उद्देश्य (अवधि 2020-2021 से 2025-2026):** गहरे समुद्र में अन्वेषण/ खोज के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के साथ **3 लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए** एक सेल्फ-प्रोपेल्ड मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित करना है।

शब्दावली को जानें

- **अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ):** इसका विस्तार 200 समुद्री मील तक हो सकता है और इस पर संबंधित तटीय देशों की पूर्ण संप्रभुता नहीं होती है। हालांकि, समुद्री संसाधनों के दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के मामले में संप्रभु अधिकार प्राप्त होते हैं।

- इसे **राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (NIOT)**[89] द्वारा विकसित किया गया है। यह **तीन लोगों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई** तक ले जाने के लिए डिज़ाइन की गयी है।
    - चेन्नई स्थित **राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान,** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक **स्वायत्त संस्थान** है।
- **उद्देश्य:** 6000 मीटर गहराई तक **गहरे समुद्र के संसाधनों** और **समुद्री जैव विविधता का** व्यापक अध्ययन करना।
- इसके सफल लॉन्च के बाद, मानव-चालक दल युक्त समुद्र के अंदर अभियान भेजने में सक्षम भारत छठा देश बन गया है। अन्य पांच देश **अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन हैं।**

डीप ओशन मिशन के बारे में

- **लॉन्च:** इसे 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा कैबिनेट की मंजूरी के साथ **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** के रूप में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज करने, संधारणीय समुद्री विकास को बढ़ावा देने, ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करने तथा जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से निपटने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना।
- **वैश्विक लक्ष्यों के अनुरूप:** यह मिशन **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 14 (SDG-14) के अनुरूप है। SDG-14 "जलीय जीवन"** के संरक्षण तथा जीवन और पर्यावरण को बनाए रखने में महासागर की भूमिका पर केंद्रित है।
    - संधारणीयता के मामले में महासागरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2021-2030 के दशक को **"महासागरीय विज्ञान और सतत विकास दशक"** घोषित किया है।

क्या आप जानते हैं?

- **संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण** द्वारा भारत को पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स के दोहन के लिए **मध्य हिंद महासागर बेसिन (CIOB)** में 75,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आवंटित किया गया है।
- इस क्षेत्र में उपलब्ध पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स भंडार का केवल 10% उपयोग करके, देश अगले 100 वर्षों के लिए अपनी ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है।

- **बजट और समय-सीमा:** इस मिशन का **अनुमानित बजट 4077 करोड़ रुपये** है। इस मिशन को चरणबद्ध तरीके से 5 वर्षों (2021-2026) में कार्यान्वित किया जाना है।
    - प्रथम चरण (2021-2024) के लिए 2823.4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **नोडल मंत्रालय:** पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), इस बहु-संस्थागत मिशन का प्रबंधन करने वाला नोडल मंत्रालय है।

[89] National Institute of Ocean Technology

डीप ओशन मिशन का महत्व

- **सामरिक महत्व:** भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, नौ तटीय राज्य और 1,382 द्वीप के साथ-साथ अद्वितीय समुद्री स्थिति भारत को समुद्री संसाधनों के उपयोग की महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करती है।
    - भारत को लगभग 23,72,298 वर्ग किमी का **अनन्य आर्थिक क्षेत्र आवंटित है, जिसका अभी पूरी तरह से उपयोग और अन्वेषण नहीं किया गया है।**
    - यह मिशन **सरकार के 'न्यू इंडिया' विजन का समर्थन करता है,** जो ब्लू इकोनॉमी को संवृद्धि के दस प्रमुख आयामों में से एक मानता है।
- **आर्थिक प्रभाव:** इसका उद्देश्य दीर्घकालिक आर्थिक लाभ के लिए **समुद्री संसाधनों का संधारणीय उपयोग सुनिश्चित करना है। यह GDP की संवृद्धि, बेहतर आजीविका और रोजगार सृजन में योगदान देगा।**
    - **इसके तहत निकेल, कोबाल्ट और पॉलिमेटेलिक नोड्यूल्स** सहित अन्य खनिजों जैसे संसाधनों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** यह मानव चालक दल युक्त पनडुब्बी के माध्यम से **गहरे समुद्र में अन्वेषण की** सुविधा प्रदान करता है। इससे वैज्ञानिकों को **अज्ञात गहरे समुद्री क्षेत्रों का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण एवं अध्ययन करने में सहायता मिलती है।**
    - **अंडरवॉटर इंजीनियरिंग:** इससे परिसंपत्तियों के निरीक्षण और **समुद्री अवसंरचना की सुरक्षा एवं रख-रखाव** में **नवाचार को बढ़ावा** मिलता है।
- **महासागर संबंधी साक्षरता और पर्यटन:** यह समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के बारे में **आम लोगों के मध्य जागरूकता को** प्रोत्साहित करता है और **समुद्री पर्यटन के लिए नए रास्ते भी खोलता है।**

डीप ओशन मिशन के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **उच्च दबाव: 5,000 मीटर की गहराई पर दबाव समुद्र की सतह पर दबाव से लगभग 500 गुना ज्यादा होगा।** इसलिए इस मिशन के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए और टिकाऊ उपकरणों की जरूरत होगी, जो इस अत्यधिक दबाव को झेल सकें एवं अपना काम सुचारू रूप से कर सकें।
- **तकनीकी चुनौतियां:**
    - **उपकरण संबंधी सुभेद्यता:** जल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है।
    - **खनन संबंधी चुनौतियां:** समुद्र तल से सतह तक खनिज और अन्य संसाधनों को पंप करके सतह पर लाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
    - **संचार संबंधी सीमाएं:** जल के भीतर वेव्स बैकस्कैटरिंगम हाई एट्यूएशन,आदि के चलते संचार प्रणालियों को चुनोतियों का सामना करना पड़ता है।
- **भू-राजनीतिक और सामरिक चुनौती:** चीन की गहरे समुद्र में बढ़ती उपस्थिति विशेष रूप से दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर जैसे संसाधन-समृद्ध क्षेत्रों में भारत के अन्वेषण संबंधी प्रयास को बाधित कर सकती है।

आगे की राह

- **स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ाना:** भारत को महासागरीय अनुसंधान संबंधी पोतों और एकूस्टिक रिसर्च सिस्टम्स में अतिरिक्त निवेश करना चाहिए। इससे गहरे समुद्र की खोज में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाना:** भारत को अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे तकनीकी रूप से उन्नत देशों के साथ भागीदारी करनी चाहिए। इससे विशेषज्ञता, संसाधन-साझाकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिलेगा।
    - **क्वाड[90] जैसे मंच गहरे समुद्री अनुसंधान और खनन में समन्वित प्रयासों को बढ़ावा दे सकते हैं।**
    - **हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI) का उपयोग करना: भारत को** गहरे समुद्र में अन्वेषण रणनीतियों को मजबूत करने के लिए IPOI's के चार प्रमुख स्तंभों अर्थात **समुद्री पारिस्थितिकी, समुद्री संसाधन, क्षमता-निर्माण और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

7.3. गैर-संचारी रोग (Non-Communicable Diseases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गहन गैर-संचारी रोग (NCD) स्क्रीनिंग अभियान शुरू किया है।

NCDs पर स्क्रीन ड्राइव के बारे में

- **उद्देश्य: 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों** में व्याप्त NCDs और तीन अधिक प्रचलित कैंसर के मामले जैसे- मुँह का कैंसर, स्तन-कैंसर और **सर्वाइकल-कैंसर के लिए 100% स्क्रीनिंग** सुनिश्चित करना।
- **कार्यान्वयन:** इसे **राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAMs)** और देश भर में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा।
    - **आयुष्मान भारत पहल** के अंतर्गत पहले से मौजूद ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ उप-केंद्रों को बेहतर करके **आयुष्मान आरोग्य मंदिर** स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (NP-NCD) के बारे में:

- **पृष्ठभूमि:**
    - **शुभारंभ:** NP-NCD को पहले **कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPCDCS)[91] के रूप में जाना जाता** था। NPCDCS को **11वीं पंचवर्षीय योजना** के तहत NCDs से निपटने के लिए 21 राज्यों के 100 जिलों में 2010 में शुरू किया गया था।
    - **12वीं पंचवर्षीय योजना:** सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध विस्तार का प्रस्ताव किया गया था।
    - **2013-14: इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)** के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। NHM एक **प्रमुख केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित** करना है।
- **NP-NCD के उद्देश्य:**
    - समुदाय, नागरिक समाज, मीडिया आदि की भागीदारी से **व्यवहार संबंधी परिवर्तन के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर करना।**
    - स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्तर पर **स्क्रीनिंग, शीघ्र निदान, प्रबंधन और फॉलो-अप सुनिश्चित करना।**
    - **एक समान ICT एप्लीकेशन के माध्यम से क्षमता निर्माण करना,** दवाओं, उपकरणों और लॉजिस्टिक्स के लिए **आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करना,** निगरानी और मूल्यांकन करना।

गैर संचारी रोगों (NCDs) के बारे में

- **गैर-संचारी रोग ऐसे दीर्घकालिक (Chronic) रोग होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते है।**
- NCDs के मुख्य प्रकारों में **हृदय संबंधी रोग** (जैसे- दिल का दौरा और स्ट्रोक), **कैंसर, दीर्घकालिक श्वसन रोग** (जैसे क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और अस्थमा) और **मधुमेह** शामिल हैं।

---

[90] Quadrilateral Security Dialogue

[91] National Programme for Prevention and Control of Cancer, Diabetes,Cardio- vascular Diseases and Stroke

- जब ये रोग अस्वास्थ्यकर जीवन-शैली के कारण होते हैं, तो इन रोगों को **लाइफस्टाइल डिजीज या जीवन-शैली जनित रोग** भी कहा जाता है।

- ये आमतौर पर **लंबे समय तक बने रहते हैं** और इनके लिए **आनुवंशिक (Genetic), कार्यिकीय (Physiological), पर्यावरणीय (Environmental) और व्यवहारगत (Behavioral) कारक उत्तरदायी** होते हैं।

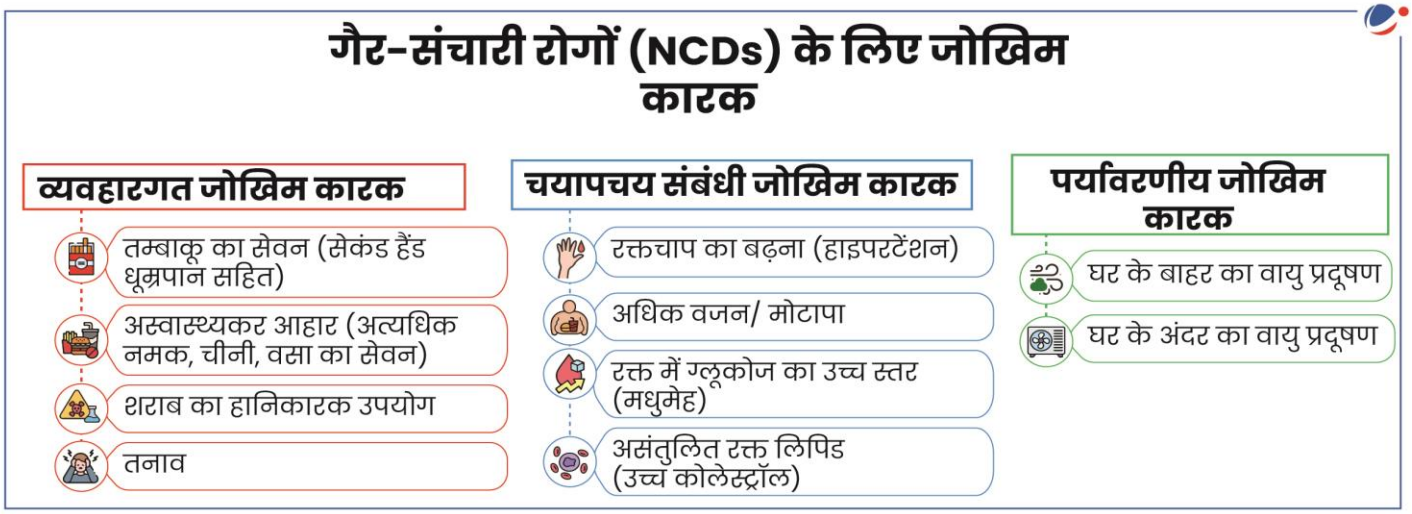

- **गैर-संचारी रोगों की व्यापकता से संबंधित आंकड़े**
  - **वैश्विक स्थिति:**
    - **गैर-संचारी रोग (NCDs)** विश्व भर में **मृत्यु और दिव्यांगता (disability) का प्रमुख कारण** हैं। ये वैश्विक स्तर पर **74% मौतों** और **दिव्यांगता से बिताए गए तीन-चौथाई वर्षों** के लिए उत्तरदायी हैं।
    - **इसकी व्यापकता निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सबसे अधिक है,** और NCDs से होने वाली कुल मौतें में से 77 प्रतिशत इन्ही देशों से संबंधित हैं।
    - वार्षिक रूप से होने वाली सभी असामयिक NCDs मौतों के 80% से अधिक के लिए जिम्मेदार **चार प्रमुख जानलेवा कारकों में हृदय संबंधी रोग (17·9 मिलियन), कैंसर (9.3 मिलियन), दीर्घकालिक श्वसन रोग (4.1 मिलियन) और मधुमेह (2.0 मिलियन) शामिल हैं।**
  - **भारत की स्थिति** (कृपया इन्फोग्राफिक देखें)

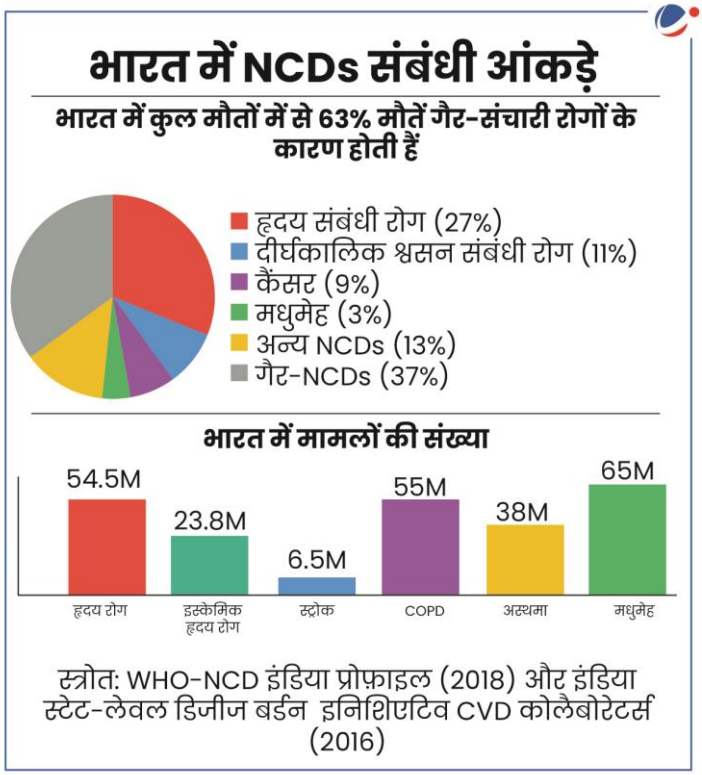

NCDs का प्रभाव

- **बचपन में NCDs:** बचपन में NCDs के कारण बच्चों की शिक्षा 1.2 से 4.2 वर्ष तक पिछड़ सकती है।
- **इलाज पर अत्यधिक आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च:** कुल मिलाकर, भारत में कई NCD रोगियों के लिए सबसे बड़ा खर्च यात्रा संबंधी व्यय है।
- **जीवन प्रत्याशा:** शिक्षा के निम्न स्तर वाले 15 वर्ष की आयु वाले व्यक्तियों में जीवन प्रत्याशा सबसे कम होती है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों में 30-69 वर्ष की आयु के दौरान गैर-संचारी रोगों (NCDs) के संपर्क में आने के कारण मृत्यु दर अधिक होती है।
- **आर्थिक प्रभाव:** विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि भारत में NCDs का आर्थिक बोझ (जैसे- घरेलू स्वास्थ्य व्यय, बजट व्यय आदि) 2030 तक 280 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा।
- **गरीबी:** निम्न-आय वाले देशों में NCDs गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रयासों को बाधित कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वास्थ्य देखभाल पर खर्च बढ़ने से परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है।

- **जेंडर आधारित प्रभाव:** महिलाओं में गैर-संचारी रोगों की व्यापकता प्रति 1,000 पर 62 है, जबकि पुरुषों में यह प्रति 1,000 पर 36 है।
- **अन्य प्रभाव:** इससे मानव पूंजी में गिरावट, अस्वस्थ श्रमबल, राजस्व की हानि, आदि शामिल है।

- **NCDs को नियंत्रित करने हेतु शुरू की गई पहलें**
  - **वैश्विक स्तर पर**
    - **सतत विकास हेतु एजेंडा 2030: SDG लक्ष्य 3.4 का** लक्ष्य 2030 तक NCDs के कारण होने वाली असामयिक मृत्यु दर को **एक-तिहाई तक कम करना है।**
    - **WHO वैश्विक कार्य-योजना:** विश्व स्वास्थ्य सभा ने **NCDs की रोकथाम और नियंत्रण** के लिए **WHO वैश्विक कार्य योजना 2013-2020** को 2030 तक बढ़ा दिया है।
    - **वैश्विक NCDs कॉम्पैक्ट 2020-2030:** इसे WHO द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य NCDs की रोकथाम और नियंत्रण की दिशा में प्रगति को तेज करना है।
  - **भारत में:**
    - **उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (AMRIT)**[92] का उद्देश्य कैंसर, हृदय संबंधी बीमारियों आदि के उपचार के लिए किफायती दवाएं उपलब्ध कराना है।
    - **FSSAI द्वारा चलाया गया ईट राइट इंडिया अभियान** स्वस्थ आहार वाली जीवन-शैली को बढ़ावा देता है।
    - **फिट इंडिया मूवमेंट:** इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन-शैली को बढ़ावा देना और फिटनेस संबंधी गतिविधियों को दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना है।
    - **राष्ट्रीय मुख संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम (NOHP)**[93]**:** इसे मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में मुख संबंधी एकीकृत, व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
    - **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP)**[94]**:** इसे **1982** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य निकट भविष्य में **सभी के लिए एक निश्चित स्तर की मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधा की उपलब्धता और पहुंच** सुनिश्चित करना है।
    - **वृद्धजनों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE)**[95]**:** इसे **वृद्धजनों की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान** के लिए **2010 में शुरू** किया गया था।
    - **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)**[96]**:** इसे **2007-08** में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करना आदि है।

NCDs की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सिफारिशें:

- **व्यापक दृष्टिकोण:** NCDs के प्रभाव और व्यापकता को कम करने के लिए **स्वास्थ्य, वित्त, परिवहन, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्रकों के मध्य सहयोग** महत्वपूर्ण है।
- **NCD प्रबंधन:** NCDs के बेहतर प्रबंधन में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसमें अग्रिम हस्तक्षेप के लिए **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के जरिए रोग का पता लगाना, जांच करना, उपचार और उपशामक देखभाल शामिल है।**
- **डिजिटल स्वास्थ्य हस्तक्षेप (DHIs)**[97]**:** टेलीमेडिसिन, मोबाइल मैसेजिंग और चैटबॉट्स जैसे DHIs पर प्रति रोगी प्रति वर्ष केवल 0.24 अमेरिकी डॉलर खर्च करने से अगले दशक में 20 लाख से अधिक जीवन बचाए जा सकते हैं।

---

92 Affordable Medicines and Reliable Implants for Treatment

93 National Oral Health Programme

94 National Mental Health Programme

95 National Programme for healthcare of Elderly

96 National Tobacco Control Programme

97 Digital Health Interventions

- **राजकोषीय साधनों का उपयोग करना:** इन रोगों के लिए जिम्मेदार जोखिम संबंधी कारकों को कम करने के लिए कर लगाने जैसे उपायों को अपनाया जा सकता है। जैसे कि तंबाकू, नमक और चीनी पर कर को बढ़ाना।
- **NCDs के लिए जीवन के प्रत्येक चरण पर आधारित दृष्टिकोण को अपनाना:** NCDs की रोकथाम और प्रबंधन के साथ-साथ श्रम बाजार, सामाजिक संरक्षण और दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल जैसे अन्य नीतिगत सुधारों को भी अपनाना चाहिए।
- **नीतिगत प्रयास:** दीर्घकालिक NCDs के उपचार के लिए मानव संसाधन और अवसंरचना की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन के मुद्दे को हल करने के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि करना, निजी क्षेत्रक द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए।

7.4. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

7.4.1. यूरोपीय संघ का AI अधिनियम लागू हुआ (EU AI Act Becomes Applicable)

यूरोपीय संघ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिनियम के तहत AI साक्षरता और प्रतिबंधित प्रणालियों पर नियम लागू हो गए।

- नवीन **AI साक्षरता दायित्वों** के तहत, AI टूल उपलब्ध कराने वालों (Providers) और परिनियोजनकर्ताओं (Deployers) को **अपने कर्मचारियों एवं AI सिस्टम के साथ काम करने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए AI साक्षरता का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित** करना होगा।

यूरोपीय संघ का AI अधिनियम

- **उत्पत्ति:** यूरोपीय संघ का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अधिनियम AI के लिए दुनिया का पहला व्यापक कानूनी ढांचा है। यह अधिनियम **2024 में आंशिक रूप से लागू हो गया है तथा 2026 तक पूरी तरह से लागू** किया जाएगा।
- **अप्रोच:** यह अधिनियम विनियमन के लिए **जोखिम-आधारित दृष्टिकोण** को अपनाता है तथा जोखिम के स्तर के अनुसार AI पर अलग-अलग नियम लागू करता है।
- **निषेध:** अधिनियम में **नैतिकता, सुरक्षा और पारदर्शिता** के महत्त्व पर जोर देते हुए AI के लिए निषिद्ध कार्यों की सूची दी गई है (चित्र देखें)।

AI अधिनियम के प्रभाव

- **वैश्विक प्रभाव:**
  - **मानव-केंद्रित फोकस:** यह अधिनियम मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है, भेदभाव को रोकता है तथा नैतिक क्षेत्र में AI को बढ़ावा देता है। साथ ही, अपनाने में वैश्विक स्तर पर भरोसेमंद एवं जिम्मेदार AI को बढ़ावा देता है।
  - **AI विनियमन के लिए वैश्विक बेंचमार्क:** अन्य देश भी इसी तरह के ढांचे को अपना सकते हैं तथा अपने AI संबंधी विनियमों को यूरोपीय संघ के मानकों के अनुरूप बना सकते हैं।
  - **अनुपालन लागत में वृद्धि:** गैर-यूरोपीय संघ कंपनियों को अधिनियम के अनुपालन के लिए अपने AI सिस्टम को अनुकूलित करने हेतु अतिरिक्त खर्चा करना पड़ सकता है।
- **भारत पर प्रभाव:**
  - **जोखिम-आधारित विनियमन:** भारत की AI नीति जोखिम-आधारित दृष्टिकोण से लाभान्वित हो सकती है। इसमें AI अनुप्रयोगों को उनके संभावित सामाजिक प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - **वैश्विक मानकों के साथ संरेखण:** भारत के AI विनियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित करने से वैश्विक सहयोग बढ़ सकता है। साथ ही, भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने में मदद मिल सकती है।

AI के लिए निषिद्ध कार्य

बायोमेट्रिक वर्गीकरण	भौतिक विशेषताओं से व्यक्तिगत गुणों को निर्धारित करने के लिए **AI** का उपयोग करना।
मनोभाव को पहचानना	ऐसी प्रणालियां जो इंटरैक्शन के दौरान ग्राहकों के मनोभाव का पता लगाती हैं।
चेहरे का डेटाबेस	चेहरे की पहचान करने वाले डेटाबेस के लिए इमेज स्क्रैपिंग प्रतिबंधित है।
पूर्वानुमान आधारित पुलिसिंग	**AI** व्यक्तिगत डेटा के आधार पर लोगों के आपराधिक व्यवहार का पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है।
अवचेतन (Subliminal) संबंधी हेरफेर	बिना जागरूकता या जानकारी वाले व्यवहार पर AI का प्रभाव निषिद्ध है।
सामाजिक स्कोरिंग	नृजातीयता या जन्म स्थान के आधार पर रोजगार संबंधी निर्णय लेना अनैतिक घोषित किया गया है।
वास्तविक समय में पहचान	कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सार्वजनिक पहचान के लिए **AI** के उपयोग पर प्रतिबंध है।
सुभेद्य लोगों का शोषण	जोखिम वाले समूहों को **AI** के शोषण से बचाना आवश्यक है।

7.4.2. फसलों के जर्मप्लाज्म भंडारण के लिए जीन बैंक (GENE Bank For Crops Germplasm)

केंद्रीय बजट 2025-26 में **दूसरे राष्ट्रीय जीन बैंक** की स्थापना की घोषणा की गई। इसमें भविष्य की खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए दस लाख जर्मप्लाज्म भंडारण शामिल होंगें।

- जीन बैंक वास्तव में **फसल आनुवंशिक सामग्रियों का भंडार** होता है। इन आनुवंशिक सामग्रियों में **बीज, पराग या ऊतक के सैंपल्स** शामिल होते हैं। ये जीन बैंक **फसल किस्मों को विलुप्त होने से बचाते हैं।**

भारत के प्रथम राष्ट्रीय जीन बैंक के बारे में

- **भारत के पहले राष्ट्रीय जीन बैंक** की स्थापना 1996 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR-NBPGR) द्वारा **नई दिल्ली में** की गई थी।
- इस जीन बैंक के **देश भर में 12 क्षेत्रीय स्टेशन** हैं। ये फसलों के **महत्वपूर्ण जर्मप्लाज्म का संग्रह और भंडारण** करते हैं।
    - ये जर्मप्लाज्म **पादपों या प्राणियों के आनुवंशिक घटक** होते हैं। इनका उपयोग **अनुसंधान, संरक्षण और क्रॉप ब्रीडिंग** में किया जाता है।

7.4.3. चीन के EAST ने संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया (China's East Creates New Record in Fusion Reaction)

चीन के एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) ने संलयन अभिक्रिया में नया रिकॉर्ड बनाया।

- EAST को **चीन के कृत्रिम सूर्य** के रूप में भी जाना जाता है। इसने **1000+ सेकंड के लिए स्टेडी-स्टेट हाई-कन्फाइनमेंट प्लाज्मा ऑपरेशन को बनाए रखा,** जिसके बाद यह **100 मिलियन डिग्री सेल्सियस** तापमान तक पहुंच गया।

- टोकामक एक ऐसी मशीन है, जो संलयन की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके **प्लाज्मा को डोनट के आकार में सीमित** कर देती है।

इस उपलब्धि का महत्त्व:

- यह **संलयन आधारित परमाणु रिएक्टर्स** की ओर एक कदम है। ये रिएक्टर्स **पवन, सौर आदि स्वच्छ ऊर्जा के अन्य स्रोतों के विकल्प** के रूप में कार्य कर सकते हैं।
- इससे **विश्व ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान** किया जा सकता है।

नाभिकीय संलयन के लाभ

- **उच्च ऊर्जा उत्पादन:** यह किसी भी अन्य स्रोत की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है।
- **प्रचुर मात्रा में और किफायती ईंधन:** इसमें सस्ती इनपुट सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जो लगभग असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। **उदाहरण के लिए- ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन, लिथियम आदि।**
- **पर्यावरण के अनुकूल:** इससे शून्य उत्सर्जन होता है और यह ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नहीं देता है।
- **सुरक्षित और स्वच्छ प्रक्रिया:** संलयन रिएक्टर **हीलियम नामक अक्रिय गैस** का उत्पादन करते हैं। वे **ट्रिटियम नामक रेडियोधर्मी पदार्थ** का उत्पादन और पुनर्चक्रण भी करते हैं, जिसकी हाफ लाइफ छोटी होती है। नतीजतन, संलयन से लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है।

नाभिकीय संलयन में चुनौतियां

- **अत्यधिक तापमान की आवश्यकता:** संलयन के लिए **करोड़ों डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता** होती है, जो सूर्य के कोर से भी अधिक है।
- **प्लाज्मा नियंत्रण:** ऐसे उच्च तापमान पर, पदार्थ केवल प्लाज्मा अवस्था में ही मौजूद रहता है। ऊर्जा प्राप्ति के लिए प्लाज्मा को स्थिर रखना मुश्किल होता है। प्लाज्मा अवस्था में परमाणु **धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित कणों में विभाजित** हो जाते हैं।
  - **मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट:** प्लाज्मा को रिएक्टर की दीवारों के संपर्क से बचाने के लिए मजबूत चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके एक अलग स्थान में रखना होता है।

7.4.4. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने श्रीहरिकोटा से 100वें रॉकेट का प्रक्षेपण किया {100th Launch of The Indian Space Research Organisation (ISRO) From Sriharikota}

इसरो ने **29 जनवरी, 2025 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F15 यान से NVS-02 सैटेलाइट** को भू-तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा[98] में स्थापित किया।

GSLV-F15 प्रक्षेपण यान के बारे में

- यह **तीन चरणों वाला प्रक्षेपण यान** है। इसका **तीसरा चरण CUS-15 क्रायोजेनिक इंजन** से युक्त है।
- **NVS-02 NVS** सीरीज का दूसरा **सैटेलाइट** है। यह **नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन यानी NavIC** का हिस्सा है।

NavIC क्या है?

- यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित **"क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली"** है। इसे पहले **भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (IRNSS)** कहा जाता था।
- **NavIC उपग्रह समूह:** NavIC प्रणाली **7 उपग्रहों के समूह** से बनी है।
  - **3 उपग्रह** भूस्थिर कक्षा (Geostationary Orbit) में स्थापित किए गए हैं; तथा
  - **4 उपग्रह** झुकाव वाली भू-तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं।

[98] Geosynchronous Transfer Orbit

- **NavIC द्वारा प्रदत्त सेवाएं:**
  - **मानक अवस्थिति सेवा (SPS)[99]:** यह नागरिक उपयोगकर्ताओं के लिए है।
  - **निषिद्ध सेवा (Restricted Service):** इन सेवाओं का उपयोग **केवल सामरिक या सुरक्षा से संबंधित एजेंसियां** कर सकेंगी।
- **कवरेज क्षेत्र:** भारत और **भारतीय सीमा से 1500 किलोमीटर तक का विस्तारित क्षेत्र**
- **सटीकता:** NavIC की मानक अवस्थिति सेवा **दूरी के मामले में 20 मीटर जितनी नजदीकी सटीकता और समय के मामले में 40 नैनो सेकंड की सटीकता** प्रदान करती है।
- **अन्य विशेषता:** NavIC की मानक अवस्थिति सेवा के सिग्नल्स अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन प्रणालियों के साथ **इंटर-ऑपरेबल (संगत)** हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन प्रणालियां निम्नलिखित हैं-
  - **GPS:** संयुक्त राज्य अमेरिका,
  - **ग्लोनास:** रूस,
  - **गैलीलियो:** यूरोपीय संघ और
  - **बेईदोउ:** चीन।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)

इसरो ISRO — HQ बेंगलुरु

स्थापना: भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी इसरो का गठन **15 अगस्त, 1969** को हुआ था।

पृष्ठभूमि: इससे पहले इसे **भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR)** के रूप में जाना जाता था। INCOSPAR को **1962 में डॉ. विक्रम साराभाई** के नेतृत्व में स्थापित किया गया था।

उद्देश्य: विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी** का अनुसंधान और विकास करना।

प्रथम प्रक्षेपण: **1979 में SLV–3** के पहले प्रयोगात्मक प्रक्षेपण के द्वारा **रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड** को अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस मिशन का नेतृत्व **डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम** ने किया था।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #112- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगः जिज्ञासा से वास्तविकता तक

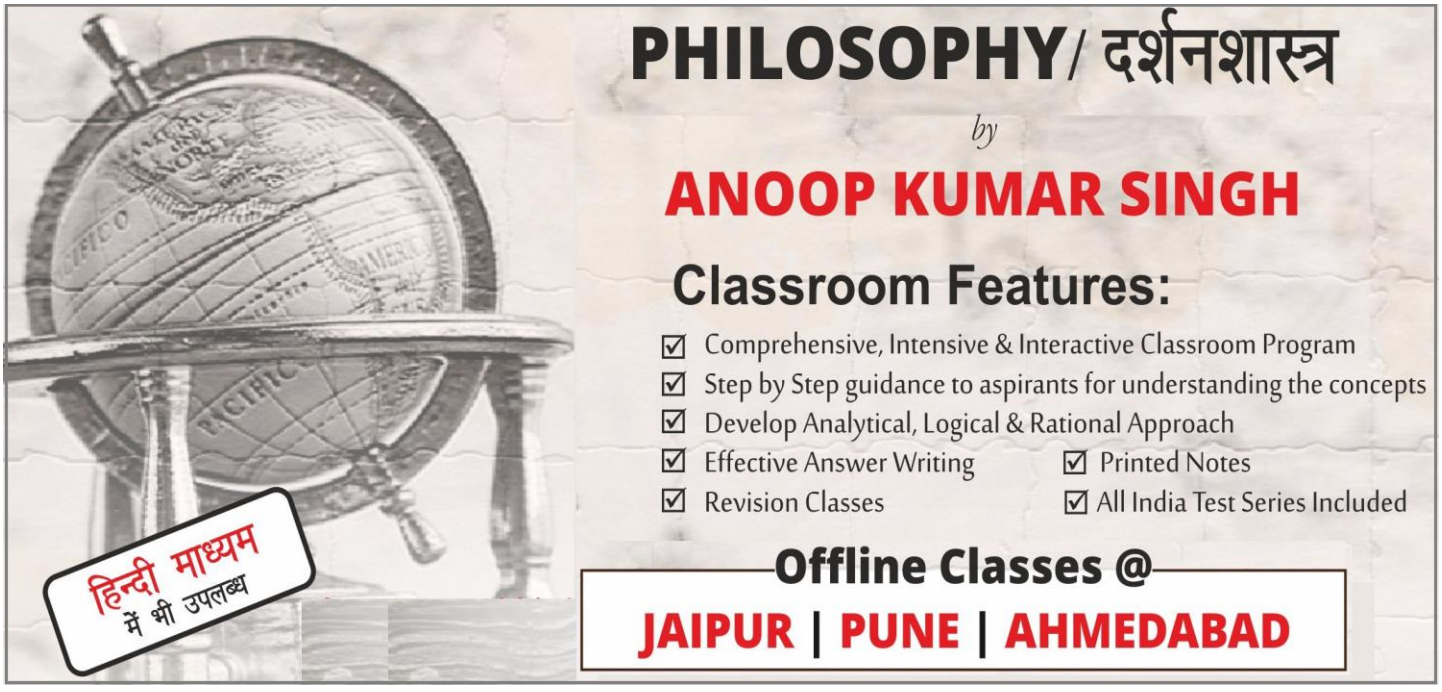

[99] Standard Position Service

7.4.5. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत मानचित्रण (First Detailed Mapping of Moon's South Pole)

चंद्रयान डेटा से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया गया है।

- इसरो के और अन्य शोधकर्ताओं ने प्रज्ञान रोवर से प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए चंद्रमा का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया है। प्रज्ञान रोवर को चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर द्वारा चंद्रमा पर 9 दिवसीय मिशन के लिए भेजा गया था।
- **साउथ पोल-ऐटकेन बेसिन:** विक्रम लैंडर इस प्राचीन और विशाल क्रेटर के पास उतरा था, जो सौरमंडल का एक बड़ा क्रेटर है।

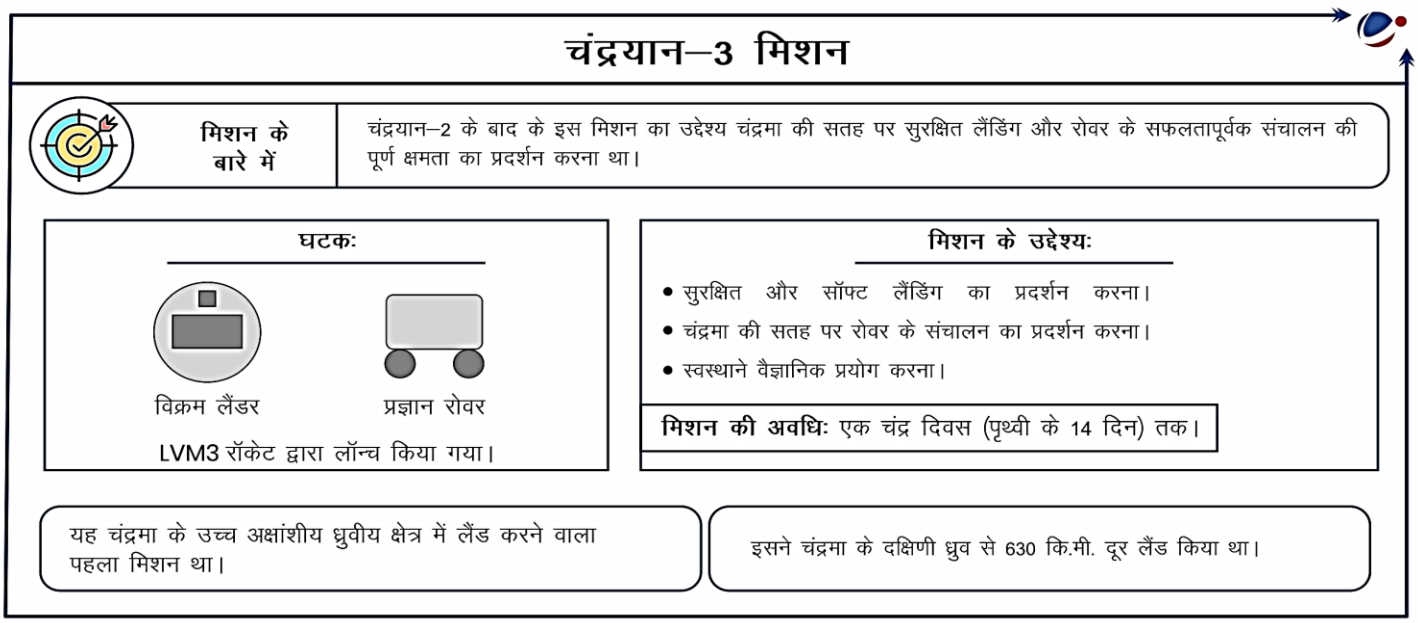

चंद्रयान-3 द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अन्वेषण से जुड़े प्रमुख निष्कर्ष

- **भू-भाग के प्रकार:** ऊंचे-ऊंचे उतार-चढ़ाव वाले भू-दृश्य और निचले व समतल मैदान।
- **सब्सर्फेस मैग्मा ओशन की पुष्टि:** इससे पिघले हुए लावा के प्राचीन विशाल भंडार की पुष्टि होती है, जो **पूरे चंद्रमा में फैला** हुआ है।
- **चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र की आयु:** इसे लगभग 3.7 बिलियन वर्ष पुराना माना गया है, जो उस समय के आसपास का है, जब पृथ्वी पर सूक्ष्मजीवों का उद्भव हुआ था।
- **पृथ्वी के साथ एक समान उत्पत्ति:** पृथ्वी के साथ चंद्रमा की **भू-रासायनिक समानताएं** इस सिद्धांत का समर्थन करती हैं कि दोनों **पिंडों की उत्पत्ति एक ही पिघले हुए पदार्थ** से हुई है।
    - यह संभवत: पृथ्वी और मंगल ग्रह के आकार के एक समान विशाल पिंड के बीच 4.5 बिलियन साल पहले हुई एक विशाल टक्कर के कारण हुआ होगा।

चंद्रमा के क्रेटरों का महत्त्व

- चंद्रमा के क्रेटर करोड़ों वर्षों से संरक्षित हैं, क्योंकि वहां वायुमंडलीय अपरदन नहीं होता है।
- ये चंद्रमा के शुरुआती इतिहास के महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करते हैं और अन्य ग्रहों की **भूगर्भीय विशेषताओं का समय निर्धारण करने में सहायता** करते हैं।
- चंद्र क्रेटर **टाइम-कैप्सूल** की तरह होते हैं, जो **संपूर्ण सौर मंडल** को आकार देने वाले **अंतरिक्ष से चट्टान या पिंडों के टकराव के रिकॉर्ड को संरक्षित** रखे हुए हैं।

7.4.6. नासा ने चंद्रमा पर जल का पता लगाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च की (NASA Launches Satellite To Detect Water on the Moon)

स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने **नासा के लूनर ट्रेलब्लेज़र ऑर्बिटर** को सेकेंडरी पेलोड के रूप में लॉन्च किया। **प्राथमिक पेलोड इंट्यूटिव मशीन का लूनर लैंडर मिशन (IM-2)** था।

- **IM-2 का उद्देश्य:** चंद्रमा पर रुकना और जल की खोज के लिए सतह के नीचे खुदाई करना है।

लूनर ट्रेलब्लेज़र मिशन के बारे में

- **उद्देश्य:** यह चंद्रमा की सतह से **लगभग 100 किमी.** की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा करेगा और **लक्षित क्षेत्रों की हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें** एकत्र करेगा, जिससे यह:
  - चंद्रमा पर मौजूद **जल के स्वरूप, वितरण एवं उपलब्धता** का पता लगाएगा। साथ ही, यह मिशन चंद्रमा के जल चक्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
- **महत्त्व: जल संसाधनों का पता लगाने और निकालने** के लिए भविष्य के मानव मिशनों को गाइड करना।
- **घटक:** दो लूनर ट्रेलब्लेज़र उपकरण चंद्र कक्षा से माप लेंगे।
  - **लूनर थर्मल मैपर (LTM):** चंद्र सतह के तापमान का मानचित्रण और माप करेगा।
  - **हाई-रिज़ॉल्यूशन वोलेटाइल्स और मिनरल्स मून मैपर (HVM3):** यह चंद्रमा पर जल का संकेत देने वाले प्रकाश पैटर्न की खोज करेगा।

चंद्रमा पर मौजूद जल का महत्त्व

- **पीने योग्य पानी:** वहां पर पाए जाने वाले जल को पीने योग्य पानी में परिवर्तित किया जा सकेगा।
- **सांस लेने योग्य ऑक्सीजन:** जल में घुलित ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जा सकेगा।
- **रॉकेट ईंधन:** रॉकेट के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्राप्त किया जा सकेगा।
- **सौरमंडल का अन्वेषण:** चन्द्रमा पर मौजूद जल मंगल ग्रह सहित डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन को संभव बनाएगा।

चंद्रमा पर जल की खोज से जुड़े प्रमुख मिशन

2009 : चंद्रयान–1
इसरो के चंद्रयान–1 ने अपने मून मिनरलॉजी मैपर (M3) के माध्यम से चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने वाले क्षेत्रों में हाइड्रेटेड खनिजों (OH/H_2O) के संकेतों का पता लगाया था।

2009 : कैसिनी और डीप इम्पैक्ट
नासा के मिशनों ने चंद्रयान–1 द्वारा चंद्रमा पर हाइड्रेटेड खनिजों के संकेतों की पुष्टि की थी।

2009–2018: LRO अवलोकन
लूनर रीकॉन्सेन्स ऑर्बिटर ने ध्रुवों के पास स्थायी रूप से सूर्य प्रकाश रहित क्षेत्रों में वाटर आइस के संबंध में निरंतर डेटा प्रदान किया है।

2018–चंद्रयानः 1 डेटा का पुनः विश्लेषण
M3 डेटा के विश्लेषण से उच्च–रिज़ॉल्यूशन वाले मानचित्र तैयार हुए। इससे चंद्रमा के ध्रुवों के पास स्थायी रूप से सूर्य प्रकाश रहित क्षेत्रों में वाटर आइस के प्रमाण की पुष्टि हुई।

2020: सोफिया डिस्कवरी
नासा के स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इन्फ्रारेड एस्ट्रोनॉमी (SOFIA) ने क्लेवियस क्रेटर में सूर्य का प्रकाश पड़ने वाले क्षेत्रों में जल के अणुओं (H_2O) का पता लगाया।

2023: पहला विस्तृत जल मानचित्र
सोफिया के डेटा के आधार पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल–वितरण का विस्तृत मानचित्र जारी किया गया था।

2023: चंद्रयान–3
इसरो का चंद्रयान–3 चंद्रमा पर संभावित वाटर आइस वाले क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरा था।

7.4.7. मंगल ग्रह का लाल रंग (Red Color of Mars)

नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन ने **मंगल ग्रह के लाल रंग** के बारे में लंबे समय से चली आ रही धारणा को चुनौती दी है।

मंगल ग्रह (लाल ग्रह) के लाल रंग के बारे में नए अध्ययन के निष्कर्ष

- पूर्व के अध्ययनों में मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण **एनहायड्रस हेमेटाइट** को बताया गया था। यह **अपक्षय संबंधी गतिविधियों के परिणामस्वरूप** निर्मित हुआ था।
- नए अध्ययन से पता चला है कि **निम्नस्तर का क्रिस्टलीय फेरिहाइड्राइट (Fe5O8H · nH2O)** मंगल ग्रह की धूल में मौजूद मुख्य लौह ऑक्साइड है।
    - यह **ऑक्सीडेटिव दशाओं के तहत मंगल पर शुरुआत में एक ठंडी, नाम अवधि के दौरान बना था।** इससे पता चलता है कि शुष्क रेगिस्तान बनने से पहले मंगल पर जल मौजूद था।

7.4.8. लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स (Lower-Sodium Salt Substitutes: LSSS)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के पोषण और खाद्य सुरक्षा विभाग (NFS) ने 'लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स' के उपयोग पर अपने नए **दिशा-निर्देश** जारी किए हैं।

लोअर-सोडियम साल्ट सब्स्टिट्यूट्स (LSSS) के बारे में

- **घटक:** साधारण नमक की तुलना में इसमें **सोडियम की मात्रा कम** होती है। इसमें **पोटैशियम क्लोराइड के साथ कुछ अन्य अभिकारक** मिलाए जाते हैं या नहीं मिलाए जाते हैं। इससे यह **साधारण नमक जैसा स्वाद** देता है।
- **लाभ:** इससे सोडियम सेवन को **2 ग्राम प्रतिदिन से कम** रखने में मदद मिलती है। यह **ब्लड प्रेशर और हृदय से संबंधित बीमारियों (CVDs) जैसे गैर-संचारी रोगों के खतरों को कम** करता है।
- **मुख्य चिंताएं:** पोटैशियम युक्त LSSS हानिकारक हो सकता है, क्योंकि **शरीर में ब्लड पोटैशियम (हाइपरकलेमिया) का बहुत अधिक स्तर,** कमजोर किडनी फंक्शन वाले व्यक्तियों के लिए खतरा साबित हो सकता है।

7.4.9. शतावरी (Shatavari)

आयुष मंत्रालय ने **"शतावरी- बेहतर स्वास्थ्य के लिए"** नामक **अभियान** शुरू किया है। इसका उद्देश्य शतावरी के **स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता** बढ़ाना है।

शतावरी (शतावरी रेसमोसस) के बारे में

- शतावरी का अर्थ है **"सौ रोगों का इलाज करने वाली"।**
- यह एक **औषधीय पादप है, जो 1-2 मीटर ऊंचाई** तक बढ़ता है।
- **उपयोग:** इसकी **सूखी जड़ें व पत्तियां आयुर्वेदिक चिकित्सा में औषधि** के रूप में उपयोग की जाती हैं।
- **पर्यावास: उष्णकटिबंधीय जलवायु और कम ऊंचाई वाले छायादार स्थान।**
    - यह **एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका** में पाया जाता है।
- **स्वास्थ्य संबंधी लाभ:**
    - महिला जनन स्वास्थ्य में सुधार करता है;
    - हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में सहायक है;
    - अल्सर को ठीक करने में मदद करता है;
    - ऊर्जा व दीर्घायु (Vitality & Longevity) को बढ़ावा देता है;
    - रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबूत करता है;
    - तंत्रिका संबंधी विकारों (Nervous Disorders) के उपचार में लाभदायक है आदि।

7.4.10. भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम (Bharat Tech Triumph Program)

भारत में डिजिटल और ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम शुरू किया गया है।

भारत टेक ट्रायम्फ प्रोग्राम के बारे में

- **प्रारंभ:** इसे **इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल (IEIC)** ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) की साझेदारी में शुरू किया है।
- **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के गेमिंग टैलेंट को पहचानना और प्रदर्शित करना।
- यह भारतीय इनोवेटर्स को अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने और **अंतर्राष्ट्रीय गेमिंग उद्योग में भारत की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक वैश्विक मंच** प्रदान करेगा।

SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

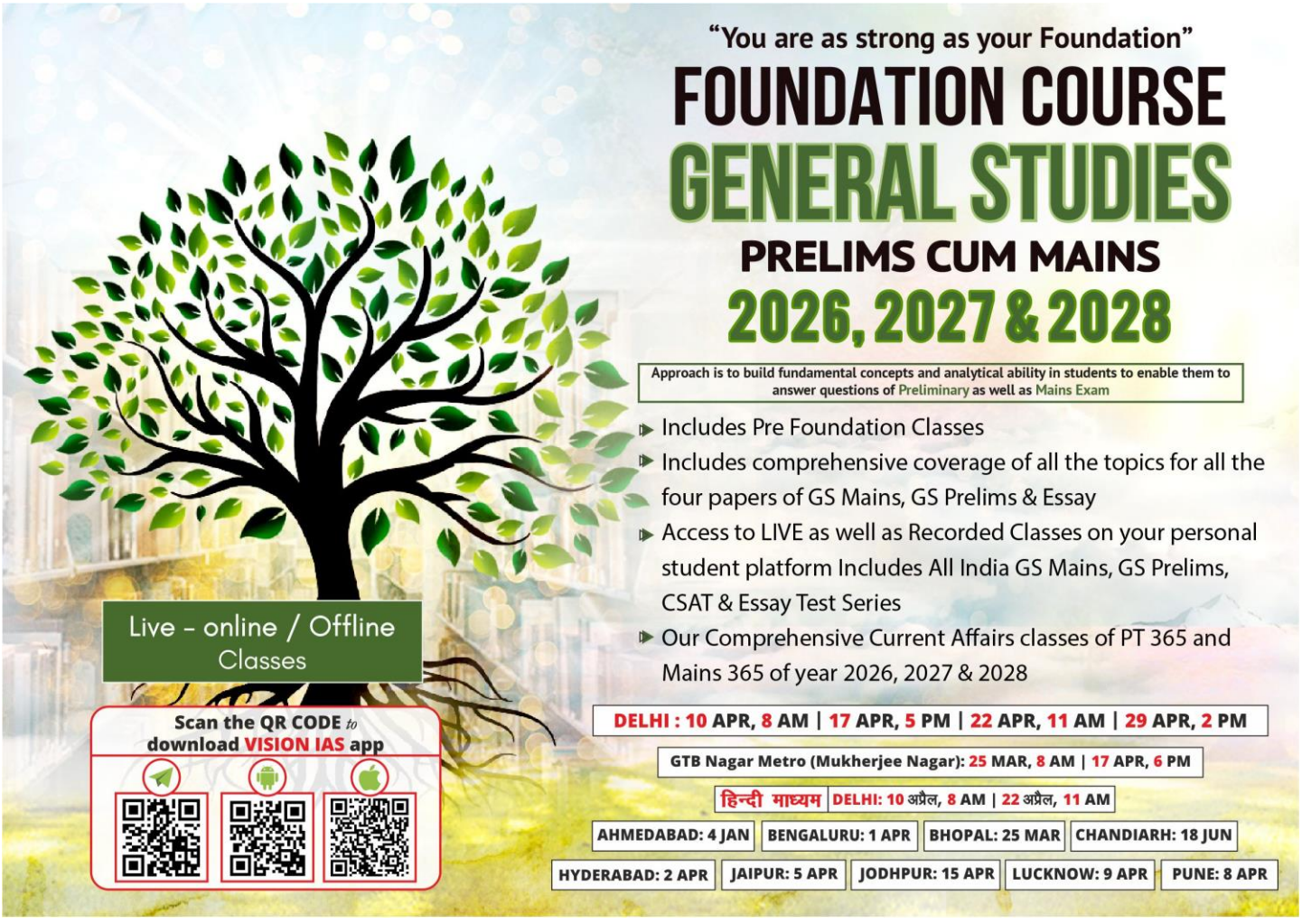

8. संस्कृति (Culture)

8.1. ज्ञान भारतम मिशन (Gyan Bharatam Mission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की **पांडुलिपि विरासत** के **सर्वेक्षण, दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण** के लिए ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की गई।

पांडुलिपियां क्या होती हैं?

- पांडुलिपियां कागज, वृक्ष की छाल, ताड़ के पत्ते आदि पर लिखी गई कम-से-कम 75 वर्ष पुरानी **हस्तलिखित रचनाएं** होती हैं। इनका वैज्ञानिक, ऐतिहासिक या सौंदर्यात्मक दृष्टि से काफी महत्त्व होता है।
  - उदाहरण के लिए- **बक्षाली या बख्शाली पांडुलिपि** को भोजपत्र (बर्च की छाल) पर लिखा गया है। यह एक प्राचीन गणितीय पांडुलिपि है **जो संभवतः तीसरी या चौथी शताब्दी ईस्वी** में लिखी गई थी।
    - कुछ अध्ययनों ने इस बात का खुलासा किया है कि बख्शाली पांडुलिपि में **गणितीय प्रतीक 'शून्य' का सबसे प्राचीन उल्लेख मिलता** है।
- **लिथोग्राफ्स** और **प्रिंटेड वॉल्यूम (मुद्रित ग्रंथ)** को पांडुलिपि नहीं माना जाता है।
  - प्रस्तर पर चित्र उकेर कर उसे कागज पर छापने की प्रक्रिया **लिथोग्राफी** कहलाती है।
- पांडुलिपियों की विषय-वस्तु इतिहास, धर्म, साहित्य, ज्योतिष और कृषि पद्धतियां आदि हो सकती हैं।
- भारत को **"संसार की स्मृति"** कहा जाता है, क्योंकि यहां लगभग **10 मिलियन पांडुलिपियां** उपलब्ध हैं। ये **80 प्राचीन लिपियों** जैसे कि **ब्राह्मी, कुषाण, गौड़ी, लेपचा,** आदि में लिखी गई हैं।
  - इनमें से 75% संस्कृत में और 25% क्षेत्रीय भाषाओं में हैं।

ज्ञान भारतम मिशन के बारे में

- **मुख्य घटक:**
  - **संरक्षण:** शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास मौजूद **1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों** का **सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण** करना।
  - **डिजिटल रिपॉजिटरी का निर्माण:** ज्ञान साझा करने के लिए भारतीय ज्ञान प्रणालियों के राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी का निर्माण किया जाएगा।
    - यह प्लेटफॉर्म **विश्व भर के शोधकर्ताओं, छात्रों और संस्थानों के लिए सुलभ** होगा।
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय

इस मिशन का महत्त्व

- **मौलिक कर्तव्य:** यह संविधान के अनुच्छेद **51A (f)- '**हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझना और उसका संरक्षण करना' के उद्देश्य को पूरा करता है।

भारत में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए की गई अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन (NMM):** इसकी शुरुआत 2003 में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने की थी। इसका उद्देश्य पांडुलिपियों का पता लगाना और उन्हें संरक्षित करना है।
- **नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता:** यहां लगभग 3,600 दुर्लभ और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण पांडुलिपियां हैं।
- **एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल:** इसे 15 जनवरी, 1784 को सर विलियम जोन्स ने स्थापित किया था। यह संस्था प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करती है।
- **भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार (NAI)[100]:** राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के प्राचीन अभिलेखों का भंडार है। इसमें भारत की प्रमुख हस्तियों के निजी कागजात भी मौजूद हैं।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र:** यह भारतीय कला और संस्कृति के लिए एक मुख्य संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करता है।

- **दस्तावेज़ीकरण:** मिशन देश में अज्ञात पांडुलिपि भंडारों का पता लगाने, सूचना एकत्र करने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचने तथा पांडुलिपियों की डिजिटल सूची तैयार करने के संदर्भ महत्वपूर्ण है।
- **पांडुलिपि अध्ययन:** इससे पांडुलिपि अध्ययन के विभिन्न पहलुओं में विशेषज्ञों और विद्वानों का एक रिसोर्स पुल बनाने में मदद मिल सकती है।
- **संरक्षण:** यह मिशन मूर्त सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करते हुए वर्तमान और भावी पीढ़ियों की इन तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- **सुलभता:** यह दुर्लभ और मूल्यवान ग्रंथों तक व्यापक पहुंच प्रदान करने और उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मददगार साबित होगा।
- **सहयोग:** ज्ञान प्रणालियों के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान और संसाधनों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

[100] National Archives of India

पांडुलिपि संरक्षण में चुनौतियां

- **पर्यावरण:** भारत की विविध जलवायु, विशेषकर तटीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च आर्द्रता, तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण पांडुलिपियां जल्दी खराब हो जाती हैं।
- **जागरूकता की कमी और सांस्कृतिक उपेक्षा:** पांडुलिपियों में संग्रहित महत्वपूर्ण पारंपरिक ज्ञान को वर्तमान में अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता है। इस वजह से उनका संरक्षण कार्य उचित रीति से नहीं किया जाता है।
- **बुनियादी ढांचे की कमी:** भारत में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है। पांडुलिपियों को खराब रखरखाव वाले पुस्तकालयों या जलवायु नियंत्रण के बिना निजी संग्रह में रख दिया जाता है जिससे वे जल्दी नष्ट हो जाती है।
- **भाषाई और लिपि विविधता:** पांडुलिपियां अनेक प्राचीन लिपियों (ब्राह्मी, खरोष्ठी आदि) में मौजूद हैं, जिससे उनका ट्रांसक्रिप्शन और संरक्षण करना कठिन हो जाता है।

आगे की राह

- **डिजिटल संरक्षण:** इसका अर्थ उन प्रबंधित गतिविधियों की एक श्रृंखला से है, जो डिजिटल सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित और सुलभ बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं।
    - इसमें **उन्नत इमेजिंग तकनीकों और डिजिटल संरक्षण रणनीतियों** की मदद से पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया जाता है, जिससे उनकी **दीर्घकालिक सुरक्षा और वैश्विक पहुंच** सुनिश्चित होती है। यह प्रक्रिया **शैक्षणिक शोध और शिक्षा में वैश्विक सहयोग** को भी बढ़ावा देती है।
- **3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग:** तारा प्रकाशन वैदिक पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र ने पांडुलिपियों के रख-रखाव और उनके संरक्षण के लिए 3D प्रिंटिंग प्रयोगशाला शुरू की है।
- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग:** कैम्ब्रिज में MACH प्रयोगशाला द्वारा इनपेंटिंग AI एल्गोरिदम नामक तकनीक का उपयोग पुरानी पांडुलिपियों में क्षति की पहचान करने और खोई हुई छवियों को फिर से बनाने के लिए किया जा रहा है।
    - **इनपेंटिंग** एक ऐसी तकनीक है, जो किसी छवि के खोए या क्षतिग्रस्त हिस्सों को भरने का काम करती है। इसे कई तरीकों से किया जा सकता है जिसमें डीप लर्निंग मॉडल्स, स्पेसियल प्रोजेक्शंस और पुनरावृत्ति संभाव्यता मॉडलिंग आदि शामिल हैं।

भारत की कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपियां

पांडुलिपि	लेखक
नाट्य शास्त्र	भरत मुनि
महाभारत	व्यास
महाभाष्य	पतंजलि
प्रयोग-रत्नमाला व्याकरण	पुरुषोत्तम विद्यावागीश
अर्थशास्त्र	चाणक्य
आर्यभटीय	आर्यभट्ट
ब्रह्मस्फुटसिद्धान्त	ब्रह्मगुप्त
सुश्रुत संहिता	सुश्रुत
अष्टाध्यायी	पाणिनि
राजतरंगिणी	कल्हण
गीत गोविंद	जयदेव

भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में और अधिक जानकारी के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए।

वीकली फोकस #123- भारत की सांस्कृतिक विरासतः अतीत का संरक्षण, भविष्य के लिए प्रेरणा

8.2. संक्षिप्त सुर्ख़ियां (News in Shorts)

8.2.1. विजय दुर्ग (फोर्ट विलियम) {Vijay Durg (Fort William)}

हाल ही में, कोलकाता स्थित **फोर्ट विलियम** का नाम बदलकर **विजय दुर्ग** कर दिया गया। गौरतलब है कि वर्तमान समय में **फोर्ट विलियम** में सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय है।

विजय दुर्ग (फोर्ट विलियम) के बारे में

- इसका नाम **इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय** के नाम पर रखा गया था।
  - इसका **विजय दुर्ग** नाम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग तट पर स्थित प्राचीनतम किले के सम्मान में किया गया है, जो **छत्रपति शिवाजी महाराज** के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण **नौसैनिक अड्डा** था।
- कोलकाता स्थित विजय दुर्ग **हुगली नदी** के तट पर अवस्थित है।
- **ब्लैक होल त्रासदी 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम** में हुई थी।
  - **बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला** ने एक छोटी सी कोठरी में तकरीबन 146 ब्रिटिश सैनिकों को रात भर के लिए बंद कर दिया। सुबह जब इसे खोला गया तो दम घुटने और अत्यधिक गर्मी कारण अधिकतर सैनिकों की मौत हो चुकी थी। इसे ही **ब्लैक होल त्रासदी** के नाम से जाना जाता है।

8.2.2. टी हॉर्स रोड (Tea Horse Road: THR)

हाल ही में, भारत में चीन के राजदूत ने **ऐतिहासिक टी हॉर्स रोड (THR) के बारे में एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट** किया।

टी हॉर्स रोड (THR) के बारे में

- यह **मार्ग तिब्बत के माध्यम से भारत को चीन** से जोड़ता था। यद्यपि, यह रेशम मार्ग जितना प्रसिद्ध नहीं था। **रेशम मार्ग** चीन और यूरोप को जोड़ता था।
- यह **कोई एकल मार्ग नहीं** था, बल्कि **कई शाखाओं वाला नेटवर्क** था, जो **दक्षिणी-पश्चिमी चीन से शुरू होकर भारतीय उपमहाद्वीप** तक जाता था।
- दो मुख्य मार्ग **युन्नान प्रांत के डाली और लिजियांग** जैसे शहरों से होकर **तिब्बत के ल्हासा** तक जाते थे। इसके बाद ये **भारत, नेपाल और बांग्लादेश** में विभिन्न शाखाओं में बंट जाते थे।
- **उत्पत्ति:** चीन में **तांग राजवंश (618-907 ई.पू.)** के दौरान।
- यह कई **शताब्दियों तक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग** रहा।

8.2.3. तांत्रिक बौद्ध धर्म (Tantric Buddhism)

ओडिशा के रत्नागिरी में 1,500 वर्ष से अधिक पुरानी 1.4 **मीटर लंबी बुद्ध प्रतिमा का सिर** और कुछ स्तूप मिले हैं। ये सभी साक्ष्य इस जगह को प्राचीन **तांत्रिक बौद्ध धर्म का केंद्र** साबित करते हैं।

- **बौद्ध धर्म के तीन मुख्य संप्रदाय हैं**:
  - **थेरवाद** (रूढ़िवादी बौद्ध धर्म),
  - **महायान** (ज़ेन और प्योर लैंड), और
  - **वज्रयान** (तिब्बती बौद्ध धर्म)।

तांत्रिक बौद्ध धर्म का विकास

- तांत्रिक बौद्ध धर्म निर्वाण प्राप्ति के लिए बौद्ध दर्शन को सिर्फ सिद्धांत तक सीमित रखने के बजाय साधना (प्रयोगात्मक विधियों) पर बल देता है।
  - वज्रयान, जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, चिकित्सा के गुप्त ज्ञान में विश्वास रखता है। यह सामाजिक कार्यों और बदलावों से जुड़ा हुआ है तथा मुख्य रूप से भूटान, मंगोलिया, नेपाल और तिब्बत में फैला हुआ है।
  - **सबसे पहले महायान बौद्ध धर्म में मंत्रोच्चार और अनुष्ठानों की** शुरुआत हुई। आगे चलकर इसकी दो शाखाएं विकसित हुईं:
    - **मंत्रयान (आरंभिक तांत्रिक बौद्ध धर्म) और**
    - **पारमिता-यान**।
  - मंत्रयान **को तांत्रिक बौद्ध धर्म का 'आरंभिक' चरण** माना जाता है। आगे **जब इसमें योगिक क्रियाएं जुड़ गईं**, तो यह पूर्ण विकसित **तांत्रिक बौद्ध** धर्म बन गया।

8.2.4. पद्म पुरस्कार (Padma Awards)

गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर **पद्म पुरस्कार 2025** की घोषणा की।

पद्म पुरस्कारों के बारे में

- ये पुरस्कार **1954 में शुरू** किए गए थे। ये देश के **सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक** हैं।
- ये **राष्ट्रपति द्वारा** राष्ट्रपति भवन में **तीन निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं:**
  - **पद्म विभूषण: असाधारण और विशिष्ट सेवा** के लिए;
  - **पद्म भूषण: उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा** के लिए; तथा
  - **पद्मश्री: किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा** के लिए।
- ये पुरस्कार **विविध विषयों/ गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों** में दिए जाते हैं। जैसे- कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्य, विज्ञान व इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि।
- **1978, 1979 तथा 1993 से 1997 के बीच के व्यवधानों** को छोड़कर, हर वर्ष **गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या** पर पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के नाम की घोषणा की जाती है।
- पद्म पुरस्कार **सिर्फ एक सम्मान** है। इन पुरस्कारों के साथ कोई नकद भत्ता या रेल/हवाई यात्रा में रियायत आदि जैसी **कोई सुविधा/लाभ नहीं जुड़ा** है।

8.2.5. साहित्य अकादमी पुरस्कार (Sahitya Academy Award)

हाल ही में, **चमन अरोड़ा** को उनकी पुस्तक **"इक होर अध्यथामा"** के लिए **डोगरी** में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है।

- डोगरी जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है।

साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में

- **उत्पत्ति:** साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत **1954** में की गई थी। यह पुरस्कार **साहित्य अकादमी** द्वारा दिया जाता है। यह अकादमी केंद्रीय **संस्कृति मंत्रालय** के तहत एक **स्वायत्त** निकाय है।
  - पहला **पुरस्कार 1955** में दिया गया था।
- यह पुरस्कार अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमुख **भारतीय भाषा में प्रकाशित साहित्यिक दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट रचनाओं** के लिए दिया जाता है।
  - अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में **संविधान की अनुसूची VIII के तहत सूचीबद्ध 22 भाषाएं तथा अंग्रेजी व राजस्थानी** शामिल हैं।
- पुरस्कार एक **मंजूषा** के रूप में होता है। इसमें एक **उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका** होती है और **1,00,000/- रुपये नकद** दिए जाते है।

8.2.6. भारतीय भाषा पुस्तक योजना (Bharatiya Bhasha Pustak Scheme)

वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2025-26 में **भारतीय भाषा पुस्तक योजना** शुरू करने की घोषणा की है।

भारतीय भाषा पुस्तक योजना के बारे में

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य स्कूली और उच्चतर शिक्षा के स्तर पर **भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना** है। इससे विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
- यह योजना **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप** है। इस योजना के तहत **स्कूलों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों को डिजिटल फॉर्मेट में पाठ्य-पुस्तकें और अध्ययन सामग्री** मिलेंगी।
- यह योजना **'अस्मिता (ASMITA) पहल** के उद्देश्यों को पूरा करने में भी सहायता करेगी। **अस्मिता (ASMITA)** से तात्पर्य है; **ऑग्मेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेजेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग।**
    - केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और UGC ने 2024 में **अस्मिता पहल की शुरुआत** की थी। इसका उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 22 भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तकें प्रकाशित करना है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता (Obscenity on Digital Platforms)

परिचय

सुप्रीम कोर्ट ने **"इंडियाज गॉट लैटेंट"** नामक यूट्यूब शो में अश्लील टिप्पणियों से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए **सॉलिसिटर जनरल** से अनुरोध किया कि वे **ऑनलाइन दिखाए जाने वाले भद्दे कंटेंट पर नियंत्रण के लिए एक संतुलित नियामक उपाय प्रस्तुत करें**, जिससे **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (Free Speech) पर संतुलन बना रहे।**

इसके साथ ही, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफॉर्म्स को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे ऐसा कोई भी कंटेंट प्रसारित न करें जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हो। मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स से "सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021" के अनुसार आयु-आधारित वर्गीकरण का सख्ती से पालन करने और परिपक्व कंटेंट के लिए आयु-नियंत्रण (Age-gating) की अनिवार्यताओं को लागू करने का निर्देश दिया है। सरल शब्दों में, मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म्स से कहा है कि वे 2021 के नियमों के अनुसार कंटेंट को उम्र के हिसाब से बांटें और बड़ों के लिए बनी सामग्री को देखने के लिए उम्र की पुष्टि करने का एक सिस्टम तैयार करें।

अश्लीलता (Obscenity) क्या है?

'अश्लील' का मतलब है ऐसी चीजें जो देखने या सुनने में बहुत बुरी लगें या जिनका मकसद लोगों को यौन रूप से उत्तेजित करना हो। ऐसी चीजें लोगों में गलत इच्छाएं या वासना पैदा कर सकती हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट स्ट्रीमिंग में प्रमुख हितधारक

प्रमुख हितधारक	संबद्ध हित
कंटेंट क्रिएटर्स और कलाकार	• **रचनात्मक स्वतंत्रता** और कलात्मक अभिव्यक्ति बनाए रखना, आय अर्जित करना और दर्शक बनाना।
डिजिटल प्लेटफॉर्म	• यह सुनिश्चित करना कि उनका **राजस्व मॉडल देश के कानूनों का पालन करता हो** और अत्यधिक सेंसरशिप के बिना उपयोगकर्ताओं को हानिकारक कंटेंट से बचाता हो। • **राजस्व हानि से बचने के लिए विज्ञापनदाताओं का विश्वास बनाए रखना,** क्योंकि यदि प्लेटफॉर्म संदिग्ध कंटेंट से जुड़ा हुआ है तो ब्रांड पीछे हट सकते हैं।
सरकार एवं नियामक निकाय	• **कानूनों को परिभाषित और लागू करना,** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सार्वजनिक नैतिकता के साथ संतुलित करना।
समाज	• **न्यूनतम प्रतिबंध के साथ वांछित कंटेंट तक पहुंच,** विशेष रूप से बच्चों को अनुचित या अश्लील कंटेंट से बचाना। • **अपनी पसंद के अनुसार कंटेंट चुनने की स्वतंत्रता बनाए रखना।**

डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अश्लीलता को विनियमित करने की आवश्यकता क्यों?

- **सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण:** अनियंत्रित अश्लील कंटेंट की अनुमति देने से समाज का नैतिक चरित्र कमजोर होता है, तथा अनादर और नैतिक पतन को बढ़ावा मिलता है।
  - उदाहरण के लिए- 2021 की "बुल्ली बाई" ऐप की घटना में अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं की तस्वीरों की ऑनलाइन नीलामी की गई थी। इस घटना ने दिखाया कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग महिलाओं को अपमानित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे सख्त नियमन की आवश्यकता उजागर हुई।

शब्दावली को जानें

➢ "प्रुरिएंट इंटरेस्ट" शब्द का अर्थ है यौन उत्तेजना या यौन संतुष्टि में असामान्य या अत्यधिक रुचि होना।

- **मानव गरिमा की रक्षा:** कांट का मानना था कि मनुष्यों को कभी भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लोगों को कामुक रुचि की वस्तु तक सीमित कर देने वाले कंटेंट गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के मूल सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

- **अश्लीलता के सामान्यीकरण से बचना:** जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि सिद्धांत सुझाव देता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समाज को हानि नहीं होनी चाहिए।
    - लगातार अश्लील कंटेंट देखने से व्यक्ति असंवेदनशील हो सकता है, सहानुभूति खत्म हो सकती है और हानिकारक रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **प्लेटफॉर्म्स की नैतिक जिम्मेदारी: उपयोगितावाद** का दर्शन कहता है कि कोई भी कार्य समाज के अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम कल्याण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। इस प्रकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नैतिक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका कंटेंट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाए रखें। इससे एक सुरक्षित डिजिटल परिवेश को बढ़ावा मिलता है।
- **संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना:** संवैधानिक नैतिकता सामाजिक न्याय और समानता जैसे आधारभूत मूल्यों की रक्षा करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि डिजिटल कंटेंट इन सिद्धांतों के अनुरूप हो।
    - **अनुच्छेद 19(2)** प्रावधान करता है कि वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ऐसे अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार या शालीनता, नैतिकता, अपराध के लिए उकसाने सहित विभिन्न आधारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

अश्लील डिजिटल कंटेंट को विनियमित करने में नैतिक मुद्दे

- **अस्पष्टता और व्यक्तिपरकता (Vagueness and Subjectivity):** वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सदाचार और नैतिकता समय और क्षेत्रों के अनुसार बदलती रहती है। हालांकि, इंडियाज गॉट लैटेंट में इस्तेमाल की गई भाषा अनुचित थी, लेकिन यह अपराध की कानूनी परिभाषा को पूरा नहीं कर सकती है, क्योंकि इस तरह की भाषा समाज में रोजमर्रा की बातचीत में आम है।
- **सेंसरशिप बनाम उचित प्रतिबंध:** हालांकि, कानून नैतिकता की रक्षा करते हैं, लेकिन अत्यधिक विनियमन रचनात्मकता को प्रभावित कर सकता है। चूंकि अश्लीलता व्यक्तिपरक और निरंतर परिवर्तनीय है, इसलिए अत्यधिक प्रतिबंध मीडिया में विविध दृष्टिकोणों को सीमित कर सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए- 2024 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने "अश्लील और अभद्र" कंटेंट करार देते हुए 18 OTT प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसे मनमाना माना गया और कुछ ने इसे रचनात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला बताया।
- **बदलते सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक संवेदनशीलता:** अश्लीलता एक सांस्कृतिक अवधारणा है जो समय के साथ बदलती रहती है। खजुराहो और कोणार्क के प्राचीन मंदिरों में कामुक मूर्तियां उत्कीर्णित हैं, लेकिन अगर वर्तमान में इस तरह की मूर्तियां लगाने/ उकेरने का प्रयास किया जाए तो सेंसरशिप का सामना करना पड़ सकता है।
- **सत्ता की गतिशीलता:** प्रश्न उठता है कि यह तय करने का अधिकार किसे होगा कि कौन सा कंटेंट स्वीकार्य है? सेंसरशिप का दुरुपयोग हाशिए पर मौजूद समुदायों के खिलाफ किया जा सकता है।
- **एजेंसी और संरक्षकवाद (Paternalism):** कंटेंट के उपयोगकर्ताओं को हानिकारक कंटेंट से बचाने और अपना कंटेंट चुनने की उनकी स्वायत्तता का सम्मान करने के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
    - अत्यधिक विनियमन से यह धारणा बन सकती है कि उपयोगकर्ता स्वयं कंटेंट के संबंध में अपनी पसंद के बारे में सही निर्णय नहीं ले सकते हैं।
- **अश्लीलता का विनियमन बनाम कलात्मक स्वतंत्रता:** सार्वजनिक नैतिकता की रक्षा के लिए सेंसरशिप और कलाकारों की रचनात्मक अभिव्यक्ति के बीच संघर्ष बना रहता है।
    - उदाहरण के लिए- मकबूल फिदा हुसैन बनाम राज कुमार पांडे मामले में, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि केवल नग्नता (Nudity) मात्र से कोई कंटेंट अश्लील नहीं हो जाता। इससे यह स्पष्ट हुआ कि कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक मानकों के बीच नैतिक दुविधा बनी रहती है।

अश्लीलता वाले कंटेंट पर प्रतिबंध के संबंध में कानून और नैतिकता के बीच संघर्ष

भारतीय न्यायशास्त्र में अश्लीलता पर कानूनी प्रतिबंध और बदलते नैतिक मानकों के बीच संघर्ष एक जटिल चुनौती के रूप में उभरा है। यह संघर्ष मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है:

स्पष्ट परिभाषा के बिना कानूनी ढांचा

- **भारतीय न्याय संहिता (BNS)** और IT अधिनियम, 2000 की धारा 67 दोनों ही अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंध लगाते हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021** के द्वारा गाली-गलौज, सेक्स, नग्नता, मादक द्रव्यों के सेवन और हिंसा जैसे स्पष्ट कंटेंट दिखाने वाली फिल्मों और शो के लिए आयु-आधारित रेटिंग देने का प्रावधान किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, **सिनेमैटोग्राफ अधिनियम (1952), केबल टीवी अधिनियम (1999) और महिलाओं का अशिष्ट चित्रण अधिनियम (1986)** जैसे कानून भी अश्लीलता को नियंत्रित करते हैं।
- हालांकि, आपराधिक कानून या संविधान में अश्लीलता को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इससे व्यक्तिपरक व्याख्या और असंगत प्रवर्तन की गुंजाइश बनी रहती है।

विकसित होती न्यायिक व्याख्या

- अश्लीलता की न्यायिक समझ समय के साथ विकसित हुई है। **रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य (1964) वाद** में, सुप्रीम कोर्ट ने **हिकलिन टेस्ट** लागू किया। इसके अनुसार "भ्रष्ट करने और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति" वाली किसी भी कंटेंट को अश्लील माना जाता है।
- दशकों बाद, **अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) वाद** में, न्यायालय ने सामुदायिक मानक परीक्षण की ओर रुख किया। इसमें प्रचलित सामाजिक और नैतिक मानदंडों के आधार पर अश्लीलता का मूल्यांकन किया गया।
    - हालांकि, सामुदायिक मानकों को परिभाषित करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है क्योंकि ये निरंतर विकसित होते रहते हैं तथा अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं।
- बॉम्बे हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम पटेल ने कहा कि केवल अपवित्र भाषा (Profane Language) अश्लीलता नहीं होती, जिससे स्पष्ट होता है कि कानून की व्याख्या कितनी व्यक्तिपरक है।

इन सभी बातों के अलावा, एक ही अपराध के लिए कई FIR दर्ज करने की बढ़ती प्रवृत्ति को उत्पीड़न के रूप में आलोचना झेलनी पड़ी है, क्योंकि यह आरोपी के खिलाफ अनुचित पूर्वाग्रह पैदा करता है और उनके निष्पक्ष बचाव के अधिकार को कमजोर करता है। वहीं लोक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कंटेंट को आलोचना या बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता हैं, लेकिन अत्यधिक कानूनी कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण का खतरा उत्पन्न करती है।

> "सेंसरशिप किसी समाज की स्वयं पर विश्वास की कमी को दर्शाती है। यह एक सत्तावादी शासन की पहचान है।"
>
> **— पॉटर स्टीवर्ट, यू.एस. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश**

आगे की राह

- **न्याय एवं वस्तुनिष्ठता (Justice & Objectivity):** भारत की सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट एवं सुसंगत दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए, जिससे पक्षपात या न्यायिक निर्णयों में व्यक्तिनिष्ठता/ व्यक्तिपरकता को रोका जा सके।
- **जवाबदेही एवं जिम्मेदारी:** OTT कंटेंट, डिजिटल समाचार और उभरती तकनीकों को विनियमित करने के लिए एक ब्रॉडकास्टिंग विधेयक लाया जाना चाहिए, जिससे नैतिक और सामाजिक रूप से उत्तरदायी मीडिया सुनिश्चित हो सके।
- **नैतिक कंटेंट क्रिएशन को प्रोत्साहित करना:** सामाजिक उत्तरदायित्व और सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित करने के लिए, स्व-विनियमन और ऐसी नैतिक स्टोरीटेलिंग को बढ़ावा देना चाहिए, जो सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक सम्मान को प्रतिबिंबित करती हो।
- **सशक्तीकरण एवं सूचित विकल्प:** युवाओं को मीडिया एथिक्स, जिम्मेदारीपूर्ण कंटेंट व्यवहार और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करने के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू करना चाहिए।

निष्कर्ष

अश्लीलता अत्यधिक व्यक्तिपरक है, जो संस्कृतियों और समय के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, एक जिम्मेदार डिजिटल मीडिया स्पेस बनाने के लिए कानूनी स्पष्टता, स्व-नियमन, लोक जागरूकता और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। न्याय, गरिमा, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे नैतिक मूल्यों को कायम रखते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रचनात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन बना सकते हैं।

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता (Obscenity) और अपशब्दों (Profanity) को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को निर्देश दिया है कि वे ऑनलाइन कंटेंट में "गंदी भाषा" और "अश्लीलता" पर अंकुश लगाने के उपायों का प्रस्ताव करें। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नैतिक मानकों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

इस संदर्भ में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- एक समाज/ देश को जब कोई बात आपत्तिजनक और अश्लील लगती है, तो वह दूसरे के लिए दैनिक चर्चा का हिस्सा हो सकती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता के बढ़ने से कौन-से नैतिक मुद्दे पैदा होते हैं?
- सरकार यह कैसे सुनिश्चित कर सकती है कि सार्वजनिक सदाचार बनाए रखते हुए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाए? रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति को बाधित किए बिना अश्लील कंटेंट को सीमित करने के लिए क्या दिशा-निर्देश प्रस्तावित किए जाने चाहिए?
- डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट को विनियमित करने में क्या भूमिका निभानी चाहिए, और वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे संतुलित कर सकते हैं?

9.2. सर्विलांस कैपिटलिज्म (Surveillance Capitalism)

परिचय

हालिया वर्षों में डिजिटल सूचना का विस्तार काफी तेजी से हुआ है। 1986 में यह केवल 1% था, जो 2013 तक 98% तक पहुंच गया। इसके चलते व्यक्तिगत डेटा 21वीं सदी में नई सम्पति बनकर उभरा है। इस बदलाव ने **सर्विलांस कैपिटलिज्म** के उदय को बढ़ावा दिया है। यह एक ऐसी प्रणाली है, जहां मानव अनुभवों और व्यवहारों को लाभ के लिए संसाधन के रूप में जुटाया जाता है। **गूगल, मेटा और अमेजन** जैसी दिग्गज तकनीकी कंपनियों के नेतृत्व में इस बदलाव ने निजता, स्वायत्तता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बारे में गहरी **नैतिक, सामाजिक और विनियामकीय चिंताएं** उत्पन्न की हैं।

सर्विलांस कैपिटलिज्म क्या है?

- **परिभाषा:** यह एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जहां निजी कंपनियां (जैसे- अमेज़न, अल्फाबेट, मेटा, आदि) मानव व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने और उसे प्रभावित करने के लिए सुनियोजित रूप से व्यक्तिगत डेटा एकत्र करती हैं, उनका विश्लेषण करती हैं और लाभ कमाती हैं, जैसे- लक्षित विज्ञापन, मूल्य निर्धारण, बीमा संबंधी निर्णय, आदि।
- **कार्यप्रणाली:** यह निम्नलिखित तरीके से कार्य करता है-
  - **डेटा जुटाना:** गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म सर्च आधारित प्रश्नों से लेकर खरीद हिस्ट्री तक उपयोगकर्ता की गतिविधियों को ट्रैक करते हैं।
  - **पूर्वानुमान हेतु विश्लेषण: AI और एल्गोरिदम** यूजर्स की प्राथमिकताओं का अनुमान लगाने के लिए उनके व्यवहार से जुड़े पैटर्न का विश्लेषण करते हैं।
  - **प्रभाव डालने वाली तकनीकें:** प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी का उपयोग लक्षित विज्ञापनों, डायनेमिक मूल्य निर्धारण और व्यवहार को प्रभावित करके उपभोक्ता द्वारा चुने जाने वाले विकल्पों, उनके राजनीतिक विचारों और यहां तक कि भावनाओं को दिशा देने के लिए किया जाता है।

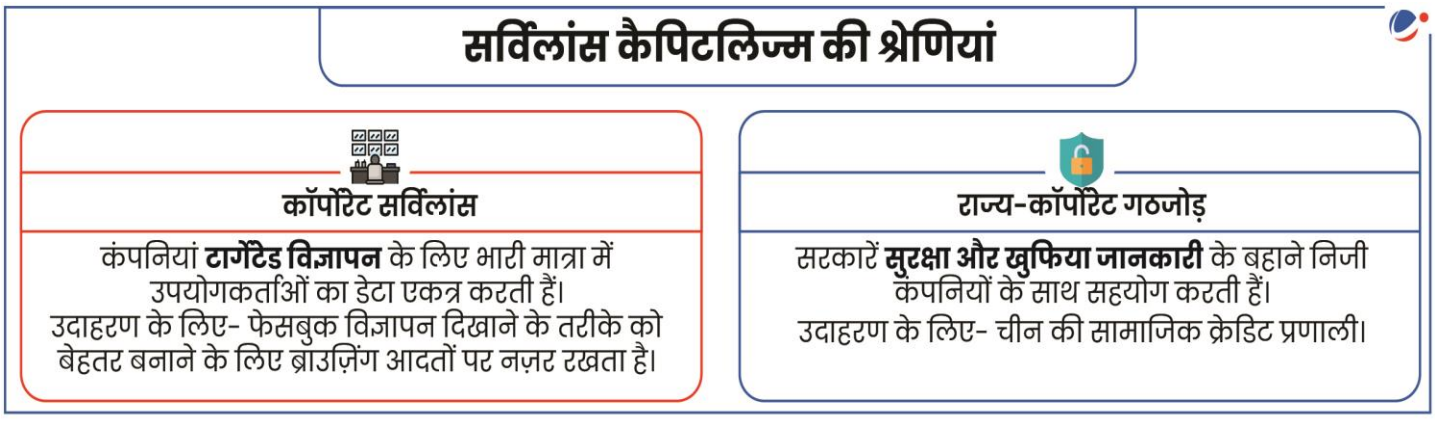

पारंपरिक पूंजीवाद बनाम सर्विलांस कैपिटलिज्म

विशेषताएं	पारंपरिक पूंजीवाद	सर्विलांस कैपिटलिज्म
संसाधन	श्रम और प्राकृतिक संसाधन (जैसे- कोयला, इस्पात, आदि)	यूजर्स का व्यक्तिगत डेटा
मूल्य सृजन	वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन (जैसे- फोर्ड की असेंबली लाइन)	डिजिटल हस्तक्षेप के जरिए व्यवहार को प्रभावित करना
लाभ मॉडल	भौतिक उत्पादों या सेवाओं को बेचना	लक्षित विज्ञापन, AI-संचालित मूल्य निर्धारण के जरिए डाटा का मुद्रीकरण
उदाहरण	इस्पात मिलें, ऑटोमोबाइल कारखाने	गूगल विज्ञापन, अमेज़न रेकमंडेशन

सर्विलांस कैपिटलिज्म से संबंधित नैतिक निहितार्थ

- **हेरफेर करना:** एल्गोरिदम के कारण यूजर्स के निर्णयों को आकार देने के लिए **संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों** का फायदा उठाया जाता है।
    - उदाहरण के लिए- यूट्यूब की रेकमंडेशन प्रणाली भावनात्मक रूप से उत्तेजित कंटेट को बढ़ावा देकर यूजर्स के जुड़ाव को बढ़ाती है।
- **गोपनीयता का क्षरण:** डेटा अक्सर उचित सहमति के बिना एकत्र किया जाता है, जिसकी मदद से बड़े पैमाने पर निगरानी की जाती है।
    - उदाहरण के लिए- 2021 में फ्रांस में क्लियरव्यू AI को बिना कानूनी अनुमति के लोगों का डेटा इकट्ठा करने के कारण रोक दिया गया था।
- **व्यक्तिगत डेटा का वस्तु के रूप उपयोग:** निजी संवेदनशील डेटा को अब एक वस्तु की तरह खरीदा और बेचा जाता है।
    - उदाहरण के लिए- 2018 में, अमेरिका में स्लीप एपनिया मशीनों ने यूजर्स के डेटा को गुप्त रूप से बीमा कंपनियों को भेजा था, जिससे बीमा कवरेज प्रभावित हुआ था।
- **अनुचित वाणिज्यिक प्रथाएं:** डेटा के उपयोग के बारे में पारदर्शिता की कमी।
    - उदाहरण के लिए- इटली ने 2021 में डेटा भंडारण के बारे में यूजर्स को गुमराह करने के लिए फेसबुक पर 7 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन:** राज्य और कंपनियों द्वारा की जाने वाली निगरानी **नागरिक स्वायत्तता** का क्षरण करती है।
    - उदाहरण के लिए- भारत के IT नियम (2021) में राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी नियंत्रण के बीच स्पष्टता का अभाव है।
- **मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम:** यूजर्स के जुड़ाव को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किए गए क्यूरेटेड कंटेंट के संपर्क में आने से लोग तनाव और अवसाद के शिकार हो सकते हैं।
    - उदाहरण के लिए- सोशल मीडिया एल्गोरिदम उन कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं जो क्रोध और भय को ट्रिगर करते हैं तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं।

सर्विलांस कैपिटलिज्म को नियंत्रित करने में मौजूद चुनौतियां

- **विनियमन:** वर्तमान नियम डेटा को वस्तु के रूप में खरीदने और बेचने की व्यवस्था को खत्म करने में सक्षम नहीं हैं। बड़ी तकनीकी कंपनियां अक्सर कड़े नियमों का विरोध करती हैं, जैसा कि एंटीट्रस्ट कानूनों के प्रति उनके विरोध से स्पष्ट है। वे लॉबिंग और अन्य तरीकों से निरीक्षण को कमजोर करने की कोशिश करती हैं।
- **प्रौद्योगिकी:** AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के तेजी से विकास के चलते **विनियामकीय फ्रेमवर्क अप्रासंगिक बन जाते** है।
- **कॉर्पोरेट-राज्य की मिलीभगत:** कॉर्पोरेट और सरकार के बीच सांठगांठ भी एक बड़ी चुनौती है। जब कंपनियों और सरकार के हित आपस में मिल जाते हैं, जैसे कि खुफिया एजेंसियों के साथ डेटा साझा करना, तो सार्वजनिक निगरानी कम हो जाती है और यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन जिम्मेदार है।

सर्विलांस कैपिटलिज्म को विनियमित करने के प्रयास

वैश्विक प्रयास	भारत में किए गए प्रयास
• **यूरोपीय संघ का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (2018):** यह डेटा एकत्र करने के संबंध में उपभोक्ताओं व यूजर्स की सहमति को लागू करता है और उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना लगाता है। इससे यूजर्स के अधिकारों में वृद्धि हुई है।	• **के.एस. पुट्टास्वामी मामला (2017):** भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया।

- **कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट (2020):** यह कैलिफोर्निया के निवासियों को निम्नलिखित अधिकार देता है:
  - लोग जान सकते हैं कि कंपनियां उनके बारे में कौन-सी निजी जानकारी इकट्ठा कर रही हैं।
  - लोग कंपनियों को अपनी जानकारी बेचने से मना कर सकते हैं।
  - लोग कंपनियों से अपना डेटा पूरी तरह से डिलीट करने की मांग कर सकते हैं।

- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (DPDP) अधिनियम (2023):** यह डेटा प्रसंस्करण के लिए संबंधित व्यक्ति की सहमति को अनिवार्य करता है, व्यक्तियों को अपने डेटा को एक्सेस और डिलीट करने में सक्षम बनाता है एवं उल्लंघन के मामले में कंपनियों पर दंड का प्रावधान करता है।

आगे की राह

- **मजबूत विनियामकीय फ्रेमवर्क:** डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए **स्पष्ट जवाबदेही, नियमित ऑडिट और कठोर दंडात्मक प्रावधानों के साथ प्रासंगिक कानूनों को लागू करने** की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए- रियायत को सीमित करके और न्यायिक निरीक्षण सुनिश्चित करके भारत को **DPDP अधिनियम को मजबूत करना चाहिए।**
- **यूजर्स को सशक्त बनाना:** इसके लिए **डेटा साक्षरता संबंधी अभियानों** को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और सहमति के संबंध में **पारदर्शी तंत्र को लागू करना** चाहिए। इससे यूजर्स अपने डेटा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकेंगे।
- **एंटीट्रस्ट उपयोग:** बड़ी टेक कंपनियों के तकनीकी एकाधिकार को समाप्त करके उनकी अनियंत्रित शक्ति को कम करना चाहिए। इस तरह के एंटीट्रस्ट उपायों पर संयुक्त राज्य अमेरिका में चर्चा जारी है, ताकि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और नवाचार सुनिश्चित किया जा सके।
- **वैश्विक सहयोग:** इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, ताकि कम-विनियमित देशों में डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति की इस तरह की चुनौती के एकीकृत समाधान को बढ़ावा मिलेगा।
- **प्रौद्योगिकी में नैतिक मूल्यों का समावेशन:** टेक कंपनियों को निजता-आधारित डिजाइन अपनाने हेतु प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि निगरानी (Surveillance) को शुरुआती स्तर पर ही कम किया जा सके।

> "जो जनभावना को आकार देता है, वह कानून बनाने या निर्णय सुनाने वाले से भी अधिक प्रभावशाली होता है।"
>
> **— अब्राहम लिंकन**

अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आप एक मध्यम आकार के भारतीय टेक स्टार्टअप के CEO हैं जिसने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अभिनव मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप ग्रामीण किसानों और छोटे विक्रेताओं जैसी वंचित आबादी को व्यक्तिगत सूक्ष्म-ऋण और वित्तीय सलाह देने के लिए यूजर्स के ऑनलाइन व्यवहार, खर्च करने की आदतों और सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए AI एल्गोरिदम का उपयोग करता है। लॉन्च के बाद से, ऐप ने काफी लोकप्रियता हासिल की है तथा 5 लाख से अधिक यूजर्स को सेवा दे रहा है और स्टार्टअप ने पूंजीपतियों से काफी निवेश आकर्षित किया है। हालांकि, एक न्यूज आउटलेट द्वारा हाल ही में किए गए खुलासे से पता चला है कि यह स्टार्टअप अतिरिक्त राजस्व सृजित करने के लिए तीसरे पक्ष के विज्ञापनदाताओं और बीमा कंपनियों के साथ यूजर्स का डेटा साझा कर रही है, यह जानकारी ऐप के लंबे टर्म्स एंड कंडीशंस में छुपी हुई है जिसे अधिकांश यूजर्स पूरी तरह से पढ़ और समझ नहीं पाए हैं।

आप असमंजस की स्थिति में हैं। डेटा-साझाकरण जारी रखने से स्टार्टअप की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सकती है और विस्तार को बढ़ावा मिल सकता है, लेकिन यह कानूनी कार्रवाई, यूजर्स के विश्वास की हानि और कर्मचारियों के मनोबल को खतरे में डालता है। इसे रोकने से स्टार्टअप के विकास और निवेशकों के विश्वास पर असर पड़ सकता है, जिससे वंचित समुदायों की सेवा करने का आपका मिशन कमजोर हो सकता है।

उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

- हितधारकों की पहचान करते हुए, इस स्थिति में मौजूद नैतिक दुविधाओं का विश्लेषण कीजिए।
- CEO के रूप में आपकी संभावित कार्यवाइयां क्या होंगी? प्रत्येक के गुण और दोषों का मूल्यांकन कीजिए।
- आप क्या निर्णय लेंगे और अपने हितधारकों के समक्ष इसे कैसे उचित ठहराएंगे?

9.3. भारत में रैगिंग के मामले (Ragging in India)

परिचय

हाल ही में, केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रैगिंग की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए रैगिंग विरोधी कानून को सही ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु एक कार्य-समूह गठित करने का निर्देश दिया है।

रैगिंग क्या है?

आमतौर पर, रैगिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में होती है। इसमें सीनियर छात्र, और कभी-कभी बाहरी लोग भी, नए या जूनियर छात्रों को शारीरिक, मानसिक या यौन रूप से परेशान करते हैं।

> "रैगिंग न तो नए स्टूडेंट्स के लिए परिचय का साधन है और न ही उन्हें परिचित कराने का तरीका, बल्कि यह एक मानसिक विकार और विकृत व्यक्तित्व का प्रतीक है। साथ ही, यह समाज में मौजूद गहरी जड़ें जमा चुकी शक्ति संरचनाओं को फिर से स्थापित करती है।"
>
> — आर. के. राघवन

विभिन्न हितधारकों पर रैगिंग के प्रभाव

पीड़ितों (जूनियर छात्रों) पर	परिवारों पर
• **आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का क्षरण:** अपमानजनक और अमानवीय स्वभाव के कारण। • **पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD):** कुछ छात्रों में एंग्जायटी, अवसाद, PTSD के लक्षण विकसित हो जाते हैं, जिनमें फ्लैशबैक, बुरे सपने आना और भावनात्मक तनाव शामिल हैं। • **शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट:** यह ध्यान की कमी, अनुपस्थिति, आदि का कारण बन सकता है।	• **भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट:** परिवार भावनात्मक संकट का अनुभव करते हैं और असहाय, दोषी या क्रोधित महसूस करते हैं। • **वित्तीय बोझ:** काउंसलिंग या चिकित्सकीय उपचार के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। • **संस्थानों के प्रति विश्वास में गिरावट:** बच्चे की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर चिंता।
संस्थानों पर	**रैगिंग करने वालों पर**
• **प्रतिष्ठा में हानि:** इससे संस्थाओं की नकारात्मक छवि बनती है, जिससे फंडिंग और छात्रों के नामांकन पर असर पड़ता है। • **नैतिक मूल्यों का क्षरण होना:** यह शैक्षणिक संस्थानों के भीतर नैतिकता और नैतिक संस्कृति को कमजोर करता है। • **प्रशासनिक चुनौतियां:** इसके चलते मुकदमे, अनुशासनात्मक कार्रवाई और विनियामकीय जांच जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है।	• **करियर में बाधाएं:** संस्थानों से निष्कासन, दुराचार का रिकॉर्ड भविष्य में रोजगार और प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। • साथियों के बीच **नैतिकता और विश्वसनीयता का क्षरण।** • **सदाचार और नैतिकता का पतन:** दुराचार करने की आदत और समानुभूति का क्षरण होना।

रैगिंग के उन्मूलन में मौजूद चुनौतियां

- **गहरी जड़ें जमा चुकी रैगिंग की सांस्कृतिक और पारंपरिक स्वीकृति:** रैगिंग को एक परंपरा या रिवाज के रूप में माना जाता है, जो नवागंतुकों को अकादमिक जीवन और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए तैयार करता है।
- **जागरूकता की कमी:** रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल के बारे में नवागंतुक छात्रों में जागरूकता की कमी होती है।
- **बदले की कार्यवाही का भय:** पीड़ित छात्र अक्सर बदले की कार्रवाई, आगे उत्पीड़न होने या दूसरों द्वारा उपहास के डर से रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने में संकोच करते हैं।

- **सख्त प्रवर्तन की कमी:** रैगिंग विरोधी कानून तो बने हैं, लेकिन उन्हें सख्ती से लागू नहीं किया जाता। इसके अलावा, पीड़ितों को ही यह साबित करना पड़ता है कि उनके साथ रैगिंग हुई है, जिससे अक्सर अपराधी बिना सजा के बच जाते हैं।
- **संस्थानों की भूमिका:** संस्थान अक्सर अपनी प्रतिष्ठा, रैंकिंग और फंडिंग को बनाए रखने के लिए रैगिंग विरोधी कानूनों को लागू करने को कम महत्त्व देते हैं।

भारत में रैगिंग विरोधी कानूनी फ्रेमवर्क

राघवन समिति की सिफारिशें (2007)

- **मान्यता प्रदान करने में सावधानी:** राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद निकायों को संस्थानों को मान्यता देते समय रैगिंग की घटनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ, रैगिंग विरोधी समिति और रैगिंग विरोधी दस्ते** का गठन करना चाहिए।
- **प्रत्येक संस्थान में 'मेंटरिंग सेल' की स्थापना** करनी चाहिए, ताकि **'फ्रेशर्स' के लिए मेंटर्स** के रूप में सीनियर छात्रों को नियुक्त किया जा सके और उनकी निगरानी की जा सके।
- **विज्ञापन:** रैगिंग के प्रति **'जीरो टॉलरेंस'** के संबंध में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी विज्ञापन अभियान शुरू करना चाहिए।
- **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT)** तथा **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)** को मानव अधिकार शिक्षा पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। इसमें रैगिंग के खिलाफ जागरूकता को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए।

रैगिंग पर अंकुश लगाने पर UGC के विनियम (2009)

रैगिंग एक आपराधिक कृत्य है और UGC ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विनियम तैयार किए हैं। ये विनियम सभी विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के लिए अनिवार्य हैं।

- **प्रवेश के दौरान:** संस्थान 'फ्रेशर्स' और सीनियर छात्रों के लिए संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
- **बर्डन ऑफ प्रूफ:** यह रैगिंग के पीड़ितों पर नहीं, बल्कि रैगिंग करने वाले पर होगा।
- **पुलिस, स्थानीय प्रशासन और संस्थानों की भूमिका:** इन सभी को रैगिंग की परिभाषा के अंतर्गत आने वाली घटनाओं की निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

उठाए जा सकने वाले कदम

- **साथियो का सहयोग:** सामाजिक दबावों और रिश्तों में सामंजस्य बिठाने में युवाओं की मदद करने के लिए स्टूडेंट मेंटर्स, एक दूसरे के साथ सहयोग करने और जीवन-कौशल संबंधी शिक्षा को कॉलेज में शुरू किया जाना चाहिए।
- **संस्थान की प्रतिष्ठा की तुलना में छात्र की सुरक्षा को तरजीह देना:** संस्थानों द्वारा रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्टिंग को छात्र सुरक्षा और संस्थागत सत्यनिष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि संस्थानों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य के रूप में।
- **रैगिंग विरोधी उपायों पर सुप्रीम कोर्ट के 2009 के निर्देशों का पालन करना चाहिए:**
  - **कॉन्टैक्ट डिटेल को प्रदर्शित करना:** संस्थानों को रैगिंग रोधी समितियों के नोडल अधिकारियों के ई-मेल और कॉन्टैक्ट डिटेल प्रमुखता से प्रदर्शित करने चाहिए।
  - **माता-पिता/ अभिभावकों को सूचित करना:** संस्थानों को वार्षिक रूप से माता-पिता/ अभिभावकों को रैगिंग विरोधी विनियमों और उनके कानूनी परिणामों के बारे में सूचित करना चाहिए।
  - **CCTV स्थापित करना:** रैगिंग की संभावना वाले स्थानों की पहचान करने और तुरंत कार्रवाई करने के लिए CCTV कैमरे स्थापित करने चाहिए।
  - **औचक निरीक्षण करना:** रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए नियमित रूप से छात्रावासों, स्टूडेंट एकोमोडेशन, कैंटीन, मनोरंजन क्षेत्रों, विश्राम कक्षों, बस स्टॉप और अन्य प्रमुख स्थानों का निरीक्षण करना चाहिए।

केस स्टडी:

हाल ही में, राज्य के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग की एक परेशान करने वाली घटना देखी गई। प्रथम वर्ष के छात्र, राहुल का सीनियर छात्रों के एक समूह द्वारा गंभीर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। इसमें मौखिक दुर्व्यवहार, जबरन शारीरिक व्यायाम और अपमानजनक कृत्य शामिल थे, जिससे राहुल को काफी भावनात्मक आघात पहुंचा और उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट आई। कॉलेज में रैगिंग विरोधी समिति और रैगिंग के खिलाफ स्पष्ट दिशा-निर्देश होने के बावजूद, यह घटना हुई, और इस समस्या का समाधान करने के शुरुआती प्रयासों को कुछ शिक्षक के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो कॉलेज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने के डर से स्थिति की गंभीरता को कम करके आंका रहे थे। राहुल के माता-पिता, अपने बेटे की हित के बारे में चिंतित हैं, उन्होंने कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया है और मामले को मीडिया व कानूनी अधिकारियों तक ले जाने की धमकी दी है।

कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति के नव नियुक्त प्रमुख के रूप में, आपको इस स्थिति को संभालने का काम सौंपा गया है। आप सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों, राघवन समिति की सिफारिशों और रैगिंग से संबंधित UGC विनियमों से अवगत हैं। हालांकि, आप कुछ वर्गों में रैगिंग की गहरी जड़ों वाली सांस्कृतिक स्वीकृति और सख्त प्रवर्तन सुनिश्चित करने में चुनौतियों को भी पहचानते हैं।

प्रश्न:

a) इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए। रैगिंग की समस्या का समाधान करने में संस्थान, शिक्षकों, सीनियर छात्रों और पीड़ित की जिम्मेदारियों व दायित्वों पर चर्चा कीजिए।

b) राहुल की सुरक्षा और हित सुनिश्चित करते हुए, राहुल से संबंधित स्थिति का तत्काल समाधान करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? कॉलेज में समावेशन और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भविष्य में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए आपके द्वारा किए जाने वाले उपायों की विवेचना कीजिए।

10. सुर्ख़ियों में रही योजनाएं (Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (Pradhan Mantri Annadata Aay Sanrakshan Abhiyan: PM-AASHA)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने एकीकृत **"प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना" को 2025-26 यानी 15वें वित्त आयोग की अवधि तक जारी** रखने की मंजूरी दे दी है।

उद्देश्य	विशेषताएं
दलहन, तिलहन और नारियल गिरी (खोपरा) के लिए **मूल्य आश्वासन** प्रदान करना; **किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता** सुनिश्चित करना; **फसल कटाई के बाद वित्तीय दबाव में की जाने वाली बिक्री की घटनाओं को कम करना तथा दलहन व तिलहन पर ध्यान देते हुए फसल विविधीकरण को बढ़ावा** देना।	• इसे वर्ष **2018 में एक अम्ब्रेला योजना** के रूप में शुरू किया गया था। • **संबंधित मंत्रालय:** कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय • **योजना का प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक की योजना • **आवंटित निधि:** 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 2025-26 तक 35,000 करोड़ रुपये। • **पी.एम. आशा के घटक:** ○ **मूल्य समर्थन योजना (PSS)[101]:** कवर की गई फसलें- **दलहन, तिलहन और खोपरा (नारियल गिरी)** (उचित औसत गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली फसलें)। ○ **केंद्रीय नोडल खरीद एजेंसियां:** ▪ **भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED),** तथा ▪ **भारतीय खाद्य निगम (FCI)।** ○ **लाभार्थी:** पहले से पंजीकृत किसान राज्य एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की सीधी बिक्री कर सकते हैं। ○ **इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:** ▪ **केंद्र सरकार द्वारा ऋणदाता बैंकों को सरकारी गारंटी का प्रावधान:** खरीद संबंधी कार्यों को संपन्न करने के लिए **केंद्रीय नोडल खरीद एजेंसियों को नकद ऋण सुविधाएं** प्रदान करना। ➢ मौजूदा सरकारी गारंटी को **नवीनीकृत** किया गया है और इसे **बढ़ाकर 45,000 करोड़ रुपये** कर दिया गया है। ▪ **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर कार्यान्वयन:** ये किसानों के हित में **मंडी कर से छूट** देने के लिए अपनी सहमति प्रदान करते हैं। ▪ **खरीद की सीमा:** 2024-25 सीज़न के बाद से अधिसूचित फसलों के **राष्ट्रीय उत्पादन का 25%** निर्धारित। ➢ **2024-25 के लिए प्रमुख अपडेट:** केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत **अरहर (तूर), उड़द और मसूर** की खरीद को राज्य के उत्पादन के **100% तक करने** की अनुमति दी है। ○ **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF):** इसका उद्देश्य कृषि-बागवानी उत्पादों की खरीद और वितरण के लिए कार्यशील पूंजी एवं अन्य आकस्मिक व्यय के लिए धनराशि प्रदान करना है। जैसे- **टमाटर तथा भारत दाल, भारत आटा और भारत चावल की खुदरा बिक्री पर सब्सिडी** प्रदान करना।

[101] Price Support Scheme

	▪ **उपभोक्ता कार्य विभाग (DoCA)** बाजार मूल्य पर दालों की खरीद तब करेगा, **जब कीमतें निम्नलिखित पर MSP से अधिक हो जाएंगी-** ➢ भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ **(NAFED) के ई-समृद्धि पोर्टल पर,** और ➢ भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ **(NCCF) के ई-संयुक्ति पोर्टल पर।** ○ **भावांतर भुगतान योजना (PDPS)[102]:** इसमें **वे सभी तिलहन** शामिल हैं, जिनके लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य** (MSP) की घोषणा की जाती है। ▪ **किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान:** केंद्र सरकार MSP और बिक्री/ मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सीधे किसानों को करती है। यह **भुगतान MSP मूल्य के 15%** तक किया जाता है। ▪ **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सुविधाजनक विकल्प:** वे हर वर्ष/ सीजन में तिलहनों के लिए **मूल्य समर्थन योजना (PSS) या मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS)** में से किसी एक को चुन सकते हैं। ▪ **लाभार्थी:** एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अपने उत्पादन का **40% तक तिलहन बेचने वाले** पूर्व-पंजीकृत किसान। ○ **बाजार हस्तक्षेप योजना (MIS):** टमाटर, प्याज और आलू (TOP) जैसी खराब होने वाली कृषि/ बागवानी फसलों के मामले में मूल्य अंतराल को कम करने और मूल्य अस्थिरता के प्रभाव से निपटने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। **हालांकि इन फसलों को MSP के तहत कवर नहीं** किया गया है। **इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:** ▪ **भौतिक खरीद की आवश्यकता नहीं:** राज्यों के पास **बाजार हस्तक्षेप मूल्य (MIP) और बिक्री मूल्य** के बीच के अंतर का भुगतान करने का विकल्प होता है। ➢ यह फसलों के उत्पादन का **25% तक** कवर करेगा और अधिकतम मूल्य अंतराल **MIP का लगभग 25%** तक होगा। ▪ **राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर कार्यान्वयन:** जब फसल का **बाजार मूल्य पिछले सीजन से कम-से-कम 10%** गिर जाता है, तो राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर इस योजना को लागू किया जाता है।

[102] Price Deficiency Payment Scheme

11. परिशिष्ट: महत्वपूर्ण खनिज (Appendix: Critical Minerals)

महत्वपूर्ण खनिज	मुख्य उपयोग	भारत की स्थिति/ भंडार	अन्य जानकारी
लिथियम	⊙ इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) और बिजली भंडारण प्रणालियों के लिए बैटरी में उपयोग किया जाता है।	⊙ **जम्मू और कश्मीर** में भंडार होने का पता चला है।	⊙ **लिथियम ट्राएंगल (चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया)** दुनिया के लिथियम की लगभग 60 प्रतिशत ज़रूरतों को पूरा करता है। ⊙ **प्रमुख उत्पादक देश:** चीन, ऑस्ट्रेलिया, आदि
कोबाल्ट	⊙ लिथियम-आयन बैटरी, सुपर एलॉय और उत्प्रेरक में उपयोग किया जाता है।	⊙ चीन जैसे देशों से आयात पर निर्भरता। ⊙ **ओडिशा के पास सबसे बड़ा भंडार है।**	⊙ **प्रमुख उत्पादक:** डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC)
तांबा	⊙ **विद्युत वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स** में उपयोग किया जाता है।	⊙ भारत के 50% से अधिक तांबे के भंडार **राजस्थान** में केंद्रित हैं। ⊙ **प्रमुख खदानें:** खेतड़ी (राजस्थान), मलाजखंड (मध्य प्रदेश), आदि।	⊙ एल्युमीनियम के बाद उपयोग के हिसाब से **दूसरी सबसे बड़ी अलौह धातु।** ⊙ **प्रमुख उत्पादक:** चीन और पेरू
ग्रेफाइट (प्लम्बेगो या ब्लैकलेड)	⊙ बैटरी एनोड, लुब्रीकेंट्स और फ्यूल सेल में उपयोग किया जाता है। ⊙ परमाणु रिएक्टरों में **मॉडरेटर** के रूप में उपयोग किया जाता है।	⊙ इसके भंडार अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और तमिलनाडु में पाए जाते है।	⊙ यह प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बन का स्थिर रूप है। ⊙ **प्रमुख उत्पादक देश:** चीन
निकेल	⊙ स्टेनलेस स्टील, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और एयरोस्पेस उद्योग में उपयोग किया जाता है।	⊙ भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है।	⊙ **प्रमुख उत्पादक:** इंडोनेशिया, फिलीपींस
टाइटेनियम	⊙ **इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और चिकित्सा उपकरणों में** उपयोग किया जाता है।	⊙ भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है।	⊙ **प्रमुख उत्पादक देश:** डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (DRC)
टंगस्टन	⊙ कटिंग टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मिश्र धातु इस्पात में उपयोग किया जाता है।	⊙ टंगस्टन युक्त खनिजों के संसाधन मुख्य रूप से कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं।	⊙ यह 'वोल्फ्राम' के नाम से भी जाने जाने वाली एक बहुत ही सघन, चमकदार, धूसर सफेद से लेकर स्टील-ग्रे रंग की धातु है। ⊙ **प्रमुख उत्पादक: चीन**
दुर्लभ भू-तत्व (REE - Rare Earth Elements) 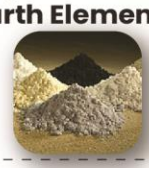	⊙ अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स (इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए स्थायी चुंबक), रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा में उपयोग किया जाता है।	⊙ भारत में ओडिशा, केरल और आंध्र प्रदेश में भंडार पाए जाते हैं।	⊙ REE में 17 तत्व शामिल होते हैं, जैसे स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनाइड। ⊙ **प्रमुख उत्पादक: चीन**

महत्वपूर्ण खनिज	मुख्य उपयोग	भारत की स्थिति/ भंडार	अन्य जानकारी
टिन (Tin)	⊙ सोल्डरिंग, कोटिंग्स, और मिश्र धातुओं में उपयोग किया जाता है।	⊙ हरियाणा और छत्तीसगढ़ में बड़े भंडार हैं।	⊙ **मुख्य उत्पादक:** चीन
टाइटेनियम (Titanium)	⊙ मिसाइल और रॉकेट, चिकित्सकीय प्रत्यारोपण, और सफेद टाइटेनियम डाइऑक्साइड पिगमेंट में उपयोग किया जाता है।	⊙ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में प्रमुख भंडार हैं।	⊙ इल्मेनाइट (Ilmenite) और रूटाइल (Rutile) टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। ⊙ **मुख्य उत्पादक:** चीन और जापान
कैडमियम (Cadmium)	⊙ बैटरियों, कोटिंग्स, और रक्षा क्षेत्रक में सुरक्षा-संबंधी साधनों में उपयोग किया जाता है।	⊙ यह जिंक खनन में उप-उत्पाद के रूप में पाया जाता है।	⊙ **मुख्य उत्पादक:** चीन और साऊथ कोरिया

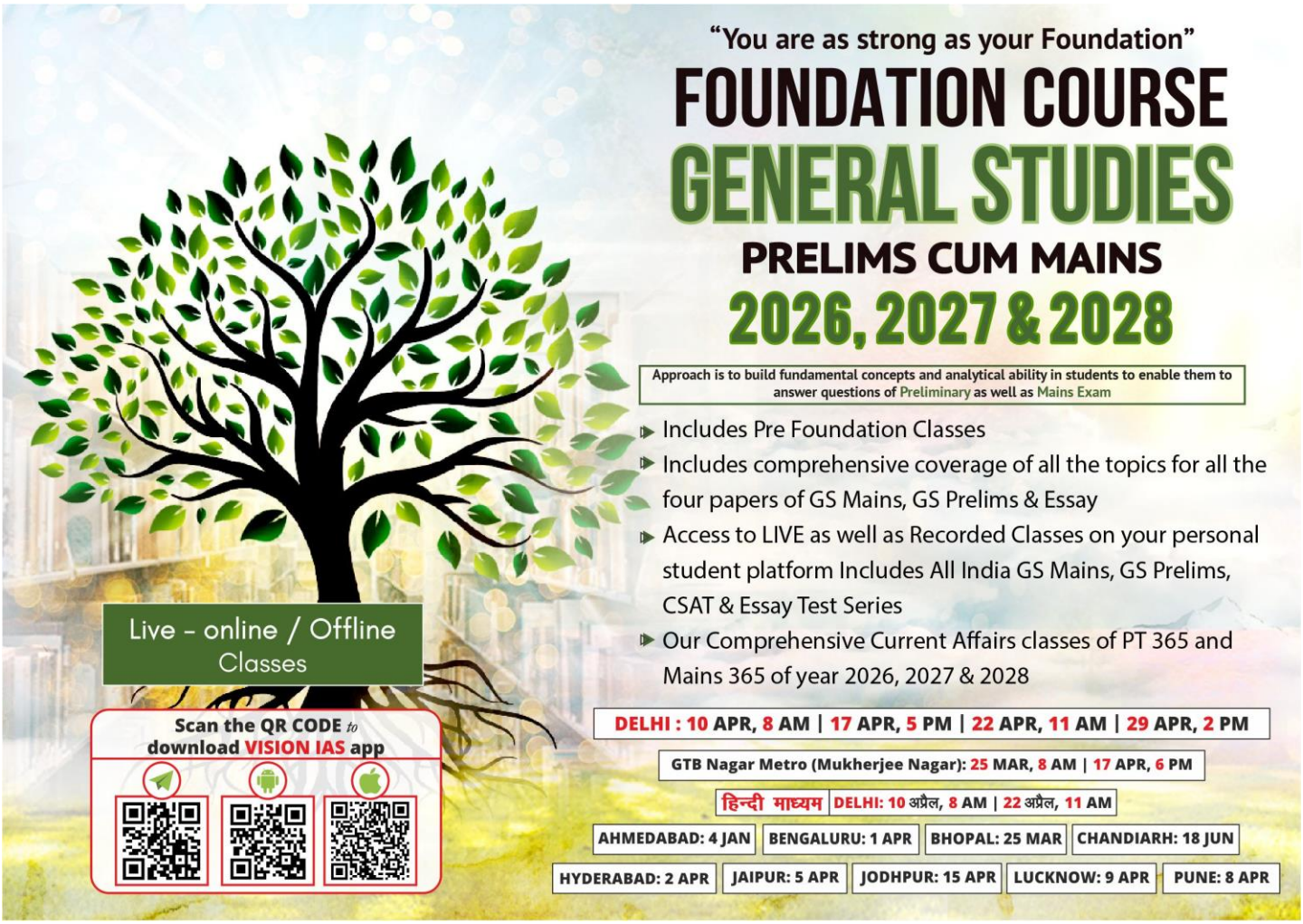

12. सुर्ख़ियों में रहे स्थल (Places in News)

भारत

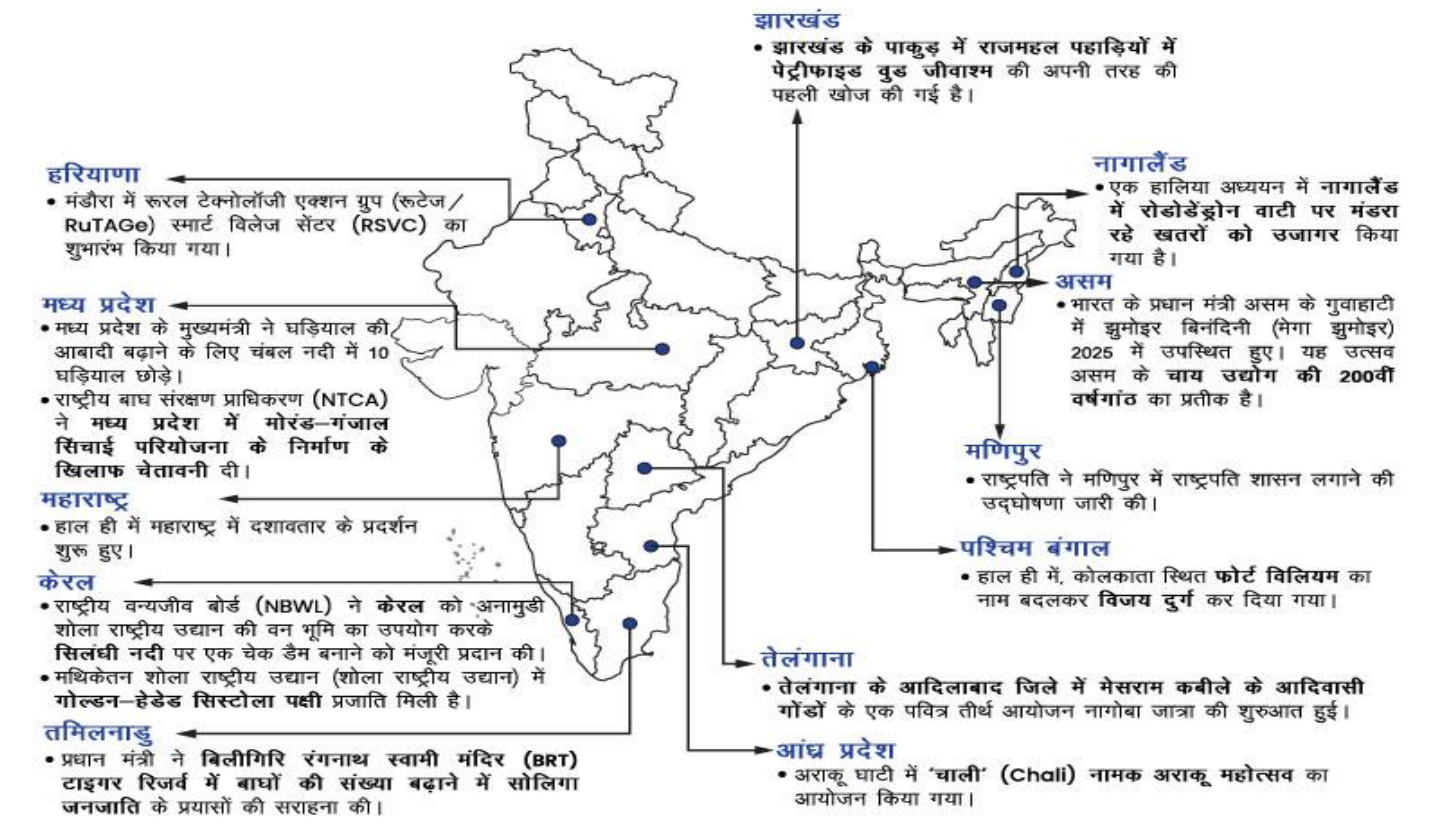

झारखंड
- झारखंड के पाकुड़ में राजमहल पहाड़ियों में **पेट्रीफाइड वुड जीवाश्म** की अपनी तरह की पहली खोज की गई है।

हरियाणा
- मंडौरा में रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (रूटेज/ RuTAGe) स्मार्ट विलेज सेंटर (RSVC) का शुभारंभ किया गया।

मध्य प्रदेश
- मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घड़ियाल की आबादी बढ़ाने के लिए चंबल नदी में 10 घड़ियाल छोड़े।
- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने **मध्य प्रदेश में मोरंड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण के खिलाफ चेतावनी** दी।

महाराष्ट्र
- हाल ही में महाराष्ट्र में दशावतार के प्रदर्शन शुरू हुए।

केरल
- राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने **केरल** को अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान की वन भूमि का उपयोग करके **सिलंधी नदी** पर एक चेक डैम बनाने को मंजूरी प्रदान की।
- मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान (शोला राष्ट्रीय उद्यान) में **गोल्डन–हेडेड सिस्टोला पक्षी** प्रजाति मिली है।

तमिलनाडु
- प्रधान मंत्री ने **बिलीगिरि रंगनाथ स्वामी मंदिर (BRT) टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ाने में सोलिगा जनजाति** के प्रयासों की सराहना की।

नागालैंड
- एक हालिया अध्ययन में **नागालैंड में रोडोडेंड्रोन वाटी पर मंडरा रहे खतरों को उजागर** किया गया है।

असम
- भारत के प्रधान मंत्री असम के गुवाहाटी में झुमोइर बिनंदिनी (मेगा झुमोइर) 2025 में उपस्थित हुए। यह उत्सव असम के **चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ** का प्रतीक है।

मणिपुर
- राष्ट्रपति ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की उद्घोषणा जारी की।

पश्चिम बंगाल
- हाल ही में, कोलकाता स्थित **फोर्ट विलियम** का नाम बदलकर **विजय दुर्ग** कर दिया गया।

तेलंगाना
- **तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में मेसराम कबीले के आदिवासी गोंडों** के एक पवित्र तीर्थ आयोजन नागोबा जात्रा की शुरुआत हुई।

आंध्र प्रदेश
- अराकू घाटी में **'चाली'** (Chali) नामक अराकू महोत्सव का आयोजन किया गया।

विश्व

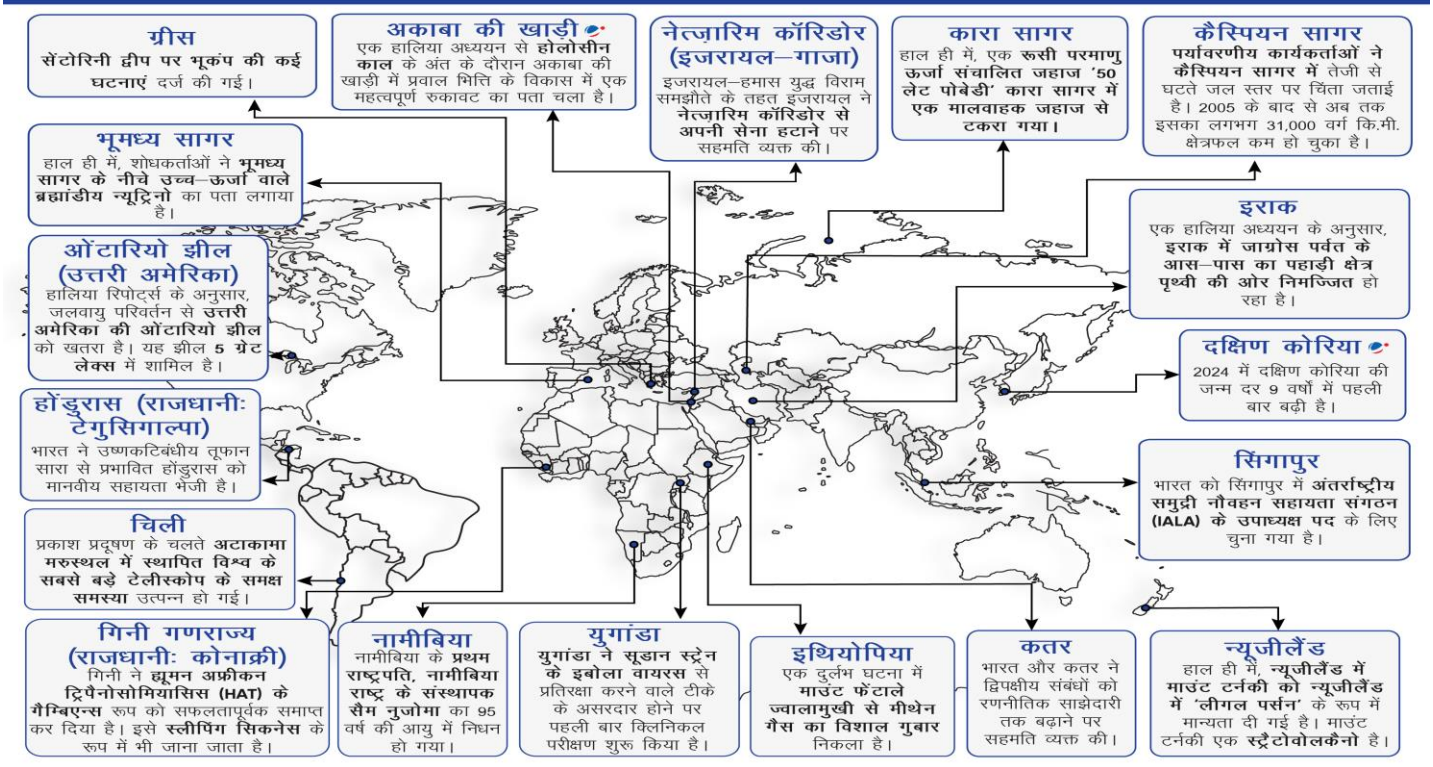

ग्रीस
सेंटोरिनी द्वीप पर भूकंप की कई घटनाएं दर्ज की गई।

अकाबा की खाड़ी
एक हालिया अध्ययन से **होलोसीन काल** के अंत के दौरान अकाबा की खाड़ी में प्रवाल भित्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण रुकावट का पता चला है।

नेत्ज़ारिम कॉरिडोर (इजरायल–गाजा)
इजरायल–हमास युद्ध विराम समझौते के तहत इजरायल ने **नेत्ज़ारिम कॉरिडोर से अपनी सेना हटाने** पर सहमति व्यक्त की।

कारा सागर
हाल ही में, एक **रूसी परमाणु ऊर्जा संचालित जहाज '50 लेट पोबेडी' कारा सागर में एक मालवाहक जहाज से टकरा गया।**

कैस्पियन सागर
पर्यावरणीय कार्यकर्ताओं ने कैस्पियन सागर में तेजी से घटते जल स्तर पर चिंता जताई है। 2005 के बाद से अब तक इसका लगभग 31,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल कम हो चुका है।

भूमध्य सागर
हाल ही में, शोधकर्ताओं ने **भूमध्य सागर के नीचे उच्च–ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो** का पता लगाया है।

इराक
एक हालिया अध्ययन के अनुसार, **इराक में जाग्रोस पर्वत के आस–पास का पहाड़ी क्षेत्र पृथ्वी की ओर निमज्जित** हो रहा है।

ओंटारियो झील (उत्तरी अमेरिका)
हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जलवायु परिवर्तन से **उत्तरी अमेरिका की ओंटारियो झील** को खतरा है। यह झील **5 ग्रेट लेक्स** में शामिल है।

दक्षिण कोरिया
2024 में दक्षिण कोरिया की जन्म दर 9 वर्षों में पहली बार बढ़ी है।

होंडुरास (राजधानी: टेगुसिगाल्पा)
भारत ने उष्णकटिबंधीय तूफान सारा से प्रभावित होंडुरास को मानवीय सहायता भेजी है।

सिंगापुर
भारत को सिंगापुर में **अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन (IALA) के उपाध्यक्ष पद** के लिए चुना गया है।

चिली
प्रकाश प्रदूषण के चलते **अटाकामा मरुस्थल में स्थापित विश्व के सबसे बड़े टेलीस्कोप के समक्ष समस्या** उत्पन्न हो गई।

गिनी गणराज्य (राजधानी: कोनाक्री)
गिनी ने **ह्यूमन अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस (HAT) के गैम्बिएन्स** रूप को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है। इसे **स्लीपिंग सिकनेस** के रूप में भी जाना जाता है।

नामीबिया
नामीबिया के **प्रथम राष्ट्रपति, नामीबिया राष्ट्र के संस्थापक सैम नुजोमा** का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

युगांडा
युगांडा ने सूडान स्ट्रेन के इबोला वायरस से प्रतिरक्षा करने वाले टीके के असरदार होने पर पहली बार क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है।

इथियोपिया
एक दुर्लभ घटना में **माउंट फेंटाले ज्वालामुखी से मीथेन गैस का विशाल गुबार** निकला है।

कतर
भारत और कतर ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

न्यूजीलैंड
हाल ही में, **न्यूजीलैंड में माउंट टर्नकी को न्यूजीलैंड में 'लीगल पर्सन'** के रूप में मान्यता दी गई है। माउंट टर्नकी एक **स्ट्रैटोवोलकैनो** है।

13. सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व (Personalities in News)

व्यक्तित्व	परिचय	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
 संत गुरु रविदास	**संत गुरु रविदास के बारे में** • इनका जन्म **14वीं शताब्दी में वाराणसी** में हुआ था। वे **निर्गुण भक्ति आंदोलन** के भक्ति संत थे। • उनकी शिक्षाओं में मंदिर–आधारित अनुष्ठानों को खारिज किया गया था और अपनी आजीविका जारी रखते हुए निरंकार (निराकार ईश्वर) के प्रति समर्पण की वकालत की थी। • **उनके महत्वपूर्ण योगदान:** ▸ उन्होंने **अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव की व्यवस्था का विरोध** किया था। ▸ अपने कार्यों में उन्होंने **बेगमपुरा** की एक कल्पना प्रस्तुत की थी। बेगमपुरा एक ऐसा समाज होगा जो **भय, शासकों, करों, जाति–आधारित पदानुक्रमों और स्थानिक प्रतिबंधों से मुक्त** होगा। ▸ उनके **भक्ति गीत और कविताएं** गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं।	**सामाजिक न्याय** • उन्हें समाज में सबसे निचले स्तर पर रहने वाले लोगों की दयनीय स्थिति के प्रति गहरी सहानुभूति थी। उन्होंने आध्यात्मिक और सामाजिक आलोचनाओं द्वारा जातिगत बन्धनों को मिटाने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया था।
 छत्रपति शिवाजी महाराज (1630 – 1680)	हाल ही में देशभर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। **छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में** • छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म शिवनेरी किले में हुआ था। • शिवाजी का पालन पोषण उनकी मां जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव की देखरेख में हुआ था। शिवाजी पर हिंदू और सूफी शिक्षाओं का गहरा असर था। **प्रमुख योगदान** • **सैन्य उपलब्धियां और गुरिल्ला युद्ध शैली:** ▸ शिवाजी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में **तोरण किले** पर अधिकार करके अपनी विजय यात्रा का शुभारंभ किया। ▸ गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण 1659 में उन्होंने अफजल खान को परास्त किया। • **प्रशासन और शासन:** ▸ शिवाजी ने अपने राज्य में **राजस्व सुधारों, अनुशासित सेना और धार्मिक सहिष्णुता** पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रगतिशील शासन व्यवस्था को लागू किया था। ▸ 1674 में **छत्रपति के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक** हुआ, जिसने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य को औपचारिक पहचान दी। • **विरासत:** ▸ शिवाजी महाराज का **"हिंदवी स्वराज्य (स्व–शासन)"** का दृष्टिकोण पीढ़ियों से सभी को प्रेरित करता आया है। ▸ शिवाजी महाराज को एक दूरदर्शी **नेतृत्वकर्ता, न्यायप्रिय शासक और बहादुरी एवं स्वतंत्रता के प्रतीक** के रूप में याद किया जाता है।	**वीरता और सत्यनिष्ठा** • उन्होंने न्यायपूर्ण शासन के सिद्धांतों को बनाए रखा तथा प्रशासनिक दक्षता और सैन्य रणनीतिक कुशलता पर बल दिया। • धार्मिक सहिष्णुता और शासन से जुड़े सुधारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उनकी सत्यनिष्ठ को प्रदर्शित किया।

वीर नारायण सिंह
(1795–1858)

1857 के विद्रोह के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी वीर नारायण सिंह को उनकी पुण्यतिथि (25 फरवरी) पर देशवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

वीर नारायण सिंह के बारे में

- वे **छत्तीसगढ़** के **सोनाखान** के जमींदार थे।
- उनके पूर्वज गोंड **जनजाति** से संबंधित थे और सारंगढ़ में रहते थे। बाद में, उनके पूर्वजों ने गोंड से बिंझवार में जाति परिवर्तन किया और रायपुर जिले में बस गए।

प्रमुख योगदान

- **1856 के भयंकर अकाल के दौरान,** उन्होंने **अन्न भंडार** से अनाज निकालकर गरीबों में बांटा, ताकि वे भुखमरी से बच सकें।
  - 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें **एक व्यापारी के अनाज भंडार को लूटने के आरोप में** गिरफ्तार कर लिया।
- **1857 के विद्रोह** के दौरान, वे जेल से भाग निकले और **सोनाखान में 500 सैनिकों की एक आर्मी बनाई।**
- उन्होंने छत्तीसगढ़ में **1857 के विद्रोह का नेतृत्व** किया। इसलिए, उन्हें **"प्रथम छत्तीसगढ़ी स्वतंत्रता सेनानी"** माना जाता है।

साहस और सहानुभूति

- उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करके तथा उत्पीड़ित समाज के लिए आवाज उठाकर अदम्य साहस का प्रदर्शन किया।
- अकाल के दौरान गरीबों को अनाज वितरित करने का उनका कार्य वंचितों के प्रति उनके मन में गहरी सहानुभूति को दर्शाता है।

महर्षि दयानंद सरस्वती
(1824 से 1883)

महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर पूरे देश में याद किया गया।

महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में

- उनका जन्म काठियावाड़ (गुजरात) में हुआ था।

प्रमुख योगदानः

- **धार्मिक सुधारः** उन्होंने **1875 में बंबई में आर्य समाज** की स्थापना की थी। वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ थे।
- **सामाजिक सुधारः** उन्होंने **जाति व्यवस्था का विरोध** किया था और **अस्पृश्यता को अमानवीय** बताया था।
- **महिला सशक्तीकरणः वे महिला शिक्षा के समर्थक थे।** उन्होंने भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुरी प्रथाओं का विरोध किया था। उन्होंने **विधवा विवाह का समर्थन** किया था।
- **साहित्यिक कृतियांः** सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि आदि।

समानता और तर्कबुद्धिवादः

- उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया और लैंगिक समानता पर भी बल दिया। इससे मनुष्यों को मूलतः एक–समान दृष्टि से देखने की उनकी प्रतिबद्धता प्रकट होती है।
- उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए समाज में प्रचलित अंधविश्वासों को चुनौती दी। साथ ही उन्होंने धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में तार्किक विचार और आलोचनात्मक सोच के महत्व पर भी बल दिया।

जगदीश चंद्र बोस
(1858 – 1937)

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन **(ANRF)** ने वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को सराहने के लिए एक नई योजना **जगदीश चंद्र बोस अनुदान (JBG)** शुरू करने की घोषणा की।

जगदीश चंद्र बोस के बारे में

- वे **1904** में अमेरिकी पेटेंट पाने **वाले पहले एशियाई थे।**
- उन्होंने **रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की जांच की थी और उन्हें रेडियो एवं वायरलेस संचार का जनक** माना जाता है।

आगे बढ़ने की भावना और ज्ञान के प्रति समर्पण

- उन्होंने रेडियो तरंगों, माइक्रोवेव ऑप्टिक्स, आदि शोध में अग्रणी योगदान दिया तथा जीवन के परस्पर संबंधों पर बल दिया।
- उनके अनुसंधान और आविष्कार, जैसे कि क्रेस्कोग्राफ, वैज्ञानिक अन्वेषण और सत्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

	प्रमुख योगदानः • वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने यह साबित किया था कि पेड़–पौधों में भी दर्द और स्नेह महसूस करने की क्षमता होती है। • **प्रमुख आविष्कारः** ▸ **क्रेस्कोग्राफः** यह **पेड़ों की वृद्धि को मापने** के लिए उपयोग किया जाता है। ▸ उन्होंने **प्रथम वायरलेस डिटेक्शन डिवाइस** का भी आविष्कार किया था। • उन्होंने **1917** में एक प्रमुख शोध संस्थान, **बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की** थी। • उन्हें **बंगाली विज्ञानकथा–साहित्य का जनक** भी माना जाता है। • **प्रमुख साहित्यिक कार्यः** विज्ञान शोध–पत्र "ऑन द सिमिलॅरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिस इन इनऑर्गेनिक एंड लिविंग मैटर", "द नर्वस मेकेनिज्म ऑफ़ प्लांट्स", और निरुद्देशेर कहानी।	
 गोपाल कृष्ण गोखले (1866–1915)	देश ने महान दूरदर्शी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया। **गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में** • **जन्मः** उनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। **प्रमुख योगदान** • वह **सार्वजनिक सभा** के **सचिव** थे। इसके अलावा, वे **गोपाल गणेश आगरकर** द्वारा प्रारंभ की गई **'सुधारक'** पत्रिका से भी जुड़े हुए थे। • **गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेण्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी** की स्थापना की थी। • उन्होंने **1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता** की। • **महात्मा गांधी** गोखले को अपना राजनीतिक गुरु और मार्गदर्शक मानते थे।	**सार्वजनिक जीवन में लोक सेवा और निःस्वार्थता** • उन्होंने 'सर्वेन्ट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना की थी। यह समूह लोगों को निःस्वार्थ स्वयंसेवक बनने के लिए प्रशिक्षित करता था ताकि वे अन्य लोगों के सामूहिक कल्याण के लिए काम कर सकें। • उन्होंने देश के लोगों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सुधार लाने के लिए अंग्रेजों को प्रोत्साहित करने के लिए अत्यधिक प्रयास किया।
 सरोजिनी नायडू (1879 – 1949)	देशभर में **13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस** मनाया गया। यह दिवस स्वतंत्रता, महिला अधिकारों और सशक्तीकरण में **सरोजिनी नायडू की विरासत का सम्मान** करने के लिए मनाया जाता है। **सरोजिनी नायडू के बारे में** • उन्हें **'नाइटिंगेल ऑफ इंडिया' या 'भारत कोकिला'** के नाम से भी जाना जाता है। वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता और प्रसिद्ध कवयित्री थीं। • वह **1947** में स्वतंत्र भारत में पहली महिला राज्यपाल बनीं थीं। वह **संयुक्त प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) की राज्यपाल** बनी थीं। **प्रमुख योगदानः** • वह **1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वतंत्रता** आंदोलन में शामिल हुई थीं।	**न्याय और नेतृत्व कौशल** • वह महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता की अत्यधिक समर्थक थीं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के जरिए न्याय को बढ़ावा देने का प्रयास किया। • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उनके नेतृत्व और समानता का पक्ष लेने के हौसले ने सामाजिक सुधारों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।

	• उन्होंने **1917 में महिला भारतीय संघ** की सह–स्थापना की थी। • वह **1919 में ऑल इंडिया होमरूल लीग** का हिस्सा बनी थीं। • **1925** में वह **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा** बनीं थीं। • नायडू ने **सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन** दोनों में एक महत्वपूर्ण नेता के रूप में हिस्सा लिया था। • **1931** में, **लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन** में उन्होंने गांधीजी के साथ हिस्सा लिया था। • **साहित्यिक कृतियां:** द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम (1912), द ब्रोकन विंग, आदि।	
 फील्ड मार्शल के.एम. करिअप्पा (1899– 1993)	हाल ही में, फील्ड मार्शल के.एम.करिअप्पा को उनकी जयंती पर याद किया गया। **प्रमुख योगदान:** • उन्होंने **स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर–इन–चीफ** के रूप में कार्य किया था। ▸ हर **15 जनवरी को आर्मी दिवस** मनाया जाता है। यह वह दिन है, जब **उन्होंने जनरल सर फ्रांसिस रॉय बुचर की जगह कमांडर–इन–चीफ** के रूप में पदभार ग्रहण किया था। • **सैन्य करियर: 1919–1953** ▸ वे भारतीय थल सेना में **बटालियन की कमान संभालने वाले पहले भारतीय** थे। ▸ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने **मध्य पूर्व और बर्मा में अपनी सेवाएं** दी थीं। • अपनी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने **ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारतीय उच्चायुक्त** के रूप में कार्य किया था। • सरकार ने **1986** में करिअप्पा को **फील्ड मार्शल** की रैंक से सम्मानित किया था।	**नेतृत्व क्षमता और सत्यनिष्ठा** • उन्होंने इंडियन आर्मी को एक औपनिवेशिक सेना से एक राष्ट्रीय संस्था में परिवर्तित करने में अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया। इसने एक साझा लक्ष्य के प्रति दूसरों को प्रेरित करने की उनकी दूरदर्शिता और क्षमता को उजागर किया। • उन्होंने योग्यता के आधार पर एक राष्ट्रीय सेना के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई, जो समानता और निष्पक्षता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है।
 श्री नानाजी देशमुख (1916 – 2010)	केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत रत्न नानाजी देशमुख की **15वीं पुण्यतिथि** पर आयोजित स्मृति दिवस समारोह को संबोधित किया। **श्री नानाजी देशमुख के बारे में** • नानाजी देशमुख का जन्म **महाराष्ट्र के हिंगोली जिले** में हुआ था। • नानाजी ने **पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित 'एकात्म मानववाद'** के दर्शन को मान्यता दिलाने के लिए **1972 में दीनदयाल शोध संस्थान (DRI) की स्थापना** की थी। **प्रमुख योगदान** • वे **लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संचालित 'संपूर्ण क्रांति'** के प्रवर्तक थे। उन्होंने **1975** में लगे आपातकाल का विरोध किया था। • उन्होंने **आचार्य विनोबा भावे** द्वारा शुरू किए गए **भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप** से भाग लिया था। • उन्होंने चित्रकूट में **चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय** की स्थापना की थी तथा इसके प्रथम कुलाधिपति नियुक्त किए गए थे। यह भारत का पहला **ग्रामीण विश्वविद्यालय** था।	**निःस्वार्थ सेवा और सामाजिक उत्थान** • उन्होंने अपना जीवन ग्रामीण विकास और राष्ट्र निर्माण, एकात्म मानवतावाद को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित कर दिया। • शिक्षा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण क्षेत्रों के कल्याण पर उनका ध्यान निःस्वार्थ सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

लाइव / ऑनलाइन
कक्षाएं भी उपलब्ध

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स 2026

प्रीलिम्स और मेन्स, दोनों

दिल्ली

10 अप्रैल, 8 AM | 22 अप्रैल, 11 AM

अवधि – 12 महीने

VisionIAS ऐप को डाउनलोड करने के लिए दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए

निःशुल्क काउंसिलिंग के लिए QR कोड को स्कैन कीजिए

डेली MCQs और अन्य अपडेट्स के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए

- सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स में GS मेन्स के सभी चारों पेपर, GS प्रीलिम्स, CSAT और निबंध के सिलेबस को विस्तार से कवर किया जाता है।
- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन स्टूडेंट पोर्टल पर लाइव एवं ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध है, ताकि वे किसी भी समय, कहीं से भी लेक्चर और स्टडी मटेरियल तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।
- इस कोर्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शामिल है।
- 2025 के प्रोग्राम की अवधि: 12 महीने
- प्रत्येक कक्षा की अवधि: 3–4 घंटे, सप्ताह में 5–6 दिन (आवश्यकता पड़ने पर रविवार को भी कक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं)

नोट: अभ्यर्थी फाउंडेशन कोर्स की लाइव वीडियो कक्षाएं घर बैठे अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। साथ ही, अभ्यर्थी लाइव चैट के जरिए कक्षा के दौरान अपने डाउट्स और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा, वे अपने डाउट्स और प्रश्न को नोट कर दिल्ली सेंटर पर हमारे क्लासरूम मेंटर को बता सकते हैं, जिसके बाद फोन/ मेल के जरिए अभ्यर्थियों के प्रश्नों का समाधान किया जाता है।

GS फाउंडेशन कोर्स की अन्य मुख्य विशेषताओं पर एक नज़र

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मूल्यांकन

अभ्यर्थियों को नियमित ट्यूटोरियल, मिनी टेस्ट एवं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के माध्यम से व्यक्तिगत व अभ्यर्थी के अनुरूप और ठोस फीडबैक दिया जाता है

सभी द्वारा पढ़ी जाने वाली एवं सभी द्वारा अनुशंसित

विशेषज्ञों की एक समर्पित टीम द्वारा तैयार की गई मासिक समसामयिकी मैगजीन, PT 365 और Mains 365 डॉक्यूमेंट्स तथा न्यूज़ टुडे जैसी प्रासंगिक एवं अपडेटेड अध्ययन सामग्री

नियमित तौर पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन

इस कोर्स के तहत अभ्यर्थियों के डाउट्स दूर करने और उन्हें प्रेरित रखने के लिए नियमित रूप से फोन/ ईमेल/ लाइव चैट के माध्यम से "वन–टू–वन" मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

प्रत्येक 3 सफल उम्मीदवारों में से 2 Vision IAS की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज को चुनते हैं। Vision IAS के पोस्ट टेस्ट एनालिसिस के तहत टेस्ट पेपर में स्टूडेंट्स के प्रदर्शन का विस्तार से विश्लेषण एवं समीक्षा की जाती है। यह अपनी गलतियों को जानने एवं उसमें सुधार करने हेतु काफी महत्वपूर्ण है।

कोई क्लास मिस ना करें

प्रत्येक अभ्यर्थी को एक व्यक्तिगत "स्टूडेंट पोर्टल" उपलब्ध कराया जाता है। इस पोर्टल के जरिए अभ्यर्थी किसी भी पुराने क्लास या छूटे हुए सेशन और विभिन्न रिसोर्सेज़ को एक्सेस कर सकते हैं एवं अपने प्रदर्शन का सापेक्ष एवं निरपेक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं।

बाधा रहित तैयारी

अभ्यर्थी VisionIAS के क्लासरूम लेक्चर्स एवं विभिन्न रिसोर्सेज़ को कहीं से भी तथा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और वे इन्हें अपनी जरुरत के अनुसार ऑर्गनाईज कर सकते हैं।

Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

Aditya Srivastava

79 in **TOP 100** Selections in **CSE 2023**

from various programs of **Vision IAS**

Animesh Pradhan

Ruhani

Srishti Dabas

Anmol Rathore

Nausheen

Aishwaryam Prajapati

हिंदी माध्यम में 35+ चयन CSE 2023 में

= हिंदी माध्यम टॉपर =

मोहन लाल

अर्पित कुमार

विपिन दुबे

मनीषा धार्वे

मयंक दुबे

देवेश पाराशर

UPSC TOPPERS/OPEN SESSION: QR स्कैन करें

मोहन लाल

TOPPERS' TALK

UPSC CSE 2026 सामान्य अध्ययन

UPSC Prelims 2025 10 years PYQ

Master Classes Series करेंट अफेयर्स

HEAD OFFICE
Apsara Arcade, 1/8-B 1st Floor, Near Gate-6 Karol Bagh Metro Station
DELHI

MUKHERJEE NAGAR CENTER
Plot No. 857, Ground Floor, Mukherjee Nagar, Opposite Punjab & Sindh Bank, Mukherjee Nagar

GTB NAGAR CENTER
Classroom & Enquiry Office, above Gate No. 2, GTB Nagar Metro Building, Delhi - 110009

FOR DETAILED ENQUIRY
Please Call:
+91 8468022022,
+91 9019066066

enquiry@visionias.in /@visioniashindi /visionias.upsc /vision_ias_hindi/ /hindi_visionias

अहमदाबाद बेंगलूरु भोपाल चंडीगढ दिल्ली गुवाहाटी हैदराबाद जयपुर जोधपुर लखनऊ प्रयागराज पुणे रांची